

पाधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45]

नई दिल्ली, सलियार, नवस्वर 7, 1981 (कालिक 16, 1903)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 7, 1981 (KARTIKA 16, 1903)

इस भाग में भिन्न पूष्क संक्ष्मा है जाती है जिज्ञते कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके (Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग Ш--खण्डा

[PART III—SECTION 1]

उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखाश्रीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न भीर अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसुचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India]

संघ लोक **सेवा** खायोग

न**ई** बिल्ली $1100\overline{11}$, ादनाक 24 सितम्बर 1981

सं० ए० 32013/1/81-प्रशार 1- केस्ट्रीय सिनवालय सेवा के निस्त्रिक स्थापी अनुभाग प्रधिकारियों को राष्ट्र-पित द्वारा प्रत्येक के सामने निर्दिष्ट श्रवधि के लिए संघ लोक सेवा श्रायोग के कार्यालय मे श्रवर सिनव के पद पर तदर्थ श्राधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए सहर्ष नियुक्त किया जाता है:—

सं०	ઝવાબ	
सर्वश्री		
1. य० रा० गांधी	26-5-81 से 25-8-81 तक	
2. वेद प्रकाश	26-5-81 से 31-7-81	
3⊾,बी० के ० भट्टाचार्य ः	16-6-81 से 15-9-81	
4. एस० के० मिश्र	29-6-81 से 28-9-81	

210

एच० सी० जाटव, संयुक्त सचिव

ग्रामधि

नक् विल्ली-110011, दिनांक 18 सितम्बर 1981

सं. ए.-19013/2/81-प्रशाः-।——राष्ट्रपति द्वारा ~भी आर. नटराजन, भाः लेखा परीक्षा तथा लेखा सेवा को —316 GI/81 (16 सिसम्बर, 1981 के पूर्वाह्न से आगामी आदोशों तक संघ लोक संवा आयोग के कार्यालय में उप सिचव के पद पर सहर्ष नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 30 सितम्बर 1981

सं ए.-38013/2/81-प्रशा.-।।।—कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के का. ज्ञा स. 33/12/73-स्था. (क) दिनांक 24 नवम्बर, 1973 की शर्तों के अनुसार मंघ लोक संवा आयोग के संवर्ग मं के स. से. के स्थायी सहायक तथा स्थानापन्न अनुभाग अधिकारी श्री जे. एल. सूद को 30 सितम्बर, 1981 के अपराह्न से निवर्तन आयू प्राप्त पर सरकारों सेवा से सेवा निवृत होने की गण्ड्रपति द्वारा सहर्ष अनुमित प्रदान की जाती है।

य. रा. गांधी अवर स**चिव** संघ लोक सेवा आयोग

गृह मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

लाल बहाद्र शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी

मसूरी, विनांक 13 अक्तूबर 1981

सं .2/46/75-ईं . एस . टी . — इस कार्यालय की अधिसूचना .2/46/75-स्थापना दिनांक .3 मार्च और .30 जून , .1981

(12361)

को जारी रखते हुए, निदशक महोदय श्री कैलाश चन्द्र सक्सेना की नियक्ति उप पुस्तकालयाध्यक्ष के पद पर दिनांक 15-10-1981 से आगामी छः मास के लिए या किसी नियमित नियक्ति होने तक, जो भी पूर्व हो, तवर्थ रूप से सहर्ष बढ़ाते हैं।

एस. एस. रिजवी उप निवंशक (वरिष्ठ)

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरी

नई दिल्ली, दिनांक 21 सितम्बर 1981

सं, ए.-22020/71/80-प्रशा.-3—आशृतिपिक ग्रेड "बी" के पद पर रूपए 650-30-740-35-880-द. अ.-40-990-40-1040 के वेतनमान में तदर्थ आधार पर पदोन्ति हो जाने पर, श्री एम. पी. एस. चौहान ने दिनांक 5-9-80 (पूर्वाप्टन) से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में विरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (ग्रेड "बी" आशृतिपिक) के पद का कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

द्वारका नाथ पृत्तिस अधीक्षक (मृख्यालय) कन्द्रीय अन्त्रेषण ब्यरो

नर्ह दिल्ली, दिनाक 16 अक्तूबर 1981

- सं. जं. -12/65-प्रशा. -5---58 वर्ष की निवर्तन की आयू प्राप्त कर लेने पर श्री जालिम सिंह उमारव सिंह ठाकोर, वरिष्ठ लोक-अभियोजक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, आर्थिक अपराक्ष स्कंध, बम्बई, दिनांक 30-9-1981 (अपराष्ट्रन) से सरकारी नौकरी से सेवा-निवर्त्त हो गये।
- सं ए.-20023/4/78-प्रशा -5—प्रत्यावर्तन हो जाने पर, चण्डीगढ़ में कोन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में लोक-अभियोजक के रूप में कार्य कर रहे चण्डीगढ़, हरियाणा के अधिकारी श्री राजपाल विज की सेवाएं दिनांक 9-9-1981 के अपराष्ट्रन से राज्य सरकार को बापस साँप दी गई।
- सं. ए-20014/485/80-प्रका: -। महाराष्ट्रं राज्य पुलिस में प्रत्यावर्तन हो जाने पर कोन्द्रीय अन्वेषण ब्यूपों में निरक्षिक के रूप में प्रतिनियुक्त महाराष्ट्रं पुलिस के अधिकारी श्री एसः ए. नामबे को दिनांक 15-9-81 के अपराह्न से केन्द्रीय अन्वे-षण ब्यूरों, सामान्य अपराध स्कंध, बम्बर्ड में अपने पद के कार्यभार से मक्त कर दिया गया है।
- सं. ए-19036/3/81-प्रशा -5--निव शक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक, विशेष पुलिस स्थापना, एतद्द्वारा, मणिपुर पुलिस के प्रतिनियुक्त पुलिस उप-अधीक्षक श्री एस. दोरोन्द्र सिंह को दिनांक 6-10-1981 के पूर्वीहन से अगले आदंश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उप-अधीक्षक के रूप में नियुक्त करते हीं।

की. ला .ग्रोवर प्रशासनिक अधिकारी (स्था.) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो

महानिदोशक का कार्यालय केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नर्दे दिल्ली, दिनांक 16 अक्तबर 1981

सं. ई-38013 (4)/5/81-कार्मिक--- सिंद्री में स्थानांत- रित होने पर, श्री एस. के. बनर्जी ने 21 मई, 1981 कें

अपराह्न में के. आ. मृ. ब. यूनिट, बी. मी. मी. एल मरिया के महायक कमांडेट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

- सं. ई-38013 (4)/5/81-कार्मिक--भिलाई से स्थानां-तरण होने पर श्री ईशम सिंह ने 8 जुलाई, 4981 के पूर्वाह्न से के. आ. सु. ब. यूनिट एच .आई. एल. रसायनी के सहा यंक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।
- सं. ई-38013 (4)/5/81-कार्मिक—मम्रास से स्थानांतरण होने पर श्री बी. पी. प्रभाकारण ने 9 जुलाई, 1981 के पूर्वा-हन से के. आ. स्. ब. यूनिट, कोचीन पोर्टट्रस्ट, कोचीन के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।
- मं. ई-38013 (4)/5/81-कार्मिक---कोचीन म स्थाना तरण होने पर, श्री बी. पी. प्रभाकरण ने 4 जुलाई, 1981 के अपराह्न से के. आ. स्.ब. प्रशिक्षण रिजर्व फोर्स, विक्षणि क्षेत्र, मद्राम, के सहायक कार्मांडेट के पद का कार्णभार छोड़ दिया।
- मं. ई-38043 (4)/5/81-कार्मिक—एस एच ए आर सेंटर, को स्थानितिरत होने पर श्री एड बी. जोसेफ ने 1 जुलाई, 1981 के पूर्वाह्य से के. आ. म. ब. यूनिट, बी. एस. एस. सी. थुम्बा के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।
- ं सं. ई-38013 (4)/11/81-कार्मिक—कोचीन से स्थानां-तरित होने पर श्री आर. जी. श्रम्पी ने 29 जुलाई, 1981 के पूर्वाहन से के. आ. स्. ब. यूनिट दक्षिणी क्षेत्र मुख्यालय, मद्रास के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार सम्भाल लिया।
- सं. ई-38013 (4)/11/81-कार्मिक—मद्रास में स्थानां-तरण होने पर, श्री आर. जी. थम्पी ने 21 जुलाई, 1981 के अपराहन से के आ. स्. व. यूनिट, कोचीन पोर्ट ट्रस्ट, कोचीन के महायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ विया।
- सं. ई-38019/29/80-कार्मिक भारताय इनक्ट्रोनिक्र् निगम लिमिटड, हैदराबाद में स्थानंतरित होने पर श्री ए. एस एम. राव ने 28 जुलाई, 1981 के अपराहन से के. आ. सू. व सूनिट इण्डिया गर्वममें ट मिन्ट, हैदराबाद के सवायक क्रमांड के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सूर्रन्द्र महानिद्देश

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग

कार्यालय महालेखाकार (दिवतीय), उत्तर प्रदोश, इलाहाबाद

सं. कल्याण/1131---महालेखाकार द्वितीय उत्तर प्रदेश -कार्यालय के लेखाधिकारीं श्री भगवान सिंह चौहान का निधन अगस्त, 1981 को हो गया

> एस. जो. एस. आहलूवालिय वरिष्ठ उप महालखाकार (भर्गासन

कार्यालय निद्योक लेखा परीक्षा रक्षा सेवाएं

नई दिल्ली-110001 ,दिनांक 17 अक्तूबर 1981

सं. 3804/ए-प्रशासन/130/78-81—-निद**ेशक**

परीक्षा, रक्षा स्वाए, अधीनस्थ लेखा सेवा के स्थायी सदस्य श्री ए. सी. साह, वर्तमान समय में विज्ञान तथा तकनीकी विभाग में प्रतिनियुक्त का, अगले आद्देश धर्यन्त, लेखापरीक्षा विभाग, रक्षा सेवाए में स्थानापन्न लखा प्रशिक्षा अधिकारी के रूप में 27-7-81 में प्रश्य पदान्नत करते हैं।

इन्दर पान सिंह सथुक्त निदंशक नेसा परीक्षा, रक्षा सेवाए

रक्षा मंत्रालय

भारतीय भार्डनैन्स फैक्टरियां सेवा प्रार्डनैन्स फैक्टरी बोर्ड

कलकत्ता, दिनांक 12 श्रक्तूबर 1981

सं० -41/जी/81—वार्धक्य निवृत्ति श्रायु प्राप्त करने पर ,निम्नलिखित श्रीधकारीगण प्रत्येक के भामने दर्णायी गई . तारीख से मेवा निवृत्त हुए:

零。	नाम एवं पद 🕴	मेवा निवृत्ति	<u>۔۔۔۔</u> کیر		
सं-०		तारीख 👔	41		

- श्री नारायण चन्द्र दे, स्थानापन्न टी०एस०- 31-8-81
 श्रो० (मौलिक एव स्थायी एस० ए०) (ग्रपराह्न)
- श्री हरि भूषण घोष, स्थानापन्न एस०ग्रो० 31-8-81
 (मौलिक एवं स्थायी ए०एस०ग्रो०) (ग्रपराह्न)
- श्री भामिय रंजुन बासु, स्थानापन्न एस०भ्रो० 31-8-81
 (मौलिक एवं स्थायी ए०एम०भ्रो०) (ग्रपराह्न)

नी के के नेहरी।, सहायक महाानदशक

पूर्ति विभाग

पूर्ति तथा स्पिटान महानिद्शालय

(प्रशासन अन्भाग-6)

नई दिल्ली, दिनाक 16 अवन्तूबर 1981

सं. ए-17011/199/81-प्र -6--महानिद्येशक, पूर्ति तथा निपटान ने निरिक्षण निद्येशक, कलकत्ता के कार्यालय में भण्डार परीक्षक (इजीनियरी) श्री जी. डी. धीर को दिनाक 18-8-1981 के पूर्वाहैन से और आगामी आदेशों के जारी हांने तक उसी निरीक्षणालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (इजीनियरी) के पद पर तदर्थ आधार पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किया है।

दिनांक 19 अक्त्इंर †981

सं. प्र-6/247(383)— राष्ट्रपति, मद्राम निरीक्षणालय के अधीन है बराबाद उप कार्यालय में महायक निरीक्षण अधिकारी (इंजी.) श्री बी. बी. राव को दिनांक 1 अक्तबर, 1981 के पूर्वाह्म से और आगामी आदशों के जारी होने तक उसी मंडल के अधीन निरीक्षण निर्देशक, मद्राम के कार्यालय में तदर्थ आधार प्र निरीक्षण अधिकारी (इंजी.) (भारतीय निरीक्षण संवा प्रम

''ए'' को ग्रंड ।।।) को रूप में स्थानापन्न रूप से निगुक्स करते हैं-।

> एस. एल. कपूर उप निवंशक (प्रशासन)

इस्पात और खान मंत्रालय (स्नान विभाग)

भारतीय भूवीज्ञानिक सर्वेक्षण

कलकत्ता-700016 , दिनाक 15 अक्सूबर 1981

- सं 6405 बी/ए-19012 (2-सी बी एम)/81/19 बी --भारतीय भूवैभानिक सर्वोक्षण के वरिष्ठ तक नीकी -सहायक (भू-भौतिकी) श्री सी. भानु भूति को सहायक भूभौतिकीविद के रूप
 मा भारतीय भूवैभानिक सर्वोक्षण मो वैतन नियमानुसार 650-30740-35-810-द रो -35-880-40-1000-द रो -401200 रु के वेटनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 6-7-1981 के पूर्वाह्न से पदोन्नित पर निय्कत किया जा रहा है।
- म. 6416बी/ए-19012 (2-जी आर पी)/81-19बी.— भारतीय भूजेशानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी सहायक (भू-भौतिकी) श्री जी. रामा प्रभू को महायक भूभौतिकीयिव के रूप में भारतीय भूजेशानिक मबंक्षण म बेतन नियमान्सार 650-30-740-35-810-द. रां -35-880-40-1000-द. रां-40-1200 रु. के बेतनमान में, स्थानापन्न क्षमता में, आगामी आदेश होने तक 6-7-81 के पूर्वाह्न में पदोन्नित पर नियुक्त किया जा रहा है।
- सं. 6427 बी/ए-19012 (1-सी बी आर)/80-19ए.—- श्री च. बेनुगोपाल राव को सहायक भूवैज्ञानिक के रूप में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में 650 रु प्रतिम्राह क प्रारंभिक बंतन पर कि कि एक प्रतिम्राह के प्रारंभिक बंतन पर कि कि कि एक प्रतिम्राह के प्रविद्या के प्रविद्य के प्रविद्या के प्रविद्य के प्रविद्य के प्रविद्य के प्रविद्य के प

दिनांक 16 अक्तूबर 1981

सं. 6477बी/ए-19011 (4-एच एल एम)/78-19बी.— सिनज समन्वेषण निगम लिमिटेड (मिनरल एक्सप्लोरोशन कार्पो-रोशन लि.) में स्थाई भती होने के फलस्डरूप डिजिंग इजी-नियर (किनिष्ठ) श्री एच. एल. महता ने भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेषण की सेवाओं में 8-8-79 (अपराह्न) में त्थाग-पत्र दे विया है।

वी. एस. कृष्णस्वामी महा निदंशक

वाकाशवाणी महानिद्शालय

नई दिल्ली, दिनांक 1981

- सं 3/15/61-एस-चो--महानिदोधक, आकाशवाणी, एतब्द्धारा श्री गृ. को. शैंटो, लेखाकार आकाशवाणी, बम्बई 30-9-81 (पूर्वाह्न) में प्रशामनिक अधिकारी, दूरदर्शन केन्द्र बम्बई के पद पर म्थानापन्न रूप में नियसम करते हो।
- सं. 2/2/66-एम-दो--महानिद्देशक, आकाशवाणी, एतद्-द्वारा श्री एम. वी. ओजारकर, लेखाकार आकाशवाणी, जल

गांव 30-9-81 (पूर्वाहन) में प्रशासनिक अधिकारी, आकाश-याणी, पुना के पद पर स्थानापन्न रूप में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 1 अक्तूबर 1981

सं. ए - 32013/1/80-एस-पांच---महानिद्याक, आकाश-वाणी, एतद्द्वारा श्री एस. पी. सिंह, वरिष्ठ प्रशासनिक अधि-कारी, उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली को आकाशवाणी महानिद्यालय, नई दिल्ली में 29 सितम्बर, 1981 की पूर्वाहन से तदर्थ रूप में स्थानापन्न क्षमता में लेखा निरक्षिक नियुक्त करते हैं।

दिनांक 13 अक्तूबर 1981

सं. 10/16/78-एस-तीन--श्री आनन्द कामार, सहायक इंजीनियर, औंकाशवाणी, बम्बई को उनका त्यागपत्र स्वीकृत होने पर, 10 सितम्बर, 1981 की उपराह्न से आकाशवाणी से सेवा मुक्त कर दिया गया है।

सं. 9/6/81-एस-तीन--श्री सी. एल. धर्मा, सहायक इंजीनियर, आकाशवाणी, पोर्टब्लेयर ने स्वैच्छकता से सेवा निवृत्त होने की आज्ञा मिलने पर उस कार्यालय में 6-8-81 की पुर्वहिन से सहायक इंजीनियर के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

एच. एन. बिश्वास प्रशासन उपनिवंशक कृते महानिवंशक

पत्र सूचना कार्यालय

नई दिल्ली-1, दिनांक 8 सितम्बर 1981

स. ए. 12026/3/81-स्थापना—प्रधान सूचना अधिकारी एत् इवारा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केन्द्रीय मचिवालय सवा संवर्ग के महायक श्री आर. एन. बत्ता, जो दूरदर्शन महा-निविधालय में कार्यरत थे, को पत्र सूचनी कार्यर के केलक त्ता कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में विचांक 22 अगस्त, 1981 के पूर्वाहन से अगले आहोश तक के लिए नियुक्त करते हैं।

मदन मोहन शर्मा महायक प्रधान सूचना अधिकारी कृते प्रधान सूचना अधिकारी

स्वास्थ्य सेवा महानिद्देशालय

नक्ष विल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1981

सं. 17-17/74-प्रशासन-। — मारीशस सरकार के अधीन प्रतिनियुक्ति से लौटने पर डा. एस. आर. महता ने केन्द्रीय स्वास्थ्य शिक्षा व्यूरों, स्वास्थ्य सेवा महानिद्देशालय, नई दिल्ली में 5 अप्रैल 1980, पूर्वाहन से स्वास्थ्य शिक्षा आधिकारी (क्षेत्रीय अध्ययन प्रदर्शन केन्द्र) के पद का कार्यभार संभान लिया था।

इस निदंशालय की 24 अप्रैल, 1980 की अधिसूचना संख्या 17-17/74-प्रशासन-। को रदद माना जाता है।

दिनांक 17 अक्तूबर 1981

सं. ए. 19019/61/77-एन. आई. सी. डी. /प्रशा-।---राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय संचारी गंग संस्थान, दिल्ली के उप सहायक निदंशक (पशु चिकित्सा विज्ञान) डा. बी. सी. रमन्ता का इस्तीफा 25 अगस्त, 1981 (पूर्वाहर्ग) में गंजूर कर दिया हो। मं.. ए. 19019/34/77 (एच. एम. डी.)/प्रशा.-1--रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन, रक्षा मंत्रालय में वैज्ञानिक 'एफ' के पद पर नियुक्ति हो जाने के परिणाम स्वरूप डा. डी. पी. सेन मजूमवार ने 9 सितम्बर, 1981 अपराह्न से केन्द्रीय मनिद-चिकित्सा रांची से मनचिकित्सा विज्ञान के सह प्राध्यापक के पद का भार छोड़ दिया है।

> ओ. पी. बाली उप निदक्षक प्रशासन (सं. एवं प.)

परमाणु उज्जी विभाग

नरौरा परमाणु विव्युत परियोजना.

बुलन्दशहर, दिनांक 15 अक्तूबर 1981

सं न प वि प /प्रशा. 26 (1)/81/एस/13109—नरौरा परमाण विव्युत परियोजना को मुख्य परियोजना अभियन्ता, भारी पानी परियोजना तृतीकारीन के स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/अभियंता ग्रंड एस बी., श्री आर के चक्रवर्ती को दिनांक अगन्न 14, 1981 के पूर्वाह्न से अग्रिस अपने देश के जिए के नरौरा परमाण विव्युत परियोजना में स्थानापन्न रूप मे वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रंड एस. बी. के पद पर नियुक्त करते हैं।

अ. दो. भादिया प्रशासन अधिकारी कृतो मुख्य परियोजना अभियन्ता

क्रय और भंडार निद्देशालय

बम्बर्द-400001, विनांक 15 अक्तूबर 1981

सं. क. ग. नि./23/4/79-स्थापना/19092- निर्वेशक का और भंटार निर्वेशालय, परमाण कर्जा विभाग से इस निर्वेशालय के क्रिक्ष सहायक श्री शशिकान्त नारायण वश्रमुख को स्थाना-पन सहायक का प्रकार के पर पर रुखा 650-30-740-35 के बेतन क्रिक्स में निस्नितिबत अवधियों के लिए इसी नियंक्स में तबर्थ रूप से नियंक्स करते है

- (1) 13-7-1981 (पूर्वा.) से 14-8-1981 (अप.)
- (2) 17-8-1981 (पूर्वाः) से 30-9-1981 (अपः) तक बी. जी. कुलकणी सहायक कार्मिक अधिकारी

महासिदांशक नागर विमानन का <mark>कार्या</mark>लय न**र्द्र** दिल्ली, दिनांक 13 अक्तूबर 1981

सं. ए-12025/1/79-ई. एस. — संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति ने श्री के. एस. नलास्बहुमण्यम् को नागर विमानन विभाग में दिनांक चं5-७-1981 (अपराहन) में अन्य आदेश होने द्वन स्थानापन्न रूप में विमान निरीक्षक के पद पर नियुक्त किया है।

सं. ए. 32013/1/80-ई. एस. — इस विभाग की दिनांक 6-4-1981 की अधिसूचना सं. ए. 32013/1/80-ई. एस. के क्रम में राष्ट्रपति ने सर्व श्री एस. एन. लाल विभाग और एम. एस. नागर की नागर विमानन विभाग में सहायक निदंशक विभान सूरक्षा (इंजी.)/बरिष्ठ विमान सूरक्षा अधि-

कारी (इ.जी.) के ग्रेंड में की गई तदर्थ नियुक्ति को आगे आगे दिनांक 31-12-1981 तक की अवधि के लिए अथवा ग्रेंड में नियमित नियुक्ति होने तक, इनमें से जो भी पहले हों, जारी रखने की मंजूरी दी हैं।

जगदीश चन्द्र गर्ग सहायक निद्येशक प्रशासन

केन्नीय उत्पादन शुल्क एवं सीमा शुल्क समाहर्तालय मदुरई, दिनांक 11 सितंबर 1981 सुचना

सी. सं. 11/39/21/81-सतर्काता—केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थायी भेवा) नियमावली, 1965 के नियम 5 के उप नियम (1) के अनुसरण में एतद्द्वारा श्री आर. सी. मात्यूस, आपरेटर दूर संचार, कडलूर सीमा शुल्क प्रभाग, को तदर्थक सूचना दी जाती है कि प्रकाशन की इस तारीख में एक महीने के अवसान पर उनकी सेवाए पर्यवसिंत हो जाएगी।

पी. एन. विट्टल दास स्हायक समाहर्ता (मुख्यालय) केन्द्रीय विवयत प्राधिकरण

केन्द्रीय जल भ्रायोग

नई दिल्ली-110022, दिनांक सितम्बर 1981

स० ए०-19012/976/81-स्था पांच—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल श्रायोग निम्नलिखित अधिकारियों को ६० 650-30-740-द०रो०-35-810-द०रो०-35-880-40-1000-द०रो०-40-1200 के वेतनमान मे अतिरिक्त सहायक निदेशक/सहायक इंजीनियर के ग्रेड मे उनके नामों के सामने दी गई तारीखों से अड़ भूद्धीनों की श्रवधि के लिए या पदों के नियमित श्राधार पर भरे जाने तक, जो भी पहले हो, स्थानापन होने के लिए एतदुद्वारा नियुक्त करते हैं:---

		73			
羽0	र् ग्रिधिकारी का नाम	ग्रतिरिक्त	जहां पदस्थापित		
(† o −	तथा पदनाम	अस्तिकार का विके	विका समा		
	शक/महायक				
		इंजीनियर			
	रुणानवर का पदभार				
	का पदमार ग्रहण करने				
		की तारी ख			
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
1	2	3	4		
	सर्वश्री				
1.	एस० के० दास, पर्यवेक्ष	市 11-9-81	सी०एम०ष्ठी० श्री०		
		(पूर्वाह्न)	-1 निदेशालय		
2.	सम्बदानन्दे प्रसादक्ष्य	t- 23-7-81	नींव इंजीनियरी		
	वेक्षक	(पुर्वाह्न)	ग्र भिकल्प		
		70	निदेशालय		
3.	एन० सी० डे०, पर्यवेक्ष	雨 17-8-81	पी० एण्ड डी०		
		(पूर्वाह्न)	सर्किल, नई दिल्ली		
4.	बी० एस० भण्डारी, पर	i- 11 - 9-81	गंगा बसिन जल		
	वेक्षक	(पूर्वाह्न)	संसाधन संगठन,		
		10 .41	नई दिल्ली।		
			नक्ष दिल्ला।		

1	2	3	4
5.	जी० एस० श्रीकान्तेश्वरम्, पर्यवेक्षक	1-4-81 (पूर्वाह्म)	— केन्द्रीय बाढ़ पूर्वी नियंत्रण कक्ष, निजामाबाद
6.	. वी० बी० सिह, पर्यवेक्षक	७−10−80 (पूर्वाह्न)	जल संसाधन उप- मंडल, दरभंगा
7.	जे० वी० म्रार० सेट्टी, पर्यवेक्षक	8→5→8 1 (पूर्वाह्म)	चान्दा (पश्चिमी) गेजिंग उपमं डल , चान्दा
8.	बी० के० सिन्हा, पर्यवेक्षक	17-7-81 (प्वह्नि)	मोन नदी श्रायोग, पटना
9.	ए० के० कोले, पर्यवेक्षक	22-7-81 (पूर्वाह्म)	सोन नदी श्रायोग, पटना
10.	एम० बसक, पर्यवेक्षक	31-8-81 (पूर्वाह्न)	जी०एफ०सी०सी०, पटना
11	. ए०के० राय,पर्यवेक्षक	22-8-81 ह (पूर्वाह्न)	गर०डी० (जे ०झार० सी०) श्रन्वेषण मंडल, शिलांग
			•

दिनाक 15 भ्रक्तूबर 1981

- श्री वी० विवेकानन्द, प्रतिरिक्त सहायक 26-8-81 निदेशक, गंगा बाढ़ नियंत्रण प्रायोग, पटना (पूर्वाह्न)
- 2. श्री श्रार० सी० गर्मा, ग्रितिरिक्त सहायक 19-6-81 निदेशक, ई० श्रार० डी०डी०एक निदे- (पूर्वाह्न), गालय।

2. उपर्युक्त अधिकारी श्रतिरिक्त महायक निदेशक/ सहायक इंजीनियर के पद पर उपर्युक्त तारीख से दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेगे ।

ए० भट्टाचार्य, प्रवर स**चिव**

केन्द्रीय विद्यात प्राधिकरण

नर्ष दिल्ली-110022, दिनांक 23 सितम्बर 1981

स. 22/1/81-प्रशासन-। (ब)— अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, एतद्द्तारा श्री हरदयाल सिह-।, पर्यवेक्षक को, 14 सितम्बर, 1981 पूर्वाह्न सं आगामी आदश होने तक, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत इ.जीनियरी (ग्रुप स्) सेवा के अतिरिक्त सहायक निदंशक/महायक इ.जीनियर के ग्रेड में स्थानापन क्षमता में नियुक्त करते हैं।

दिनांक 14 अक्तूबर 1981

सं. 22/1/81-प्रशा. 1 (बी)—अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकारण एतद्द्यारा, श्री वार्द्यं. डी. शिर्वाद, पर्यवेक्षक को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में केन्द्रीय विद्युत हं जीनियरी (ग्रूप बी) सेवा के अतिरिक्त सहायक निद्येक्षक/सहायक हं जीनियर के ग्रेड में स्थानापन्न क्षमता में 24-9-1981 (पूर्वाह्न) में आगामी आदेश मिलने तक नियुक्त करते हुँ।

सन्ताेष विष्वास अवर स**चि**व

विधि, न्याय तथा कंपनी कार्य मंत्रालय (कम्पनी कार्य विभाग) कम्पनी विधि बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम 1956 और मेसर्स जोधपुर कामसियल बैंक लिमिटोड-जोधपुर के विषय में

जयपुर, दिनांक 12 अक्तूबर 1981

सं सांस्थिकी/242—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि मेसर्स जांधपुर कामिस्थिल बैंक लिमिटेंड-जांधपुर का नाम आज रिजस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

श. प्र. दीक्षित कम्पनियां का रिजस्ट्रार राजस्थान, जुयपूर कंपनी अधिनियम 1956 और एरो फार्मा लैबोरेटरीज प्राईवेट लि. के विषय में।

हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1981

सं. 855/टी. ए. आई. /560— कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण के एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि एरो फार्मा लैंबोरटेरीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज रिजस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विचटित हो गई है।

कपनी अधिनियस 1956 और रामसीस टीस इडिया लिमिटोड के विषय में।

हैदराबाद, विनांक 16 अक्तूबर 1981

सं. 1089/टी. ए. आई / 560—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण के एतद्द्यारा सूचना दी जाती है कि रामसीस टीस इंडिया लिमिट डे का नाम आज रिषस्टर से काट लिया गया है और उकत कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और सपना प्लासटिकस प्राइवेट लि. के विषय में।

हैदराबाद, दिनांक 16 अक्तूबर 1981

सं 1430/टी. ए. आई./560—कम्पनी अधिनियम की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण के एतब्द्वारा सूचना दी जाती है कि सपना प्लासिटकस प्राइवेट लिमिट ड का नाम आज रिजस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

वि. एस. द्वाज्य कन्निकाँ की रेजिस्ट्रार ऑध प्रदोश, हीदराबाद प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्ीक्षण)

श्रर्जेन परिक्षेत्र, बिहार, पटना

पटना, दिनांक 14 अक्तूबर 1981

निदेश सं वारा 518 अर्जन 81-82—श्रतः मुझे, हृदय नारायण श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें सिके प्रवात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास कारणे का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/रु. से अधिक है

म्नोर जिसकी मं० प्लाटनं० 98 का मंग पाटलीपुता कोमापरेटिव गृह निर्माण समिति लिमिटेड पटना-13 है तथा, जो पाटलीपुता कालीनी, थानी पेटिलीपुता, जिना पटना में स्थित है. (मीर इससे उपावद मनुसूची में मार्ग पूर्ण रूप संवर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता मधिक कार्यीं के कार्यीं पटना में रिजस्ट्रीकरण मधिनयम 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 21-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रहयमान बितफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार पूर्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे रहयमान प्रतिफल का भन्यह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्त कि निम्मिकिब्बत उद्वर्ष से उक्त अन्तरण लिखत में वास्त्रिक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बानत, अधिनियम के अधीत कुर दोने के अन्तरक कार्यक्ष म कमा करने या उससे अधीर में सूरि के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गण था या किया जाना आहिए था छिपाने में सावका को लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अपूसरण में, मैं. उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित अयिक्तयों, अधीत ६-०

- (1) श्री के० के० भरण वल्द स्व० बाबू रामनन्दन सहाय नियामी 98 पाटलीपुत्रा कालोनी, थाना पाटर्लापुत्रा जिला पटना-13 (श्रन्तरक)
- (2) श्री प्रो० (डा०) उमाकान्त मिश्रा बल्द श्री गिर्जा प्रमाद मिश्रा 29 पाटलीपुत्रा कालोनी, पटना-800013 श्रीर स्थाई निवास स्थान ग्राम मिसरापुर पत्रालय कुमठा, थाना सुल्तानगंज, भागलपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध , को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिचित में किए जा सकेंगे।

स्थल्दीक्षरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अभिनित्रिक, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होना जी उस अध्याय में विया गया है।

अनुसू**यी**

जमीन का रकवा 6.6 कट्ठा जो करीब-करीब 9000 वर्गफीट होता है मौजा पाटलीपुद्धा कालोनी थाना पाटलीपुद्धा जिलापटनामें स्थित है तथा पूर्णरूप से विसकासं० 1259 दिनांक 21-2-81 में विणित है एवं निबन्धन जिला प्रवर निबन्ध पदाधि-कारी पटना द्वारा सम्पन्न हुआ है।

> हृदय नारायण सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन परिक्षेत्र, बिहार, पटना ।

तारीख: 14-10-81

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयक र आयक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिना १ 15 अक्तूबर 1981

निर्देश स० 3 नि० स० प्रा०/एक्वीजीशन 2/एस०-प्रार-1/2-81/7381—च्किमै, विमक्ष विशिष्ट

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्यास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उच्चित्त बाजार मूल्य 25,00€/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी मख्या मेन रोड, चन्द्रावल रोड है एव जो चन्द्रावल रोड में स्थित है, (जिसका श्रिधक विस्तृत विवरण सलग्न भनसूचा में दिया गया है जो पर्जाकरण श्रिधनियम 1908 (1908 का 16वा) के श्रश्चान पंजीकरण श्रिधकारी के दिल्ला स्थित कार्यालय में दिनाक फरवरी 1981

को पूर्वोक्त मधित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत सपित्त वा उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे शृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल फल निम्निसिशत उद्देश्य से इसद शृन्तरण लिखित में शास्त्विक रूप से किश्व नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुए किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/मा
- (स) एसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियाँ करें, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

सतः अस, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को, अनुसरण में, मैं, उक्षण अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निलिखित व्यक्तियो अर्थात् —

(1) श्रा सुरोल मोहन बेहल जेड-ब(-एल-50) जेल रोड हरी नगर, नई दिल्ली

(भ्रन्तरक)

(2) श्री तिनीद कुमार अरोडा, 1544 दिना नाथ भवन, चन्द्रावन रोड, दिल्ली

(भ्रन्तरिर्तः)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी काक्षेप:--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समान्त रोती में की व्यक्ति ब्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो जक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं कर्ष होगा जो उस अध्याय क्षेत्र

अनुसूची

मेन रोड, चन्द्रावन रोड, दिल्ली

विमक्ष विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) प्रर्जन रेज-II, नई विल्ली

दिनाक: 15-10-1981

मोहर 🛭

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कायां स्वयं , सहायक आयकर आयक्स (निरीक्षण) ग्रर्जीन रेज-11 नहीं दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांकः 15 श्रक्तुबर 1981

नितेण सं० नि० म० श्रा० ग्रा० एक्बीजीणन II/एम० श्रार०-2/2-81/4215--चूकि में, विमल विशिष्ट

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें इसमें प्रकात 'उन्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. सं अधिक है

श्रीर जिसको संख्या छृषि भूमि है एवं जो ग्राम दालांव विशो में स्थित है, (जिसका ग्रिधिक विस्तृत विवरण सल्ला श्रनुसूची में दिया गया है की पंजाकरण श्रिधिनियम 1908 (1908 का 16यां) के अधान पंजाकरण श्रिधित्यम वित्लीरिथत कार्याक्षय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरक) बार अन्तरिती (अन्तरितिया) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्मलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिल्हा में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई िकसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या जन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनीय करिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना साहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

चतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को, अन्सरण मैं, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---2--316GI/81

- (1) श्र. सूरजभान समि श्रीर चन्दरभान शर्मा, सुनुत राम प्रसाद ग्राम दीचाव कलां दिल्ली । (श्रन्तरक)
- (2) श्रा किरपाल सिंह कर्ता एच० यू० एफ० सुपुत्र श्रो प्रताप सिंह चावभा नी-4, राजोरी गार्डन, दिल्ली । (प्रस्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .--

- (क) इस सूचना के राज्यत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रोंकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कागे।

स्पद्धीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिन्यम के अध्याय 20 क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

कृषि भूमि का क्षेत्र 8 बीघे और 17 बिग्वे, ग्राम दीचाव कलां दिल्लो ।

> विमल विण्टित सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त श्रर्जन रेंज-I , नई बिटल।

दिनांक: 15-10-1981

प्ररूप आइ र . टी. एन. एस. -------

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ज (1) के अधीन स्चाना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्ण) अर्जन रेंज-11, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 अक्षुबर 1981

निटेश सं० 3 नि० स० श्रा० श्रा०/एक्वीजीशन-2/एस-श्रार-/2-81/4207—-चूंकि मैं, विमक्ष विशष्ट

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रीर जिंसकी संख्या कृषि भूमि है एवं जो ग्राम कावीपुर, दिल्ली में स्थित है, (जिसका श्रीधक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है को पंजीकरण ग्रीधनियम 1908 (1908 का 16वां) के श्रधीन पंजीकरण श्रीय श्रीधकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वाक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से जाम के एर्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके एर्यमान प्रतिफल से, एसे एर्स एर्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नेलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक क्य से किथत नहीं किया गया है:-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अ.क. अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, औ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्ति, अर्थात्:--- (1) श्री राजिन्दर सिंह सुपुत नारायण सिंह ग्राम कार्यः पुर, दिल्ली राज्य दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री सुवास खन्ना श्रीर चन्दर खन्ना सुनुत श्री केटार नाथ खन्ना। 22-बो/1, श्रीरिजीनल रोड, करोल बाग, नई दिल्लो।

(अन्तरिती)

को यह स्चना जारी करके पूर्वीक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हूं।

जक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की जबिभ के अविकास की स्वित्तमों पूर्व स्वित्त की तामिल से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कुत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास विज्ञित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उत्तर अधिनियमं, को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

कृषि भूमि का क्षेत्र 24 बीघे ग्रौर 8 बिख्ये, खसरा नं 1332 (4-16), 1333 (3-8), 1334 (1-16), 1335 (4-16), 1338 (4-16), 1340 (4-16), ग्राम कादी रूर दिस्ली राज्य दिल्ली।

विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज्-II, नई दिल्लीः

हिनांक: 15-10-1981

मोहर 🖫

प्ररूप. आर्ड. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, नई (दल्ला

नई दिल्ली, दिनांक 7 श्रगस्त 1981

निकेण सं० 3 ति० ग० चा**्रमा०/एक्बीज**ःणन 2/एस**-मार-**

2/2-81/4192— चूं कि में विभूत वृद्धित का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात (जिस्त अधिनियम) 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें पश्चात (जिस्त अधिनियम) बाहा गया है), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह विश्वास करने का कारण हो कि स्थावर सम्भत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25.000/-रु. से अधिक हो

श्रीर िसकी संख्या ्रिपशिष है एवं जो द्वापक जिल्ला म स्थित है, (जिल्ला क्षिण किस्तून विकरण संक्षित जनुसूची में दिया गथा है को पंजकित्य किथानियम 1908 (1908 का 16) के श्रवतन पंजकित्य अक्षित के दिल्ली स्थित कार्यालय में विनोक फरवर 1980

को पृयों कत संपत्ति के उनित बाजार मूल्य से कम के छ्यमान प्रतिफाल के लिए अन्तरित की गई आर मूक यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्यां क्त संस्ति मूस्य, जाने स्वमान प्रतिफाल का पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती '(अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तम पाया गया प्रति-फाल, विम्निसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उत्कत अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के धायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों किंकि: शिक्तुं भारतीय आयंकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उत्तत् अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उत्कत अधिनियम को धारा 269-ग को, अनुसरण में, भी, उत्कत अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन, निम्नितिषित व्यवितगाँ अर्थात्:--

(1) श्री श्राणा राम, सुपुत्त श्रा भोका राम, ग्राम-नामपुर, गाजियाबाद, वतमान पता—ग्राम होलम्बा कलन, दिस्ता ।

(अन्तरक)

(2) श्री कार्ली राम, सुपुत्र श्री शेर सिंह 239, होलम्बी कलन, दिल्ली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर स्थितियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्थाप्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित कि सकी अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अमुसुची

4 बीघे और 16 बिश्वे खसरा सं० 59/15, 59/16 आँ। र 5 बीघे और 14 बिश्वे का खसरा नं० 59/25, ग्राम-होन्स्ब, कलन, दिल्लो स्टट, दिल्ला।

त्रिमल विकार सक्षम प्राधिकारी निरीक्षाय सहायक ग्रायकर ग्रायुवत प्रजीन रोज-II, नई दिल्ली

दिनांक: 7-8-1981

प्ररूप आहे. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 श्रक्तूबर 1981

निदेश मं० 3 नि० स**ं ग्रा० ग्रा०/एक्बीजीशन-2/एस० ग्रार-**1/2-81/7387—चिक में, विमल विशिष्ट

अयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रू. से अधिक है

भौर जिसकी संख्या 1049 वार्ड नं० 3, है एवं जो गांधी गली, फतेह पुरी, दिल्ली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुसूची में दिया गया है की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य सं कम के दश्यभान प्रतिफाल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का प्रन्तहरू प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल, गिम्नलिखित उच्चेश्य से उच्त अन्तरण लिखित में बास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हीं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूबिधा के लिए।

(1) श्री कनवार किशोर, सुपुत श्री नवल किशोर 1063, गांधी गली, फतेहपुरी, दिल्ली।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री राम किशन जैन, सुपुत्र श्री शेर सिह जैन, निवासी 1049, गांधी गली, फतेहपुरी दिल्ली ।

(श्रन्तरिसी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध मो काई भी आक्षोप :---

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से - 5 - रिका की जवाब या तत्सवधी व्यक्तियों पर ्चना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वो का व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, "भी उकत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया

अनुसूची

नं० 1049 वार्ड-3, गांधी गली, फतेहपुरी, दिल्ली

विमल विशष्ट सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेंज-II, नई दिल्ली

अतः अब, उक्त अधिनियम, की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपभारा (1) कै अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

दिनांक: 15-10-1981

प्ररूप आई. टी. एन. एस ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सर्कार

कार्यालय, सहत्यक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेज-ा, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 15 ग्रक्त्बर 1981

निदेण २० ३ ति० २० श्री० श्रा०/एक्बीजीशन 2/एस-श्रार-1/ 2-81/7431—चिकि में, विमल विशिष्ट

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रह से अधिक है

श्रौर जिसकी सङ्गा अप तंत्र 1, हे एवं जा ग्राम बसई दारापुर श्राबादी पंजाबी बाग, नई दिल्ली में स्थित है, (जिसका ग्रधिक विस्तृत जिल्ला प्रत्याच प्रमुची में दिया गया है की पंजीकरण श्रधिक नियम 1908 (1908 का 16वा) के ग्रधीन पंजीकरण ग्रधिकारी दिल्ली स्थित कार्यात्म में दिनाक फरवरी 1981

कां पूर्वों कत सपितत कं अधित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्ति रन का नई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वां कत सपितत का उचित बाजार मूल्य, उसते दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रपिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निसितत उद्योग से उन्तर पन्तरण विश्वा मुक्त पन्तरण के लिए स्थान स

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अभ्तरक के दायित्व में कमी कड्ने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) याँ उकत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

(1) श्री केंदार नाथ सुपुत्र स्वर्गीय श्री जिया नाल 20-इस्ट एवन्यू मेन मार्केट दूमरी मजिल पजाबी बाग, नई दिल्ली

(भ्रन्तरक)

(2) श्री शिव नरायण गुप्ता सुपुत्र श्री सस्य पाल गुप्ता 1/15, जयदेव पार्क, रोहतक रोड, नई दिल्ली

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के कार्यवाहियां करता हूं।

उक्च सम्परित को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विभ की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण .--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदा का, जो जक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सोप न० 1 बमई दारापुर, ग्राबादी पजाबी बाग, नई दिल्ली

विमल वणिष्ट स्थम प्राधिकारी सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्थन रेंज-II, नई दिल्ली

अतः ग्राब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ज की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् हु---

विनांक : 15-10-1981

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीम सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 भ्रम्तूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० स० श्रा० श्रा०/एक्बीजीशन 2/एस०श्रार०-1/2-81/7471—यतः मुझे, विमल विशिष्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विद्यास करने का कारण है कि स्थायर सम्मित, जिन्नका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रह. से अधिक है

भौर जिसकी संख्या शाप नं० 78, है तथा जो राजौरी गार्डन, दिल्ली में स्थित है, जिसका ग्रिधिक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनुसूची में दिया गया है की पंजीकरण श्रिधितयम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन पंजीकरण श्रिधिकारी के नई दिल्ली कार्यालय में दिनाक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रिक्षिल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूक्य, उसके दश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्निविधित एड्सरण से उसा प्रारमण कि बित में वास्तविक रूप में सर्पार गूरी। पर सराहर्य -

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसरे बचने में सुविधा के लिए; और /या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निजिसित स्वित्यों, अर्थात् :--- (1) श्री भूपिन्दर सिंह, तरलोक सिंह,
सुखदेव सिंह सुपुत एस० वाई० लिंह
श्रीमती जस्मर कौर श्रौर श्रमरजीन कौर
सुपुती एस० तेहल सिंह निवासी 3162,
सैक्टर 28-डी, चण्डीगढ

(भ्रन्तरक)

(2) श्री बोध राज गुप्ता सुपुत्र एल० शंकरदास, निवासी एफ-78, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली (श्रन्तरिती)

क्ये यह स्पना जारी करके प्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस स्वना के राजपृत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 किस करि कर्तार के तारीक से एर स्वना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हुई, के भीतर पृथिकत स्थानता में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ज) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अशहिम्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सके गे।

स्पष्टीकरणः -- इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 के मे-मिरभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० एफ 78, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली ।

ाजनला जासपट सक्षम प्राधिकारी सहायक आ**यक**ार आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंजं 2, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

प्रका धाई० हो० एन० एस०- --

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269ष(1) के मधीन मूचना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज 2,नई दिस्ली

नई दिल्ली, विनांक 15 भ्रम्तूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० स० थ्र० थ्र० एक्कीजीशन 2/एस० ध्रार०-1 2-81/7451— चूंकि मैं विमल विशिष्ट आयक्तर अगिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका-किका-काजाद मूल्य 25,000/र र से अधिक है

भौर जिसकी संख्या प्लाट नं० 56, है एवं जो बाली नगर, नई दिल्ली में स्थित है, जिसका श्रिधिक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनु-सूची में दिया गया है की पंजीकरण श्रिधिनयम 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन पंजीकरण श्रिधिकारी नई दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वीवत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान श्रीतफल के लिए अन्तरित की गई है और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीका संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उतके दृश्यमान श्रीतफल से, ऐसे दृश्यमान श्रीतफल का पक्रह श्रीतशत अधिक है मौर अन्तरक (अंतरकों) और अन्तरिता (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तर्ण के लिए तय पाया गर्वी श्रीतफल, से निम्मालेखित उद्देश्य से उच्च बन्दरण लिखित में

- (क) अन्तरण य हुई कियो आय को बाबन, उन्त अधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या अससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
 - (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अण्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनाय अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के प्रमुसरण में, में, उक्त घिधिनियम की घारा 269-**ण की उपधारा (1) के** प्राधीन, निम्नलिखित ध्यक्तियों, प्राणीत:—

- (1) श्री हरनाम शाह भौटिया मुपुत्र श्री बालक राम, मकान नं० 35, ज्लाक जी०, मीरीगंगा नगर, राजस्थान (भ्रन्तरक)
- (2) श्री मंजीत कौर पत्नी एस० चरन जीत सिंह श्रौर राज पान सिंह सुपुत एस० बलवन्त सिंह, एच-28, बाली नगर, नई दिल्ली

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना त्रारी करके । शांकत सम्पति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त मंपत्ति के अर्जन के मंबंध में कोई भी श्राक्षेप। ---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविध, जो भी भविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृथीका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवज्ञ किसी अर्स्य व्यक्ति द्वारा, अबोहरनाक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्परतिकरण: — इस्में प्रयुक्त शब्दो और पदों का, जो उक्त अधिनयम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस् अक्ष्मुक्त में दिया गया है।

मम्स्ची

प्लाट नं ० 56, बाली नगर, नई दिल्ली

विमल विशब्द सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज 2, नई दिल्ली ।

दिनांकः 15-10-1981

मोहर 🖫

289-ध (1) के घष्टीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, यहायक आयक्तर प्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-2, नई दिल्ली नई दिल्ली, दिनांक 15 श्रक्तूबॅर 1981

निदेश स० 3 नि० स० अ० अ०/एक्वीजीशन 2/एसम्रार०-I/ 2-8-1/ 7-462— चूकि मैं, विमल विशष्ट,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इतमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है), की आरा 26% के ग्रिधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उजित बाबार मूख्य 25,000/~ रु• से श्रीषक है

म्रीर जिसकी सख्या 1/11, है एवं जो श्राबादी बेंदियां गंदानाला वार्ज 7, कासपेरी में स्थित है, (जिसका श्रिधिक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनुसूची में दिया गया है की पजीकरण श्रिधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के श्रिधीन, पंजीकरण श्रिधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनाक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पति के छन्ति वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्योक्त कम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल का पमाह प्रतिकल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के भीच ऐसे अन्तरक (जन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितीयों) के भीच ऐसे अन्तरण के लिए तय नामा गया प्रतिकल, से निम्नलिखित उदेश्य से उनते कन्तरक विश्वास में वास्तविक क्य ने क्यान नहीं किया गया है:—

- (क) प्रश्तरण मे हुई किसी आय की बाबत; उक्त प्रधिनियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी भाग या किसी धन या भ्रन्य भ्रस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयक्तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भ्रन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में मुबिधा के लिए:

अतः अब उक्त अधिनियम को घारा 269-ग'के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की घारा 269-च की उपधारा, (1) के मधीन निम्नचित्र व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्री कृष्ण बन्ती पत्नी श्री लक्ष्मी दास 2282, गली हिगा बेगम, फाटक हबास खान दिल्ली, वर्तमान पता—इन्डियन इन्बैस्टमेट फूड कमीशन क्वाटर नं० 15, मनीसा भवन सेन्टेक्स्स (इस्ट) बस्बई-400055

(ग्रन्तरक)

(2) श्री शिला देवी परनी सतपाल न० 537, गली बेहल साहिब, मोरी गेट, दिल्ली

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता है।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :--

- -(क) इस सूचना के रिजयत में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की घवधिया तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की घवधि, जो भी
 घवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति तारा;
- (ख) इस सूचना के राजपस में प्रकाशन की तारोख से 45 विन के भीतर उक्त क्यावर सम्पत्ति में हितवश किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, भधोइस्साक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

हमार्थे अभूति शब्दों घीर पदों का, जो सकत प्रधितियम के प्रध्याय प्रकृत के जीवजानिक दे, बही धर्म होगा, जो उस अध्याय में विया गया है। है

मन्स्ची

सिगल स्टोरी प्रो० नं० 1/11, श्राबादी गली बेदीयन, गन्दानाला वार्ड नं० 1, काश्मीरी गेट दिल्ली

> विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेज 2, नई दिल्ली।

दिनोक: 15-10-1981

प्ररूप आहर्. टी. एन. एस. -----

सायकार अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 प्रक्तूबर, 1981

निदेश सं० 3 नि० स० श्रा० श्रा०/एक्वीजीशन-2/एस०-श्रार०-1/ 2-81/7448---चृंकि भै, विमल विशष्ट

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रुपए से प्रधिक है

श्रीर जिसकी संख्या 11/23 है एवं जो पूर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली में स्थित है, (जिसका श्रधिक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनुसूची में विया गया है की पंजीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के श्रधीन पंजीकरण श्रधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरकरी, 1981

काँ पूर्वोक्स संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के इष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृन्य, उसके द्रयमान प्रतिफल से, ऐसे द्रयमान प्रतिफल का पन्द्राष्ट्र प्रतिणत से अधिक है और प्रन्तरक (प्रन्तरकों) ग्रीर अन्तरिती (अन्तरिक्षियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्तर प्रन्तरण लिखित में वास्तविक क्रय के कियत नहीं किया गया है

- (क) प्रश्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त श्रिष्ठिनियम के श्रधीन कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या घन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः श्रव, उत्तन श्रष्ठिनियमः की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, मैं, जक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :----3—316GI/81 (1). कुमारी णान्ता बजाज पत्नी स्वर्गीय श्री देश राज बजाज एच-48 कीर्ती नगर, नई दिल्ली

(भ्रन्तरक)

(2) श्री राम नाथ बजाज सुपुत्र स्वर्गीय श्री परमा नन्द बजाज, 23/11, पूर्वी पटेल नगर, नई विल्ली

(भ्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के म्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचता के राजपक्र में प्रकाशत की तारीख से
 45 दिन की प्रविध या तत्सम्बन्धी क्यिक्तयों परं
 सूचता की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी
 प्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त भव्दों भौर पदों का, जी उक्त भूषिनियुक्त के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रष्ट होगा, जो उस श्रध्याय में दिया गया है।

प्रनुसू वी

सोप नं० 11, ब्लाक नं० 23, क्षेद्रफल 86.7 वर्ग गज. पुर्वी पटेल नगर, नई दिल्ली ।

> विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रापुक्त ग्रर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

दिनांक: 15-10-1981

प्ररूप आहर् . दी . एन . एस . ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) कीं धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर जागुक्त (मिर्डिक्षण)

धर्जन रेंज 2, नई विल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 भ्रक्तूबर, 1981

निदेश सं० 3 नि० स० श्रा० श्रा०/एकजीवीशन 2/एल-श्रार 1/2-81/7450—चूंकि मैं विमल विशिष्ट

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परुवात 'उक्स अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- ६० से अधिक है

श्रीर जिसकी संख्या प्रो० नं० 1295, है एवं जो माली बाड़ा दिल्ली-6, में स्थित है, (जिसका श्रिधक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनुसूची में दिया गया है की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के प्रधीन पंजीकरण श्रिधकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को प्वेंक्ति संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विद्यास करने का कारण है कि संभापविकत संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, एसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्त्रह श्रीत्यात अधिक है और अन्तरिक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल कि निम्नलिखित उद्येश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तु विक्र रूप से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण संहुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर धने के अन्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (स) एंसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः :--

- (1) श्री सुभाष चन्द,

 महेश चन्द कमलेश कुमार दिनेश कुमार,

 पुत्रगण श्री श्रीचन्द निवासी 1371
 वैद्य बाड़ा देहली-6 (श्रन्तरक)
- (2) श्री परमेश्वरी देवी पत्नी श्री गणपत राय (2) श्री गणपत राय सुपुत श्री गोबिन्द दास, 1295 वैद्य बाङा माली बाड़ा दिल्ली-6 (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्राकित सम्परित के अर्जन के सिए कार्यवाहियां करता हुं।

उप्पत सम्परित के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेष् :--

- (क) इस सूचना के राज्यक में प्रकाशन की तारीच है. 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पुष्टिकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पतों का, जो उक्त अधिनियम, के सम्प्रयुक्त को पूरिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

श्रनुसूची

दो मंजिला मकान प्रो० नं० 1295 वाक्या वैद्य बाड़ा, माली बाड़ा इलाका नं० 5, देहली-6

> विमल विशष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक श्रायकर भ्रायुक्त अर्जन रेंज 2, नई दिल्ली ।

दिनांक: 15-10-1981

सील:

प्ररूप भाइ. टी. एत्. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

स्रर्जन रेज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 15 प्रक्तूबर, 1981

निदेश स० 3 नि० स० भ्रा० ग्रा०/एक्जीवीशन 2/एस०-भ्रार-1/2-81/7384—चुकि में विमल विशष्ट

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/ रु. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सख्या सोप न० 1, ह एव जो मेन रोड, मलका गज, दिल्ली में स्थित है, (जिसका ग्रधिक विस्तृत विवरण सलग्न ग्रनुसूर्च। म दिया गया है की पंजीकरण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16वा) के ग्रधीन पंजीकरण ग्रीयकारी दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनाफ फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह 'वश्यास के कारण है कि यथापूर्वाक्त मन्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह भ्रातश्त से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाम गया प्रतिफल, निम्निलिखित उद्विषय से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तचिक रूप से कांचन नहीं विया गया है --

- (क) अन्तरण से हुर्द किसी आग की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक क वायित्व में अभी करने या उससे मचने में सुविधा वां लिए; और√या
- (क) एसी किसी बाय या किसी अन या अन्य अस्तियों कारे, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उबत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1937 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विभा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम को धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नितियत व्यक्तिया, अर्थात् :--

- (1) श्री जयदेवीधिनी विधवा पत्नी श्री राम घन्द नियासी नं॰ 1169, चाहराहत दिल्ली
 - (2) सुभाष पत्नी श्री प्रेम चन्द सुपुक्षी स्वर्गीय राम चन्द निवासी 14, खोल खुर्द, पलवल फरीदाबाद (अन्तरक)
 - (2) श्री राजिन्दर सिंह सुपुत्र श्री रतन सिंह निवासी सी-5/176, लारेस रोड, दिल्ली

(ग्रन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई भी आक्षेप ---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की सर्वीध, जो भी अविध बाद में समाप्त हाती हा, के भीनर प्वाक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर प्रमास्ति में हि उद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अथाहम्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः -- ६समें प्रयुक्त काया जी पर्वे हा, जी दिस्त अधिनियमं, के अध्याय 20-के में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया समाही।

अनुसुधी

सोप नं० 1, मेन रोड, मालका गज, दिल्ली क्षेत्रफल 556 वर्ग फिट चार्ज 2/3 जी० एफ० ऑर 1/3 से एफ० एफ०

> विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक ग्रायकर श्रायुक्त ग्रजैन रेज 2, नई दिल्ली

दिर्नाक: 15-10-1981

प्ररूप प्राईं टी० एन० एस०-

द्भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक भ्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेज-2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 15 स्रक्तूबर 1981

निवेण सं० 3 नि० स० आ० आ०/एकजीवीशन 2/एस० आर-1 2-81/7420--चूकि मैं विमल विशष्ट आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 खं के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर तम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- क० से अधिक है

श्रौर जिसकी संख्या फी० न० 310, है एवं जो कूचा संजोगीराम नया बास, इलाका न० 7 में स्थित है, (जिसका श्रिधिक विस्तृत विवरण सख्या प्रनुसूची में दिया गया है की पंजीकरण ग्रिधिनियम 1908 (1908 का 16वा) के श्रिष्ठीन पंजीकरण ग्रिधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनाक फरवरीं 1981

को पूर्वीकत सम्पत्ति के उधित बाजार मूल्य से कम के बृश्यमान प्रति हल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने क) आरण है कि यथापूर्वीकत सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके बृश्यमान प्रतिकल से ऐसे दृश्यमान पतिफल का पन्द्रह प्रतिगत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरिति है के बीच ऐसे अन्तर्ण के लिए तय पाया ग्रामा प्रतिप्रद्यान

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरण के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन-या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रिधिनियम, या धन-कर श्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

श्रतः अवः उन्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, पैं उन्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्तलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- (1) श्री किशोरी लाल पुत्र श्री हेमराज निवासी 226, कूचा संजोगीराम, नया बांस, देहली-6

(भ्रन्तरक)

(2) श्री शेरबती देवी पत्नी श्री परमेश्वरी दास, 108, मस्जिद तहवर खां नया बास देहली-6 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस मूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविध या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की धविध, जो भी धविध बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी अ्थित द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारी खा से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रघोहस्ताक्ष रो के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।

स्वब्होकरण चन्हममें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गम है।

अनुसूची

दो मंजिली मकान न० 310, कूचा मंजोगी राम नया बांस इलाका नं० 7, दिल्ली-6

> विमल विशिष्ट संक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त ग्रर्जन रेंज 2, नई दिल्ली ।

दिनांक 15-10-1981 मोहर

प्रक्ष आई॰ टी॰ एन॰ एस॰-

श्रायकर ग्रिविनयम, 1961 ﴿1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रिवीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय', सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 ग्रक्तूबर 1981

निदेश स० 3 नि० स० ग्रा० ग्रा०/एक्जीवीशन 2/एस० ग्रार
1/2-81/7357—चूिक मै विमल विशिष्ट
बायकर ग्रिधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के ग्रिधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/र० से ग्रिधिक है

श्रौर जिसकी संख्या 65/22, है एव जो न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, मे स्थित है, (जिसका ग्रधिक वितृत विवरण संलग्न श्रनुसूची मे दिया गया है की पंजीरकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के श्रधीन पजीकरण श्रधिकारी कें नई दिल्ली स्थित कार्यालय मे दिताक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त अस्पत्ति के उचित बाजार मूह्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल ने ऐसे, दृश्यमान प्रतिकत का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, ग्रीर अन्तरित (अन्तरितियों) के बीत ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रविफल, निम्नलिखिन उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरम से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- ख) ऐसी किसा आग या किसो धन या अन्य आस्तियों की, निन्हें नारतीय आगकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रतीवनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था ख्रिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त ग्रिश्चित्यम की घारा 269-म के अनुसरण में, में, उक्त ग्राधनियम की घारा 269-घ की उपघारा (1) के अधीन, निय्नलिखित व्यक्तिमों. अर्थातः---

- (1) श्री जीवन लाल खन्ना,
 सुपुत्र गनपत राय खन्ना,
 1, सी/19, न्यू रोहतक रोट
 श्री खैंराती राम खन्ना सुपुत्र श्री गनपत राय
 खन्ना निवासी एन-160 ग्रेटर कैलाश-1,
 नई दिल्ली
 जे० एन० खन्ना सुपुत्र गनपत राय खन्ना एन-198
 जी० के०-1, नई दिल्ली
- (2) श्री परदुमन सिंह जैन मोहिन्दर सिंह जैन, सुपुत्र श्री बासु लाल जैन, 4799 डिपुटी गंज, दिल्ली ﴿अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्वत के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—
(क) इस सूचना के राजपत में प्रकाणन की तारीख से
45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी
अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की नारीख से .45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा तकेंगे।

स्पडटीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों-श्रीर पदों का, जो उक्त श्रधिनियम, के श्रष्ट्याय 20-क ने परिभाषित हैं, वही श्रर्थ होगा, जो उस श्रष्ट्याय में दिया गया है।

अन्सूची

65/22 न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, नई दिल्ली

विमल विशाष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायकै ग्रायकर ग्रायुक्त त्रर्जन रेज ८, नई दिल्ली

दिनांक: 15-10-1981

प्ररूप आर्ड. टी. एन्. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-अ (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आय्क्त (निरीक्षण) प्रजीन रेज 2. नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 15 श्रक्तूबर, 1981

निदेश स० 3 न० स० ग्रा० ग्रा०/एकजीवीशन 2/-एस०ग्रार-1/2-81/7422--- नूकि मुझे विमल विशिष्ट
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे
इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषयास करने
का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मृख्य
25,000/- रु. से अधिक है
ग्रीर जिसकी सख्या सोप न० 329 ग्रीर 330 प्रो० नं० 171
ग्रीर 326-एम, 335 है एवं जो दरीबा कला, दिल्ली मे स्थित है,
(जिसका ग्रधिक विष्तृत विशरण सलग्न ग्रानुसूची में दिया गया
है की पजीकरण प्रधिनियम 1908 (1908 का 16वां)

के अधीन पजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में

दिनाक फरवरी, 1981

- (क) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के धायित्व भे कभी करने या उससे बचने में सुविधा को लिए; और/या
- (स) ए'सी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-लर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अनक अधिनियम, 1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था खिपाने में मृतिथा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन, निम्नसिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

(1) श्री शक्ति कुमार राजपूत सुपुत्र स्वर्गीय श्रीधना सिंह एलीयस धन सिंह 1560 कूचा सेठ दरीबा कलां, दिल्ली

(श्रन्तरक)

(2) मैं० गंडा राम, एण्ड सन्स द्वारा श्री गडी राम सुपुत्र श्री जगत राम, निवासी 28, सीरी फोर्ट गेडह मस्जिद मठ, नई दिल्ली

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अजन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सुम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप्:--

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अबुधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वान की तामील से 30 दिन की अबिध, जो की अबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपर्तित में हिंत- बयुध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहम्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेगे।

स्पष्टिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में जिरभाधित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया मुया है।

श्रनुसूची

सोप नं० 326 श्रीर 330 प्रो० नं० 171 (पुरानी) यौर 326-ए० से 335, (न्यू), दरीबा कलन, दिल्ली

> विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक ग्रायकर प्रायुक्त ग्रर्जन रेज 2, नई दिल्ली

दिनांक: 15-10-1981

मील:

ारूप गाई० टी० एन∙एस•=----

ग्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के ग्रधीन मूचना

भारत सरकार

कार्यालय महायक आबकार आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रंज 2, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 श्रक्तूबर, 1981

निदेश मं० 3 नि० स० ग्रा०श्रा०/एक्जीवीशन 2/एस-श्रार-1/2-81/7396—चूकि में विमल विशष्ट धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर वस्ति जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- द० से प्रक्षिक है

श्रीर जिसकी संख्या नं० 5105, 5106 वार्ड नं० 13, है एवं जो मंडी रुई सदर बाजार, दिल्ली-6, में स्थित है, (जिसका श्रधिक विस्तृत यियरण संलग्न श्रनुसूची में दिया गया है की पंजीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के श्रधीन पंजीकरण श्रधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

कं पृथींक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के स्रयमान क्रिलक के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथाप्वींक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्रथमान प्रतिफल से, एसे स्रयमान प्रतिफल का पन्द्रह मिलकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्सरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिख्ति में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत, कवल श्रीक-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या जससे बचने में पुविद्या के आए; और/या
- (अ) ऐसी किसी प्राय या किसी घन या प्रन्य धास्तियों की जिल्हें भारतीय प्राय-कर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया स्था या या किया जाना चाहिए चा, छिपाने में युविशा के लिए;

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उका अधिनियम की धारा 269-घ की खपधारा (1) अधीन निम्नलिक्ति व्यक्तियों, अर्थातः— (1) श्री राम नारायण गुप्ता सुपुत्र राम नाथ गुप्ता 330 गली प्रकाण बाजार तेलीवारा दिल्ली-6 (भ्रन्तरक)

श्री सत्य प्रकाश सुपुत्र स्वर्गीय श्री हरगु लाल 4232, गली बारना सदर बाजाद्धा, दिल्ली-6

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना नारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के धर्जन के सिए कार्यगाहियां करता हं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की वारीख से 45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में नमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीका व्यक्तियों में कि कि व्यक्ति जारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की वारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबब किसी श्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखिन में किए जा सकेंगे।

स्पवतीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो उक्त श्राधिक नियम, के अध्याय 20क में परिभाणित है, वहीं अर्थ होगा, जी उस अध्याय में दिया निया है।

अमृस्ची

2 सोप सिंगल स्टोरी मंजिल नं० 5105 और 5106, वार्ड नं० 13, मंडी रुई सदर बाजार, दिल्ली-6

> विमल विशष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्ता श्रर्जन रेंज 2, नई दिल्ली

दिनांक : 15-10-1981

प्रकृप साईं टी • एन • एस •---

आधका अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-व (1) के सधीन सुचना

ंरत गरकार

कार्यालय, महाक्क आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
प्रर्जन रेंज II, नई दिल्ली
नई दिल्ली, दिनांक 15 प्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० स० आ० आ०/एक्वीजीशन 2/एस-आर-1/2-81/7440--च्कि मै विमल विशष्ट बायकर ग्रिविनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चात् 'उन्त अधिनियम' कहा वया है); की धारा 269-ख के धधीन सक्षम प्राधिकारी को वह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित् बाजार मृत्य 25,000/- 🗠 से प्रधिक है ग्रौर जिसकी संख्या प्रो॰ नं॰ 2691ए, है एवं जो मस्जिद कालेखां दरिया गंज में स्थित है, (जिसका ग्रधिक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनुसूची में दिया गया है, की पंजीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16 वां) के ग्रधीन पंजीकरण ग्रधिकारी दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981 को पूर्वीक्न समात्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिक्त के लिए प्रन्तरित की गई है मीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिष्ठल से, ऐस दृश्यमान प्रतिकल के पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है भीर प्रग्तरक ग्रौर भ्रन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बी**द ऐ**से यम्बरण के निए तय पाया बंबा प्रतिकत, निम्नलिखित उद्भय से उक्त धन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है।--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उनत अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए; आर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या धन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उसत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती हारा प्रकट नहीं किया गया था किया जाना चाहिए था, खिपाने में मुज्ञिक्षा के लिए;

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् (1) श्रीमती सरला देवी पत्नी श्री शितल प्रकाश तनेजा - निवासी ए/47, प्रीत विहार, दिल्ली-92

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती सरोज गुप्ता पत्नी श्री रामिकशन गुप्ता, निवासी, 1950 गली नीलावाली बाजार सीताराम, दिल्ली-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप ।--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख-से 45 दिन की भविध या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जी भी भविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूत्रोंक्त व्यक्तियों में से कियी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्वावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी भन्य व्यक्ति द्वारा, भन्नोहस्ताकारी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त प्रिधिनियम' के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उद अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दो मंजिला मकान लगभग 45 वर्ग गज, प्रो० नं० 2691/ए, मस्जिद कालेखां इलाका नं० 11 दिख्या गंज दिल्ली।

> विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त ग्रर्जन रेंज II, नई दिल्ली A

दिनांक: 15-10-1981

मोहर 🛚

प्ररूप आई० टी० एन० एउ०-----

आध्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की जार। 269रुघ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहाथक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेज II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनाक 15 श्रवसूबर 1981

निवेश सं० 3 नि० स० मा० मा०/एकवीजीशन 2/एस०भार०-2/2-81/4212--च्लिमें, विमल विशिष्ट,
आपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मृत्य 25,000/- रुपये से यिषक है
और जिसकी संख्या एम०-12, है एवं जो राजोरी गार्डन, दिल्ली
में स्थित है, (जिमका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न मनुसूची मे
दिया गया है) की पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 का
16वां) के प्रधीन पंजीकरण अधिकारी के नई दिल्ली स्थित
कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्मिल के उचित बाजार मृश्य से कम के वृष्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है भीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यद्यापूर्वोक्त सम्पत्ति का छचित बाजार मृत्य, उसके दृष्यमान प्रतिकल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिकल से पन्द्रह् प्रतिशत अधिक है और अन्तरिक (अन्तरिको) और अन्तरिको (अन्तरित्यों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्निचित चहेंग्य में उक्त धन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, छक्त आधि-नियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कपी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किमी आय पा किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय अध्यक्तर प्रधिनियम 1922 (192° का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर प्रधिनियम, या धनकर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्ग अन्यरिती द्वारा प्रकट नहीं किया एया या या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

भनः श्रव, उका अभिनियम की पारा २६५-ग के अनु-सरण में, में, उका अभिनियम की पारा २६५-घ जी उपधारा (1) के श्रधीन, निम्दिणित व्यक्तियों अर्थात्..--4-31601/31

- (1) श्री सौदागर मल सुपुत्र श्री गुरदीत्ता मल, मकान नं० 11, जीवनी ब्लाक गंगाराम वाटिका, दिल्ली
- (2) श्री विश्वनाथ सुपुत्नश्री फकीर चन्द, ए-2/41, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली

(ग्रन्तरिती)

को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के धर्मन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षण:---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की भवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की भविभ, जो भो
 भविभ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख स 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति के हितब के किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास सिक्षित में किए जा सकेंगे।

स्वद्धीकरण: --इसमें प्रयुक्त क्षब्दों भीर पर्वो का, जो उक्त प्रधिनियम, के भ्रष्टवाय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा, जो उन श्रद्ध्याय में दिया नया है।

अभूस्ची

2/3 हिस्से प्रो० नं० एस-12, क्षेत्रफल 133.1/3 वग गज, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली।

विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त, ग्रर्जन रेज II, नई दिल्ली

दिनांक . 15-10-1981

मोहरः

प्ररूप आई० टी० एन० एस०--

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व(1) के मधीन सूत्रना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रर्जन रेंज-II, नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 प्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० स० ग्रा० ग्रा० /एकजीवीशन 2 /एस-ग्रार-2 / 2-81/4240—चूंकि मैं विमल विशष्ट ग्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चात् 'उक्द एधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के भधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाम करने का कारण है कि स्थावर पम्पत्ति, जिसका उचिन बाजार मूल्य 25,000/ हुएए में बाग्निक है

स्रौर जियकी संख्या कृषि भूमि है एवं जो ग्राम दिचाँव कलां में स्थित है, (जिसका ग्रधिक विस्तृत विवरण संलग्न ग्रनुसूची में दिया गया)है की पंजीकरण ग्रधिनियम 1908(1908 का 16वां) के ग्रधीन पंजीकरण ग्रधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को । वींक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अम्लिश्त की गई है और युझे मह विश्वान करते का कारण है कि यथा दूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित्र बाजा मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिजत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अगिरित्यों) के बीच ऐसे घन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकृत निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अम्बर्भ लिखित में बास्तिक का से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के प्रकारक के दायित्व में कमी कंग्दे मा उससे वचने में सुविधा के लिए; खौर/या
 - (ख) ऐरी किसी आयया किसी धन या अन्य आस्तियों को बिन्हें मारतीय धाम-तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं क्या गया । या किया जाना चाहिए था. खिपाने में सविधा के जिए:

अतः अब, उक्त यधिनियम की धारा 269-ए के अनुसरण में. में अबन अपिनियम की भारा 299-घ की उपचारा (1) के अधीन, निर्वादित का कित्रों, अपीत.-- (1) श्री सिंह राम, जय पालसिंह, राम पाल सिंह ग्रौर सुरेश सिंह सुपुत शंकर, सभी निवासी ग्राम शाहपुरजेट, दिल्ली

(ग्रन्तरक)

(2) श्री एस॰ नन्द सिंह चावला कर्ता एच॰ यू॰ एफ॰, सुपुत्र श्री प्रताप सिंह चावला सी-4, राजोरी गार्डन, नई दिल्ली

(ग्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के भ्रजेंन लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शाक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिया पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि को भी अविधि बाद, में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़ किसी मन्य व्यक्ति द्वारा, अञ्चोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्परबीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो उन्त श्रिश्विम के ग्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही धर्य होगा जो उस ध्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 7 विधे भौर 11 विश्वे ग्राम दिचांव कलां दिल्ली

विमल शिष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक स्रायकर श्रायुक्त स्रर्जन रेंज-II, नई दिल्ली ।

दिनोक: 15-10-1981

प्ररूप आई० टी॰ एन० एम०---

आफ्तर ग्रिपिनियम, 1981 (1981 का 43) की घारा 269-घ(1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) π प्रजन रेंज- Π^{I} , नई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 प्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 3 नि० स० आ० आ०/एक्वीजीशन 2/एसम्आर-2/2-81/4225—चूकि मैं, विमल विशिष्ट, आयकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत प्रधिनियम' हहा गया है), की धारा 269-का के

स्रिधीन सक्षप प्राप्त तारा को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिस्ता उचित तातार पृत्य 25,000/- ६० से अधिक है

श्रीर जिसकी संख्या प्लाट नं० 27, है एवं जो कृष्णा पार्क, पोसंगीपुर, में स्थित है, (जिसका श्रधिक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण श्रधिकारी के विल्ली स्थित कार्यालय मे दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मृत्ने यह विश्वास करने वा कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह् प्रतिका से यायक है और अना कि (अन्तरकों) ग्रीर अन्तरिती (अन्तरितियो) के बाव ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया मया प्रतिक्क कि विश्वतियों उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक कि से काथित नहीं किया गया है:---

- (क) यन्तरण से दुई किसी प्रायकी **बाबत उक्त श्रीध-**ियण े प्रशीलकर देने के श्रम्सरक के वायि**स्य में कमी** इस्तेया उससे बचने में सुविधा के लिए। **धौर/या**
- (का) ऐसी किसी धाय या किसी धन या धन्य आस्तियों को, जिन्हें मारतीय धायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत मधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उनत ग्रधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, खबत श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अदीन, निम्नलिखित व्यक्तियों जर्यात् :—

(1) श्री एस० श्रजीत निह श्रानन्द, सुपुत्र एस० बीन्ट सिह श्रानन्द, 3027 गली नं० 2, चुना मंडी पहाड़ गंज, दिल्ली

(भ्रन्तरक)

(2) श्री रमेश चन्दर ग्रग्निहोत्री सुपुत्र श्री बलदेव राम श्रग्निहोत्नी, श्रीर श्रीमती विपना ग्रग्निहोत्नी पत्नी श्री ग्रार० सी० ग्रग्निहोत्नी डी-11/20, जनकपुरी, नई दिल्ली (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति क प्रार्थन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति हे अर्जन हे सम्बन्ध न कोई सा धार्लप:--

- (क) इस सूचना के राजावं में प्रतायन की तारीख से 45 दिन की अवधि या नत्तममन्धी व्याव (यां गर प्रता की तामील से 30 दिन की अवधि, वीका अविश्व वाद में समाप्त होती हो, के मीनर राजांका व्यक्तियां त स किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना क राजपत में प्रायंग्य को तारोख स 45 दिन के भीतर उबत स्थावर सम्प्रीतः के क्षित-वस किसी प्रस्थ व्यक्ति होरा प्रवाह-गाक्षरों क पास लिखित में किए जा सकते।

स्पन्तीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पर्दा की, जो उक्त श्रिधिनयम के श्रष्टवाय 20-क में परिभाषित दैं, वहीं श्रर्थं होगा, जो उस श्रष्टवाय में विया गया है।

अनुसूची

ष्लाट नं ० 27, कृष्णा पार्क, ग्राम पासंगीपुर, दिल्ली

निमल विभाष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक भ्रायकर स्रायुक्त, स्रर्जन रेज-II, नई दिल्ली

दिनांक: 15-10-1981

प्ररूप बार्ड . टो . एन . एस .-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अभीन स्वान

भारत सरकार

कार्यालय', सहायक आयुक्त र आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज II, नई दिल्ली 110002 नई दिल्ली, दिनांक 14 अक्तूबर 1981

मिदेश सं 3 नि० स० ग्रा० ग्रा०/एक्जीजीशन-II/एस० . ग्रार-II/81-82/2-81-4264—-वृंकि में विमल विशिष्ट

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हुं), की भारा 269-इस के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उन्तित् बाजार मृत्य 25,000/ रु. से अधिक हैं

भीर जिसकी संख्या है एवं जो 1 प्लाट नं० 44 गांव तातार पुर देहली में स्थित है, (जिसका श्रधिक विस्तृत विवरण संलग्न भनु-सूची में दिया गया है) को पंजीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16वां) के अधीन पंजीकरण श्रधिकारी के स्थित कार्यालय मे दिनांक फरवरी 1981

को पूर्वों वत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मूझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए त्य पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त ज्नारण लिखित में मास्तिवृक रूप से किथित नहीं किया गया हैं:——

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की बाबस, उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के जन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में तुब्धा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी जाय या किसी धन वा अन्य आस्तियों करें, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अन्त, उकत अधिनियम कौ भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) कं अधीन निम्निशित् व्यक्तित्यों सर्धात् :-- (1) श्री राम सहाय भ्राहलुवालिया
सुपुत्र श्री भ्रात्मा राम निवासी ए-2/194 जनक पुरी
नई दिल्ली

(अन्तरक)

(2) श्री चरण दास छावड़ा सुपुत्र श्री खान चन्द छावड़ा निवासी जे-13/44-वी० राजोरी गाडग इहदे

(ग्रन्तरिती)

को यह सुब्ता जारी करके पूर्वीका सम्पत्ति के अर्जन के जिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजैन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेत :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ल) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 विन के भीतर उक्त स्थानर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति इ्यारा अधोहस्ताक्षरी के पासु लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वव्दीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो छक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गका हैं।

अन्स्पी

प्लाट नं० 44-वी, ब्लाक जे-13, गांव तातारपुर देहली

विमल विशिष्ट सक्षम प्राधिकारी निरीक्षीय सहायक श्रायकर श्रायुक्त भ्रर्जन रज-II, नई दिल्ली।

दिनांक: 14-10-1981

प्ररूप आइ . टी . एन . एस . ------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की पारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याल्य, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेज II, नई बिल्ली-110002

नई दिल्ली-110002, दिनादः 14 श्रवतवर, 1981

सं० 3 नि०स०प्रा०ग्रा०/एक्वं ${}_{3}$ िणन- ${}_{3}$ /एस ग्रार- ${}_{4}$ /2-31/4251 चंकि मैं विमल वसिष्ट

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसं इरमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 000/ रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० है एवं जो 1 बीघा 8 विसवा जमीन गाव दिन्दार पुर देहली में स्थित हैं, (जिसका ऋधिक विस्तृत विवरण मलग्न अनुसूची में दिया गया है)को पंजीकरण अधिनियम 1908 (1908 ता 16 वां) के अधीन पजीकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय में दिनाक फरवर। 1981,

को प्वांकत रापित्त को उचित वाजार मृत्य म कम के रूथमान प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोकन संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वेष्य से उन्तर अन्तरण निखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबतं, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अनिविध्या, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृतिधा के लिए;

(1) श्रो कामोम मुपुद्ध श्री ईदु निवासी गाव दिन्दारपुर देहली।

(अन्तरक)

(2) श्री सतपान मनहोत्रा सुपृत श्री रामचन्द्र मनहोता निवासी बी०एफ०--25, टैगोर बाार्डन नई दिल्ली (अन्तरिती)

को यह स्थाना जारी करके पृवांकित सम्पृत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अवधि मा तत्र्यस्यन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रवित्त व्यक्तियों में सं किसी व्यक्ति सुवारा:
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उदन स्थावर सम्मन्ति में हिनबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ध्वारा अथोहस्ताक्षरी के पास लिखन में किए गायको।

स्पष्टीकरणः -- इसमं प्रयुक्त धाब्दों और पत्रों का, जो उक्त अधिनियम, कं सध्याय 20 - के में परिभाषित ही, वहां अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया गया ही।

अनुसूची

1 बीघा 8 विसवा पुत्रीकल्चर जमीन दिन्दार पुर गांव में

विमल विशष्ठ सक्षम प्राधिकारी सिरीक्षीय सहायक आयकर श्रायुक्त श्रजंत रेज II, नई दिल्ली

अतः वयः, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनिमय की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अभीन निम्नुलिखित क्यिक्तियों अर्थात्:--

दिनाक 14-10-81 मोहर: अरूप आई¹. टी. एम. एस.-----

यायकर यिधितियम, 1981 (1961 का 43) की गरा 269-ए (1) के यद्यीन सूचना

भारत वस्कार

कार्यालय, तहायक स्रायकर स्रायुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज, गई दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 श्रक्तूबर 1981

संदर्भ 3 नि० स० आ० आ०/एनवीजिशन 2/एस-आर० II/2:81-/7417, — चूकि मै, दिमल विशष्ट, आपकर अतिनियम, 1961 (1:61 का 13) (और जिसे इसमें इसके क्वांत 'जकत अधिक एए' हहा गया है), का धारा 269-ख के अधिक स्थान प्राक्ति को यह जिल्ला करने का स्थान स्थान है कि आधिक स्थान जिसका उच्चा गणार प्राप्त 25,000/- इपये से अधिक है

भौर जिसकी सं० सोप न० 42, है एव जो पुरानी रोहतक रोड, विल्ली में स्थित है, (जिसका भिधक किस्तृत धिधरण संलक्ष्म अनुसूची में दिया गया है) की पंजीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16 वां) के अधीन पजाकरण अधिकारी के दिल्ली स्थित कार्यालय से दिल्ली स्थत

को पूर्वेक्त संपत्ति के जीवन बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रिंगणन को लिए अन्तरित की गई है और मुभी, यह विश्वास करने का कारण है कि यनपूर्वित गमात्ति का जोचन जाजार मृत्य, जसके दश्यमान प्रतिकल तो, एमे दश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से अविक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि सिक्ष में वास्स्विक रूप से किथत नहीं किया गया है :---

- (क) मन्तरण ने हुई किसी ग्राय की बाबत उबत श्रधि-नियम के श्रधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व र क्यों हरने हा उसने जनने में मुविश्वा के लिए। जोर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या अन्य श्रास्तियों की जिन्हों भारतीय धायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उना प्रतिविधम या धनकर श्रीधिनियम या धनकर श्रीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनामं धन्तिरती द्वारा प्रतट नहीं किया गथा था या किया जाना चाहिए था, कियान में भूविषा के लिए;

जतः जब, उच्त अधिनियम की धारा 269-ग को, अनूसरण भी, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-मु की उपधारा (1) के स्थीन निम्निसिक्त व्यक्तियों अर्थीत्:--

- (1) श्री करन चन्द सुपुत्त श्री मखलनलाल सोप न० 42, पुरानी रोहतक रोड, दिल्ली, (श्रन्तरक)
- (2) श्री दिवान चन्द सुपुत्र श्री रोशन लाल, एलीयस रोशन दास,, 98 जनता क्वाटर, जनक पुरी, नई दिल्ली । (श्रन्तरिती)

को यह पुचना जारी करके पूर्वीका सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्कवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जा के पम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचमा के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख में 30 दिन की प्रविध जो भी प्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में विकास विकास होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में
- (ख) इस न्वता ते राजपन्न में प्रकामन की तारीख म 45 वित के भीतर उन्ह स्थावर सम्मति में हितबद्ध किसी यन्त्र व्यक्ति द्वारा प्रधोहरताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंदी।

स्पन्टीकरण:--- इसमें प्रयुक्त मन्नी भीर पर्वो का जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं भयें होगा, जो उस भन्न्याय में दिया गणा है।

अनुसूचीं

सरकारी भवन सोप न० 42, पुरानी रोहतक रवदड, दिल्ली।

विमल विशिष्ठ सक्षम ग्रीधिकारी निरीक्षीय सहायक भायकर ग्रायुक्त ग्रर्जन-रेंज 2; नई दिल्ली ।

दिनांक : 15-10-81

प्ररूप प्राइ . टी. एन. एम.

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन स्चना

धारत संस्कार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, नई दिल्ली—110002 नई दिल्ली, दिनांक 14 श्रक्तुबर 1981

संदर्भ 3 नि० स० ग्रा० ग्रा०/एक्बीजीशन-॥/एस० श्रार०-॥/2-81/4294--चूंकि मैं, विमल विशष्ठ,

षायकर पिधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राध्यिकारी को यह विक्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ क. से अधिक है

घौर जिसकी सं क मकान नं उब्लय जै-9 है एवं जो प्लाट नं 10 मुखराम पार्क चौखड़ी देहली में स्थित है, (जिसका अधिक विस्तृत विवरण संलग्न अनुभूची में दिया गया है) को पंजीकरण अधिनियम 1908 (1008 का 16वां) के अधीन पंजीकरण अधिकारी के स्थित कार्यालय में दिनांन फरवरी, 1981।

कार प्रविकास संपिति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्ड हैं और ज्रिके यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापूर्वेवित सम्दित का उचित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखत उद्देशों से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप में कथित नहीं किया गया हैं:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-रिवयम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कभी करने या उससे बचने में मूबिया के लिए और/या
- (य) एको किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों करें, जिन्हें भारतीय आयकर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या धर- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा किया जाना काहिए था, किया के मिन्स ने लिए।

अतः अव, उक्त अधिनियम की धार्य 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन, निम्नितिकात व्यक्तियों, अर्थात् ४(1) श्री तिनक राज मुपुत्र परवाणी जाल विवासी **उन्ह्यू** जैंड मुखाम पार्क, नई दिल्ली ।

(धन्तरक)

(2) श्री रणजीत कुपार कोहली सुपुत्र श्री द्योमप्रकाश कोहली निवासी डब्ल्यू० जैंड-105 मुखराम पार्क निलक नगर, देहली ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीवत सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हो।

उक्त सम्परित के अर्जन के मम्बरण के कोई की बार्सण

- (क) इस सूचना के राजपण गांगत भन मने भगीय सं 45 दिन की आणि या तलाम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 कि की कि की कि भीतर पूर्विकत व्यक्तियों के किसी गाणित होते की किसी गाणित होते.
- (ख) इस सूचना के राजधार में प्रकाशन की तारीस में 45 दिन के भीतर जक्त स्थावर मणित में हिस-अव्य किसी अन्य ज्यांत्र हवाग लाहिस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आ सामगे।

स्यक्षीकरणः — इसमें प्रमुक्त कान्यों और पदीं ता, जो उक्त अधिनियम के अध्याय १०-क सं पीरभाषित हैं, बहर कर्ष मुख्य जो जरूर राज्य में विका ्या हैं।

अनुसूची

मकान नं० डब्ल्यू० जैंड०-9 प्लाट नं० 10 मुखराम पार्क, चौखडी देहली ।

> विमनं विशिष्ट सक्षम प्रधिकारी निरीक्षीय महायक श्रायकर श्रायुक्त धर्जन रेंज-11, नई दिल्ली

दिनांक: 14-10-81

ा∾व आई० टी० एव० एव०-

आयक्तर अधितिका, 1961 (1961 का 43) की धारा 189-३ (1) के अधीन स्वना

भारत सहस्रहर

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, नई दिल्ली-110002

नई दिल्ली, दिनांक 14 शक्तूबर, 1981

संदर्भ 3 नि० स० आ० आ०/एक्बीजीशन-II/एम० आर॰II/2-81/4250—चूंकि मैं, विमल विशष्ठ,
आयक्षण पित्रिम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके
परवात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के
अधीन सक्षम गांत्रिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि
स्थावर संशत्ति जिपका उचित बाजार मृत्य 25,000/- क० वे

प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० है एवं जो एग्रीकल्चर जमीन व गांव दिन्दार पुर में स्थित है, (जिसका श्रिधिक विस्तृत विवरण संलग्न श्रनुसूची में दिया गया है)को पंजीकरण श्रिधिनयम 1908 (1908 का 16 वां) के श्रधीन पंजीकरण श्रिधिकारी के स्थित कार्यालय में दिनांक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृण्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और पुरो यह विश्वाम करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मूल्य, उत्ते क्ष्यमान प्रतिकत्त से, ऐसे पृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह् प्रक्रिणत से अधिक है और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरितों (अन्तरितियों) के बीच ऐते अन्तरण के लिए तय पाया गया अति-फन निम्ते हिंगा उद्दार ने उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक स्प से कथित नहीं किया गया है।—

- (क) ग्रन्तरण से दुई किसी ग्राय की बाबत उक्त ग्रधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में हमी करी हा उना अबों में युविधा के निए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी पाप पा किसी धन या अन्य आस्तियों हो, जिन्हें भारतीय आयक्तर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, वा धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के अधाजनार्थ अन्तरिती द्वारा अकट नहीं किया गण किना जान नाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

प्रतः अब, सरा प्रविनियम, को बारा 269-ग के प्रनुसरण में मैं, लक्ष्त अविलियम को घारा 269-घनी उपवारा (1) के अभीन निम्मलिखित व्यक्तियाँ स्थिति हम्म (1) श्री कामीम मुपुत श्री इदु निवासी गांव दिनदारपुर देहली।

(अन्तरक)

(2) श्री परणोत्तम लाल मलहोत्रा सुपुत्र श्री रामचन्द्र मलहोत्रा नियासी वि० एफ०-25 टगो गार्डन 7 नई दिल्ली।

(अन्तरिती)

को पहसूबना जारी करके पुर्वोक्त सम्मति के प्रजैत के लिए कार्यबाहियां सुक्क करणा हूं।

तकत सम्पत्ति के पानेत के सम्बन्ध में कोई थी प्राक्षीय :---

- (क) इन मुबना के राजपत में प्रकाशन की तारांख से 45 दिन की अविते या तत्यम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविति, जो भी अवित नार में समान्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में ने कियी शाकित क्षारा;
- (ज) इ। सूत्रता के राजनत में प्रकाणन की तारीख से 45 दिन के भीतर छक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबड़ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अद्वोहस्ताक्षरों के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्वर्धिकरण:-इतमें प्रयुक्त शब्दों गौर पदों का, जो उसत स्रधिनियम, के श्रष्टवाय 20-क में परिभाषित है, वही सर्थ होना, जो उस मध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एग्रीकल्चर जमीन गांव दिन्दार पुर देहली

विमल विशिष्ठ सक्षम प्रधिकारी निरीक्षीय सहायक द्यायकर द्यायुक्त ग्रर्जन रेंज-II, नई दिल्ली ।

दिनांक : 14-10-81

गोहर 🛭

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-

धायकर धिधनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के घंधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

प्रर्जन क्षेत्र, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 15 ग्रक्तूबर 1981

जी० ब्राई० ब्रार० सं० डी०-40/ब्रर्जन—ब्रत: मुझे, ममरसिंह विसेन,

बायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थाबर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

भीर जिसकी संख्या प्लाट नं० 182 है तथा जो भाई० टी० कालेज, कासिंग, लखनऊ में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, लखनऊ में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के मधीन, दिनांक 7-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिपहल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यभान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिमत से प्रधिक है और प्रन्तरक (प्रन्तरकों) पौर प्रन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रन्नरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उन्त भन्तरण निधित में बास्तविक स्य से कश्चित नहीं किया गया है:---

- (क) प्रम्तरण से हुई किसी भाग की बाबत उक्त प्रक्रि-नियम के अधीन कर देने के प्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (सा) ऐसी किसी भाय या किसी धन या भ्रन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर मधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्वे धन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः प्रव, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उपत अधिनियम की भारा 269-च की उपभारा (1) के अधीन, निम्निकिरिधन व्यक्तियों, अर्थात :---5-316GI/81

(1) प्रगतिशील सहकारी गृह निर्माण समिति लि॰ निराला-नगर, लखनऊ द्वारा इसके सेकेट्री श्री एस० पी० मिश्रा

(मन्तरक)

(2) श्रीमती धर्मराजी देवी

(भ्रन्तरिती)

(3) श्रीमती धर्मराजो देवी (वह व्यक्ति जिसके ध्रिधमोग में सम्पत्ति है :)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजंन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 दिन की भवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रविष्ठ, जो भी भविष्ठ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी भ्रम्य व्यक्ति द्वारा भ्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए आर सर्केंगे।

रपष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त भ्रधिनियम के भ्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही धर्य होगा जो उस ध्रम्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं 1 व 2 पैयमायशी ऋमशः 2060 व 3960 **वर्ग-**फिट / कुल क्षेत्रफल 6020 वर्ग फिट स्थित नजल प्लाट नं० 12 खसरा नं० 992 ग्राई० टी० कालेज क्रासिंग लखनऊ तथा वह सम्पूर्ण सम्पत्ति जो सेलडीड तथा फार्म 37-जो संख्या 874 में वर्णित है जिनका पंजीकरण सब रजिस्ट्रार लखनऊ के कार्यालय में दिनांक 7-2-1981 कियाजाचुका है।

> प्रमर सिंह बिसेन सक्षम प्रधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण) भ्रजीन क्षेत्र, लखनऊ

दिनांक 15-10-1981

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा

269-घ (1) के अधीन स्वमा

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्धाण)

भ्रजैन रेंज, मद्रास

मद्रास, दिनांक 6 ग्रम्तूबर 81

निवेश सं० 11289 यतः, मुझे, राधा बालकृष्म, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० प्लेयन वियू कूनूर में स्थित है (भौर इससे उपा-पद्ध भ्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणत है) रजिस्ट्रीकर्ता भ्रधिकारी के कार्यालय कूनूर (डाक्सेंट सं० 287/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पद्मह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उत्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से किथत महीं किया गया है:—

- (का) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अभि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या
- (का) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

बतः अथ, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण मे, मैं, उक्त अधिनियम का धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नतिवित व्यक्तियों अधीत् ⊩—- (1) श्री सयद यूसुफ

(धन्तरक)

(2) श्री घिल

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विवा गमा है।

जनसंची

भूमि ग्रौर निर्माण प्लेयन वियू टैगर हिल कूनूर (डाक्सेंट सं० 287/81)

राधा बालकृष्णन स्वाम प्राधिकारी सहायक आयकार आयुक्त (निर्दाक्षण) ग्रजैंन रेंज-II, मद्रास

दिनांक: 6-10-81

मक्र्यः

प्ररूप बाह्री. टी. एन. एस ------(1) भी पलनी और भदरस

(ग्रन्सरकः)

(2) श्री के० सुन्दरराज्

(भ्रन्तरिती)

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन स्चना

भारत तरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज 🔢, मद्रास

मद्रास, विनांक 8 ग्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 9313-यतः मुझे, राधा, बालकृष्णन ,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रत. से अधिक है

मौर जिसकी सं० 236 है, जो मन्ना साले पांडिचेरी में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय पांडिचेरी (डाक्मेंट सं० 358/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन फरवरी 1981

को पूर्वीक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मृल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिल्लित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी नाय की वावत उक्त अधि-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी कर्ने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/गा
- (का) एरेसी किसी अगय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय बायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 1.1) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वृवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना जाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अन्तन जब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्धन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 4.5 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविभ, जो भी अविभि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 विन को भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पच्दीकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही वर्थ होगा जो उस वध्याय में दिया गया है।

वनुस्ची

भृमि और निर्माण---236 ग्रश्ना सालै पांडिचेरी (डाक्-मेंट सं० 358/81)

> राधा बालकृष्णन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) भ्रर्जन रेंज II, मद्रास

दर्नाक: 8-10-81

मोहर 🔣

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

अधिनियमे. 1961 (1961 का 43) की

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
श्रर्भन रेंज-II, मद्रास
मद्रास, दिनांक 8 श्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 16143—यत:, मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है

घौर जिसकी सं० 29 धिल नगर I स्ट्रीट पुलियूर है, जो मद्रास में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध प्रनुस्ची में घौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, कोठमपाखम (डाक्मेंट सं० 930/81) में भारतीय रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकार्) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल फल, निम्नलिचित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण कि खित में वास्तिवक क्य से कि थित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वास्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (का) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयक र अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अधित :--- (1) श्री श्री वी० बालसुत्रमनियन

(अन्तरक)

(2) श्री ध्रम्मिनि बाबुकुट्टन

(अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविध या तत्सवधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्तिया;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्यष्टीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित हु⁵, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुस्ची

भूमि श्रौर निर्माण-29 घिल नगर I स्ट्रीट मद्रास (**डाक्**-मेंट सं॰ 930/81)

> राधा बालकृष्णन सक्षम प्राधिकारी सहायक बायकार बाय्क्त (निरीक्षण) प्रजैन रेंज-II, मद्रास

दिनोक: 8-10-81

प्रकप माई० टी० एन० एस०----

भायकर भ्रषिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ष(1) के भ्रषीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 ग्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 11336 यतः मुझे, राधा बालकृष्णन,

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है के स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचित बाजार मूल्य 25,000/- इ. से प्रधिक है

श्रीर जिसकी सं० 11/45 है जो राजा स्ट्रीट, कोयम्बटूर में स्थित है (श्रीर इससे उपावक में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय कोयम्बटूर (डाक्मेंट सं० 197/81) में भारतीय रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन फरवरी 1981

को पूर्णोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के दृश्यमान प्रतिक्तल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्णोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्नाह प्रतिशत ग्राधिक है और ग्रन्तरक (अन्तरकों) भौर मन्तरिती (भन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरण के लिए तय पाया यथा प्रतिश्वल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित बास्तविक का से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) बन्तरण से हुई किसी खाय की बाबत, उक्त प्रधि-नियम के प्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे विश्वन में सुविधा के लिए, और/या
- (च) ऐसी किसी भाय या किसी धन या भ्रम्य खास्तियों को जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या धक्त प्रधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के श्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया श्रीया या किया जाना चाहिए वा, छिपाने में सुविधा क्वें लिए;

अन्तः अव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नसिखित व्यक्तियों, अर्थातः;—— (1) श्री पी० तिरुमलैस्वामी

(अन्तरक)

(2) श्री सी० रा० कक्षयन ग्रीर राजा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के श्रजंन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उश्न सम्पत्ति के ग्रजेन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जी भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा:
- (ख) इस मूचना के राजपन्न में प्रकाशन को तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त कब्दों और पदों का, जो उक्त ग्रिधि-नियम, के ग्रष्ट्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होना जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

भूमि श्रौर निर्माण—-- 11/45, राजा स्ट्रीट, कोयम्बटूर, डाकूमेंट सं० 697/81)

राधा बालकृष्णन सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्चर्जन रेंज-II, मद्रास

विनांक: 8-10-81

मोहर 🖟

प्ररूप थाई. टी. एन. एस ------

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-॥, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 श्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 9268 यतः, मुझे, राधा वालकृष्न,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपर्ति जिसका उणित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० रा—3 है जो । क्रास स्ट्रीट तिल्लेनगर, ट्रिची में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध में और पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्सा ग्रिधकारी के कार्यालय, ट्रिची (डाक्मेंट सं० 372/81) में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन फरवरी, 1981,

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मृल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्ड हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मृल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिखत से अधिक हैं और अन्तरक (अभ्वरकों) जौर अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया मया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कृष्यत नहीं किया गया है :—

- (क) जन्तरण से हुई जिसी जाय की वाबत उक्त अधि-नियम को अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में मिविधा के लिए; और/या
- (का) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हुं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए:

अतः अव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नसिसित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) श्री रा० के० सी० नटराजन

(श्रन्तरक)

(2) श्री सुअमिनयम ग्रौर चेल्लम्माल

(अन्सरिती)

को यह सूचना जारी कर के पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं। उक्त सम्पत्ति के अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अविध, जो भी अविध, बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में द्वित-वर्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्पष्डीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

भूमि और निर्माण--रा० 3, रुकमिन इल्लम, । क्रास स्ट्रीट, ट्रिची (डाक्मेंट सं० 372/81)

> राधा बालकृष्तं सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-II, मद्रास

धिनांक: 8-10-81

प्रकप आई• टी• एव• एस०---

भावकर मिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-11, मद्रास

मद्रास, विनाक 8 प्रक्तूबर 1081

निर्वेश, सं०, 11356—यत मुझे राधा बालकृष्न, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपर्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- र. से अधिक ह

स्रौर जिसकी सं० 25/50, 49 है जो तामस स्टीट कोयमबटूर, में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध अनुमूचा में स्राप्त पूर्ण रूप से विजत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय कोयमबटूर, (डाक्मट सं० 1504 /81 में रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन फरवरी 1981

को पूर्विक्त संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त सपित्त का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल सं, एमें दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत सं अधिक है और अस्तर्क (अन्तर्कों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निस्ति में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क), जन्तरण से हुई किसी जाड़ की बाबत उक्स जिभ-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य कें कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के, अनुसरण भौ, भौ, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :-- (1) नारायनि श्रम्माल श्रीर श्रदरस

(ग्रन्तरक)

(ग्रन्तरिती)

(2) श्री एस मुनिलाल राम **जा**दिलाल एस जादिलाल

का यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की ताभील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वांकर व्यक्तिया में में किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस मृचना की राजपत्र मों प्रकाशन की सारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित मों हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहिस्ताक्षरी के पास लिखित मों किए जा सकीगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहा अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ही।

अनुसूची

भूमि भौर निर्माण 25-50, 49, तामस स्ट्रीट, कोयम्बट्र (डाकुमेंट सं० 1504/81)

> राधा बालकृष्नं सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) मुर्जन रेंज्र $\mathbf{I}^{\mathbf{I}}$, मद्रास

दिनांक: 8-10-1981

प्ररूप भाई• टी• एन॰ एस•---

आयकर ग्रिविनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-2 मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 ग्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० 16161--ग्रतः मुझे राधा बालकृष्णन भायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा की घारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रूपये से ग्रधिक है, ग्रौर जिसकी स० 33, है जो राजा बातर स्ट्रीट, मद्रास-17 में स्थित (ग्रौर इससे उपाबद्ध में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकृत स्रधिकारी के कार्यालय टी० नगर (डाकृमट फरवरी 1981 स॰ 543/81 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करन का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान

प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और ग्रन्तरक

(अन्तरकों) और अन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे

अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित

नहीं किया गया है:--

- (क) बन्तरण से हुई किसी घाय की बाबत चक्त ग्रिविनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी घन या खन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर भिधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भिधिनयम, या धन-फर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण कें, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री सुन्दरराज राजधी पाल

(ग्रन्तरक)

(2) श्री पी० विजयालकशमी

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की प्रवधि,
 जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर
 पूर्वोंकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में द्वितबद्ध किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पट्टीकरणः - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विधा गया है ।

अनुसूची

भूमि ग्रौर निर्माण-33, राजाबातर स्ट्रीट, मद्रास-17 (डाकुमेंन्ट सं० 543/81)

> राधा बालकृष्णन **सक्षम प्राधिकारी** सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षि**ष**) ग्रर्जन रेंज-II, मद्वास

दिनांक 8-10-1981 मोहर : प्ररूप आहू . टो . एन . एस . -----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयक र आयक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज , मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 श्रवतुवर 1981

निर्देश सं० 9320, यतः मुझे, राधा बालकृष्णन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक हैं

स्रीर जिसकी सं० 5, है लासनस रोड, बेनकाटा पारक, दिची में स्थित है (श्रीर इसमे उपाबह में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधिकारी के कार्यालय द्रिची (डाकुमेंट सं० 734/81) में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन फरवरी 1981।

को पूर्वों कत संपत्ति के जिपत बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विद्यास करने का कारण है कि श्यापर्वेदित सम्पत्ति का जिपत बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एमे दृश्यमान प्रतिफल का पन्ति प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अम्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में स्विधा के सिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अपस्तियां का, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकार अधिनियम, या धनकार अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारंग प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने सिवधा के लिए;

अतः अत्र, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपभारा (1) के अधीन निम्निलिखत व्यक्तियों अर्थात्:--6—316GT/81 (1) श्री सितम्मा वेसिकाचारी

(अन्तरक)

(2) श्री सावितरी श्रम्माल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन् के सम्बन्ध में कोई भी जाकप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों क्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास जिल्ति में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विमा गया हैं।

अमुसुची

भूमि श्रौर निर्माण-5 लासनस रोड, वेनकटा पारक, द्रिची (डाकुमेंट सं० 734/81)

> राधा बालकृष्णन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयक (निरोक्षण) श्रर्जन रेंज, मद्रास

दिनांक: 8-10-1981

प्ररूप अन्दर्ं टी. एन. एस.----

(1) श्री कृष्नस्वामी मुद्दलियार

(ग्रन्तरक)

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष(1) के अधीन सूचना

(2) श्री बासकरन ग्रौर रेवती

(भन्तरिती)

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, मब्रास

मद्रास तारीख 8 श्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० 9257— -यन: मुझे, राघ्वा बालकृष्मं, धायकर विधिनयमं, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थायर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 4, है जो यादव स्ट्रीट कठलूर में स्थित (भौर इससे उपाबड़ में भौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्त्ता भिश्विकारी के कार्यालय कठल्र (डाकुमेंट सं० 190/82) म रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन 16 फरवरी 1981

को प्वेंक्ति सपिति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिकित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निवित में बास्तीवक रूप से किथा नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायिख में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1057 (1957 का 27) के प्रमोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए।

को अह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी स से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबङ्ग किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुस्ची

भूमि ग्रौर निर्माण-4 यादव स्ट्रीट, कठलूर, (डाक्मेंट सं० 190/81)

राधा बालकृष्ने सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयृक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, मद्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की सपभारा (1) के अधीन निस्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:---

तारीख ; 8-10-81

मोहर.

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयंकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रें ज-]]; मद्रास

मद्राम, दिनांक 6 अवत्बर 1981

निर्देश मं० 11341—यतः, मृझ, राधा बालकृष्नं आयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रुक स प्रीथक हैं

और जिसकी मं० बिग बजार स्ट्रीट, है जो कीयम्बटूर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूर्चा में ग्रीर पूर्ण च्य से बर्णित हैं), रिजस्ट्रीकर्त्ता प्रधिकारी के कार्यालय कीयम्बटूर (डाकूमेंट मं० 1220[81) में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन फरवरी 1981

को पूर्विक्त सर्पति के उचित बाजार मूल्य स कम के दृश्यमार प्रतिफल को लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल सो, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एमें अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल फल निम्नलिखित उद्दश्य स उक्त अन्तरण लिखित मे वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (कं) अन्तरण सं हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कार दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उसमे बचने में सूविधा के सिए; भार/या
- (ख) एंसी किसी आय या किमी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती स्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-य को, अनुसरण मों, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्निलिमित न्यितिसयों, अर्थीत्:--- (1) श्री बालवेकंटराम चेट्ट्यार

(अन्तरक)

(2) श्री मुतुस्वामी घली इंर

(अन्सरिती)

का यह सूचना जारी करके पूर्वों कर सम्पृत्ति की अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के क्षर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: --

- (क) इस स्पना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमे प्रयुक्त शब्दों आर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 -क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

भूमि श्रीर निर्माण बिग बाजार स्ट्रीट कोयम्बट्टर (डाकुमेंट स० 1220/81)

राधा बालकृष्नं सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रुजैन रेज-II, मद्रास

तारीख: 6-10-81

भोहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. ------

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सृषना

भारत सरकार

कार्यालय, महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-11, मद्रास

मद्रास, दिनाक 8 श्रवटूबर 1981 निर्देश सं० 11341—यतः मुझे, राघा बालकृष्णन,

अधिकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43). जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थानर समाति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० बिग बंजार स्ट्रीट है जो कोयमबटूर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूधा में श्रीर पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, कोयमबटूर (डाकुमेंट सं० 1221/81) में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 1908 का 16) के श्रधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रितिकत के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अतरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से किथा नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई िकसी आय की वाबत, उन्नत अधिनियम, के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अधने में सूविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, जक्त अधिनियम की धारा 269-ण के अनुसरण में , में , जक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् ः—— (1) श्री बालबेंकटराम चट्टियार

(भ्रन्तरक)

(2) श्री विजयलक्ष्मी

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारो करके पूर्वोंकत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्थान के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचनां के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि श्रौर निर्माण—िबग बजार स्ट्रीट, कोयमबटूर (डाकु-मेंट सं ० 1221/81)

> राधा बालकृष्णन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेज, मद्रास

दिनांक: 8 ग्रक्तूबर 1981

प्ररूप आहर् टी, एन, एस, -----

भायकर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्बाजय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

प्रजीन रेज II, मद्राम मद्रास, दिनाक 8 श्रमतूबर 81

निदेश स० 11341—यतः मुझे, राधा बालकृष्म, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राप्तिकारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 राष्ट्र से बाधिक है

श्रीर जिसकी संव विज्ञान स्ट्रीट हे, जा कोयम्बटून में स्थित है (श्रीर इत्या उपाधद्ध में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रीध तर्या के कार्यालय, कोयम्बटून (डाकूमेट संव 1222/81) में र्याजस्ट्रीकरण प्रश्लितियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन फरवरी, 1981

को पूर्वोक्स संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके स्थमान प्रतिफल से, एसे स्थमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशास से अधिक हो और जन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्त में किन निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण िलिखत में भारतिक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुइ जिसी आय की बाबत , उन्तर अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के पिए? और/या
- (च) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट महीं किया ग्या था या किया जाना आहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

जतः जब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ंग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीन कि एक्षित विकास की भारा 269-ण की उपधारा (1)

(1) श्री बाल वैकटराम चेट्टियार

(श्रन्तरक)

(2) श्री समपूरनम श्रम्माल

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्स संपरित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुई।

जनत सम्परित के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप्ट--

- (क) इस सूचना के ताजपत्र में प्रकाशन की तारीय से 45 विनु की अविभ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अविध, जो आई जबिध बाद में सुमाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकर, व्यक्तियों में से किसी व्यक्तित द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हित्बक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अभोहस्ताक्षरी के पानु लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकर्ण:— इसमें प्रयुक्त खब्दों और पदों का, पो उक्त अधिनियम, की अध्याय 20-क भी मधा परि-भाषित हो, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मो दिया गया हो।

अनुसूची

भूमि श्रौर निर्माण-विग वाजार स्ट्रीट, कीयम्बटूर (डाकू-मेंट मं० 1222/81)

> राधा बालकृष्त मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज II, मद्रास

दिनाक: 8-10-81

मरूप आ**इं**.टी.एन्.**ए**स.,-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ध (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्ष्ण) श्रर्जन रेंज-II, मद्रास

मद्रास, दिनांक 8 अक्तूबर 1981

निदेण मं० 11341— यत., मुझे, राधा बालकुष्त, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रह. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० थिंग घंजार स्ट्रीट, है, जो कायम्बटूर में स्थित है (श्रीर इसमें उपाबद्ध में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजिस्ट्री-कर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, कोयम्बटूर (डाक्सेट सं० 2371/ 81) में भारतीय रिजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन स्त्रीत, 1981

को पूर्वीक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार गृह्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे स्थ्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्योदय से उचल अन्तरण निखित में बास्तिविक रूप से कृथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसमें बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय था किसी धन या अन्य आस्तियाँ को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अंतः अब, अक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण भें, मैं, अक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियों, अधृति :-- (1) श्री बालंबेकटराम चेट्टियार

(अन्तरक)

(2) श्री समगूरनम श्रम्माल

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करंके पूर्वीकत संपत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी शाक्षेप :-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन को अविध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वांक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुनारा,
- (स) इस स्थाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सके गे।

स्पर्क्षीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनु**स्**ची

भूमि श्रौर निर्माण-बिग बाजार स्ट्रीट, कोयम्बट्ट (डाकू-मेंट सं० 2371/81)

> राधा बालकृष्नं सक्षम प्राधिकारी स**हायक आ**यकर आयक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, मद्रास

दिनांक: 8-10-81

माहर:

प्ररूप धाई• टी• एन• एस०----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेज^T-, मद्रास

मद्रास, दिनाक 3 ग्रक्तूबर 1981

निवेश म० 31/फरवरी/81—यत, मुझे, श्रार० रविचन्द्रन, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें कि पंग्वात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का नारण है कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूझ्य 25000/- रु॰ में अधिक है

भौर जिसकी स० टी० एस० स० 22/2, वार्ड "ई" ब्लाक सं० 8, पहनपट्टी गाव, मेलम में स्थित है (भौर इससे उपायद अनुसूची में भौर पूर्ण रूप में वीणन है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय जे० एस० श्रार०-II मेलम में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 25-2-1981,

(डाक्मेट स० 861/81)

को पूर्वावत सम्पत्ति के उचित बाजार मूह्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का समित बाजार मूह्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक कप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी खाय की बाबत उक्त अधिनियम के प्रधीन कर देन के खल्तरक के दायित्व में कमी करने या उपने बचने में सुविधा के लिए; और/या;
- (ख) ऐसी किसी आय वा किसी धनया प्रण्य आस्तियों को अजिन्हें भारतीय धायकर घषिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त घिषिनियम, या धन-कर ग्रांधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिधी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

छन: धव, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के मृत्सरण में, में, उक्त अधिनियम की घारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात् :— (1) श्री ग्रार० कुप्पुसामी चेट्टीयार

(ग्रन्तरक)

(2) श्री वी॰ मानिक्कम

(ग्रन्तरिती)

का यह सूचना जारी करके पृवांक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्स सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सुचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी **स से 45** दिन की सर्वाध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की लामी स से 30 दिन की सर्वाध, जो भी अवधि बाद में समाय्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति हारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र ने प्रकाशन का नारीख से 45 दिन के भीतर छक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीद्दस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्दीकरण: -- इसमें प्रयुक्त गढ़दो और पदों का, जो उस्त अधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि श्रौर निर्माण—टी० एस० स० 22/2 वार्ड "ई" क्लाक सं० 8, पल्लपट्टी गाव, सेलम —ज्ञाक्सेट स० 861/81)

श्रार० रविचन्द्रन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्स (निरीक्षण) श्रर्जन रेज I, मद्रास

दिनाक 3-10-81 मो**ह**र . प्ररूप आहु . टी . एन . एस . ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय महायक आयकार आयक्क (निरीक्षण)

कार्यालय ग्रर्जन रेंज ¹, मद्रास-600006 मद्रास-600006, दिनांक 3 श्रक्तुबर 1981

निदेश सं २ 32/फरवरी/81—यतः मुझे, श्रार० रविचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन भणात्र पर्णातात्री तर्ग यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. में अधिक है

श्रीर जिसको सं० टी० एस० स० 29, वांरड—ई, ब्लाक सं० 8, पल्लपट्टी गाांव, सेलम में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, जे० एस० श्रार०-II, सेलम डाकूमेट सं० 862/81) में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक 25-2-1981,

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों क्त संपत्ति का ि चत बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उब्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से किथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के बायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (क्ष) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्षात् :---

(1) श्री श्रार० कुप्पुसामी चेट्टीयार स्रोर ग्रद्रस

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती गौरी ग्रम्माल

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्स सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृषां कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हित्यव्य किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के शब् लिखित में किए जा सर्कोंगे।

स्पट्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मभ्स्ची

(भूमि श्रोर निर्माण—टी० एस० मं० 29 वार्रे—ई, ब्लाक-8, परुलपट्टी गांव, सेलम—-डाक्सेंट सं० 862/81)

श्रीर० रविचन्द्रन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रार्जन रेंज I, मद्रास

विनांग 3-10-81 मोहर: प्रकप धाई० टी० एन० एस०---

आर्थकर मधिनियम, 1981 (1981 का 43) की घारा 269-व (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याक्य सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण) मर्जन रेंज-I, महास-600006 मद्रास, दिनांक 3 प्रक्तूबर 1981

निदेश सं० 33/फरवरी/81---यत:, मझे, श्रार० रविचन्द्रम. बायकर विधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया हु), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मस्य 25,000 / - रा. से अधिक हैं।

भौर जिसका सं० टी० एस० सं० 29, वार्ड---"ई" ब्लाक-8 पल्लपट्टी गांव है, जो सेलम में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध भन्-सूची में भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रोकर्ता श्रधिकारो के कार्यालय, जे॰ एस॰ भार॰-II सेलम में रजिस्ट्रीकर ण श्रधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक 25-2-81, षाकूमेंट्रस सं० 863/81)

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उत्रित बाजार मुख्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से. ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है भीर अन्तरक (अन्तरकों) भौर अन्तरिती (भ्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित **बरे**य्य से जकत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित महीं फिया पया है :---

- (क) जम्तरण संहुर्यकिसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम को अधीन कर दोने जो जन्सरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के किए: और/सा
- (च) एेसी किसी आग या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्ही भारतीय वायकर अधिनियस, 1922 (1922 की 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

कतः अब, उक्त अधिनियमः की भारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ज की उपभारा (1)

के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--7--316GI/81

(1) श्री आर० कुप्पुसामी चेट्रीयार भौर भ्रदर्स

(भ्रन्तरक)

(2) श्री एम० रवी०

(अन्तरिती)

को यह सुचना बारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजेन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :---

- (क) इस स्थना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 विन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपूत्र में प्रकाशन की तारीका के 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपर्ति में हित-बब्ध किसी बन्य व्यक्ति वृवारा अभोहस्साक्षरी के पास लिखित में किए जा सकांगे।

स्पच्टीकरणः-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, बहुी अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

अम्स्ची

(भूमि भ्रौर निर्माण---टी० एस० सं० 29, वार्ड---''ई'', ब्लाक-8, पल्लपद्री गांव सेलम-डाक्मेंट सं० 863/81)।

> श्चार० रबीचन्द्रम सक्षम भ्रधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (गिरीक्षण) श्चर्जन रेंज I, मद्रास

विनांक : 3-10-81

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज मद्रास ।-600006 मद्रास, दिनांक 3 श्रवतूबर 1981

निदेश सं० 70/फरवरी/81--यतः सुझे, श्रार० रिवचन्द्रन,

डायकर अधिनियम, 1961 (1061 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिस्पका उचित बाजार मूल्य 25.000/रा. से अधिक है

स्रौर सिजकी मं० टी० एस० सं० 29, वार्ड—"ई", ब्लाक सं० 8, पत्नपट्टी है, जो गांव सेलम में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रोकर्ता स्रधिकारी के कार्यालय, जे० एस० स्रार० -II सेलम में रिजस्ट्रोकरण स्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के संघीन दिनांक 25-2-1981, (डाक्मेंट सं० 979/81)

को पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मृत्य से कम को दृश्यमान पितफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभो यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य मे उक्त अन्तरण दिल्खित से वास्तिवकं रूप से किथा नहीं किया गया है ६——

- (क) अन्तरण में हाई वि.सी भारानी दावत, उन्त अधिनियम के अधीन क्र दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

बतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अन्सरण में, हैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के बधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः--

- (1) श्री ग्रार० कुप्पुसामी चेट्टीयार ग्रीर ग्रदर्स
- (2) श्रा एम० रमेष (ग्रन्तरक) (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृवाकित सम्पृतित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधेहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस् अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

(भूमि ग्रौर निर्माण---टी० एस० सं० 29 वार्ड "ई", ब्लाक सं० 8, पल्लपट्टी गांव, सेलम--डाकूमेंट सं० 979/81)।

> ग्रार० रविचन्द्रन सक्षम प्राध्यिकारी सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेज I, मद्रास

दिनांक : 3-10-81

प्रसम् आई० ६१० ए१० ए५० -----

भ्ययकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-च (1) के अधीन **सूचना** भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेज-1, मद्रास

मद्रास, दिनाक 3 ग्रक्तुबर 1981

निर्वेश स० 71/फरवरी/81—यन, मुझे, ग्रार० रिवचन्द्रन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा ४६९ का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० टी० एस० सं० 29, वार्ड 'ई' ब्लाक सं० 8, पक्कपट्टी गाव, है, जो रोनस में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण क्प से वर्णित है), रथजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी क कार्यालय, जे० एस० श्रार०-2 रोलम में भारतीय रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन 25 फरवरी, 1981 को (श्रक्रमेट सं० 980/81)

का नूर्वाकत सम्परित के उधित बाजार मूल्य से कम के द्रियमान प्रितिक के लिए अतिरित्त की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीकत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्रियमान प्रतिफल से एसे द्रियमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की गायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने को अन्तरक के पारित्य में कभी करने या उससे जचने में स्विधा के लिए; और/या
- (स) एसा किसी अथ या किसा घन या जन्य की तथी को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा की लिए;

(1) श्री श्राप्त कुप्पुनाभी चेट्टीयार भ्रौर भ्रद्रम । (अन्तरक)

(2) श्री एम० राजा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हु।

उक्त सम्परित के नगम क सम्बन्ध में काई भी आक्षप.--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में अकाशन की लार जे म 45 दिन की अविध या तराम्बरी व्यक्तियों पर स्वना वर्ष तथा प्र प्र प्र प्र प्र प्र प्र भी अविध बाद में समाप्त हातों हो, के भीनर प्रवाक्त व्यक्तिया में सावासी व्यक्ति द्वारा,
- (स) इस सूचना के राजधन मा प्रकाशन को गारीय से 45 दिन के भीतर उदा प्रिंग, अमा ना के के ब्रह्म किसी अन्य व्यक्ति क्यांग, अवाहस्ताक्षणों के पास लिखित मा किए जा किया।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्मों का, जो उक्त अधिक नियम के अध्याय 20-क मो पारभाषित र्, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्चौ

(भूमि श्रीर निर्माण—टी० एस० सं० 29, वार्ड "ई" बिकाक स० 8, पक्कपटी गाव, नेकम—डाक् में ट स० 980/81

ग्रार० रविचन्द्रन सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आय्वत (निरक्षिण) ग्रजन रेंज-1, मब्रास

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपुधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थीत् :----

दिनांक: 3-10-1981

मोहा

प्ररूप आई. टी. एन्. एस.

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्तु (निरीक्षण)

ं ग्रर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 ग्रक्तूबर, 1981

निर्देश सं० राज/सहा० भ्रा० श्रर्जन/1081—यत: मुझे एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961, (1961 का 43) (जिसे इसमें इसमें परभात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-इ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका जिलत बाजार मृत्य 25,000/-रा. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 56 है तथा जो कोटा में स्थित है, (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है) रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधकारी के कार्यालय कोटा में, रजिस्ट्री-करण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक 26 फरवरी, 1981।

को प्वांक्त संपर्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूपमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारणा है कि यथाप्वेंक्ति संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, एसे रूपमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिसित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:-

- (क) ज़्तरण से हुई किसी आयुकी बाबत, जनत सिंधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बुचने में सूविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों की जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निभ्नतिसित व्यक्तियों, अधितः-- (1) श्रीमती सी० मंजू परनी श्री सी० पी० कोठारी एवं श्रीमती डी मंजुला पत्नी श्री डी० पी० कोठारी निवासी 30-31, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्री एच० एम० रहमतद्यली पुत्र इब्राहिम जी बोहरा निवासी सब्जी बाजार, झालरापाटन सिटी। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पृत्रों क्ता स्व्यक्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कारता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में काई आक्षेप:-

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख है 45 विन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों वर सूचना की तामिल से 30 विन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर वृत्तोंक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ध्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितस्व्थ किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पक्कीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्चीं

प्लाट तं० 56, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा की सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक, कोटा द्वारा ऋम संख्या 464 दिनांक 26-2-81 पर पंजीबद्ध विऋय पत्न में श्रौर विस्तृत रूप से से विवर्णित है।

> एम० एस० चौहान, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) धर्जन रेंज, जयपुर

विनांक: 14--10--1981

प्रकरप आहै । टी । एन । एस ।

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याल्य, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 भ्रक्तुवर 1981

निर्वेश सं० राज/सहा० म्रा॰ म्रजन/1082---यतः मुझे, एस० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह बिरुधास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० मकान है तथा जो जयपुर में स्थित है श्रौर इससे उपाबब श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता ग्रीधकारी के कार्यालय जयपुर में, रिजस्ट्रीकरण श्रीधनियम 1908 (1908 का 16) के श्रुधीन, दिनांक 4 फरवरी, 1981

कां पूर्वाकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान प्रिकाल के लिए अन्तरित की गई है और नुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि तम्निलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण जिस्तित में वास्तिवक कप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) करारण ने हुंद लिखी जाय की वायत उकत जींध-नियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; जीर/या
- (का) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोक्तार्थ अन्तिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खियाने में सुविधा के निय;

(1) डा॰ युधिष्ठर देव शर्मा पुत्र सूर्यनारायण शर्मा निवासी सोकियो का रास्ता, चौकड़ी तोपखाना देश किशनपोल बाजार, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती ईश्वरी पत्नी श्री खीयतदास निवासी कंवरनगर, जयपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीकत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्परित के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (कं) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अवधि या तत्सम्बधी महित्तमों पर स्चना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृथाकत व्यध्तियों में में किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हित-बद्ध किमी, अन्य व्यक्ति स्वारा अधाहस्ताक्षरी के पान लिखित में किए ता सकारी।

स्पष्टिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दो और पवों का, जो उक्त, अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, बही वर्ष होगा को उस अध्याय में दिया गया ही।

प्रनुसूची

मकान वाके दणहरा कोठी ग्राम विजयमहल जयपुर क्षेत्रफल 571 वर्गमीटर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्षम संख्या 313 दिनांक 4-2-81 पर पंजीयड विकय पत्न में भौर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एल० चौहान, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयंकर आयुक्त (निरक्षिण) प्रजैन रेंज, जयपुर

अतः अव, उक्त अधिनियम्, की भारा 269-तु के अनुसुरण् में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-ज को उपभारा (1) के अभीन, निम्नुसिचित् अमृतिस्मा सुर्वार:—

दिनांक: 14-10-1981

मोहरः

ार्ष आहे . टी . एन . एस . ------

आमकर अभिनियभ, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 श्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० श्रा० श्रर्जन/1080—यतः मुझे, एम० एल० चीहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ए के अधीन असर प्राणिकारी की यह विश्वास करने का कारण है कि नगवर सम्मति, के का उक्ति वाकार मूल्य 25,000/रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 56 है तथा जो कोटा में स्थित है, (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्ता श्रिक्षकारी के कार्यात्रम कोटा में, रिजस्ट्री-करण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 26 फरवरी, 1981।

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम को दरममान प्रतिकल को क्या अवस्थित का गए हो विस्त का उचित वाजार मूल्य के का उचित वाजार मूल्य, उसके दरममान प्रतिकल से, एसे दरयमान प्रतिकल का प्रमूख, उसके दर्थमान प्रतिकल से, एसे दर्थमान प्रतिकल का प्रमूख, तिवात से अधिक हो आर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती अन्सरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल का निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निस्ति में वास्तिवक रूप से की थत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त ार्थिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अवने में सूविधा के लिए; और/या
- (स) एँसी किसी आय या किसी धन था अस्तियों करें, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियमं की भारा 269-ग को, अनुसरण भों, मों, उक्त अधिनियमं की भारा 269-ग की उपधारा (1) को अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् १--

- (1) श्रीमती सी० मंजू पत्नी श्री मी० पी० कोठारी एवं श्रीमती डी० मंजुला पत्नी श्री डी० पी० कोठारी निवासी 30-31 न्यू ग्रेन मंडी, कोटा (अन्तरक)
- (2) श्री भ्रवासम्प्रली श्री रहमत निवासी झालरापाटन (अन्तरिकी)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों कत सम्पृतित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पृत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप्! --

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपश्र में प्रकाशन की तारीख री 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबव्ध किसी अन्म व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, कही अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

प्लाट नं० 56 न्यू ग्रेन मंडी कोटा में स्थित सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक, कोटा ब्राग ऋम संख्या 467 दिनांक 26-2-81 पर पंजीबद्ध विऋय पत्न में ग्रीर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एल० चौहान, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 14-10-1981

मोहरः

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याजय, सहायक आयकर ग्राय्क्त (निरीक्षण)
श्रर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 श्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० राज/सहा० म्रा० म्रर्जन/1079—यतः मुझे एम० एल० चौहान,

प्रायकर अधिनियम; 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उनत ग्रीवितियम' कहा गया है). को श्वारा 269-ख के प्रधीन गता शिवकारी जा, पर्व दिश्यान करो का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिनका उचिन बाजार भूल्म 25,000/- २० उ स्थित है

स्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 56 है तथा जो कोटा में स्थित है, (स्रौर इससे उपाबद्ध स्रनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्त्ता स्रधिकारी के कार्यालय कोटा में, रिजस्ट्रीकरण स्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रधीन, दिनांक 26 फरवरी, 1981।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित हा जार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे पृश्यमान अन्तिफल का पंग्द्र प्रविश्वत से अधिक है भीर अन्तरक (अन्तरकों) धौर अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरन के निर्दे तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य में उन्तर अन्तरण निखित में वास्तरिक हम से कथित नहीं किया गया है :---

- (क) यन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधिनियम के अधीन कर देने के अग्तरक के दायित में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के निष्ट; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य धास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर एधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा अक्ट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपान में सुविधा के लिए;

भ्रतः अब, उक्त अधिनियम की बारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की बारा 269-घ की उपधारा -(11 के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:--- (1) श्रीमती सी॰ मंजू पत्नी सी॰ पी॰ कोठारी एवं श्रीमती डी॰ मंजुला पत्नी श्री डी॰ पी॰ कोठारी निवासी 30-31, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा।

(अन्तरक)

(2) श्री निजामुद्दीन पुत्र रहमन ग्रली खां निवासी झालरा-पाटन ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त पमानि के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करना हूं।

उक्त सम्पनि के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस स्वता के राजात से प्रकार को नालेख, से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त हातो हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
 - (अ) इस ग्रचन के र जाता में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोतस्ताक्षरी के
 पास लिखित में किए जा सर्वेगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें पपूनत तती प्रोर नहीं का, जो उनन अधिनियम, के धटाता 20-क वे परिनाचित है वहां अितीमा को उत्तर क्रिया में दिया नहां न

ग्रन्सूची

प्लाट नं० 56 पर स्थित सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक, कोटा द्वारा कम संख्या 466 दिनांक 26-2-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्न में ग्रौर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एल० चौहान, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ऋर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक : 14-10-1981

प्ररूप आर्द्र . टी . एन . एस . -----

आयुक्तर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 15 श्रक्तूबर 1981

निर्देण सं० राज०/सहा० आ० अजन/1085——यतः मझो, एम० एल० चौहान,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रु से अधिक है

धौर जिसकी सं० प्लाट नं 0 45 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (धौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में शौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रिधकारी के कार्यालय जयपुर में, रजिस्ट्री-करण श्रिधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 2 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपित के उजित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, एसे दृश्यमान प्रतिकल का वन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उच्च देय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया ग्या है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्त्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया थाया किया जाना चाहिए था छिपाने में सविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम् की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निम्नृतिखित् व्यक्तियों, अर्थात्:--- (1) श्रीमती नेन कंवर पत्नी स्वं ० श्री ठाकुर नारायण सिंह जी श्राफ साखून निवासी 45 गोपाल बाडी, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री गोविन्द सिंह बालिंग व मान सिंह, करण सिंह व हनमत सिंह नाबालिंगान पुत्रान मदन सिंह विविवालय पिता खुद निवासी 45 गोपाल बाड़ी, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रों कत सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं
 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी
 अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति सुवारा;
- (क्) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ष किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनुसूची

जयपुर नगर, चौकड़ी हवाली शहर, गोपाल बाडी में प्लाट नं० 45 का हिस्सा जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा क्रम संख्या 289 दिनांक 2 फरवरी, 1981 में झौर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एल० चौहान, सक्षम प्राधिकारी महायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 15-10-1981

भोहर:

प्ररूप आह². टी. एन्. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आय्कर जामुक्त (निरीक्षण) ऋर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 14 प्रक्तूबर 1981

निर्देश तं० राज०/सहा० म्रा० म्रर्जन/1078—-यतः मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं प्लाट नं 56 है तथा जो कोटा में स्थित है, (भौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है) रिजस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय कोटा में, रिजस्ट्री-करण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 26 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृष्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विद्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिकात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक क्य से किथा नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किली आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

- (1) श्रीमती सी० मंजू पत्नी श्री सी० पी० कोठारी एवं श्रीमती डी० मंजुला पत्नी श्री डी० पी० कोठारी निवासी 30-31, न्यू, ग्रेन मंडी, कोटा। (ग्रन्तरक)
- (2) श्रीमती ग्रमीना बाई पत्नी श्री रहमतंत्रज्ञली जी बोहरा निवासी झालरापाटन सिटी।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वों कत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां कारता हुं।

जक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राज्यत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्चना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में हिस-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।

स्वक्कीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वही अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया ग्या है।

अनुसूची

प्लाट नं० 56, न्यू ग्रेन मंडी, कोटा में स्थित सम्पत्ति का भाग जो उप पंजीयक, कोटा द्वारा कम संख्या 465 दिनांक 26-2-81 पर पंजीबद्ध विकय पत्न में श्रीर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एल० चौहान सक्षम प्राधिकारी सहायक ब्रायक र आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, जयपुर

अतः अबः, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :---8—316GI/81

दिनांभ: 14-10-1981

मोहर 🖫

प्ररूप आई. टी. एन्. एस.-

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) को अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 श्रवतूबर 1981

निर्देश सं० राज | सहा० म्रा० म्रर्जन | 1089-- यत: मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपर्तित जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा से अधिक हैं

श्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 7 है तथा जो जयपुर में स्थित है, (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय जयपुर में, रिजस्ट्री-करण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 4 फरवरी, 1981

को पूर्वाकित सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोचित संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पद्ध प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्त कर निम्मितियिंग उद्धारिय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक क्य में काथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्सरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अन्तः अबं, ज्वत अधिनियमं की धारा 269-ण कें, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ण की उपधारा (1) के अधीनः निम्तन्तिसितः व्यक्तियों, अर्थातः :-- (1) कुमारी नीति कपूर पुत्नी रघुवीर कपूर, 86, .गोपाल बाड़ी, जयपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री भजनलाल मीणा पुत्र श्री रामपाल मीणा, ए-7, बजाजनगर, जयपुर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के कर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्द सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (स) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामीस से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद मों समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर जक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति ध्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टिकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 7, महाबीर उद्यान पथ, बजाज नगर, जयपुर जो उप पंजीयक, जयपुर द्वारा ऋम संख्या 314 दिनांक 4-2-1981 पर पंजीबद्ध विक्रय पत्र में ग्रौर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एल० घौहान सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज, जयपुर

विनांक: 16-10-1981

प्ररूप आह⁵.टी.एच.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के सुधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्शिक्षण)

म्रर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 प्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० झा० धर्जन/1086—यतः मुझे एम० एल० चौहान,

आयकर खिभिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचाद 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृज्य 25,000/ रु. से अधिक है

म्रोर जिसकी सं० प्लाट नं० 348 है तथा जो जौधपुर में स्थित है, (म्रोर इससे उपाबद्ध म्रनुसूची में म्रोर पूर्ण इप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय जोधपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के मधीन, दिनाक फरवरी, 1981।

को पूर्वाक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपरित का उजित बाजार मूल्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से, एसे स्वयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिदात वृधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरित्यों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए त्य पाया गया प्रति-फल निम्नलिसित उद्वेश्य से उक्त अन्तरण निम्नलिसित अप

- (क) अन्तरण से हुई किसी आग्य की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अवने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों करें, जिम्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया थाया किया जाना चाहिए था छिपाने में स्तिशा के लिए;

जतः अज, उक्त अधिनियम की धारा 269-च के, अनुसूक्ण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के मुधीन सिम्नुलिखित व्यक्तियों मुधीत्:—— (1) श्री मिश्रीलाल पुत श्री जोगा राम जी सिरवी निवासी मावी तहसील बिलाड़ा जिला जौधपुर।

(अन्तरक)

(2) श्री रवीन्द्र पाल सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह राजपूत भाटी, निवासी जौधपुर (फर्टीलाईजर कारपोरेशन ग्राफ इंडिया), पावटा जौधपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रों क्य सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परिता को अर्जन को सम्बन्ध मी काह्य भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया बत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 बिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पारा लिखित में किए जा सकींगे।

स्यव्यक्तिरणः -- इसमें प्रमुक्त शब्दों आर पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 348, लक्ष्मीनगर, पावटा ऐरिया, जौधपुर जो उप पंजीयक, जौधपुर द्वारा क्रम संख्या 681/181 विनांक 2-2-81 पर पंजीबद्ध विकय पन्न में श्रौर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एल० **जौहाम,** समक्ष प्राधिकारी सहायक वायकर आयुक्त (निरक्षिण) सर्जन रेंज, जयपुर

दिनांक: 16-10-1981

प्ररूप माई० टी• एन• एस• ---

आयकर मिनियन; 1961 (1961 का 43) की घारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक ब्रायकर ब्रायक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 प्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० श्रा० श्रर्जन/1088—यत: मुझे, एम० एल० चौहान,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्त अधिनियम' कहा यया है), की घारा 269-ख के अधीन सकाम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- रु० से ग्रधिक है ग्रीर जिसकी सं० प्लाट नं० 16 है तथा जो जौधपुर में स्थित है; (ग्रीर इससे उपाबद श्रनुसूची में ग्रीर पूण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय जौधपुर में, रिजस्ट्रीकरण ग्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक 27 फरवरी, 1981।

को पूर्विक्त सम्पत्ति के उचित वाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यवापूर्विकत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान व्रतिकल का पन्त्रह प्रतिशत प्रधिक है भीर अन्तरक (भन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन्तर अन्तरण सिखित में वास्तविक का ने कथित नहीं किया गया है। →-

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में सुविधा के लिए और या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन मा अन्य आस्तियों को अन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती क्षारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

श्रतः क्षत्रः, उक्त ग्रिवितयम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त ग्रिवितयम की धारा 269-ग की उपद्वारा (1) के अभीन, निम्नुलिखित व्यक्तियों, अभृति ्र--- (1) भी लाल सिंह उज्जवल पुत्र श्री हेतदान जी उज्जवल निवासी पावटा बी० रोड़, जौधपुर।

(बन्तरक)

(2) श्रीमती भैरों बाई पत्नी शिवनारायण जी एव श्याम सुन्दर पुत्र श्री शिवनारायण जी, जौधपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाद्वियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रवधि, जो भी
 ग्रवधि बाद में समझ्त होती हो, के मीतर पूर्वीकत
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थायर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अभ्य व्यक्ति दारा, ग्राधोइस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे:

स्वदिक्तरण : --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो छक्त अधिनियम के भ्रष्टयाय 20-क में परिचाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनसर्ची

ज्लाट नं० 16, फर्स्ट पोलो रोड़, जौधपुर जो छप पंजीयक, जौधपुर द्वारा ऋम संख्या 428 दिनांक 27-2-81 पर पंजी-बद्ध विक्रय पत्र में भीर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एस० चौहान, सक्षम प्राधिकारी स**हायक आय**क्द आयुक्त (निरीक्षण) **ग्रर्ज**न रेंज, जयपुर

विनांक: 16-10-1981

मोहर ः

प्ररूप भाई० टी० एन० एन० -----

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के ग्रंधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांसय, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 भ्रम्तूबर 1981

निर्वेश सं० राज०/सहा० थ्रा० श्रर्जन/1087—यतः मुझे, एम० एल० चौहान,

प्मि एल जाहान,

पायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43)
(जिसे इसमें इसके प्रवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की
आरा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को, यह विषवास करने
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित
बाजार मूख्य 25,000/- क्यंये से प्रधिक है
और जिसकी सं मकान है तथा जो जौधपुर में स्थित है,
(ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से बणित
है) रजिस्ट्रीकर्त्ता प्रधिकारी के कार्यालय जौधपुर में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, दिनांक

10 फरवरी, 1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रश्चिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय गाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है।—

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी ग्राय की बाबत उक्त धाधि-नियम के ग्रधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या भन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भ्रापकर भ्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या अनकर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

धतः, सम्ब, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-ग के अनु-सरण में, मैं, उक्त श्रिधिनयम की धारा 269-च की उपधारा (1) के ध्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों,ग्रर्थातः :--- (1) श्री माधो सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी रसाला रोड़, जीधपुर ।

(भन्तरक)

(2) श्री चान्द मल पुत्र जबर चन्द जी भण्डारी निवासी ग्रीसिया जिला जौधपुर ।

(ब्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजीन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपब में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में .समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में के किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 चिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी प्रस्थ व्यक्ति द्वारा, अधोहरूनाक्षरी के पाम लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त गध्दों ग्रीर पदों गा, जो उकत ग्रिश् नियम के श्रष्टवाय 20-क्त में परिभाषित है, वही ग्रंथ होगा, जो उन प्रकार में दिया गया है।

भनुसूची

मकान का भाग जो पावटा, रसाला रोड़, जौधपुर पर स्थित है ग्रौर उप पंजीयक, जौधपुर द्वारा ऋम संख्या 231 दिनांक 10-2-1981 पर पंजीबद्ध विकय पत्न में ग्रौर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

> एम० एस० चौहान, सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रर्जन रेंज, जयपुर

दिनांगः : 16--10--1981

प्रसप बाई० टी० एन० एस०----

भायकर अखिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कायीलय, सहायक आयकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, जयपुर

जयपुर, दिनांक 16 ध्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० राज०/सहा० ग्रा० ग्रर्जन/1090—यतः मुझे, एम० एल० चौहान, ग्रायकर श्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें

आयकर श्रीधीनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रीधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचिन वाजार मूल्य 25,000/- ६० से धिषक है

स्रोर जिसकी सं० मकान है तथा जो जौधपुर में स्थित है, (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय जौधपुर में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 10 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृष्यमान प्रति-फल के लिये अन्तरित की गई है पीर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है और प्रस्तरक (ग्रन्तरकों) गीर प्रस्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे ग्रन्तरिण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रन्तरण लिखित में वास्त्रिक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या अपंत जनत में सुविधा के लिए; और
- (ख) ऐसी किसा आय या किसी धन या भ्रन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनायं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के निए;

अत: अब, उन्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनु-सरण में, में, उदत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीम, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

- (1) श्री माधो सिंह पुत्र बहादुर सिंह निवासी रसाला रोड़, जौधपुर ।
- (अन्तरक)
 (2) श्रीमती कल्पना भण्डारी पत्नी प्रकाश भण्डारी
 निवासी जौधपुर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील है 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्योक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस मूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उन्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदा किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्वव्हीकरण-:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही धर्ष होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

जनसंदी

पावटा एरिया, रिसाला रोड़, जौधपुर में स्थित मकान का ग्राउन्ड पलोर जो उप पंजीयक, जौधपुर द्वारा क्रम संख्या 232 दिनांक 10-2-81 पर पंजीबद्ध विक्रय पक्ष में ग्रीर विस्तृत रूप से विवर्णित है।

एम० एल० चौहान, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरौक्षण) धर्जन रेंज, जमपूर

दिनोक: 16-10-1981

(घन्तरक)

प्ररूप आई. टी. एन. एस.-----

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यां तय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, श्रमृतसर

भ्रम्तसर, दिनांक 25 मितम्बर 1981

निर्देश सं० भ्रमृतसर/81-82/238---यतः मुझे, स्रानंद सिंह, स्राई० भ्रार० एस०

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ब के बधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सपन्ति जिसका उच्चित बाजार मृल्य 25,000/-रा में अधिक है

श्रीर जिसकी सं० एक प्लाट है तथा जो गुरू नानक बाडा श्रम्तसर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रमृतसर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, विनोक फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रितंकल के लिए अन्तरित की गईं हैं और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपर्ति का उचित बाजार मूक्थ, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कि यत नहीं किया गया हैं:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के धायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मृविधा के लिए;

अत अव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की रूपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित स्थिकतमों, अर्थात्:---

- (1) श्री सतपाल शर्मा पुत्र गंडा राम शर्मा मकान नं० 4763, गुरू नानक वाडा ध्रमृतसर।
- (2) श्री गुरमुख मिह पृत्न गुरमेल सिह वासी गाव घसीट पुरा तहसील तरन तारन जिला अमृतसर। (अन्तरिती)
- (3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में कोई किरायेदार हो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभाग में सम्पत्ति हैं)
- (4) ग्रीर कोई। ' (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध हैं)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हो।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप्:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वांक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हित-बव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरें।

स्पष्टीकरण:—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवां का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक भूमि का प्लाट 340 वर्ग गज (खसरा नं० 104 मिन) जो गुरू नानक वाटा श्रमृतसर में है जैसा कि मेल डीड नं० 3543/1 तिथि 25-2-1981 रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी श्रमृतसर में दर्ज है।

श्रानंद सिंह, श्राई० ग्रार० एस०, सक्षम प्राधिकारी ् क श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रजंन रेंज-3 चन्द्रपूरी टेलर रोड़, श्रमृतसर

दिनांक: 25-9-1981

प्ररूप आहूर.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, (मिरीक्षण)

<mark>ग्रर्</mark>जन रेंज, **अ**मृतसर

श्रमृतसर, दिनांक 5 श्रक्तूबर, 1981

निर्वेश सं० श्रमृतसर/81-82/239---मतः मुझे, श्रानंव सिंह, श्राई० श्रार० एस०,

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/ रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० एक भूमि का प्लाट है तथा जो रानी का बाग, श्रमृतसर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुमूची में श्रौर पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय श्रमृतसर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक फरवरी, 1981।

को पूर्विक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के ध्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिक्ति उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक क्य से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्य में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हां भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था छिपाने में स्थिधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिसित व्यक्तियों अर्थात्ः-- (1) श्रीमती रत्न भंडारी पुत्नी पदम भंद भंडारी वासी रानी का बाग, प्रमृतसर ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती इन्द्रा खोसला पत्नी श्री रोशन लाल वासी कटड़ा दूलो भ्रमृतसर।

(अन्तरिती)

(3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में कोई किराएदार हो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभाग में सम्पत्ति हैं)

(4) श्रीर कोई (वह व्यक्ति, जिन्के बारे में अधाहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबबुध है)

को यह सूचना जारी करके पृथोंक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी हा से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधियाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पळकिरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अमृत्ची

एक भूमि का प्लाट 250-29 वर्ग मी० खसरा नं० 691, 692 जो रानी का बाग श्रमृतसर में है जैसा कि सेल डीड नं० 3393/1 तिथि 9-2-81 रिजर्सिंट्रग श्रथारिटी श्रमृतसर में दर्ज है।

म्रानंद सिंह, भ्राई० म्रार० एस० सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण), भ्रजेन रेंज-3 चन्द्रपूरी टेलर रोड़, भ्रमृतसर

दिनांक: 5-10-1981

(भ्रन्तरिती)

प्रकृप भाई० टी० एत० एस०---

प्रायकर प्रिवित्तमम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के प्रधीत सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-3, श्रमृतसर

श्रमृतसर, दिनांक 5 श्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० भ्रमृतसर/81-82/240--यतः मुझे, श्रानंद सिंह भाई० भार० एस०

भ्रायकर श्रिष्ठित्यम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इनके परवात् 'उक्त श्रितियम' कहा गरा है), की धारा 269-ख के अधीन सम्भाम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/-रुपए से मिधक है

भीर जिसकी सं० 208 ईस्ट मोहन नगर है तथा जो ईस्ट मोहन नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, अमृतसर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 24 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान प्रतिकल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि ग्यापूर्वोक्त सम्मत्ति का उचित बाजार मूल्य उनके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकात प्रधिक है और प्रन्तरक (प्रन्तरकों) पौर अन्तरिती (प्रन्तरितियों) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तम पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त धन्तरण लिखित में वास्तिनक इप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) ग्रन्तरण से दृदि कियी स्राय की वावत, उपत प्रधिनियम के प्रधीन कर देने के प्रश्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे वचने में मुविधा के लिए; श्रीर/या
- (का) ऐसी किसी भाय या किसी धन या अन्य भ्रास्तियों हो, हिन्द नारतीय भ्राय-कर प्रतितियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त श्रीधिनियम, या धनकर श्रीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रशेजनार्थ अन्तरिती दारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ज की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः ---9—316GI/81

- (1) चेयर मैन, ग्रमृतसर इम्प्र्वमेंट ट्रस्ट, श्रमृतसर । (ग्रन्तरक)
- (2) मैसर्ज विरदी इंडस्ट्रीज (शटलज) प्राईवेट लिमि-टेड, 208 ईस्ट मोहन नगर, ग्रमृतसर ।

(3) जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएबार हो।

(बह व्यक्ति, जिसके अधिभाग में सम्पत्ति हैं)

(4) और कोई (वह व्यक्ति, जिन्के बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबबुध हैं)

की यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के प्रजैन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस यूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख के 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी स्यक्तियों पर यूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, को भी प्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भी सर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताकारी के पास शिक्षित में किए जा सर्वेगे।

स्पच्छीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का जो खक्त अधिनियम के प्रध्याय-20क में परिभाषित है, वही प्रथं होगा जो छत प्रध्याय में दिया नया है।

जनसूची

एक भूमि का प्लाट 604.8 वर्ग मीटर है जो ईस्ट मोहन नगर ग्रमृतसर मे है जैसा कि सेल ढीड नं० 3531 तिथि 24-2-81 रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी ग्रमृतसर में दर्ज है।

> न्नानंद सिंह, न्नाई० न्नार० एस० सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज-3, चन्द्रपुरी टेलर रोड, भ्रमृतसर

दिनांक: 5-10-1981

प्रकार आईंड सी न स्वान स्वान---

न।यक्तर अकिशियम; 1961 (1961 का 43) की बारा 289-य (1) के अधीन सुवना

भारत सरकार

कार्यासम, सहायक शायकर नायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, भोपाल इ. किलांक १४ मिनासर १०६

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० भ्राई० ए० सी० (अर्जन)—श्रतः मुझे, विजय माथुर,

प्रायंकर प्रवित्तिष्यं, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्देश खिलियम' कहा गया है), की बारा 269-ख के प्रधीन भवाम प्राविकारी को, यह विश्वास चरने का कारण है कि स्वावर सम्पन्ति, जिसका उचित अजार मूल्य 25,000/- च० से प्रविक्ष है

श्रीर जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो गोलगंज में स्थित है (श्रीर इससे उपावद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रिजस्ट्री-करण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 5 फरवरी, 1981

को पूर्वेहत सम्पत्ति के इचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति-फल के लिये अन्तरित की गई है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापृबीवत सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पण्डह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल विश्नतिश्वित उद्देश्य से उच्त अन्तरण शिकित में बाहरित का के उचित उद्दों के ए गरा है:---

(क) मन्तरण से हुढ़ किसी आम की वायत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(स) ऐसी किसी नाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयक्तु अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 व की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--- (1) श्रीमती रवाब बानो वि०/ग्राफ गुलाम श्रब्बास वाऊदी बोहरा 288, श्रोरापुरा बाखल उज्जैन 2. हकीमुद्दीन सन/ग्राफ गुलाम श्रब्बास दाऊदी सियागंज इन्दौर ।

(बन्तरक)

(2) श्रीमती गायत्री बाई पत्नी हरी लाल ताम्प्रकार गोलगंज छोटीमाता व्यायाम शाला के पास छिन्द-वाजा।

(अन्तरिती)

को ग्रह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उनत सम्परित के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी जाओप:---

- (क) इस सूजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूजना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृवांक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की लारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर संपित्त में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरेंगे।

स्पन्धिकरणः -- इसमें प्रमुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, को अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ग्या हैं।

अनुसूची

गोलगंज स्थित प्लाट नं० 188 का भाग रकाब 736.67 स्केयर फीट।

विजय माथुर, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयुक्त सायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 24-9-1981

प्रकृप माई० टी० एन० इस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहावन आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए० सी० (अर्जन)—अतः मुझे, विजय माथुर,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (बिसे इसमें इसेंके पश्वात् 'उन्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के बचीत सक्षम प्राविकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पत्ति, जिसका उचित वाजार मूल्य 25,006/- द॰ से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो गोलगंज में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रजिस्ट्रीकर्रण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 5 फरवरी, 1981

को पूर्वाक्त संपरित के उचित बाजार मृत्य से कम के उस्प्रमान प्रतिफल के लिए अंतरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का वन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए वस्प्रपाया ग्या प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण किति में वास्त्रिक रूप से अभित नहीं किया ग्या है

- (क) प्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त ग्राध-नियम के ग्राधीन कर देने के ग्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; छौर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी भ्रन या अन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या भ्रन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा भ्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए या छिपाने में सुविधा के लिए।

(1) श्रीमती बिलिकिस बानो डा०/म्राफ गुलाम म्रब्बास पत्नी शब्बर हुसैन ताबाबाला, 14/1महारानी रोड़ इन्दौर।

(जन्तरक)

(2) श्रीमती सुमित्रा बाई पत्नी शंकर लाल ताम्प्रकार मोहल्ला गोलगंज छोटी माता व्यायाम शाला के पास, छिन्दवाडा ।

(बन्तरिवी

को यह तूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के असंत के लिए कार्यवाहियां करता हूँ।

उनत सम्मति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीब से 45 दिन की धविष्ठ या तत्सवंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धविष्ठ, बों भी धविष्ठ नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तिया में बे किसी व्यक्ति हारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की तारीश्व से 4 के दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किशी धन्य व्यक्ति द्वारा, धन्नोहस्ताक्षरी के पास लिखिद में किए जा सकेंगे।

स्वबदीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उन्त अधि-निवम के बाह्यान 20-क में परिभाषित है, बही अर्थ होना, जो उस अध्याय में दियानया है।

अनुसूची

गोलगंज स्थित प्लाट नं० 188 का भाग रकबा—734.69 स्केयर फीट ।

> विजय मायुर, स्वाय प्राधिकारी सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

नतः सन, उक्त अधिनियम् की धारा 269-ग के अनुसरण में, भैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नुलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

दिनांक: 24-9-1981

माहरु 🛭

प्ररूप मार्च. टी. एच. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (हैनरीक्रण)

मर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्वेश सं० धाई० ऐ० सी०—शतः मुझे, विजय माथुर, नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार सूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो गोलगंज में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता सिंधकारी के कार्यालय, छिन्दवाडा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 5-2-1981

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमन प्रतिफल के लिए अन्तरित की गृह है और मूम्में यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया ग्राया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देष्य से उक्त अन्तरण कि लिखित में वास्तिबक इप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से धूर्फ किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अस्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, च्छिपाने में स्विधा के लिए;

मतः अस, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ण को अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपभारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :-- (1) श्रीमती नसीमवानो पुत्री गुलाम श्रव्वास दाऊवी पत्ति इनायत हुसेन सुवासरोवाला नि० रहमानी कालोनी मम्बरा जि० थाना महाराष्ट्र ।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती मथुरा वती बाई पत्नि कुन्वनलाल ताम्प्रकार गोलाक्षेत्र, छोटीमाता व्यायाम शाला के पास छिन्दवाडा।

(अन्तर्रिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामिल से 30 दिन की अविधि, को भी अविधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित- सद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिसित में किए जा सकेंगे।

स्पष्कीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हों, वहीं अर्थ होगा को उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

गोलगंज में स्थित प्लाट नं० 188 का भाग रक्षवा 732. 41 वर्गफुट

> विजय माधुर सक्षम प्राधिकारी सहायक जायकर आयुक्त (किरीक्षण) ग्रजन रेंज, भोपाल ।

दिनांक: 24-9-1981

प्ररूप आहरें. टी. एन. एत.-----

आवकर अधिनिवन, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-म (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण) ग्रजन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर, 1981

निर्देश सं० श्राई० ऐ० सी० (श्रर्जन)-—अतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह भिश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित सामार मूल्य 25,000/- रूट. में अधिक है

ग्रोर जिसकी सं० मकान है, तथा जो गोलगंग में स्थित है (ग्रोर इससे उपाबद्ध ग्रन्सूची में ग्रोर पूर्ण के रूप से विणत है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, छिन्दबाडा में रजिस्ट्रीकरण, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 5-2-1981

को पूर्वोक्त संपित्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पित्त का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रितिफल से, ऐसे दश्यमान प्रितिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने वा उससे बचने में सुविधा के लिये; और/वा
- (ल) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

- (1) डा॰ फक्षरहीन पुत्र गुलाम ग्रब्बास दाऊदी बोहरा, नि॰ साईन हास्पीटल बाम्बे।
 - (अन्तरक)
- (2) श्री कुन्यनलाल पुत बुद्धूलाल ताम्प्रकार नि० गोल-गंज छिन्दवाडा

(अन्तरिती)

को यह स्थाना जारी करके पूर्वीक्त संपृत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में सभाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस है 45 दिन की भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में .हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्मष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

अगस ची

गोलगंज मेन रोड पर स्थित तिमंजला मकान नं० 20/ 447 का लगभग 1/3 भाग प्लाट रकका---569.30 वर्ग फुट।

> विजय मायुर सक्षम प्राधिकारी सहायक आयुक्त आयुक्त (निरक्षिण) प्रजैन रेंज, भोपास

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्निजितिक व्यक्तिताएं स्थात्ः-

दिनांक : 24-9-1981

माहर ः

प्ररूप जाई . टी . एन . एस . -------

आयकार अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)-श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० श्राई० ए० सी० (श्रर्जन)—श्रतः मुझे, विजय मायुर,

कामकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह निक्यास करने का कारण है कि स्थावर सपरित, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं ० मकान है, तथा जो गोलगंज मे स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची मे भौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा मे रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, 5-2-1981

को पूर्वोक्त सपरित हो उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफो यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनयम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दामित्व में कमी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तिया को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

 (1) श्री हकीमुद्दोन पुत्र गुलाम अब्बास वाऊदी बोहरा, नि० सियागंज इन्दौर (2) श्रीमती रबाबाबाने विद्यवा गुलाम श्रव्वास वाऊदी, 288, श्रोरापुरा बाखल, उज्जैन ।

(भ्रन्तरक)

 श्री हरीलाल पिता बुद्धलाल ताम्प्रकार, निवासी, गोलगंज, छोटी माता व्यायाम शाला, छिन्दबाड़ा । (ग्रन्तरिती)

को ग्रह सूचना जारी करको पूर्वों क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ह्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मे किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरणः - इसमे प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क मे परिभाषित हुँ, वहीं अर्थ होंगा जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

गोलगंज मेनरोड पर स्थित तिमंजला मकान नं० 20/447 का लगभग 1/3 भाग । प्लाट रकका 569.87 वर्ग गज ।

> विजय मा**थुए** सक्षम प्रधिकारी सहायक ग्रायुक्त भायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल ।

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपधारा (1)

के अधीन निम्मलिखित व्यक्तियों स्थात् ः--

विनोक : 24-9-1981

प्ररूप आई. टी. एन्. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षक्) श्रर्जन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश सं० श्राई० ए० सी० (अर्जन)---- प्रतः मुझे, विजय माथुर,

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का आरण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हो

श्रीर जिसकी सं अकान है, तथा जो गोलगंज में स्थित है श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है),

रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, छिन्दवाड़ा में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, दिनांक 5-2-1981 को

को पूर्वों कत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के रहयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दहयमान प्रतिफल से एसे दहयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्त्र में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उन्नत अभिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उन्नत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्निनियन व्यक्तियाँ, अर्थात् :--

(1) श्री सञ्जाव हुसेन पुत्र गुलाम श्रध्वास दाऊदी शोहरा---288 श्रोरापूरा श्राखल, उज्जैन ।

(ग्रन्सरक)

(2) श्री शंकरलाल पुत्र बुद्धुलाल ताम्प्रकार, नि० गोलगंज. छिन्दवाड़ा ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वा क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की अविधि या सत्संबंधी व्यक्तियाँ पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों क्त व्यक्तियाँ में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क्ष) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बच्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसुची

गोलगंज मेनरोड पर स्थित तिमंजला मकान नं० 20/447 का लगभग 1/3 भाग । रक्षा 560 वर्ग फीट ।

विजय माणुर सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल ।

दिनांक : 24-9-1981

प्रकप श्राई • टी • एम • एस •----

भामकर ब्रोधिनितम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ए (1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) भर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1981

निर्देश सं० आई० ए०सी० (अर्जन)—अत. मुझे, विजय माथुर, वाथ कर अितियम. 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके पश्चान् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार भूट्य 25,000/- रुपए से पिधक है और जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता अधिकारी के कार्यालय, दुर्ण मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-2-1981 को पूर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान गितफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विषयाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित चाजार मूल्य, उस के दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे बृश्यमान प्रतिफल का पन्वह प्रतिशत से खिषक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अनारण लिखिन में वास्तिक रूप मे कथित नहीं किया गरा है:—

- (क) अन्तरण ते हुई किसी प्राय की बाजा उनन प्रधि-नियम के प्रधीन कर देने के प्रन्तरक के वायित्व में कभी करने या असमे बचने में सुविधा के लिए; प्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर प्राधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिनी द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में म्बिधा के लिए;

अतः ग्रन, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के ग्रनु-सरण में, पै, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अपनि !---

- (1) श्री रमेणचन्द्र घोष पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष, कान्ट्रक्टर शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा दुर्ग । (ग्रन्तरक)
- (2) श्री मिश्रीलाल पुत्र घेवरचन्द्र कांकरिया, जि० सदर बाजार, दुर्ग ।

(भ्रन्तरिती)

को यह मूचना जारी करके पूर्वोचन सम्पत्ति के प्रार्थन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

जरा जनिक के प्रति के तत्वत्य में कोई भी भाक्षेप !---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रवधि, जो भी श्रवधि बाद में प्रवाद होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इन नुवना के राजगत्र में प्रकाशन की तारी ब कि 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी ग्रन्थ व्यक्ति द्वारा, प्रघोहस्ताक्षरी के पास सिखित में किए जा सकेंगे।

स्पढडोकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रौर पदों का, जो उकत अग्नि-नियम के झड्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रवं होगा जो उस झड्याय में दिया गया है।

जन्स्ची

तिमंजला बिल्डिंग के ग्राउण्ड तल का लंगभग 1/2 भाग जो शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा दुर्ग में स्थित है।

> विजय माधुर सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 22-9-1981

प्ररूप आर्ड्: टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त धर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981

निर्देश सं० भ्राई० ऐ० सी० — ग्रत: मुझे, विजय माथुर, अगायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का, यह बिरवास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रत. से अधिक हैं

भौर जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (भौर इससे उपाबद्ध भ्रनुभूची में पूर्ण के रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन, 26-2-1981

को प्रवर्भित संपत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृत्य. उसके दूरयमान प्रतिफल से, एसे दूरयमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक को दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (रू) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया थाया किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अन्तः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण कें अधीन निम्निलिखित व्यक्तियों, अधीत :---

में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1)

(1) श्री रमेशचन्त्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष कान्ट्रक्टर, शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा, दुर्ग।

(भ्रन्तरक)

(2) श्रीमती चम्पादेवी पत्नि मिश्रीलाल कांकरिया सदर बाजार दुर्ग ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के वर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस स्थाना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी खंसे 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टिकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

तिमंजला बिल्डिंग के ग्राउण्ड फ्लोर का लगभग 1/2 भाग जो शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा दुर्ग में स्थित है।

> विजय माथुर सक्षम भ्रधिकारी (निरीक्षी) सहायक आयकर श्रायुक्त अर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

मोहर 🖫

10-316GI/81

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आय्कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त श्रजंन रेंज, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981 निर्देश सं० ग्राई० ऐ० सी० (अर्जन)----श्रतः मुझे, विजय

माथुर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/ रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (श्रीर इससे उपाश्वद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, धुर्ग में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 28-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के अन्तरित की गई है और मूफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिबक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; सौर/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग को, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीर, निम्निलिश्चित व्यक्तियाँ, अधित् ु---

- (1) रमेशचन्द्र पुत्न देवेन्द्र चन्द्र घोष, कान्ट्रक्टर मारदा, टाकिज के पीछे मोतीपारा, दुर्ग ।
 - (भ्रन्तरक)
- (2) श्री मोहनलाल पुत्र मिश्रीलाल कांकरिया सदर बाजार दुर्ग।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबव्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

अनुसूची

तिमंजला बिल्डिंग के प्रथम तल का लगभग 1/2 भाग, जो गारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा में दुर्ग में स्थित है। प्लाट नं० 193-एक्स ।

> विजय माणुर सक्षम प्राधिकारी (निरीक्षी) सहायक श्रायकर शायुक्त श्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

मोहरू

प्ररूप आर्ह . टी . एन . एस . ------

आयकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-व(1) के मधीन मूचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981

निर्देश सं० श्राई० ऐ० सी०—श्रतः मुझे, विजय माथुर, श्रायकर ग्रधिनियन, 1941 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्न अधिनियम' कड़ा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों की, यह विक्वास करने का कारण हैं कि स्थावर पस्पत्ति जिन्हा उच्चित बाजार मूख्य 25,000/-रुपए से श्रशिक है

स्रौर जिसकी सं क मकान हैं, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (स्रौर इससे उपावद्ध अनुसूची में स्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्री-कर्ती स्रधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रिजस्ट्रीकरण स्रधिनियम,

1908 (1908 का 16) के प्रधीन, 28-2-1981 को पूर्वास्त सम्पत्ति के उचित बाजार मृहय से उम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह बिण्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृहय उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के सिए तथा पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिक हम से किया गया है:--

- (अ) प्रस्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत, उक्त अधिनियम के प्रजीन कर देने के धन्तरक के वाधिस्य में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;
- (ब) ऐसी किया ग्राय पर किसी श्रन या अन्य ग्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय भायकर पश्चितियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त श्रधितियम, या अन-कर प्रधितियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य ग्रन्तिरिती हारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

मतः स्वा, उक्त ग्राधिनियम की धारा 269-व के धनुसरण में, में, उक्त ग्राधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) के ग्राधीन निम्तिविका प्रक्रियों अर्थात्:-- (1) श्री रमेणचन्द्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष कान्ट्रक्टर शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा दुर्ग ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री भासकरण पुत्र मिश्रीलाल कांकरिया सदर बाजार , दुर्ग ।

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के श्रर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उन्त सम्पत्ति के प्रजीन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भ्रवित्र, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रों कस व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस मूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीका
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसवक
 किसी भन्य क्यक्ति द्वारा, अधीहस्ताक्षरी के पास
 विश्वित में किए जा सकेंगे।

स्पब्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त मध्यों भीर पदों का, जो उच्त भिक्षित्यम के अध्याय 20-क में परिभावित है, वही अर्थ होगा नो उप कह एव वें दिया गया है।

सतत्त्वी

् तिमंजला बिल्डिंग के प्रथम तल का व लगभग 1/2 भाग शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा दुर्ग में स्थित है। प्लाट नं० 193 ए ।

> विजय माथुर सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 22-9-1981

मोहर 🕊

प्रक्षं भाई॰ टीं॰ एन॰ ऐस॰----

याय हर प्रवितियम, 1981 (1981 का 43) की धारा 269-व (1) के मधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, निरीक्षी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 22सितम्बर, 1981

निर्देश सं० म्राई० ऐ०सी० (श्रर्जन)-—म्रतः मुझे, विजय माथुर,

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्वात् 'उन्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्रधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- स्पेमें से मिश्रक है

ग्रौर जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (और इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, दुर्ग में रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 25-2-1981 को,

को पूर्वेक्त सम्मित्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दूध्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विक्वास करने का कारण है कि स्यापूर्वोक्त सम्मित्त का अचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रवह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देग्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से किया नहीं किया गया है

- (क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त प्रधिक नियम के अधीन कर वेने के अन्तरक के दायित में कमी करने या उससे बनने में सुविधा के लिए; भौर/या
 - (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना नाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

श्रतः ग्रब, उन्त भिव्नियम की धारा 269-ग के प्रमुखरण मैं; मैं, उन्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के भधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थीत् (1) श्री रमेशचन्त्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष, कान्ट्रक्टर निर्णे शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा दुर्ग ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री प्रकाशचन्द्र पुत्र मिश्रीलाल कांकरिया नि० सदर बाजारं दुर्ग ।

(ग्रन्सरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता है।

उनत समात्ति के भर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 5 दित की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की ग्रंविध, जो भी भविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबद किसी प्रस्थ व्यक्ति द्वारा अधोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इतमें प्रयुक्त शब्दों भीर पर्वो का, जी उक्त स्रिक् िरम क अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

तिमठजला बिल्डिंग के दूसरे तल का लगभग 1/2 भाग जो शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा में स्थित है प्लाट नं० 193 ए।

> विजय माथुर सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज, भोपाल

दिनांक : 22-9-1981

महिर् 🖟

प्ररूप आई. टी. एन. एस्.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यातय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 22 सितम्बर 1981 निर्देश सं० ग्राई० ए० सी० (ग्रर्जन)——ग्रतः मुझे, विजय माथुर,

आयकर आधानयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विस्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्भीत, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ रहा अधिक है

श्रीर जिसकी सं० मकान है, तथा जो मोतीपारा में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण के रूप से विणित है), रिजस्ट्री-कर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, दुर्ग में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, 25-2-1981

का पूर्वोक्त संपरित के डॉकत बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्र प्रतिशत से अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त- विक रूप से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हाई किसी आयं की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (ख) एकी किसी अध्य या किसा कर या अन्य आस्तियाँ का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (२०२२ का 11) या सक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था था किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

ख्तः अध्न, इन्स अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, में, देक्त की धिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन विभिन्निसित व्यक्तियों, अधीत :---

- (1) श्री रमेशचन्द्र पुत्र देवेन्द्र चन्द्र घोष कान्ट्रक्टर नि० शारदा टाकिज के पीछे, मोतीपारा, दुर्ग । (श्रन्तरक)
- (2) श्री सूरजमल पुत्र मिश्रीलाल कांकस्या, सदर बाजार, दुर्ग ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृवांक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल में 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:--६समें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उक्ते अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुस्ची

तिमंजला बिल्डिंग के दूसरे तल का लगभग 1/2 भाग जो शारदा टाकिज के पीछे मोतीपारा दुर्ग में स्थित है। प्लाट नं० 193 ए।

> विजय मा<mark>थुर</mark> सक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 22-9-1981

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष(1) के अधीन सृषना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 3 श्रक्तूबर, 1981 निर्देश सं० श्राई० ऐ० सी० (श्रर्जन)—श्रतः मुझे, विजय ाथुर,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिस इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- र. से अधिक है

ग्रीर जिसकी सं० 173 है, तथा जो जयप्रकाण वार्ड में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसुची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, कटनी में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, 11-2-1981

करे पूर्वों कत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पम्द्रह प्रतिशत अधिक है और अंतरक (अंतरकों) और अंतरिती (अन्तरितियाँ) के बींच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल जिला निम्नलिखित उद्देश्य से उन्तर अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्य में कभी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अस्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती य्वारा प्रकट नहीं किया गया था या विक्रया जाना चाहिए था, लियाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अशीन, निम्निःसित त्यिक्तियों, अर्थात्ः—

(1) श्री प्रेमचन्द (2) हरीलाल वर्ल्द बासामल लालवानी साकिन 91 पेडर रोड, बम्बई (3) निर्मल कुमार बल्द बासामल लालवानी 91 पेडर रोड, नबरंग बम्बई नं० 26 (4) नानकी बाई विधवा चन्द्रभान लालवानी बबली विजयकुमार, कन्हैयावलाल, मोहन-लाल, बीरेन्द्र कुमार नि० जीवन ज्योती को-धापरेटिब, सोसायटी काडबी, रोड, नागपुर ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री लोकूमल वल्द ईशरदास (2) मोहनलाल वल्द लोकूमल सिन्धी, नि० कैमोर त० मुडवारा । (भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी कर्क पूर्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अवधि या तत्मंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि शाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुवारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र मों प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित मों हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति ध्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित मों किए जा सकोंगे।

स्पद्धीकरणः—-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उनत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गमा हैं।

अनुसूची

जयप्रकाश वार्ड कटनी में स्थित मकान नं० 173 ।

विजय मा**णु**र मक्षम प्राधिकारी सहायक **ग्राय**कर **ग्रायुक्त (निरीक्षण)** ग्रर्जन रेंज भोपाल ।

दिनांक : 3-10-1981

मोहर∷

प्ररूप भाई० टी० एम० एस०---ग्रायकर ग्रिविनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-प (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर 1981

निर्देश सं० श्राई० ए० सी० श्रर्जन--श्रतः मुझे, विजय माथुर, श्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्राथात् 'तकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रायीत सक्षम प्राधिकारी को, यह विक्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उवित बाजार मूख्य 25,000/- इपये मे अधिक है और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो महगांव में स्थित है (श्रीर-इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिज-स्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रिजस्ट्रीकरण श्रधि-

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मून्य से कम के पृत्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भीर मुझे यह विज्ञास करने का कारण है कि स्थापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकत है, गीर अग्तरक (अग्तरकों) और अग्तरिती (मन्तरितियों) के ीच ऐसे अग्तरण के लिए उस पाया गया प्रतिकत, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अग्तरक लिखन में वास्तविक स्थाप कार्षित नहीं किया गया है:—

नियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, 19-2-1981

- (क) व्यन्तरण से हुई किसी द्याय की बाबत उक्त किंद्रिनयम के प्रधीन कर देने के घन्तरक के दायिश्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा क निष्; और/या
- (ख) ऐसी किसी अप या किसी धन या भग्य आस्तियों की, जिन्हें भारताय आयकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उपत प्रधिनियम, या धन-कर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरित्री द्वारा प्रकट नहीं किया गया थाया जिया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के निए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की घारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त प्रक्षिनियम की घारा 269-घ की उपघारा (1) सधीन, निम्त्रलिखित व्यक्तियां, अर्थात्:—— (1) श्री बाबूलाल रामचन्द्र भ्रग्नवाल नि० 699 दाना-गली मऊ।

(भ्रन्तरक)

(2) मै० कमल कुमार सूरज मल वश्र्जात्या कर्ता—कमल कुमार सूरजमल वर्डजात्या 14 डायमण्ड कालोनी इन्दौर ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी अरके पृथोंकत सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां मुख्य करता हूं।

उनत सम्बन्धि के अनेत के सम्बन्ध में कोई भी भाषोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की सारीच से
 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तिमाँ पर
 सूचना की तामील में 30 दिन की ग्रविध, जो भी
 धविध बाद में समाप्त होती हो, के मीतर पूर्वोकत
 व्यक्तियां में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूत्रना क राजपल में श्रकाशन की तारिका से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, श्रद्धोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पड्टीकरण:--इसर्वे प्रयुक्त शब्दों और पर्वो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20 क में परिभाषित है, बही ध्रथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है :

अनुस्ची

भूमि खसरा नं० 672, 673, 674 ग्रीर 674-/1/2 ग्राम महूगांव में स्थित ।

> विजय मा**णुर** सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त्रें (निरीक्षण) भ्रजन रोज, भोपाल

दिनांक : 23-9-1981

मोहर ः

प्ररूप आर्ह्ड. टी. एन., एस.-----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 सितम्बर 1981

निर्देश सं० प्राई०ए०सी०---- प्रतः मुझे विजय माथुर क्षायक र अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचातु 'उच्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विष्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुख्य है श्रौर जिसकी 25000 ए० मे ग्रधिक जमीन है, तथा जो रतलाम में स्थित है (श्रीर इससे उपबद्ध श्रनुसूची में धौर पूर्ण के रूप से वर्णित है), रजिस्दीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, रतलाम में रजिस्दीकरण प्रधिनियम, के प्रधीन, 1·908 (1908 新 16) को, प्यांकित सम्पत्ति के अचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ही और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशन में अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-विक रूप से कथित नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये और/या
- (ख) ऐसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

- (1) 1.श्रीमती सुशीलाबाई पत्नी श्रमृतलाल श्रोवर्गासयर 2.चम्पा लाल पुत्र नानालाल जैन नि० सकनावक रतलाम (श्रन्तरक)
- (2) 1. श्री जौहर श्रली 2. मजार श्रली 3. मुस्तफा 4. यूसुफग्नली द्वारा हकीमुद्दीन पुत्न, श्रब्बास भाई बोहरा चांदनी चौक रतलाम (श्रन्तरितो)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 विन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा :
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पर्ति में हितबद्ध किसी बन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पळीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदौं का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मनुसुची

खुली जमीन व गैरेज मह नीमच रोड रतलाम में स्थिति है। क्षेत्रफल 6253.44 वर्ग फीट।

> विजय माथुर मक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) शर्जन रेंज, भोपाल

मतः सब, जक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण मों, मों, जक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखिट व्यक्तियों, अर्थात्:—

तारीख: 29, सितम्बर, 1981,

प्रकष भाई• टी० एन• एस०---

भायकर विभिनियन; 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अभीन सुचना नारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ग्राई०ए०सी०-ग्रर्जन/भोपाल—अतः मुझे; विजय माथुर आयकर ग्रिविनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उनत अग्निनियम' कहा गया है), की धारा 269-ज के ग्रधीन सन्नम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृख्य 25,000/- रुपये से मिधक है भौर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो शाहपुर में स्थित है (ग्रीर इससे उपबद्ध अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908(1908 का 16) के ग्रधीन, 10 फरवरी 1981 को प्रवीकत सम्पत्ति के उचित बाजार मुख्य से कम के

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रिष्ठफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिति उद्देश्य से उक्त अन्तरण विश्वित में वास्तविक कप से कथिन नहीं किया गया है:—

- (क) श्रम्तरण ो हुई किसी झाय की बाबत उक्त श्रक्षि-नियम, के श्रमीन कर वेने के श्रम्तरक के वासित्य में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए। श्रीर/या
- (ख) ऐसी किमी आय या किसी धन या मन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियंग, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियंग, या धनकर अधिनियंग, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के खिए;

अतः अब, अक्त सिवियम की घारा 269-म के समुसरण में, में, उक्त सिवियम की घारा की 269-म की अपधारा (1) के श्रीत निम्नलिखित स्यक्तियों, अर्थात्।——

- (1) 1. श्री गुलाब राव पिता वामन राव
 - श्रीमती मनोरमा बाई पत्नी वामन राव देश मुख नि० शाहपुर बुरहानपुर

(ग्रन्तरक)

(2) श्री हरीभाई पिता सोन जी निम्बोरकर नि० शाह-पुर बुरहानपुर

(भ्रन्तरिती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के जिए कार्यवाहियां करता हैं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप़्े ---

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में सभाष्त होती हो, के भीतर पूर्वीका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकद किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा, श्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त श्रिष्ठ-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं श्रर्थ होगा, जो उस श्रष्ट्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि—कुथां—बिजली की मोटर पम्प व खड़ी फसल सहित —क्षेत्रफल 6,88 एकड़ जो ग्राम शाहपुर त० बुरहानपुर में है।

> विजय मा**थु**र सक्षम प्राधिकारी स**हायक आयंकर आयुक्त (निर्दाक्षण)** श्रर्जन रेंज, भोपाल

तारीखः: 19 सितम्बर 1981। मोहरः प्रकप आई० दी० एत० एस०--

गायकर अधिनियम; 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन यूचना

मारत सरकार

कायाल्य, सहायक बायकर आयुक्त (निरीक्षण)

धर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, विनोक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० श्राई०ए०सी०-अर्जन/भोपाल—श्रतः मुझे, विजय माथर

धायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर संगत्ति, जिसका छिवत बाजार मृत्य 25,000/-एंट. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो फोफनार में स्थित है (श्रौर इससे उपबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्ता प्रधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 17 फरवरी 1981

को पूर्वोकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के बृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण
है कि यथा पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान
प्रतिकल से ऐसे दृश्यमान प्रतिकत का पण्डह प्रतिशत ध्रमिक है
और अन्तरक (प्रन्तरकों) और अन्तरिती (प्रन्तरित्वों) के बीध ऐसे
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निविचित उद्देश्य से
धक्त अन्तरण लिखित में बास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया
है :--

- (क) अन्तरण सेंहुई किसो आय की बाबत खकत अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिस्व में कमी करने या उत्तसे बबने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी धन या मन्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उस्त अधिनियम या धनकर श्रिधिन नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

श्रतः, ग्रब, उक्त श्रविनियम की धारा 269-ग के श्रनुसरण में, में, उक्त श्रविनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के श्रवीन, निम्नलिखन व्यक्तियों, अर्थात :— (1) श्री माधौ पुत्र गनपत चौधरी नि० बडसिंगी, बुरहान-पुर

(भ्रन्तरक)

(2) 1. श्री वामन पिता डोरॉंक 2. नारायन पिता वामन चौधरी नि० बडसिगी, बुरहानपुर

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के मर्जन के संबंध में कोई ना आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपल में प्रकाशन की तारोख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के बीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाणन की तारीख से
 45 दिन के भीतर उक्त स्यावर संपत्ति में
 हितबद्ध किसी प्रत्य व्यक्ति द्वारा, प्रदीहस्तावरी
 के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

जन्स्ची

भूमि-कुम्रां व बिजली की मोटर क्षेत्रफल 8.30 एकड़ ग्राम फोफनार त० बुरहानपुर में स्थिति है।

> विजय माथुर सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल ।

तारीख: 19 सितम्बर 1981

मोहरू

प्ररूप नारं. टी. एन. एस ---

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० श्राई०ए०सी०-श्रर्जन/भोपाल—श्रतः मुझे, विजय माथुर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो संग्रामपुर में स्थित है (श्रौर इससे उपायद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बिणत है), रिजस्ट्रीकर्ता ग्रिधकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, 26-2-1981

को पूर्वेक्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रूश्यमान प्रतिफाल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुफ्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसक रूथमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिहात अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरिकों) और अंतरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण शिखित में वास्तिक रूप से किथत नहीं किया गया हैं:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर धेने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 को 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 को 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

अतः अन, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तितयों अधीन:--

- (1) 1 श्रीमती द्वारकाबाई विधवा प्रभाकर, 2 रमेशन 3 श्ररुण पुत्रगण प्रभाकर नि० संग्रामपुर, बुरहानपुर (श्रन्तरक)
- (2) 1. श्री सीताराम पिता गरवड़ महाजन
 2. तुकाराम पिता गरवड़ महाजन फोफनार त० बुरहानपुर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी क्षाक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वाकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हिल-बस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्कागे।

स्थक्कीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

मनुष्यी

भूमि वृक्षों सहित—23.89 एकड़ जो ग्राम संग्रामपुर त० बुरहानपुर में है।

> विजय माथुर सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेन्ज, भोपाल

तारीख: 19 सितम्बर 1981

प्ररूप धाई॰ टी॰ एन॰ एस॰--

कायकर मिश्रिनियन, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-य (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन क्षेत्र, भोपाल भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्देश सं० ग्राई०ए०सी०-ग्रर्जन/भोपाल—ग्रतः मुझे, विजय माथुर

आवकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'जक्त श्रिधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-स्पर से श्रधिक है

ग्नौर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो ग्राम बड़िसगी में स्थित है (भ्रौर इससे उपाबक्ष श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, 13 फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूरयमान प्रश्लिष्ठल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार भूल्य, उसके क्रयमान प्रतिकल से, एसे द्रयमान प्रतिकल क्य चन्न्नह प्रतिकल क्य चन्नह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) भौर अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गथा प्रतिकल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) भ्रन्तरण से हुई किसी श्राय की बाबत, उक्त श्रिष्ठि-नियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के वार्यित्व में कमी करने था उससे बचने में सुविद्या के लिए; भीर/पा;
- (ध) ऐसी किसी आय या किसी धन या प्रम्थ आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर प्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

भंतः, सब, उक्त ग्रिधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरक में, में, उक्त ग्रीधिनियम की धारा 269-व की उपघारा (1) के अधीन, निक्नलिखित व्यक्तियों, ग्रेथींत :--- (1) श्री संकर फिता किसन महाजन तुरक गुराडा त० बुरहानपुर

(भ्रन्तरक)

(2) 1. श्री सोनजी पिता डोराकं चौधरी 2. श्रीराम 3. बलीराम पुत्र सोनजी 4. श्रीमती गीताबाई पत्नी सोनजी—नि० बङ्गिगीं, बुरहानपुर । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीका सम्पत्ति के मर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उनक सम्पत्ति के प्रजैन के सम्बन्ध में कोई भी जाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारी आ से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर-सम्पत्ति में हितक क किसी प्रत्य व्यक्ति द्वारा श्रघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्यव्यक्तिकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों धौर पदों का, जो उक्त अधि-नियम के ध्रम्याय 20-क में परिमाधित है, वहीं धर्य होगा, जो उस भ्रम्याय में दिया गया है ।

अनुसूत्री

भूमि 20.25 एकड़ कुम्रां व वृक्षों के साथ ग्राम बड़-सिंगी त० बुरहानपुर।

> विजय माथुर सक्षम विभिकारी सहायक वायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेन्ज, भोपाल

दिनांक: 19 सितम्बर 1981

मोहर 🛭

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 सितम्बर 1981

निर्वेश सं० श्राई०ए०सी०-श्रर्जन/भोपाल--श्रतः मुझे, विजय माथर

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित वाजार मृत्य 25.000/- द॰ से अधिक है

श्रौर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो श्रेमागिद में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, बुरहानपुर में रिजस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908(1908 का 16) के श्रधीन, 20 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रस्तह प्रतिशत से अधिक है और अस्तरक (अन्तरकों) और अस्तरिती (अन्तरितयों) के बीव ऐसे अंतरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उका अन्तरण लिखिन में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत छक्त अधिनियम के मधीन कर देने के अन्तरक के दावित्व में कभी करने या उनसे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किनो आप या किसी घन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय श्रायकर श्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया का या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त प्रधिनियम, की घारा 269-ग के प्रनुसरण में, मैं, उक्त प्रधिनियम की धारा 269-घ की उपघारा (1) के प्रमीत निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः --

 श्री रामचन्द पिता नीलमन नि० ग्रालमगंज । गनपत पिता नीलमन, नि० ग्रालमगंज । शंकर पिता नीलमन, नि० ग्रालमगंज बुरहानपुर

(श्रन्तरक)

2. ग्रंसार हाउसिंग सोसाइटी, बुरहानपुर

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उन्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस युक्तना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की बन्धि, जो भी प्रविध नाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से फिला व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी ख से 45 दिन के भीतर छक्त स्वावर संपत्ति में हिसबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा भकेंगे।

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त अन्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

भूमि 0.75-|-0.75-| 0.75=2.25 एकड़ जो भ्रेमार्गिद, बुरहानपुर में स्थित है।

विजय माथुर सक्षम अधिकारी सहायक आयक्तर आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेन्ज, भोपास

तारीख: 19-9-1981

मोहर 🗉

प्रारूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भार्यालय, दिनांक 24 सितम्बर 1981।

निर्देश सं० श्राई० ए० सी०-ग्रर्जन/भोपाल—- श्रतः मुझे, विजय माथुर

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि रक्षांतर सम्पति, जिसदा उचित दाजार मूल्य 25,000/रा. से अधिक है

स्रोर जिसकी सं० 110 है, तथा जो प्रकाशनगर में स्थित है (स्रोर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में स्रोर पूर्ण रूप से वर्णित है), र्राजस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण स्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रधीन, 23 फरवरी 1981 को

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफ यह विश्वास कारने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रश्यमान प्रतिशत से, एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्नह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रतिफल निम्निलिखन उद्देश्य से उक्त अन्तरण कि मिन से वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बायत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी यन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था बा किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए:

अतः अब, उक्त अधिनियम की भारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की भारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिकित व्यक्तियों अर्थात्:--

1. श्रीमती कलावती पत्नी देवेन्द्र कुमार 11 प्रकाश नगर इन्दौर

(ग्रन्तरक)

2. श्री फकीर चन्द भोज राज अग्रवाल, 63-आर०एन० टी० मार्ग—इन्दौर।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पृत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृविधित व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखत में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, भी उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसुधी

मकान न० 110 प्रकाश नगर इन्दौर।

विजय माथुर सक्षम प्राधिकारी स**हागुक** आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, भोपाल

दिनांक: 24 सितम्बर 1981।

मोहर 🛭

प्ररूप आद्रं, टी. एन्, एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

प्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

कार्यालय, दिनांक 23 सितम्बर 1981

निर्देश सं० प्राई०ए०सी०— ग्रसः मुझे विजय माथुर, जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपरित जिसका उचित बाजार मृस्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो महूगाव में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ़ श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908(1908 का 16) के श्रधीन, 20 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफ्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपर्तित का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त-

- (क) जन्तरण से हुई किसी आय की नाबत उपत अधि-नियम के अधीन कर दोने के जन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे ब्युने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

1. श्री बाब्लाल पुत्र रामचन्द्र श्रग्नवाल नि० 699 दाना गली मऊ।

(भ्रन्तरक)

2. श्री कमलकुमार सूरजमल बङ्जात्या कर्ता—कमल कुमार सूरज मल बङ्जात्या 14 डाइमन्ड कालोनी इन्दौर।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस् सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 चिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति स्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हिस- बद्ध किसी व्यक्ति व्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकी।

स्पछितिक एण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 3.228 हेक्टर ग्राम महू गांव दो कुन्ना व पेड़।

विजय मा**युर** सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जेन रेन्ज, भोपास

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-य के अनुसरण में, मैं, अक्त अधिनियम की धारा 269-व की उपधारा (1) क्रे अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थास् :---

दिनांक: 23 सितम्बर 1981।

मेंगेहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269 घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यांलय, सहायक भायकर भायूक्त (निरीक्षण),

म्रर्जन क्षेत्र, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर 1981।

निर्देश सं० ग्राई०ए०सी०-ग्रर्जन भोपाल--श्रतः मुझे, विजय माभुर

नायकर अधिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनयम' कहा गया है), की धारा 269- ख के नधीन सक्षम प्रधिकारी को यह विकास करने का कारण है कि स्थानर सम्मत्ति जिसका उपित बाजार मृख्य 25,000/- रापये से मौधक है

भौर जिसकी सं० भूमि है, तथा जो रतलाम में स्थित है (भौर इससे उपबद्ध श्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से बिणत है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, रतलाम में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908(1908 का 16) के श्रधीन, 25 फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान धिताफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास अरहे का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके वश्यमाम प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमाम प्रतिफल का पण्डह प्रतिशत से श्रीधक है और ग्रन्तरक (श्रन्तरकों) भौर भ्रम्तरिती (श्रन्तरितियों) के बीच ऐसे भ्रम्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नजिखित उद्देश्य ने उनत अन्तरण जिखित में वास्तविक अर से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ब) ऐसी किसी श्राय या किसी घन या भ्रन्य भ्रास्तियों को जिन्हें मारतीय भ्राय-कर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त श्रधिनियम, या घन-कर श्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अन, उन्त प्रधिनियम, की धारा 269-ग के प्रनुस्रचण में, में, उन्त प्रधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) को मुभीन, निमन्तिविद्व व्यक्तियों, व्यक्ति

- श्री सङ्जाद हुमैन पिता सरफश्रली बोहरा।
- 2. योगेन्द्र कुमार पिता मोती लाल पोरवाल ।
- मुकेण कुमार श्रणोक कुमार न्यूबैक कालौनी रतलाम।

(भन्तरक)

मोडेला स्टील्स एन्ड ग्रलायज लि० रतलाम (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना आरी करके पूर्वीका सम्मत्ति के धर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के प्रजैन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की भविष्ठ या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविष्ठ, जो भी भविष्ठ बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी भ्रम्य व्यक्ति द्वारा श्रद्धोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जा उक्त श्रीध-नियम, के शब्दाय 20क में परिभाषित है, वही श्रमें होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि 2.150 हैं स्टर जो रतलाम में स्थित है।

विजय माथुर सक्षम प्राधिकारी सहायक आयुक्त आयुक्त (निरक्षिण) प्रजैन रेन्ज, भोपाल

तारीख: 21-9-1981

मोहरु 🤢

कार्यालय, सहायक आयकर नागुक्त (निरीक्षण)

ध्रजैन रेंज, रोहसक

रोहतक, तिथि, 12 ग्रन्त्बर 1981

निर्देश सं० सोनीपत 1/81-82---- प्रतः मुझे, मो० सी० गोपाल

इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-इस के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपक्ति जिसका उपित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० भूमि, 21 कनाल 9 मरले इमारत सिहत है तथा जो जेठेली (सोनीपत) में स्थित है (भ्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप मे विणत है), रिजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, सोनीपत में, रिजस्ट्री-करण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्राधीन, तारीख श्रिजल, 1981।

को पूर्वोक्त संपर्ति के उचित नाजार मूल्य से कम के रूथमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ही और मूम्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रूपमान प्रतिफल से, एसे रूपमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल का निम्नितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि निम्नितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि निम्नितियों के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि निम्नितियों के बीच एसे अन्तरण अन्तरण लिचित में वास्तर्विक क्रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) जन्तरण से हुई किसीं जाय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के वासित्व में कमी करने या उससे अ्वने में सुविधा के लिये; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या अक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए:

- 1. मैं० राय इन्जीनियरिंग कं०, राय, बजरिये श्री दलीप सिंह पुत्र श्री हरफूल सिंह, नि० राय। (श्रन्तरक)
- 2. मैं० सनगरो सीड्स प्रा० लि०। सी-33, नई सब्जी मन्ही, श्राजावपुर, दिल्ली-110033। (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिम की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामिल से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में किसी व्यक्ति द्वारा;
 - (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से .45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोह्स्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पद्धीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उत्कल अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया ग्या है।

अनुसूची

सम्पति भूमि इमारत के साथ गांव जठेरी, जि॰ सोनी-पत में स्थित है जिसका श्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय सोनीपत में, रजिस्ट्री संख्या 7 दिनांक 1 श्रप्रैल, 1981 पर दिया है।

> गोर्० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी महायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, रोहतक

दिनांक: 12 श्रक्त्बर, 1981।

₹14.₹:

प्ररूप आहूं.टी.एन.एस.----

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आय्क्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 धक्टूबर 1981

निर्वेश सं अम्बाला – 145 – 8081 – मतः मुझे गो०सि • गोपाल बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसी इतमें इसके प्रचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की धारा 269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारों को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्योग, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 / रह. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० एक मजिली इमारत भूमि के साथ (4.07 एकड़ क्षेत्र) है तथा जो ग्रम्बाना छावनी में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण पूर्ण रुप से विणित है रिजिस्ट्रींकतौ ग्रिधिकारों के कार्यलय ग्रम्बाला में, रिजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908(1908 का 16) के श्रधीन, फरवरी 1981 में

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल कम पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बभने में सूविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आयं या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

जतः जब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियाँ मुर्धात्:-- श्रीमती शनो देवी शर्मा पत्नी श्री पदमा राम नि० सुजानगढ़ जि० चूरू (राजस्थान)

(अन्तरक)

- 2. श्री रिसाब मित्तल पुत्र श्री दीपक मित्तल
- 2. श्री श्रभिषेक मित्तल पुत्र श्री बीपक मित्तल नि॰ मकान नं० 234, बी०सी॰, बाजार, श्रम्बाला कैन्ट । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी कारके पूर्वीक्स सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्परित के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षीप:--

- (क) इस सूचना को राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की खबिध या तरसम्बन्धी व्यक्तियों घर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर प्रविकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मित्स में हितबद्ध किसी अन्य अधिकत द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास विकित में किए आ सकोंगे।

स्पच्छीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वो का, जो उक्त जिभियम, की अध्याम 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगर जो उस अध्याम में दिया स्था है।

अन्स्ची

सम्मिति एक मैंजिली इमारत भूमि के साथ (क्षे० 4.07 एकइ) भ्रम्बाला कैन्ट में स्थित है जिसका श्रिष्ठक विव-रण रजिस्ट्रोकर्ता के कार्यालय श्रम्बाला में रजिस्ट्री संख्या 5195 विनांक 24 फरवरी 1981 पर विवा है।

> गो०सि० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज, रोहतक

दिनांक 12-10-81 महिन्दु :: प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

भायकर भन्नित्यम, 1961 (1961 का 43) की घारा 269-च (1) के भन्नीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निर्काक्षण)

म्रर्जन रेंज, रोहतक रोहतक दिनांक 12 मन्दूबर, 1981

निर्वेश सं० उववाली/19/80/81-श्रतः मुझे गो०सि० गोपाल आयकर प्रिवित्यम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिक्षिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- द० से यक्षिक है

श्रीर जिसकी सं० दुकान न० 24, नई श्रनाज-मन्डी है तथा जो डबवाली में स्थित है (श्रीर इससे उपा-बद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, डबवाली में रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम 1908(1908 का 16) के श्रधीन, फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिवित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक कर ने कृष्यन नहीं हिंदा नया है :---

- (क) मन्तरण से हुई किसी भ्राय की बाबत उक्त अधि-नियम के भ्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के वाबित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के शिए। भौर/या
- (ख) ऐसी किसी श्राय या किसी धन या प्रन्य ग्रास्तियों कां, जिन्हें भारतीय श्रायकर ग्रिधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त ग्रिधिनियम, या धन-कर ग्रिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ ग्रम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः भव, उन्त भविनियम, की घारा 269-ग के भनुसरण में, में, उन्त प्रधिनियम की घारा 269-घ की उपधारा (1) के अभीन मिन्नकिसित व्यक्तियों, अर्थाद् ध---

- 1. श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री हरदास राय
- 2. श्री विजय कुमार पुत्र श्री हरदास राय
- 3. श्री सतीश 'कुमार पुत्र श्री हरदास राय नि० मन्डी डबवाली (श्रन्तरक)
- 1. श्री प्यारे लाल पुत्र श्री कौंडा राम
- 2. श्री राज कुमार पुत्र श्री उत्तम चन्द दुकान न० 24, नई भनाज मड़ी, डबवाली

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के ध्रर्जन के लिए क्यवेवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की धविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील के 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सर्केंगे।

स्पर्धाकरण :--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो धक्त श्रमिनियम के प्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही श्रयं होगा जो उस श्रध्याय में विया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति दुकान नं० 24 नई श्रनाज मन्डी, डबवाली में स्थित है जिसका ग्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय डबवाली में रजिस्ट्री सं० 3146 दिनांक 24 फरवरी 1981 पर दिया है।

> गो०सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 12 धन्दूबर, 1981

नोहर:

प्ररूप आहाँ .टी . एन . एस . ------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यास्य, सहायक आयकर आयुक्त (निर्देशण)

धर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 श्रक्तूबर 1981 निर्देश सं० बल्लभगढ-410/80-8-श्रतः मुझे गो०सि०गोपाल

अाय्कर अधिनियम्, 1961 (1961 का 43) (जिसे इस्में इस्के पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है'), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उन्तित आजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

ग्रीर जिसकी सं० श्रीचोगिक प्लाट सं० 14, सेक्टर 6, फैक्टरी बिलंडिंग एवम् भूमि है तथा जो फरीदा-बाद (क्षेत्र 12, 18 व०ग०) में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्री-कर्ता श्रधिकारी के कार्यालय बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन, मार्च 1981

का पूर्वीक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई ही और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त सुम्पृत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का मृन्द्रश्च प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए त्य पाया ग्या प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उसते अन्तरण लिखित में वास्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आयु की बाबत्, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; आदि/या
- (क) एसी किसी आयु या किसी धनु या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयक र अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अनुकर अधिनियम, या अनुकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अनुसरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सृतिया के लिए;

अन्तः अन्त , उक्त अधिनियम् की भारा 269-ग की, अनुसरण भी, भी, उक्त अधिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन निम्नेलिखित व्यक्तियों, अधीत्:-- 1. मैं ॰ मिमेक इंडिया प्रा॰ लि॰, 5-2, रूसल स्ट्रीट, कत्ता।

(भ्रन्तरक)

2. मैं ० खैतान इलैक्ट्रीकल्स लि०, 46-सी, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, कलकत्ता।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्तृ सम्मृत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
 - (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थात्रर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

यनसभी

सम्पति दुमंजिली दफ्तर की बिलर्डिंग एथम्, फैक्टरी शेष्ठ भूमि सहित (क्षे०—12,183 व०ग०) सेक्टर नं० 6, फरीदाबाद में स्थित हैं जिसका ग्रिधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बल्लभगढ में रजिस्ट्री संख्या 13256, दिनांक 31 मार्च, 1981 पर दिया है।

> गो०सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, रोहतक

सारीख: 12 अन्दूबर 1981

मोहरः

प्ररूप बाईं.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 क 43) की भारा 269-अ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार स**हायक आयक र आयुक्त (मिर्शक्षण)** श्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 ग्रक्टूबर 1981

निवेश र्स० देहली/54/80-81---ग्रन: मझे गो०सि० गोपाल

अगयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 69-ख के प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विषवास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/ रु. से अधिक हैं जिसकी सं० भूमि 2 कनाल 18 मरले हैं तथा जो गांव पल्ला में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वींणत हैं), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, देहली में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन फरवरी 1981 को को पूर्वोक्त सम्पत्ति के जित्त बाजार मृल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई हैं और मुभे यह विश्वास करा का का कारण हैं कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-

फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तर्ण लिखित में वास्तियक

रूप से कथिस मही किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुनियभा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया थाया किया जाना जाहिए था छिपाने में सुविधा के निए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अभूसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (१) के अभीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थासुः-- श्री मोह्नलाल पुत्र फकीरानि० पल्ला, त० बस्लभ-गढ़।

(अन्सरक)

मैं० ग्रेटर देहली प्लानरस (प्रा०) लि०, फ्लैट नं०,
 ग्रांकर मार्केट, कनाट सर्कस, नई दिल्ली।

(अन्तिरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध , जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वों कर ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबष्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्स्ची

सम्पत्ति भूमि 2 कनाल 18 मरले गांव परुला में स्थित है जिसका श्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय दिल्ली में रजिस्ट्री संख्या 78 दिनांक 13 फरवरी 1981 पर दिया है।

> गो०सि० बोपाल, सक्षम अधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) धर्णन रेंज, रोहतक

सारीख, 12 मन्दूबर, 1981। मोह्यरः प्ररूप आहर ंटी. एन. एस.----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्तत (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, रोहतक रोहतक, दिनांक 12 श्रक्टबर 1981

निर्वेश सं० रोहतक - 53/80-81 — म्रातः मुझे गो०सि० गोपाल आयाज अधिनियम, 1961 (1991 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर गंपरित जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० 595, 596, वार्ड नं० 17, रेलवे रोड़, है तथा जो रोहतक में स्थित है (श्रीर इससे उपाबड़ श्रम्सूची में श्रीर पूर्ण क्य से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, रोहतक में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908(1908 का 16) के श्रधीन, फरवरी, 1981 को पूर्वों कत संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान श्रीरफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपित्त का उचित बाजार मूल्य, उनक इर्यमान श्रीरफल के एमें दृश्यमान श्रीरफल का पुन्त हर्यमान श्रीरफल का प्रविक्त का प्रविक्त का प्रविक्त का प्रविक्त का प्रविक्त का स्थापूर्वों का संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उनक इर्यमान श्रीरफल का प्रविक्त सं श्रीर अन्तरित (श्रनतरितयों) के बीज ऐसे श्रन्तरण के लिए स्य पाया गया

प्रतिफल निम्नलिधिन उद्देश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में

शस्तविक कप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में अभी करने या उससे बचने में सुविका के लिए; और/या
- (क) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों भारे, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के सिए;

अतः अयः, उयत् अधिनियमः, की भारा 269-ग के अनुसरण है, मैं, उस्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) । अधीन निस्निसिस्त व्यक्तियों, अधीत :--- अशि ग्रानिल कुमार जैन, एडवोकेट पृक्ष श्री रामे-श्वर दयाल जैन, एडवोकेट, मं० नं०, 60013, डी० एल०एफ० कालोनी, रोहतक।

(भ्रन्तरक)

2. श्री प्रीतम चन्द नारंग पुत्र श्री प्रात्माराम पुत्र श्री नानक चन्द नि०, मकान नं० 141/3 मौहल्ला मुगलामा, रोहतक।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्थन के लिए कार्यवाहिया करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्त में प्रकाशन की सारीख से 45 दिन की भविध या तरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की भविध, जो भी भविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति क्षारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवद्ध किसी जन्म व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्थळीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अभ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विका गया है।

अन्स्ची

सम्पति नं० 595, 596 वार्ड नं० 17, रेलवे रोड, रोहतक पर स्थित है जिसका भ्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय रोहतक में, रजिस्ट्री संख्या 4819 विनांक 6 फरवरी 1981 पर दिया है।

> गो०सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) शर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 12 भन्दूबर 1981

प्ररूप आई.टी.एन.एस. -----

आवकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269- घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायुक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) अर्जन रेंज रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 भ्रक्तूबर, 1981

निर्देश सं० करनाल/185/80-81ः—श्रतः मुझे,गो०सि∙ गोपाल,

गायकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें एसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का फारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० जमीन 130 कनाल 14 मरला है तथा जो प्राम बरसत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, करनाल में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपर्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के एरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गईं हैं और मुभे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार मृस्य, उसके एरयमान प्रतिफल से, एसे एरयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक्त कि निम्नितिश्वत उददेश्य से उक्त अन्तरण निस्तित में वास्तिवक हप से कि विश्वत में वास्तिवक

- (क) अन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे स्वाने में सूत्रिधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियस, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियस, रा धन-कर अधिनियस, रा धन-कर अधिनियस, रा धन-कर अधिनियस, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन निम्नीलिशित व्यक्तियों, अर्थात :---

 श्रीमती चन्द्रवती विधवा श्री कृष्णदास व किसत चन्द निवासी क्वाटर नं० 45-46, ब्लाक नं० 4 विजय नगर, नई दिल्ली मारफत श्री शंकर दास कटारिया।

(भ्रन्तरक)

2. विरेन्द्र नाथ सुपुत्र श्री शंकर दास निवासी मकान नं• 36-37, गोल मार्केट, पानीपत । (मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी इस सं 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित्बस्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ह°, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति जमीन 130 कनाल 14 मरला जो कि ग्राम बरसत में स्थित है जिसका भ्रन्य विवरण रजिस्ट्री नं० 5171 बिनोंक 13-2-1981 रजिस्ट्रीकर्ता, करनाल के कार्यालम में विया हुन्ना है।

> गो० सि० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी, ं सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, रोहतकः

तारी**ख 12-**10-1981 मोहर: प्ररूप आर्दि० टी० एन∙ एस∙------

मायकर मधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-व (1) के भन्नीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

म्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 श्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० जी० डी० श्रार० /90/80-81:—-श्रतः मुझे, गो०सि० गोपाल,

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवान् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- क्षण से अधिक है और जिसकी सं० सम्पत्ति है तथा जो तहसील जगाधरी में स्थित है (श्रौर इससे उपायद प्रनुस्वी में श्रौर पूर्ण रूप में विणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय, जगाधरी में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पूर्यमान प्रतिफल के लिए प्रन्तरित की गई है घौर मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे पूर्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से प्रधिक है घौर प्रन्तरक (प्रन्तरकों) घौर अन्तरिती (प्रन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के तिए तम पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उनन ग्रन्तरण लिखिन में वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:---

- (क) मन्तरा में दुई किसी प्राय की बाबत, उक्त प्रक्षि-नियम के प्रधीर कर देते के प्रश्तरक के दायिस्व में हमी करने या उसमे बचने में सुविधा के लिए। ग्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी प्राप्त या किसी धन पा ग्रन्थ ग्रास्तियों को, जिन्हें बारतीय स्रायकर भ्रधिनियम, 1923 (1922 का 11) या उक्त ग्रधिनियम, या धनकर ग्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भ्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

मतः स्रव, उक्त भविनियम की घारा 269-ग के अनुसरण में, में उक्त भविनियम की घारा 269-म की उपभारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्जाक्:--- श्रीमती निहालो विधवा श्री नीसना राम, सुपुत्र श्री कालू राम, जगाधरी

(अन्तरक)

 श्री हरपाल सिंह सुपुत्र श्री प्रफलातून सिंह निवासी ग्राम व डाक खाना सहजादपुर तह० जगाधरी। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी भरके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सन्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इप सूचता के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की प्रविध या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की प्रविध, जो भी ध्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीवत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अभोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों श्रीर पदों का, जो उक्त श्रृंश्रिध-नियम के श्रव्याय 20 के में परिभाषित है, वहीं प्रयंदीणा, जो उस श्रव्याय में दिया गया है।

अतसची

सम्पत्ति जो कि तहसील जगाधरी में स्थित है ग्रौर जिसका पूरा विवरण रजिस्ट्री नं॰ 5743 दिनांक 3-2-1981 रजिस्ट्रीकर्त्ता, जगाधरी के कार्यालय में दिया हुन्ना है।

> गो० सि० गोपाल नक्षम प्राधिकारी सहायक प्रायक्तर प्रायुक्त, (निरीक्षण) प्रजीन रेंज, रोहतक

तारीख: 12-10-1981

मोह्यः

प्रस्व आहें.टी.एन.एस.----

. सामकर स्वितियम, 1961 (1961 का 43) की वारा 289-म (1) के श्रमीन सूचना

षारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयुक्त आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 मक्तूबर 1981

सं० देहली/56/80-81:—-ग्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रधात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख के खबीन सम्भ प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर संपत्ति जिसका स्वित बाजार मूस्य 25,000/-द० से अधिक है

मौर जिसकी सं० भूमि 33 कनाल 7 मरला है तथा जो ग्राम मालमपुर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध प्रनुसूनी में भौर, पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय देहली में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के मधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्यक्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृत्यमाध्य प्रतिफल के लिए सन्तरित की गई है और मुझे यह नित्यास करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्यक्ति का छित बाजार मूल्य ससके बृत्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृत्यमान प्रतिफल का पण्डह प्रतिशत से प्रविक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के निए तय पाया गया प्रति- कन निम्नितियत उद्देश्य से सन्त सम्यक्त मिलित में बास्तिवक कप से काबत नहीं किया गया है।——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत डक्स अधि-नियम. के भधीन कर देने के अन्तरक के वाविक्य में कमी अपने या छक्तसे बचने में बृविका के विष्: और/या
 - (ख) ऐसी किसी आप या किसी धन या अभ्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय प्राय-कर प्रक्षिनियम, 1922 (1922 का 11) या सक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं प्रस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया का या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अतः सब, उस्त बिधियम की घारा 269-ग के धनु-सरण में, मैं, उस्त अधिनियम की बारा 269-व की उपबारत (1) के अधीन, निम्नलिखिन व्यक्तियों, अधीतः :----13---316GI/81

- 1. श्री अमर नाथ सुपुन्न श्री राधा राम निवासी 11/28 पंजाबी बाग, नई दिल्ली, मारफत श्री मुन्शी राम। (भ्रन्तरक्र)
- श्री ध्रनील नन्दा सुपुत्र श्री एच० पी० नन्दा, निवास
 12 जोहर बाग, नई दिस्ली।

(ग्रन्सरिती

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्प्रति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी घालेप !---

- (क) इस सूजना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी करें से 45 दिन की अवधि या उत्संबंधी व्यक्तियों पर सूजना की तामी करें से 30 दिन की सर्वाध, की की कर सब्बंध वाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के शाजपत में प्रकाशन की तारीक से 45 दिन के कीतर उस्त स्थावर संपत्ति में हिता बद्ध किसी अन्य व्यक्तिद्वारा, अघोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण।—इसमें प्रयुक्त शन्तें भीर पर्वो का, जो इस्त अधिनियम के भ्रम्याय 20-क में परिस्कृतित है, वही अर्थ शीमा, जो उस अध्याम में विश्वा गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 33 कनाल 7 मरला जो कि ग्राम भ्रासम पुर में स्थित है भौर जिसका विवरण रजिस्ट्रीकर्सा देहली के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 45 दिनांक 9-2-81 पर दिया है।

> गो० झि० गोपालं सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्राजैन रेंज, रोक्कतक

दिनोक: 12-10-81

प्ररूप आहें. टी. एन. एस. -----

अंगियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-ष(1) को अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, रोहतक रोहतक, दिनांक 12 भ्रक्तूबर 1981

सं० देहली/57/81-82:—यतः मुझे, गो० सि० गोपाल, शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/ रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० जमीन 30 कनाल 18 मरला है तथा जो ग्राम ग्रालमपुर तह० बल्लभगढ़ में स्थित है (ग्रीर इससे उगावड ग्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, देहली में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यभान प्रिक्षिण के लिए अन्तरित की गई हैं और मूओ यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापवाँक्त संपत्ति का उचित बाजार सृष्य, उसके दृश्यभान प्रतिफल से, एसे दृश्यभान प्रतिफल का पन्तृष्ठ प्रतिपत्त से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तथ पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक स्म से कथित नहीं किया गया हैं:--

- (क) बन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सुविधा के लिए; और/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी अन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या अनकर अधिनियम, या अनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

जतः अब, विधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—— श्री बिशम्बर लाल सुपुत्र श्री राधा राम नि॰ 11/28 पंजाबी बाग, नई दिल्ली, मार्फंस श्री मुन्शी राम।

(अन्तरक)

श्री श्रनील नन्दा सुपुत्र श्री एच० पी० नन्दा निवासी.
 जोहर बाग, देहली।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृथांक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (ख) इस सूजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पान सिचित में किए जा सकींगे।

स्पष्टीकरण:-इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा को अस् अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति भूमि 30 कनाल 18 मरला ग्राम ग्रालमपुर में स्थित है जिसका विवरण रजिस्ट्रीकर्ता देहली के कार्यालय में रजिस्ट्री संख्या 46 दिनांक 9-2-81 पर विया है।

> गो० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जान रेंज, रोहतक

तारीख: 12-10-81

भोहर:

प्रकप आई० टी० एन० एस० -----

भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) मर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 12 प्रक्तूबर 1981

निवेश सं० वेहली 58/80-81:—- प्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल, प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उन्त प्रधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

भौर जिसकी सं० भूमि 26 कनाल 3 मरला है तथा जो ग्राम भाष्मपुर तहसील बल्लभगढ़ में स्थित है (भौर इससे उपाबद भनुसूची में और और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्री कर्त्ता श्रिधकारी के कार्यालय, देहली में, रजिस्ट्रीकरण भ्रिध-नियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, तारीख फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रांतफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करमें का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है भौर अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से अक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक कर से कियत नहीं किया गया है:——

- (क) प्रन्तरण से हुई किसो श्राय को बाबत, उक्त श्रीध-नियम के प्रधीन कर देने के भन्तरक के वायिक में कमी करने या जिससे बचने में सुविधा के लिए; भौर/या
- (च) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय भाय-कर प्रधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में भुविधा के लिए।

अतः अबः, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्न्लिपुंख्त व्यक्तियों अर्थात्:-- श्री मुन्मी राम सुपुत्र श्री राघाराम नि० 2/6 बी०, अंगपुरा नई दिल्ली।

(प्रन्तरक)

 श्री श्रनील नन्दा, सुपुत्रं श्री एच० पी० नन्दा निवास जोहर बाग, नई दिल्ली।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिष् कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी धाक्षीप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रश्लोहस्ताक्षरी के पास-लिखित में किए जा सर्वेगे।

स्पष्टीकरण: --इसमें प्रयुक्त शब्दों ग्रीर पदों का, जो उक्त पिछ-नियम के ग्रध्याय 20-क में परिकाषित है, वहीं ग्रंथ होगा, जो उस ग्रध्याय में दिया गया है।

भनुसूची

सम्पत्ति भूमि 26 कनाल 3 मरला जो प्राम धालमपुर तहसील बल्लभगढ़ में स्थित है जिसका धिषक विवरण रिजस्ट्री कर्त्ता, देहली के कार्यालय में रिजस्ट्री संख्या 35 दिमांक 6-2-1981 पर विया है।

गो० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयुक्तर आयुक्त (मिरीक्षण) ्रमर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 12-10-1981

मोहर 🕆

प्ररूप बाहु . टी. ऐन्. ऐस्.-----

सायकर सिधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा

269-म (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यांसय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) भर्जन रेंज, चण्डीगढ़

चण्डीगढ, दिनांक 12 मन्तूबर 1981

स० देहली/45/81-82:— ग्रतः मुझे गो० सि० गोपास, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहेंचार्त 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-च के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विख्वास करने का कार्रण हैं कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

धौर जिसकी सै० भूमि 26 कनाल 3 मरला है तथा जो ग्राम भालमपुर में स्थित है (भौर इससे उपाबक अनुसूची में घौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, वेहली में, रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख मई, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के द्ययमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूफ्ते यह विश्वास करने की कारणें है कि यथापूर्वोक्त संपरित का उचित बाजार कूट्सें, उसके देश्यमान प्रतिफल से, ऐसे द्ययमान प्रतिफल का बन्द्रह प्रतिशत से अधिक ही और अन्तरक (अन्तरकों) और बन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया क्या प्रतिफल निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित के बासतिक कप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) जन्तरण से हुई किसी जाय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या
- (सं) ऐसी किसी जीय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आवंकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रकाणनार्थ अस्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा को लिए;

बतः बब, उक्त अभिनियम, की भारा 269-ग के अनुसरिंग में, में, उक्त अभिनियम की भारा 269-म की उपभारा (1) के ब्रुभन हिन्म्बिहित स्मृतिस्मृतं, जुर्बात् डिंग् श्री मुन्शी राम सुपुत्र श्री राधा राम निवासी 2/6
 बी०, जंगपुरा, नई दिल्ली।

(भन्तरक)

श्री ग्रनील नन्ता सुपुंत्र श्री एच० पी० नन्ता, निवासी
 जोर बाग, नई दिल्ली।

(भ्रन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सें 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्क व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यक्ति व्यक्तियों
- (सं) इस सूचना को छोज्यने मी प्रकासन की तारील से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपर्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पद्धीक रणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पूर्वों का, जो उर्जरीं अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया गया है।

मनुजुबी

सम्पत्ति भूमि 26 कनाल 3 मरला ग्राम धालमपुर में स्थित है जिसका विवरण रिजस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय में रिजस्ट्री संख्या 474 दिनांक 8-6-1981 पर दिया है

> गो० सि० गोपाल; सक्षम प्राधिकारी, सहायक प्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, वण्डीगढ़

तारीख: 12-10-81

प्ररूप आई. टी. एन्. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भारतु सुरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 ग्रक्तूबर 1981

सं० गुड़गांवा /136/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उधित बाजार मूल्य 25,000/-रा. से अधिक है

श्रीर जिसकी सं० फैक्टरी बिल्डिंग प्लाट नं० 72 पर, श्रीद्योणिक क्षेत्र, महरौली रोड है तथा जो गुड़गांवां में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध भ्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्त्ता श्रिधकारी के कार्यालय, गुड़गांवां में, रिजस्ट्री-करण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूष्यमान प्रतिकृत के लिए अन्तरित की गई है और मुक्के यह विश्वास करने का कारण है कि यथापुर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिकृत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फन, निम्नलिखित उद्विष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवृक्त रूप से किथित नहीं किया गया है —

- (क) अन्तरण से हुई किसी आयुकी बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बुचने में सुविधा के लिए; आर्र/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्तर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अस्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था ख्याने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियमं की धारा 269-ए के, अनुसरण् में, में, उक्त अधिनियमं की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन, निम्न सिचित व्यक्तियों सूर्धात् :—— श्री रिवन्द्र कुमार गोयल पुत्र श्री बिशन सरूप गोयल मार्फत पटवारी जी की बुकान, करोल बाग, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरक)

2. मै० डेम म्राटो इंजिनियरिंग वर्क्स, प्लाट नं० 72, इण्डस्ट्रायल एरिया, महरौली रोड, गुड़गावां। (म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पत्ति के कर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षोप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वों का, जो उन्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति फैक्टरी बिल्डिंग प्लाट नं० 72, भौद्योगिक क्षेत्र, महरौली रोड, गुड़गांवां पर स्थित है जिसका प्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्सा के कार्यालय, गुड़गांवां में, रजिस्ट्री संख्या 5145 दिनांक 24-2-81 पर दिया है।

> गो० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी, सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जेन रेंज, रोहतक।

तारीखा: 19-10-81

भारत सरकार

कार्याल्य, सहायक आयक आयुक्त (निरीक्षण)

भ्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 धनतूबर 1981

सं० गुड़गावां/196/80-81:—म्ब्रतः मुझे गो० सि० गोपास,

आयकर प्रवित्यम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर शात् 'उक्त प्रवित्यम' कहा गया है), की वारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उवित वाजार मूख्य 25,000/- क्यमें से अधिक है और जिसकी सं० मकान नं० 79 एल०, न्यू कालोनी, है तथा जो गुड़गावां में स्थित है (और इससे उपावद्ध श्रनुसूची में और पूर्ण क्प से वर्णित है), रजिस्ट्रीकत्ति श्रिधकारी के कार्यालय, गुड़गावां में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनायम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, तारीख मार्च, 1981

को पूर्वीकत सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के तृश्यमान प्रतिफल के लिए अध्वरित की वर्ष है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यवापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रहु प्रतिमत से अधिक है और अन्तरक (अध्वर्षकों) और अन्तरिती (अध्वरितियां) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिक फल निम्नलिखित उद्देश्य से उच्य बन्तरण जिखित में वास्त्रिक छव से कथित नहीं किया गया है।——

- (क) भ्रम्तरण से प्रुई किसी भ्राय की बाबत उक्त भ्रधि-नियम के भ्रधीन कर देने के भ्रम्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; धौर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य पास्तियों की, जिन्हें भारतीय धानकर घिधनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत अधिनियम, या धनकर अधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धुन्तरिती हारा प्रकट नहीं किया बया वा या किया जाना चाहिए चा, क्रियाने में सुविधा के लिए;

अता, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 म के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269 म की उपघारा (1) के खघीन निम्नलिखित अपनितर्यों, प्रायीत् — श्री गोपाल बिहारी लाल पुत्र श्री रंग बिहारी लाल श्री घनस्याम वास, म० नं० 72 एल०, न्यू कालोनी, गुड़गावां।

, (अन्तरक)

 श्रीमती राम कली देवी पत्नी श्री घनश्याम दांस, म० नं० 79-एल०, न्यू कालोनी, गुंडगावां। (अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रजेन के स्निए कार्यवाहियों करता हं।

उक्त सम्पत्ति के ध्रजेंन के सम्बन्ध में कोई भी घ्राक्षेप:--

- (क) इस सूजना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की भवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूजना की तामील से 30 दिन की भवधि, जो भी भवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति झारा;
 - (ख) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद किसी प्रन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सुकोंगे।

स्पड्टीकरण: --- इसमें प्रयुक्त शब्बों ख्रीर पदों का, जो उक्त प्रवितियम के फ्रब्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उप ग्रध्याय में विया गया है।

भन्सची

सम्पत्ति मकान नं० 79 एल०, न्यू कालोनी, गुड़गावी में स्थित है जिसका ग्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यीलय, गुड़गावां में रजिस्ट्रीकण संख्या 5374, दिनांक 16-3-81 पर दिया है।

> गो० सि० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी सहायुक आयकर आयुक्त (निरक्षिण), श्रर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख 19—10—81 मोहर : प्ररूप आहु . टी. एन. एस . -----

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यां जय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

र्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 प्रक्तूबर 1981

सं० ग्रम्बाला/141/80-81:—ग्रत मुझे, गो० सि० गोपाल,

बायकर ब्रोधनियमं, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है।, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/रु. से अधिक है

श्रोर जिसकी सं ुकानों सहित एक दुर्माजली दुकान, है तथा जो श्रम्बाला गहर में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वों कत संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पनदृष्ट प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक क्प से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) जन्तरण से हुई किसी आयं की वाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सूबिधा के सिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हीं भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट महीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विभा के लिए;

जतः अव, उक्त जिथिनियम कौ धारा 269-ण के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ण कौ उपधारा (1) के मधीन निम्मृतिस्ति स्वितिस्ते स्वॉत्र-

- (1.) सर्वेश्री
 - 1. डा० सेवक प्रसाद पुत्र सीता राम
 - 2. सुशील चन्द गुप्ता पुत्र सेवक प्रसाद
 - 3. सतेन्द्रवीर गुप्ता पुत्र सेवक प्रसाद।
- 4. देव श्रमृत गुप्ता पुत्र सेवक प्रसाद निवासीयान 15 एल० एफ०, तानसेन मार्ग, नई दिस्ली।

(अन्तरक)

(2) श्री जगमन्दिर दास जैन पुत्र श्री चेतन लाल जैन नि० 670, राधा कृष्ण बाजार, ग्रम्बाला गहर। (अन्त्रिती)

को यह सूचना चारी करके पूर्वों कतु सम्पृतित के अर्थन के हिस्पू कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप १.००

- (क) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सै 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरणः --- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उकत अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अम्स्ची

सम्पत्ति दुकानों सहित एक दुर्माजली दुकान, ग्रम्बाला शहर में स्थित है जिसक ग्रिधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय श्रम्बाला में, रजिस्ट्री संख्या 4930, दिनांक 10-2-81 पर दिया है।

> गो० सि० गोपाल, **सक्षम प्राधिकारी** सहायक आयकार आयक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, रोहतक।

तारीख 19-10-81 मोहर : प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 श्रक्तूबर 1981

. सं० श्रम्बाला/148/80-81:—-श्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल.

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० दुकान नं० 4551,4552, 4553, एव 4554 है तथा जो श्रम्बाला कैंट में स्थित है (श्रीर इससे उपाबस अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिध-कारी के कार्यालय, श्रम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख मार्च, 1981 को पूर्वीक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पम्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्वर्षय से उक्त अन्तरण लिखित में मास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य शास्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (192? का 11) रा उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

 श्री राजेश्वर प्रसाद पुत्र हरीकिशन दास नि० बजाजा बाजार, श्रम्बाला कैंट।

(अन्तरक)

 श्रीमती तारण कौर पत्नी श्री जगदीश सिंह मार्फत जगदीश दी हट्टी, केसरा बाजार, ग्रम्बाला कैंट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता है।

उक्त सम्पत्ति के वर्णन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अभोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकरें।

स्पष्टीकरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

जन्स्ची

सम्पत्ति बुकान नं० 4551, 4552, 4553, एवं 4554, श्रम्बाला छावनी में स्थित है जिसका श्रधिक विवरण रिजस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय, श्रम्बाला में, रिजस्ट्री संख्या 5527 विनांक 13-3-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) प्रर्जन रेंज, रोहतक ै।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-य की उपधारा (1) के अधीन पन्मनिस्तित व्यक्तियों अर्थात्:——

तारीख: 19-10-81

मोहार 🚁

प्रकप आहर्, टी., एन. एस. →------

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन सुमना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, रोहसंक

रोहतक, दिनांक 19 ग्रक्तूबर, 1981

सं० ग्रम्बाला/147/80-81:—ग्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की भारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूख्य 25,000/- रा. से अधिक हैं

धौर जिसकी सं० 334 है तथा जो माडल टाउन, ग्रम्बाला शहर में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद ग्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजस्ट्रीकर्त्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, ग्रम्बाला में, रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्राधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य सं कम के स्वयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की हूँ हैं और मुक्ते यह विश्वास करा का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके स्वयमान प्रतिफल से, ऐसे स्वयमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिसित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिसित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया हैं:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की साबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व मो कभी करने या उससे बचने मो सुविधा के लिए; और/या
- (का) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

जतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ज की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः :-14—316GI/81 श्रीमती विद्या वन्ती पत्नी श्री लोक नाथ शर्मा नि० हिसार रोड, अम्बाला शहर।

(अन्तरक)

2. सरवार रतन सिंह पुत्र सरदार बसन्त सिंह 334, माडल टाउन, ग्रम्बाला शहर।

(अन्तरिती)

का वह सूचना जारी करके पूर्वों क्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उन्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीइ से 45 दिन की जबिध या तत्सम्बन्धी स्थितसर्थों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविध, जो भी जबिध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,
- (च) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी के से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिकित में किए जा सकेंगे।

स्यभ्दीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दों का, जो उक्त अधिनियम के. अध्याय 20-क मे परिभाषित ह⁹, बही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

सम्पत्ति मकान नं० 334 माडल टाउन, श्रम्धाला में स्थित है जिसका श्रिधिक विवरण रिजस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय श्रम्झाला में, रिजस्ट्री संख्या 5130, दिनांक 23-2-81 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज, रोहतक

सारीख: 19-10-81

प्ररूप आई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याल्यु, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्णन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 श्रक्तूबर 1981

निदेश सं० ग्रम्थाला/18/81-82:—श्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल, आयक्तर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'अन्त प्रक्षिनियम' कहा गया है), की आरा 269-ख के प्रधीन सम्मान्त प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि श्यावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाबार मूख्य 25,000/- ४० से प्रधिक है

धौर जिसकी सं० मकान नं० 334 है तथा जो डल मॉटाउन, अम्बाला में स्थित है (श्रीर इससे उपाधन अनुसूची में धौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, अम्बाला में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, तारीख जून, 1981।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूह्य से कम के दुश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूह्य, उमके दुश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविष्ठ का से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आप की बाबत, उक्त पश्चि-नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित में कमो करने या उसस बचने में मुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

 श्रीमती विद्यावती पत्नी श्री लोक नाथ शर्मा नि० श्रम्थाला शहर।

(अन्तरक)

 श्रीमती चांद रानी पत्नी रतन सिंह मकान नं० 334, मांडल टाउन, ग्रम्बाला शहर।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्परित के अर्जन के निष्ए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारी से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्यारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्परित में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरणः — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का, जो उक्त अधिनियम, के कथ्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुस्ची

सम्पत्ति मकान नं. 334, मॉडल टाउन, श्रम्बाला शहर में स्थित है जिसका ग्रधिक विवरण रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय ग्रम्बाला में, रिजस्ट्री संख्या 1415, दिनांक 15-6-81 पर दिया है।

> गो० सि० गोपास, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, रोहतक।

जतः अव, उक्त अभिनियम की भारा 269-व के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की भारा 269-व की उपभारा (1), के अधीन निम्मलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

तारीख: 19-10-81

मोहर ्

प्ररूप भाई। टी० एन० एस०---

ग्रायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-व (1) के ग्रधीन सूचमा

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर श्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 श्रक्तूबर 1981

निदेश सं० घल्लभगढ़/270/80-81:—-ग्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल,

धायकर ग्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पम्चात् 'उक्त ग्रधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/-रु० से ग्रधिक है,

और जिसकी संव रिहायसी मकान नंव 5 पी/37-सीव है तथा जो टाउनणिए, फरीदाबाद में स्थित है (और इसमे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से बर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रिधकारी के कार्यालय, बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधान, तारीख फरअर्रा, 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकत से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) ब्रग्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उनत ग्रिधिनयम, के प्रधीत कर देते के ब्रग्तरक के वागित्व में कमी करते या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रौर/य।
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में मृविधा के लिए;

अतः प्रव, उन्त ग्रधिनियम की धारा 269-ग के प्रनुसरण में, में, उक्त श्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ग्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, प्रयोत:--- श्रीमती मार्गरेट दास पत्नी श्री ए० एल० दास;
 एवम हमन दास पुत्र श्री होनक यु०, नि० 5-एच०—
 55, न्यू टाउन, फरीदाबाद।

(मन्तरक)

1. श्री ग्रौम प्रकाश भाटिया पुत्र श्री चुनी लाल

 श्रीमती राज कुमार पत्नी श्री ग्रौम प्रकाश भाटिया नि० म० नं० 5 पी/37-सी०, टाउनिशप, फरीदाबाद । (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के भ्रार्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के संबंध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से
 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर
 सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो
 भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त
 व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अद्योहस्ताक्षरी के पाक्ष लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पच्छीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उनत भिष्ठित्यम के भ्रष्ठ्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही भ्रषं होगा, जो उस भ्रष्ट्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति रिहायसो मकान नं० 5 पी/37-सी०, टाउनणिप फरीदाबाद में स्थित है जिसका श्रिधक विवरण रिजस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय, बल्लभगढ़ में, रिजस्ट्री संख्या 10889, दिनांक फरवरी 1981 पर दिया है।

गो० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, रोहतक

तारी**खः 19-1**0-81

प्रकृप बाई॰ टी॰ एन॰ एस॰-

थायकर प्रकितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-म(1) के प्रजीत सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक भायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण)

मर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 प्रक्तूश्वर, 1981

निवेश सं० पानीपत/104/80-81,—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसक पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा नया है), की धारा 269-ख के भनीन सक्तम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्वावर सम्पन्ति, जिसका उचित बाजार मृष्य 25,000/- ४० से भनिक है

भौर जिसकी सं कि मकान नं 482 एल का 2/3 हिस्सा है तथा जो भांडल टाउन, पानीपत में स्थित है (श्रौर इससे उपाध्रद्ध अनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्त्ता अधिकारों के कार्यालय, पानोपत में, रिजस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के श्रधान, तारीख 20-2-1981 की पुर्वोक्स सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है भौर मुझे यह विश्वास करके का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके वृश्यमान प्रतिफल के पन्त्रह प्रतिगत से सिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया अया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य, से उच्त अन्तरण लिखित में वास्तविक इप से कथित नहीं किया चया है:--

- (क) मन्तरण से हुई किसी भाय की वाबत उक्त भिक्षितयम के अभीन कर देने के भन्तरक के वायित्व में कभी कब्ते या उससे वचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य शास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर श्रिधिनयम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या अनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती क्रारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना शिहए था कियाने में सुविधा के लिए. ।

जतः जन, उक्त अधिनियम की द्वारा 269क्ष के समुस्रश्य में, में, उक्त अधिनियम की बारा 269क्ष की उपहारा (1) के प्रधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, वर्षांत्: श्रीमती श्रामु मखीजा पत्नी श्री भीम सेन नि० 5-सी०/94, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली।

(अन्तरक)

2. 1. श्री सुभाष चन्दर पुत्र श्री राम लाल।

- श्रीमती शान्ता कुमारी पत्नी सुभाष चन्दर नि० जें०-5/121, लाजपत नगर, दिल्ली।
- श्रीमती सन्तोष भाटिया पत्नी श्री प्रेम कुमार नि० 48, मॉडल टाउन, पानीपत।

(अन्तारती)

की यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां चरता हूं।

उन्त सम्पत्ति के म्रर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अविधि, जो भी प्रविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारी का से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवड किसी अन्य अ्थिकत द्वारा, अधोहस्ताकारी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदोंका, जो 'खब्त ब्रधि-नियम', के अध्याय 20-क में परिवाधित हैं; बही अर्थ होगा, जो छस अध्याय में विया गया है ।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 482 एल० का 2/3 हिस्सा है जो मोडल टाउन पानीपत में स्थित है जिसका ग्राधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय पानीपत में रजिस्ट्री संख्या 5/39 विनांक 20-2-81 पर दिया है।

> गी० सि० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक आयुक्तर अायुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज, रोहसक।

तारीख: 19-10-81

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकार आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 21 ग्रक्तूबर 1981

निदेश सं० गुड़गांवा/145/80-81—ग्रतः, मुझे, गो० सि० गोपाल,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रीर जिसकी मं० मकान नं० 258, सेक्टर 4 है तथा जो गुड़गांवा में स्थित है (श्रोर इसमें उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से बागत है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, गुड़गावा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, नारीख मार्च, 1981

को पूर्वोक्त संपंत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थमान प्रतिफल के निए अन्ति रत की गई है और स्फ यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रध्न प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तिरती (अन्ति रितयों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्निलिखित उव्वेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोनें के अन्तरक के दायिस्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या
- (ख) एर्न्सा किसी आय या जिल्सी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

 सर्वश्री सुरेश कुमार, विनोद कुमार, विजय कुमार, शिव कुमार, मुनील कुमार पुत्नान श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता नि० डब्ल्यू० जेड-172, पालम कालोनी, दिल्ली।

(अन्तरक)

- 2. 1. सर्वश्री सुरेश चन्द, हरीश गुप्ता पुत्रान श्री बलराज गप्ता
 - 2. श्री पवन कुमार पुत्र श्री नरेश चन्द ।
 - श्री सुशील कुमार पुत्न श्री राम रतन, नि० 258/4, प्रर्बन एस्टेट, गुड़गावा।

(अन्तरितौ)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविध बाद में समाप्त होंती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपरित में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास विक्रित में किए जा सकीगे।

स्पष्टीकरण: — इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति मकान नं० 258, सेक्टर । श्रर्घन एस्टेट, गुड़गाबा में स्थित है जिसका ग्राधिक विवरण र्गाभस्ट्रीकरण के कार्यालय, गुड़गावा में, रजिस्ट्री संख्या 5290, दिनांक 10-3-81 पर दिया है।

> गो० सि० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी स**हा**यक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रोंज, रोहतक

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निमालिखित व्यक्तियों, अधीत् :--

तारीख: 21-10-81

मोहर 🕫

प्ररूप भाई० टी० एन• एस•---

भ्रायकर पश्चितियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के भ्रधीन सूचना

मारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 20 श्रक्तूबर 1981

सं० बराडा/4/80-81:—अतः मुझे, गो० सि० गोपाल, प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के धिनियम को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- द० से प्रधिक है

भौर जिसकी सं० दुकान नं० 132, वार्ड नं० 18 है तथा जो भीन्द में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्त्ता श्रीधकारी के कार्यालय, बराडा में, रिजस्ट्रीकरण श्रीधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिकल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास अरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार ग्रमूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिकल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकल का पन्द्रह् व्यक्तिण से अधिक है और प्रन्तरक (अन्तरकों) और प्रन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच है। प्रन्तरण के लिए तर पाया गया प्रतिक्षल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रन्तरण लिखित में वास्तिषक क्ष्य से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) भन्तरण ने हुई किसी श्राय की बाबत उक्त श्रीध-नियम के श्रधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसने बचने में मुविधा के लिए; ग्रौर/या
- (ब) ऐसी किसी आप या किसी धन या अन्य श्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर श्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) का उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, डिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उनत अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उनत अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के क्यीन, निय्नीलिश्वत स्थितिस्ताम, निय्नीलिश्वत स्थितिस्ताम, निय्नीलिश्वत स्थितिस्ताम, निय्नीलिश्वत स्थितिस्ताम, निय्नीलिश्वत

 श्री बन्सी लाल पुत्र श्री दीवान चन्द पंजाबी बाजार, जीन्द।

(अन्तरक)

 श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री मेहर चन्द दुकान नं० 132, वार्ड नं० 18, केशियान मौहल्ला, जीन्द।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के धर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारींख से 45 दिन की भविद्य या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की भविद्य, जो भी भविष्य बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति कारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख़ से
 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबढ़
 किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास
 लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो 'उक्त प्रधिनियम', के भ्रष्ट्याय 20-क में परिभाषित है, वही भ्रषं होगा, जो उस अध्याय में विया गया है।

अनुसूची

सम्पत्ति दुकान नं० 132, वार्ड नं० 18, पंजाबी बाजार, केशियान मौहल्ला, जीन्द में स्थित है जिसका श्रीधक विवरण रिजस्ट्रीकर्ता के कार्यालय बराडा में, र्राजस्ट्री संख्या 4194, दिनांक 17-2-81 पर दिया है।

गो०, सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) स्रर्जन रेंज, रोहतक

तारीख: 20-10-81

प्ररूप आहूर.टी.एन.एस, ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन स्चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 ग्रक्तूबर 1981

सं० बल्लभगढ़, /284/80-81:---श्रत मुझे, गो० सि० गोपाल.

भायकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके प्रचात 'उक्त अभिनियम,' कहा गया है), की भारा 269-इस के अभीन सक्षम प्राधिकारी को बहु विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका अभित बाजार मूल्य 25,000/ रा. में अधिक है

श्रीर जिसकी संव प्लाट नंव 38, ब्लाक-I, है तथा जो श्रीक्षोगिक क्षेत्र, फरीदाबाद में स्थित है (श्रीर इससे उपाबक्ष शगुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रिधकारी के कार्यालय, बल्ललभगढ़, में, रजिस्ट्रीकरण श्रीधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन, तारीख फरवरी, 1981

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपर्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का विश्वह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पामा गया प्रतिफल का निम्निलिस्त उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी ग्राय या किसी धन या अन्य आसित्यों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के लिए;

सतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-त को अनुसरण मों, मों, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- श्री गुलगन राय खुराना पुत्र श्री जी० एस० खुराना श्री रमेण सूरी पुत्र श्री एस० सी० सूरी, विल्ली।
 (अन्तरक)
- मै० गुप्ता कन्सट्रक्शन कम्पनी, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली।

(ग्रन्तरिती)

का, बहु सूचना चारी करके पूर्वों कत सम्पत्ति के अर्जन के जिल्ह कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस स्वना को राजपत्र में प्रकासन की तारींच ते 45 विन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्वना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा:
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीत से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्मित्त में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

वन्स्ची

सम्पत्ति प्लाट नं० 38, ब्लाक-I, क्षेत्रफल 650 व० ग० श्रीद्योगिक क्षेत्र नं० 1, मेवला महाराजपुर फरीदाबाद में स्थित है जिसका श्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्त्ता के कार्यालय, बल्लभगढ़ में, रजिस्ट्रीकरण 11450 दिनांक 20-2-81 पर दिया है।

> गो० सि० गोपाल, सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षीय) भ्रजेन रेंज, रोहतक

तारीख: 19-10-1981

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज, रोहतक

रोहतक, दिनांक 19 अक्तूबर, 1981

सं० तावडू/3/80-81.—-श्रतः मुझे, गो० सि० गोपाल, आपकर प्रष्टितियम, 1961 (1961 का 45) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त पश्चितियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के प्रधीत सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वात करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिन्ना उचित बाजार मूख्य 25,000/ध्यए से प्रश्चिक है श्रीर जिसकी मं० भूमि 61 कनाल 11 मरले हैं सथा जो तावडू में स्थित है (ग्राँग इससे उपावड श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण कप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्सा श्रीधकारी के कार्यास्य,

तावड् में, रजिस्टीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का

16) के प्रधीन, तारीख फरवरी, 1981
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दूश्यमान
प्रणिफल के लिए प्रन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वाम
करने का फारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उतित बाजार
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का
पण्डह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)
धौर अन्तरितों (प्रन्तरितियों) के बीज ऐसे मन्तरण के लिए
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उच्त अन्सरण
निश्चित में बाल हिन्ह का से निया नहीं है। गया है:---

- (क) प्रत्रेण से हुई किसी ग्राय की बाबत, सकत ग्रिश्वनियम के ग्रिशीन कर देने के ग्रस्टरक के इचितक में कथी करने या उससे बचने में मुविधा के किए: भीर/मा
- (ख) ऐता किता बाज ता किती जा या अन्य आस्तियों, कां, जिन्ह सारतोग जान-हर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के परोजनार्थ अन्तरितो हारा प्रकट नहीं किया भया था यो किया जाना चाहिए था, कियाने में अधिका के लिए:

श्रतः श्रव, उक्तत्रधिनियम की धारं 269 ग के श्रनुसरण में में उक्त श्रिधिनियम की धारं 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्मानिकान व्यक्तियों श्रथीत्:-- श्री खुशी राम-नारायण दास पुत्र श्री तुला राम नि० जौरासी (तावडू)।

(अंतरक)

 कु० म्रनीशा राजगारिया पुत्र श्री गोपाल राजगरिया नि० 9, महारानी बाग, नई दिल्ली।

(अंतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोच्त सम्पत्ति के धर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

जनत सम्पत्ति के श्रजन के सम्बन्ध में कोई भी श्राक्षेप--

- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन को तारी ख से 45 दिन की श्रविध या तस्सम्बन्धी क्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, भी भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किसी क्यक्ति द्वारा।
- (ख) इस सूत्रना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील में 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा, ग्रधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पक्टोकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो उक्त सिनियम के अध्याय 29-क म परिभावित ई, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया स्था है।

अमुसुची

सम्पत्ति भूमि 61 कनाल 11 मरले खोरी कर्ला में स्थित है जिसका श्रधिक विवरण रजिस्ट्रीकर्ता के कार्यालय ताबडू में रजिस्ट्री संख्या 689 दिनांक 11-2-81 पर दिया ह।

> गो० सि० गोपाल सक्षम प्राधिकारी स्हायक जायकर आमृक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, रोहसक

तारीख : 19~10-1981

मोहर 🏃

प्रस्प नाई.टी.एन.एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंजI, कलकत्ता-16

कलकत्ता-16, दिनांक 22 सितम्बर 1981

सं हि॰ प्रार 573/80-81/एस॰ एन॰ 589—मुझे, प्राई॰ वी॰ एस॰ जुनेजा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पहचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उपित बाजार मृल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० 4 है तथा जो चांदनी चक, कल० में स्थित है (भ्रौर इसमे उपाबद्ध भ्रनुसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता भ्रधिकारी के कार्यालय, कल० में, रजिस्ट्री-करण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के भ्रधीन, दिनांक 18-2-1981

को पूर्वोक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मफ़े यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्परित को उचित बाजार मूल्य, उसके शश्यमान प्रतिफल से, ऐसे श्रयमान प्रतिफल का पम्प्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल कि निम्निलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण निस्ति में बास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी भाय की वाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दासित्व में कभी करने या उससे अभने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिक्ति व्यक्तियों, अर्थात् :-15—316G1/81

1. श्री मुहुम्मद श्रहमद एण्ड श्रवर्स।

(मन्तरक)

2. श्रीमती निर्मेला देवी जईन एण्ड ग्रदर्स। (ग्रन्तरिती)

को यह सूचना चारी करके पृत्राँकत् सम्पत्ति के वर्जन् के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ह से 45 दिन की अविधि मा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्यारा अधोहस्ताक्षरी के पासु लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पटीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उनत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा वो उस अध्याय में दिया ग्या है।

अनुसूची

4 चांदनी चक, कल, ग्रवस्थित्, 11 कट्टा, 9 छटाक 12 वर्ग फीट, जमीन जो डीड नं० I-1161, श्रनुसार 18-2-81 तारीख में रजिस्ट्रार श्राफ एयसुरन्स कलकत्ता का दफ्तर में रजिस्टर्ड हुश्रा।

> श्राई० वी० एस० जुनेजा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज, कलकत्ता।

तारीख: 22-9-1981

प्रकप बाई॰ डी॰ एन॰ एस॰---

भायकर ममिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-भ (1) ने मभीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
भर्जन रेंज-I, कलकत्ता
कलकत्ता, दिनांक 25 सितम्बर 1981

सं० ए० सी०/रेंज-IV/कल/19:—-यतः मुझे आई०
भी० एस० जुनेजा,
भायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें
भसके पश्चात् 'उक्त प्रधिनियम' कहा गया है), की धारा
269-ज के प्रधीन सन्त प्रधिकारी को, यह विश्वास करने
का. कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका खिकत
बाजार मूल्य 25,000/- सपये से प्रधिक है
भीर जिसकी सं० 1 है तथा जो करिम बक्स मेन कलकत्ता

स्थित है। श्रौर इससे उपाबद्ध अनुसूची में श्रौर, पूर्णकप से वर्णित है। रजिस्ट्रीकर्सा श्रधिकारी के कार्यालय कलकसा में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 25-2-81।

को पूर्वोक्त बम्पत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के वृष्यमान प्रतिक्रल के निए अन्तरित की नई है मीर मुक्ते वह निश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मृह्य, उसके वृष्यमान प्रतिक्रल से, ऐसे वृष्यमान प्रतिक्रल का पन्द्रह प्रतिहान से अधिक है और बश्यस्क (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के निए तय पाया गया प्रतिक्रल, निश्निलिखित उद्देश्य से उच्य अन्तरण निक्षित्र में वाक्तिक रूप से क्षित्र महीं किया गया है:----

- (क) भन्तरण से हुई किसी धाय की बावल सक्त अधिनियम के घंधीन कर देने के घंन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा। के सिए; धौर/या
- (ख) एसी किसी प्राय या किसी धन या प्रत्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय ग्रायकर प्रधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उन्त भ्रषिनियम, या धन-कर श्रषिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थं ग्रन्तिरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

भ्रतः अब, उन्त भिष्ठिनियम की घारा 269-ग के भ्रमुसरण में में, उन्त भिष्ठिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के मधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :--- 1. श्री सुरिन्दरा नाष दल।

(भ्रन्तरक)

खिलल ग्रहमद एण्ड ग्रादर्स।

(भ्रन्तरिती)

(1) मुष्टम्मद सिकरीया एण्ड म्नादर्स ।
 (वह व्यक्ति, जिसके म्निधमोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के प्रजेंन के जिए कार्यवाहियां करता है।

- (स) इस सूचना के राजपत में प्रकाशम की तारीका से 46 दिन की अवधि, या तत्सक्वन्धी क्यांदित्यों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूचोंकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (म्र) इस सूचना के राजयत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-वद किसी अन्य भ्यक्ति हारा अझोहस्ताकारी के पात लिखित में किए जा तर्केंगे।

स्वध्दीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों झौर पदों का, जो चक्त श्रक्षितियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बही झर्च होगा जो उत्तर प्रध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1 नं करिम बक्स मेन कलकत्ता में, श्रवस्थित, 4 कट्टा 9 छटाक, 21 वर्ग फुट जमीन पर एक तस्ला मकान जो 25-2-81 तारीख में डीड नं I -1377 श्रनुसार रजिस्ट्रार श्राफ एसुरेंसेस दफ्तर में रजिस्टर हुआ।

श्राई० थी० एस० जुनेजा, सक्षम प्राधिकारी, सहायक ग्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, कलकत्ता-16

तारीख: 25-9-1981

प्ररूप आई० टी० एन० एस०-----

आयंकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याख्य, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) भर्जन रेंज-3, बम्बई।

बम्बई, विनाम 14 श्रक्तुबर, 1981

स० ए० म्रार०- $I^{II}/1963/5/81-82$ —मत: मुझे सुधाकर वर्मा,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाबार मृत्य 25,000/रा. से अधिक हैं

श्रीर जिसकी सं० है तथा जो सी० टी० एस० मम्बर 60 (1 से 4) एस न० 12, हिस्सा नं 2 (पी विटी) सी० टी० एस० नं० 61 (1 से 3) एस० नं० 13 (पी० टी०) ग्रण्डमेझरिंग 398.94 स्कवेग्नर यार्डस सिच्यूएट ग्रंट गोरेगांवकर वीडी निम्नर गोरेगांवकर, ब्ह्रिलेज, एस० वी० रोड, श्रन्धेरी (पश्चिम)में स्थित है श्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधि-कारी के कार्यालय, बम्बई में, रजिस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-2-1981 को पूर्वीक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि युथापूर्वीक्स संपरित का उच्चित बाजाइर मृत्थे, उसके अव्यसान प्रतिफल से, एसे अव्यमान प्रतिफल महा वन्द्रह्रप्रतिपात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अमाफ़िती (अन्तरितियाँ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित मही फिया गया है:--

- (क) श्रृत्तरण ते हुई किसी नाव की वायत उक्त कर्डिन्-नियम की ब्योन कर देने के श्रृत्य के वायत्व में कजी कर्द या उससे ब्युने में सुर्विभा के लिए; श्रुर्दिया
- (का) प्रोत्ती विकसी आवं या किसी भग का अच्य अवस्तित्यों को, जिन्हों भारतीय आयु-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27), के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्यारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था कियाने में सविधा के लिए।

श्वतः अ्ब्, उक्त अधिनियम, की भारा 269-ग के बनुसरण भो, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपभारा (1) के के अधीन, निम्निचित्तित व्यक्तियों, अर्थात् ⊈--- 1. श्री बसन्त कृष्ण राव गोरेगांवकर

(ग्रन्तरक)

2. श्री विष्णु बाबू राव देसाई।

(भ्रन्तरिती)

श्री विष्णु बाबू राव देसाई।
 (वह व्यक्ति, जिसके ग्रिधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्य-वाहियां करता हूं।

जनत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई की बाखोप !---

- (क) इस सूचना के राजपन में प्रकाचन की तारीख में 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद मैं समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त ब्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी सन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

सम्बद्धीसन्द्रण:—इसमें प्रंयुक्त शब्दों भीर पढ़ों का, जो उक्त ग्रिधिनियम के श्रध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं ग्रथं होगा, जो उस ग्रध्याय में विया गया है।

अनुसूची

धनुसूचित जैसा कि, विलेख सक्या एस० 2736/80। सम्बद्दी, छपरजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 21-2-1981 को रजिस्टडे किया गया है।

> सुधाकर वर्मा, सक्षम प्राधिकारी, सङ्घायक भायकर मायुक्त (निरीक्षण), भर्जन रेंज, बम्बई।

तारीख: 14-10-1981

प्ररूप आहर्. टी. एन. एस.-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-व (1) के अधीन सचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 अक्तूबर, 1981

सं० ए० श्रार०-1/4532-1/81-82:—- ग्रतः मुझे, सुधाकर वर्मा,

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियमा कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्मति, जिसका उचित् बाजार मूल्य 25,000/-रु. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० 1441/66 (बांम) न्यू एस० नम्बर 2 ए० /7014 (पी० टी०) एण्ड सी० एस० नम्बर 1/665 (पी० टी०) ग्राफ मलवार हिल ग्रौर कंवाला हिल डिविजन, बम्बई-400007 में स्थित है (ग्रौर इससे उपावद्ध ग्रनुसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है, रजिस्ट्री-कर्त्ता के कर्यालय श्रन्टामाउट रोड में, रजिस्ट्रीकरण श्रधि-नियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन, तारीख 6-2-81

को पूर्विक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्विक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्त्रष्ट प्रतिशात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया ग्या प्रति-फल, निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त बन्तरण जिल्हित में वास्तिब्क रूप से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की मान्त, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे ब्चने में सूत्रिधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, कियाने में सविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण् भों, मीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन निम्नतिसित व्यक्तियों, अधीत् :--- 1. श्री श्री० एम० सोलंकी।

(श्रन्सरक)

- 2. दि श्रलटब्यू को-धापरेटिव हाउसिंग सोसायटी लिमिटेड (श्रन्सरिती)
- 3. (1) श्री एस० बी० ढोले,
 - (2) श्रीमती ग्राई० बी० वकील
 - (3) श्रींडी० पी० गांधी
 - (4) श्रीमती के० बी० पारीख
 - (5) श्रीमती एस० एन० श्रम्बानी
 - (6) श्रीमती सी० एन० पटेल
 - (7) श्री जी० पी० गांधी
 - (8) श्री वाई० जी० वेनकर
 - (9) श्री एन० एल. डागा
- (10) श्री जे० डी० सोलकी
- (11) श्री डुंगरशी मुरजी
- (12) श्री विशनजी मुरजी
- (13) श्री प्रेमजी शिवजी।

(वह व्यक्ति, जिसके भ्रधिभोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करको पूर्वोंक्त सम्पस्ति को अर्जन को लिए कार्यवाहियों करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की जविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकींगे।

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 29-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वन्सूची

भ्रनुसूची जैसा कि विलेख संख्या 1441/66 (बॉम), बम्बई उप रजिस्ट्रार द्वारा दिमांक 6-2-1981 को रजिस्टर्ड किया गया है।

> सुधाकर वर्मा, सक्षम प्राधिकारी; स**हायक भ्राय**कर **भागुक्त** (निरीक्षण) **भर्ज**न रेंज, बम्बई।

तारीख: 14-10-1981

प्ररूप आर्दा . टी . एन . एस . ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 को 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरक्षिण) श्रर्जन रेंज, बम्बई

बम्बई, दिनांक 14 भ्रक्तूबर 1981

निर्देश मं० ए० ग्रार०-ग्राह०/4542-11/81/82---ग्रतः मझे, सुधाकर वर्मा,

आयकर आधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की भारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रा. में अधिक है

ग्रीर जिसकी संव सीव एसव नम्बर 556 है तथा जो मलवार ग्रीर कंबाला हिल रोड में स्थित है (ग्रीर इससे उपाबढ़ श्रनमूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है) रिजस्ट्री-कर्ता ग्रीधकारी के कार्यालय बम्बई, में रिजस्ट्रीकरण ग्रीध-ियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिधीन तारीख 26 फरवरी 1981 (डाक्मेंट नंव वॉम/652/80)

को पूर्विकत सम्पत्ति के उचित बाजार मृल्य से कम के स्थमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गर्ड हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण हैं कि यथापूर्वाकत संपत्ति का उचित बाजार मृल्य, उसके स्थमान प्रतिफल से, एसे स्थमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिश्वात से अधिक हैं और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उसत अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अनगरण सं हुड़ि फिली आप की बायल, उदल अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में अभी करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर लिधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ध्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूर्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अथित् हिन्न माहर 🛭

- (1) श्री छोटा भाई शंकर भाई पटेल श्रौर झन्य (श्रन्तरक)
- (2) स्रोगस्ट क्रांती प्रिमायसेस को-ऑप० हो सो० लिमिटेड

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पृत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की सामिल से 30 विन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा:
- (ख) इस मूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्यक्ति में द्वितश्रद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्यष्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में प्रिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अनुसूची

अनुसूची जैसा कि, विलेख संख्या बम्बई/652/80, बम्बई उप-रिजस्ट्रार द्वारा दिनांक 26/2/1981 को रिजस्टई किया गया है।

सुधाकर वर्मा सक्षम प्राधिकारी तहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, बम्बई

दिनांक : 14-2-1981

नोहर:

प्रकप माई॰ टी॰ एन॰ एस॰———— ग्रायकर श्रिवित्यम, 1961 (1961 का 43) की बारा 269-व(1) के श्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज- , बंम्बई

बम्बई, दिनोक 15 ध्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० प्राई० 2/3147/फेब81---श्रतः मझे संतोष रंता,

आपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्वात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की घारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उभित बाजार मृष्य 25,000/-रपने से धिक है

श्रौर जिसकी सं० प्लाट नं 383 एस० एस० नं० 7, सी० टी० एस० ई०/293 है तथा जो खार दाण्डा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध ग्रनसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणित है) रिजस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, बम्बई में रिजस्ट्रीकरण श्रधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन, तारीख 21-2-1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मृत्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपर्ति का उचित बाजार मृत्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से प्रधिक है और प्रन्तरक (प्रन्तरकों) और प्रन्तरिती (पन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए, त्यपाया गया प्रतिफल कि निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त श्रम्तरण लिखित में वास्तविक कप से कथित नहीं किया गया है:—

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी धाय की बाबत उक्त प्रधि-नियम के घंधीन कर देने के भन्तरक के दायित्व में कमी इरने या उससे बचने में सुविधा के लिए; धीर/या
- (ख) ऐसी किसी प्राथ या किसी धन या अन्य आस्तियीं को, जिन्हें भारतीन ग्रायकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या जनकर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ प्रन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या या किया जाना जाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः, अब, उन्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उन्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीम, निम्नीलिखित व्यक्तियों, सर्वीत् !---

- (1) श्री बिहारीलाल दौलप्तराम छात्रिया श्री किशनलाल दालतरा छात्रिया श्री श्रर्णुनलाल दौलतराम छात्रिया खार द्वारका को-ऑप हाड० सी० लिमिटेड (ग्रन्तरक)
- (3) श्री द्वारकादास बी० वाच्छा श्री मृलचन्द जी० छान्निया

(ग्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीक्त सम्पत्ति के धर्जन के किए कार्यवाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के घर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की शबधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की शबधि, जो भी शबधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति झारा;
- (ख) इस सूचना के राजरत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त क्यावर सम्पत्ति में हि्तबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, भ्रधोहस्ताकरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

क्रिकटो करण: — इसमें प्रयुक्त पाठवों मीर पक्षों का, जो छक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस प्रध्याय में दिया गया है ।

अपूस्ची

अनुसूची जैसा कि विलेख संख्या एस० 441/78 बन्बई उपरिजस्ट्रार द्वारा दिनांक 21-2-1981 को रिजस्टर्ड किया नया है।

> संतोष दशा सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रजैन रेंज-II, बस्बई

तारीखः 15-10-1981 मोह्यः

प्राक्य भाई। टी। एन। एस।---

आक्कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 व(1) के मधीन सूचना भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज, श्रहमदाबाद

भ्रह्मदाबाद, विनांक 5 भ्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० एफ० नं० पी० क्रार० नं० 1419 झर्जन रेंज 23-I/81-82---ध्रत: मझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनिषम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उन्त पिधिनियम' कहा गया है), की धादा 269-ज के प्रधीन सक्षम प्रधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूस्य 25,000/- रुपए से प्रक्षिक है

ग्रोर जिसकी सं सर्वे नं 349 चैफी है। या जो पटवान ग्रोर सुरेन्द्र नगर में स्थित हैं हैं (ग्रीर इससे उपाबस ग्रनसूची में ग्रोर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रिजस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कर्यालय, पठवान में रिजस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 27-3-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूक्य से कम के दूरयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करमें का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य, उसके दूरयमान प्रतिफल से, ऐसे दूरयमान प्रतिफल का मन्द्रहं प्रतिगत से प्रधिक है और मन्तरक (मन्तरकों) और मन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकल निम्नलिखित उद्देश्य से उनत अन्तरण जिख्त में वास्तविक का से कवित नहीं किया बया है:——

- (क) भ्रम्तरण से हुई निसी पाम की बाबत उन्त भ्राविषय के भ्रष्ठील कर देने के प्रस्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के सिए। और/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या अध्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय पायकर श्रीधनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अवः उत्तर पश्चितियम की घारा 269-म के धनुसरण में, में, अन्त प्रधितियम की घारा 269-म की उपधारा (1) को सभीन, निम्निसिसिस व्यक्तिमों, सभीत् :--

- (1) श्री सुरेन्द्र नगर श्रेज्युकेशन सोसायटी सुरेन्द्रनगर (श्रन्तरक)
- (2) मे० महावीर कन्द्रफ्शन कम्पनी की श्रोर से भागीवार श्री परमार इन्द्रौँसहजी धीरुमा इन बजार, सुरेन्द्रभगर (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जाश्री करके पूर्वीका मन्यति के अर्थन के लिए कार्कवाहियां करता हूं।

उनत सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की घर्वाच या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जी भी घर्वाच बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उपत स्थावर सम्पत्ति में दितबर किसी प्रम्य क्यक्ति द्वारा घंघोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पट्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त गन्दों और पदों का, जी छक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होना, जो एस बज्याय में विया गया है।

भनसूची

खुली जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 25.5 है। सर्वे नं० 349 चैफी न्य श्रेस० टी० बस स्टेन्ड, पढवान रोड, सुरेन्द्रनगर में स्थित है। तथा जिसका पूर्ण वर्णन पटवान रिजस्ट्रीकर्सा विफीखत नं० 225/23-3-81 में दिया गमा है।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक र बायुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रह*मदा*धाद

बारीखं 5-10-1981 मोहर : प्ररूप आ**ई० टी० एन० एस०---**आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा

269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहामक म्रायकर म्रायुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाध

ग्रहमदाबाद, दिनांक 7 ग्रक्तूबर 1981

मिर्देश सं० एफ० नं०पी० ग्रार० नं० 1420 श्रर्जन रेंज 23-1/81-82---यतः मुझे जी० सी० गर्ग, प्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 43) का (जिले इपर्नेइनके पश्चात् 'उत्तर प्रधितियम' कहा गण है), की धारा 269-व के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर भगति जिपका उचित् बाजार पत्य 25,000/- इपए से मिशक है **ग्रौर** जिसकी सं० एस० नं० 189 ए०-2-2 नं० 2 पैफी टी० पी० एस० 14 है तथा यो ग्रए जी० नं० 232, एस० पी० नं० 2 वरीयापुर काजीपर में स्थित है। 👸 (और इससे उपाबद्ध भ्रनूसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में रिजस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के म्रधीन 2-2-1981

को पूर्वोक्त सम्परित के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त समात्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का प्रमाह प्रतिशत से मिश्रिक है और प्रस्तरक (प्रस्तरकों) और प्रन्तरिती (प्रस्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित सहेश्य से उक्त ग्रन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कियत नहीं किया गया है:—

- (क) प्रस्तरण से हुई किसी माय की बाबत, उक्त प्रधि-नियम के मधीन कर वेने के प्रस्तरक के वायित्व में कमी करने या उसय बचने में सुविधा के लिए; श्रीर/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधि-नियम, 1957 (1957 का 27) के अयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, खिपाने में सुविधा के लिए;

चतः, भ्रव, जनतं भिधिनियमं की धारा 269-ग के भनुसरण में, मैं; जनतं अधिनियमं की धारा 269-व की उपधारा (1) के धिधीन निम्नलिखित स्यम्तियों, धर्यात् :-- (1) द्रस्टी:—लेट सर हस्तम जहांगीरजी वकील, रावंश्री फिरोज करामगाज फेफाबाद श्रेलिसबीज लॉ गार्ड के नजदीक, (भारत निवास" श्रहमदाबाद श्री नरीमान जहांगीरजी कामा श्रौर श्रस्य गुलमार्ग, शाहीबाग, श्रहमदावाद

(ग्रन्तरक)

(2) 1 श्री भीका भाई के० पटेल, पुनीत श्राफ, शाहीबाग, गवर्नभन्ट गोडडिन रोड, श्रहमदाबाद 2 कान्तीभाई खोडीदास पटेल, खोबीदास की चाल्ड, श्रसाखा, श्रहमदाबाद

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वीकर मध्यति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के ग्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी ग्राक्षेप: ---

- (क) इस सूचना के राजपत्न में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की श्रविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की श्रविध, जो भी श्रविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीका व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वादा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी ग्रन्य व्यक्ति द्वारा ग्रधोहस्ताक्षरी के पास जिखिस में किये जा सकेंगे।

स्वव्दी तरण: ---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पत्तों का, जो उक्त अधि -नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं धर्य होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

धनुसुची

जमीन श्रौर मकान जो दरियापुर काजीपुर, टी. तालुका में स्थित है । जिसका सर्वे नं० 189 ए-2-2 हिस्सा नं० 2 पैकी टी० ची० एस० 14 एफ पी० नं० 232 एस० पी० नं० 2 पैकी 8829 वर्ग यार्ड, तथा जिसका पूर्ण वर्णन श्रहमदाबाद रजिस्ट्रीकर्त्ता बिक्की खतनं० 497/2-2-81 में, दिया गया है ।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक्तर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

तारीख: 7-10-1981

मोहर 🖫

प्रकृष ग्रीहैं ही एन एस---

श्रायकर मित्रिनियम; 1961 (1961 का 43) की घारा 269-व (1) के मधीन सूचना

भारत सरकार

कार्याल्य, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-I, ब्रहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनीक 12 अन्तूबर 1981

निर्देश सं० पी० ग्रार० नं० 1421 ग्रर्जन रेंज 23-1/81-82—ग्रत: मुझे, जी० सी० गर्ग, ग्रायकर ग्रिविनयम, 1961 (1961 का 43)- (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उन्त ग्रिविनयम' कहा गया है), की धारा 269-ख के ग्रधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/— उपये से ग्रिविक हैं भौर जिसकी सं० प्लाट नं० 20 सेक्टर 9 है तथा जो गांधींधाम में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वणित हैं), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय ग्रंजार में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 4-2-1981 को प्रवीकत सम्पत्ति के जिल्दा बाजार मस्य से कम के

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूस्य से कम के दूश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्के यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूस्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पण्डह प्रतिशंत प्रधिक है भीर अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) जनसरण से हुइ किसी जाय की वावत, बक्त विधितसम् के अभीन कर देने के जनसरक के वाधित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा का लिए; जीऱ्र/या
- (ण) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निस्चित व्यक्तियों, अधीन, निम्निस्चित व्यक्तियों, अधीन,

(1) श्री करणनेवासं दयालंजी कोठारी, भीड बजार, भूज

(भ्रन्तरक)

(2) श्री कुमार गोपालजी शाह श्री भानुकान्त लालजी ठाकर, प्रिन्स होटल, भुज

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सस्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के शर्जन के सम्बन्ध में कोई भी वालीय:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 विन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्चना की तामील से 30 विन की अविध , को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति सुवारा;
- (सं) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संमिति में हिंत- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिसित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमी प्रयोक्त शिखों और पदों की, जी उन्हें अधिनियम, के अध्याय 20-क मी परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जी उस अध्याय मी दिया गया है।

अनुसुची

प्लाट नं० 20, सेक्टर 9 गांधीध्यम में स्थित है जिसका पूर्ण वर्णन ग्रंजार रिजस्ट्रीकर्त्ता बिकी खत नं० 205 दिमांक 4-2-1981 में विया गया है।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

तारीखं: 12-10-81

मोहर 🗄

16-316G1-81

प्रारूप बाई. टी. एन. एस. ----

भारा 269-च (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-1, श्रहमदाबाद

भ्रहमदाबाद, दिनांक 12 भ्रक्तूबर 1981

् निवेश सं० पी० भ्रार० नं० 1422 भ्रजेंन रेंज 23-I/-81-82—श्रतः मुझे, जैं०सी० गर्ग,

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उकत अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- क अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार संस्थ 25,000/- रुपए से अधिक है

भीर जिसकी संव टीक्पीक्एसव 19, एफक्पीक नंव 203, पैकीक एसक पीक नंव 4 है। तथा जो वर्ग यार्ड 959, शेखपुर, खानपुर तालुझ संदी श्रहमदाबाव में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद अनुसूची में श्रीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रिस्ट्रीनर्ता श्रधिकारी के कार्यालय, श्रहमदाबाद में रिस्ट्रिकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 2-2-1981

को गृत्रोंक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिक्रल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विद्यास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य, जसके दृश्यमान प्रतिकाल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिकाल का पन्त्रह प्रतिकात अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरितियाँ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिकाल, निम्नलिखित उद्देश्य से उवत अन्तरण लिखित में बास्तिष्क रूप से कथित नहीं किया गया है ६——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अस्तरक के बायित्व में कमी करने या उससे बचन में सुविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सृविधा के लिए;

(1) श्रो रावजीभाई शंकरभाई पटेल, खाडीया, लार्खायानी पोल श्रहमदाबाद ।

(भ्रन्तरक)

(2) जगदीय एपार्टभेण्ट श्रोनर्स ऐसोसियेगन की श्रोर से प्रमुख:--श्री श्रशोकभाई पीमनलाल शाह, 7, हरि-कृष्णा सोसायटी वासना शराज रोज, वासना, श्रहमवाबाद ।

(म्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपति के अर्जन के लिए कार्यवाहियों करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के वर्जन के संबंध में कोई भी शाक्षीप :---

- (क) इस स्थान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर स्थान की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा;
- (ख) इस स्वना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीच से 45 विन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी जन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरों।

स्पद्धक्तिरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्स्पी

खुली जमीन जो मेखपुर-खानपुर, तालुका सिटी में स्थित है, जिसका टी० पी० एस० 19, एफ० पी० 203, पकी एस० पी० मं० 4, जिसका कुल क्षेत्रफल 959 वर्ग यार्ड है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रिष्ट्रिकर्ता बिकी खत नं० 15874 दिनांक 2-3-1981 में दिया गया है।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक आयक र आयुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-ा, श्रहमदाबाद ।

अतः अव, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्निल्खित व्यक्तियाँ, अधीत्ः—

दिनांक: 12-10-1981

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

नायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अधीन स्वना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

ग्रहमगाबाद, विनांक 12 ग्रन्तूबर, 1981

निवेश सं० पी० भार० नं० 1423 मर्जन रेंज 23-I/ 81-82--- मत: मुझे, जी० सी० गर्ग,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है, की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- फ. से अधिक है

मौर जिसकी सं० सर्वे नं० 201, 202 है तथा जो साहिए पुर, गोपालपुर में स्थित है (मौर इससे उपायद्ध प्रनुसूर्च में ग्रीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजर्ट्र कर्ता मधिकारी के कार्यालय, भ्रष्टामदा-याद में रिजर्ट्र करण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के मधीन 3-2-1981,

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रितिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्षे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:--

- (क) जन्तरण से हुई किसी बाय की बाबत, उक्त अधिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के समित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के जिए; बाँग/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी भन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आय-कर अभिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अभिनियम, या अनकर अभिनियम, या अनकर अभिनियम, 1957 (1957 या 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

जतः अज, उक्त अभिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण सें, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अभीन निम्नुतिज्ञित व्यक्तियों, अर्थात् ह——

- (1) श्रो नानालाल मोतीलाल पटेल, 24, कीरतीकुंज को॰ श्रॉप॰ हाउ॰ सोसायटी, दाना-र्ल.मडा ग्रहमदाबाव । (श्रन्तरक)
 - (2) श्री इकबाल श्रब्दुल रहमान सुरती जमालपुर, मोटा-बंबा, श्रहमदाबाद ।

(मन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के सिष् कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध , को भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति व्वारा,
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर सम्मत्ति में हितस्व्भ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पाद लिखित में किए जा सके गे।

स्पथ्दिकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पद्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जो सहिषपुर-गोपालपुर में स्थित है जिसका सर्वे नं० 201 भीर 202 है जिसका कुल क्षेत्रफल ए०-2-04 भीर ए० 11-22+0-12 है तथा जिसका पूर्ण वर्णन भहमदाबाद रिजस्ट्रोकर्ता विकिश्वत नं० 851 दिनांक 3-2-1981 में विया गया है।

जी० सी० **गर्ग** सक्षम प्राधिका**री** सहायक आयकर आयुक्त (गिरीक्षण) अर्जन रेंज-^I, ग्रहमदाबाद।

विनोक: 12-10-1981

मोहर 🛭

प्ररूप आहू . टी . एन . एस . ----

मायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-म (1) के अभीन सूचना

भारत सरकार कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण)

श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाभाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 12 श्रक्तूबर 1981

निद्रेश सं०पी० झार० नं० 1424 झर्जन रेंज 23-I/81-82---श्रतः मुझे; जेंा० संग० गर्ग,

लक्ष्मकृद्ध कृषितिसम्, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके इक्ष्मात 'उक्क्स सिंभिनियम' कहा गया है), की भारा 2569-का के अभीन सक्षम प्राधिक।री को यह विक्यास करने का क्रिक्स है कि स्थापर सम्प्रति, जिसका उनुवित् बाजार मूल्य 25,000/ रु. से अधिक है

स्रौर जिसकी सं० एफ० पो० नं० 100 पैको एस० पी० नं० 26 का० दो० पो० एस० है। तथा जो नं० 4, राजपुर-हिरपुर सिद्ो तालुका, स्रहमदाबाद में स्थित है (स्रौर इससे उपाबद्ध सन्स्या में स्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्रीकर्ता स्रधिकारों के कार्यालय, स्रहमदाबाद में रिजस्ट्रीकरण श्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के स्रधोन 3-2-1981

को प्वोंक्त सम्मित्त को उचित बाजार मुल्य से कम के रश्यमान प्रितिफाल को लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वेक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके रश्यमान प्रतिफल से, एसे रश्यमान प्रतिफल के प्रश्निक रश्यमान प्रतिफल के प्रश्निक प्रतिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिक का निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त, अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कसी करने या उससे अचने में सुविधा के खिए; जोर/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ख्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुहिशा के सिए;

जत्म अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निस्तिक्तिकत स्वित्यों मुर्भात् ६--

- (1) श्रीमती समरथ ग्रंबालाल मूलचन्द पटेल की परिन 2733, लांबापाडानी पोल, रायपुर, श्रहमदाबाद। (ग्रन्सरक)
- (2) तिरुपतो ऐपार्टमेण्ट भोनर्स ऐसोसियेशन, चैयरमेन, श्री प्रशांत चंद्रकात शाह 9, शिववाग कोलोनी, भैरवनाथ रोड, ग्रह्मदाबाद । सेकेटरी: नयनावेन रमेशभाई पटेल, 11-ए, बाडनगर, पाटीदार सोसायटी श्रहमदाबाद-8 ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रों क्त सम्पृत्ति के अर्जन के किए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप हु--

- (क) इस सूचना के राजपण में प्रकाशन की तारी स से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समान्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ब्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकायन की तारीब से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा स्थाहस्ताक्षरी के पास् लिखित में किए था सुकेंगे।

स्यव्यक्तिकरणः -- इसमें प्रयुक्त शक्यों और पर्यों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

वनुसूची

जमीन और मकान जो रायपुर-हिरपुर, सिटी तालुका, मनीनगर में स्थित है, जिसका टी० पी० एस० 4, एफ० पी० नं० 100 पैकी, एस० पो० नं० 26 है जिसका कुल क्षेत्रफल 603 वर्ग-यार्ड है, तथा जिसका पूर्ण वर्णन ग्रह्मवाबाद रिजस्ट्रीकर्ता बिकीखत नं० 830 दिनांक 3-2-1981 में विया गया है।

> जी०सो० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजीन रेंज-I, ग्रहमदाबाद।

विनांक: 12-10-1981

मोहर

प्ररूप आइ. टी. एन. एस. -----

बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

श्रह्मदाबाद, दिनांक 12 श्रक्तुबर 1981

निदेश सं० पो० मार्० नं० 1425 श्रर्जन रेंग 23-1/81-82 ---श्रतः मुझे, जो० सा० गर्ग,

जायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-क के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

भीर सिजका संक सर्वे नंक 26 पैका, ऐसक पाठ नंक 11 पैका पूर्वाय है तथा जो प्रस्ताव ऐफक पोठ नंक 59, पैकी वाडाज सिटा तालुका अहमदाबाद में स्थित है (भीर इससे उपावद्ध श्रनुसूचा में भीर पूर्ण रूप से विणित है), रिजस्ट्राकर्ता श्रधिकारा के कार्यालय, श्रहमदाबाद में रिजस्ट्रां करण श्रधिनियम, 1508 (1968 वा 16) के श्रधान 5-2-1981

की पूर्वेक्त संपर्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रितिफल के लिए अन्सरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वाक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एमें दश्यमान प्रतिफल का पन्तह प्रतिश्वात से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अम्तरिती (जंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिविक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचने में सूविधा के लिए; और/या
- (क) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती ब्यारा प्रकट नहीं किया गया भा या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिसित व्यक्तियों, अर्थात् :---

- (1) श्रोमतः लीलावतः शान्तः लालं शाह आवेरं पार्क, नजदोक देरासरफे नारणपुर, ग्रहमदाबाद । (ग्रन्तरक)
- (2) महावार घा भण्डार दिल्ला दरवाजा के बाहर 28, अडबानो मारकेट, श्रह्मदाबाद ।

(अन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पूर्वों कर सम्परित के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हुं।

उक्त सम्पर्तित के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियां पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पृत्रों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति बुवारा:
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पट्टीकरण:—हसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

मन्त्रकी

जमीन श्रीर मकान जिसका कुल क्षेत्रफल 250 वर्ग यार्ड है तथा जो बाडाज, सिटी तालुका श्रहमदाबाद में स्थित है तथा जिसका सर्वे नं० 26 पैकी, ऐसलपील नं० 11 पैकी पूर्वाय दिणा की मलिक-यत श्रीर ऐफल पोल नं० 59, पैका पूर्वाय दिणा की मलिक्यत तथा जिसका पूर्ण वर्णन श्रहमदाबाद रिल्स्ट्र कर्ता बिकाखत नं० 1532 दिनांक 5-2-1981 में दिया गया है।

> जा०मा० गर्ग सक्ष्म अधिकारी स**हायक आय**कर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजन रेंज-1, श्रहमदाबाद।

दिनांक . 12-10-981

माहर:

प्ररूप आई. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 12 ग्रक्तूबर 1981

निदेश सं० पी० ग्राउ० नं० 1426 ग्रर्जन रेंज 23-1/81-82 ---ग्रतः मुझे, जो० सो० गर्ग,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उकत अधिनियम' कहा गय है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/रा. से अधिक है

ग्रौर जिसकी सं० सर्वे नं० 6/1, 7/1, 14 पैकी प्लाट नं० 1, ए-2 है तथा जो हाथी कालोनी जामनगर में स्थित हैं (ग्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रजिस्ट्री-कर्ता ग्रिधिकारों के कार्यालय, जामनगर में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 9-2-81

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार सूल्य से कम के द्रियमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुभ्ने यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके द्रियमान प्रतिफल से, ऐसे द्रियमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त लिखित में वास्त्विक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया थाया किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए?

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के ब्रधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्री भानुशाली हीरालाल गोकुलदास 49, विज्योजय प्लाट, जामनगर ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती दिवालीबेन दिनेशचन्द्र जोवी (2) श्ररण-कुमार दिनेशचन्द्र जोवी, जमानगर । (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन् के सम्बन्ध् में कोई भी आक्षेप्:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधि-नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन स्रौर मकान जो जामनगर में स्थित है, जिसका रेवेन्यू सर्व तं \circ 6/1, 7/1, 14 पैकी प्लोट नं \circ 1, ए - 2 है तथा जिसका पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रीकर्ता जामनगर बिक्री खत नं \circ 445 दिनांक 9-2-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) प्रजेन रेंज I, ग्रहमदाबाद ।

दिनांक: 12-10-1981

मोहर 🛭

प्ररूप आह. .टी. एन. एस. ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरक्षिण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 12 श्रक्तूबर 1981

निर्वेश सं० एफ० पी० भ्रार० नं० 1427 श्रर्जन रेंज 23-1/81-82---श्रत: मुझे जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पर्वात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार म्ल्य 25,000/ रु. से अधिक है

भौर जिसकी सं० सर्वे न० 44 मीडीचुर सीटी तालुका है तथा जो ग्रहमदाबाद में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबढ़ ग्रनुसूची में भौर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्त्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, ग्रहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण ग्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन 5-2-1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल का पंत्रह प्रतिकात अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अंतरिती (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नतिस्ति उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तिबक क्य से किथत नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अभिनियम के अभीन कर दोने के अन्तरक के दारित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (का) एेसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों को, जिन्ह भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती स्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

नतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-म के, अन्सरण को, मी, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के नुधीन निम्मलिकित व्यक्तियाँ अर्थात् ः--- (1) श्री चंपकलाल छवीलराय इनामदार कर्ता मुख्तार श्री जीतेन्द्रकुमार गोरधनदाम पटेल श्रीर श्रन्य, ग्रहभनावाद।

(ग्रन्तरक)

- (2) 1 श्री विश्नु घोटोमोबाइल के भागीदार
 - 2 श्री हेमेन्द्रकुमार गोरधनदास पटेल
 - 3 श्री जीतेन्द्र कुमार गोरधनदास पटेल (जीनेन्द्र नीवास), पुराना मनीनजर पुलिस श्रोकी के समाने, श्रहमदाबाद ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पृत्रों कर सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उवत सम्परित के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी ह से 45 दिन की अविधिया तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वों कत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दुनारा;
- (व्य) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4.5 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पित्स में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टिकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-के में परिभाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में वियह गया है।

अनसुची

जमीन श्रीर मकान जिसका सर्वे नं० 44 पैकी कुल क्षेत्रफल 3800 वर्ग यार्ड हैं, तथा जो भीदीपेर, सीटी ताल्का में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन श्रहमदाबाद रिजस्ट्री-कर्ना विकीखत नं० 1540 दिनांक 5-2-81 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I, ग्रहमदाबाद I

तारीख: 12-10-81

्रप्ररूप **काइ**. टी. एन. एस.------बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर यायुक्ते (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-11, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 13 ग्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० पि० ग्रार० नं० 1205/काकची/23-/81-82---यत: मुझे जी० सी० गर्ग,

मायकर श्रिष्ठित्यम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त श्रिष्ठितियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के श्रिष्ठीन सक्षम प्राधिकारी की, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर समाति, जिपका उचित वाजार मूख्य 25,000/- रु० से श्रिष्ठिक है

ग्रौर जिसकी सं० ग्रार० एस० नं० 589 ग्रौर 590 (भाग) है । तथा जो प्लाट नं० 3, कसानुबीनगर कीग्रो हौ सो, साथाजी गानज बैराडा में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबद्ध प्रनुसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रिधिकारी के कार्यालय, बेरोडा में रजिस्ट्रीकरण ग्रिधिनयम. 1908 (1008 का 16) के ग्रिधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृथ्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐरो दृश्यमान प्रतिफल का पन्थ्रह प्रतिशन प्रधिक है और प्रन्तरक (अन्तरकों) भौर प्रन्तरिती (ग्रन्तरितियों) के बीच ऐसे प्रन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त भन्तरण लिखित में वास्तविक क्य मे कथित नहीं किया गया है:---

- (क) प्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, छक्त प्रधिनियम के प्रधीन कर देने के भ्रस्तरम के वायित्व में कभी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; प्रौर/या
- (ख) ऐसी किसी भाय या किसी घन या भ्रम्य भास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उनत श्रीधिनियम, या घन-कर श्रीधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भारतिरती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्रोवधा के लिए;

बत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण कों, भीं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) को अधीन निम्नसिक्ति व्यक्तिसों अर्थात्:-- (1) श्रीमती रोताबेन ब्रजलाल तकाटी कसनु बीनागर, साथाजीयनज । बेरोडा ।

(भ्रन्तरक)

- (2) श्री (1) गोविनधलाल कनथालाल सावमी 1,
- (2) रमनलाल सोमनाथ पानचाल ।, नवा बेजार 1, बेरोडा ।

(श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोंक्त सम्पत्ति के भ्रजेन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के श्रजैन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की धविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की धविधि, जो भी धविधि बाद म समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकत व्यक्तियों में से किमी व्यक्ति द्वारा।
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्मत्ति में हितवद किसी अन्य व्यक्ति द्वारा श्रधोहंस्ताक्षरी के पासे लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पब्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों भीर पदों का, जो 'उक्तं ग्रिधिनियम', के श्रध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस घट्याय में विया गया है।

अनुसूची

खुल्ला जमीन को आर्ठ एस० नं० 589 और 590 (भाग), प्लाट नं० 3, कसानु बीजगर कोओन्हीं सोसायटी, साथाजीगनज, बेरोडा में स्थित है और और जो बिलेख नं० 4832 पर संपुढी में स्थित है और जो बिकखत नं० 4832 पर संपुर्ण विशिष्ठ पर बेरोडा सब रिजस्सट्रार के कार्यालय में फेब्रवली मासिक, 1981 में रिजस्ट्रीक गयी है।

जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रॅंज, ग्रहमदाबाद

तारीख 13-10-1981 मोहर : प्ररूप भाई • टी • एन • एस • - - -

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-थ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-II श्रहमदाबाद

श्रहभदाबाद, दिनांक 13 श्रक्तूबर 1981

निर्देश मं० नं० पि० ग्रार० नं० 1206/साकची-23II/81-81—ग्रतः मुझे जी० सी० गर्ग,
शायकर ग्रिप्तिनयम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त ग्रिप्तिनयम' कहा गया है), की शारा 269-ख के श्रवीन सक्षम ग्रिप्तकारों को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका खिलत बाजार मून्य 25,000/- ६० में प्रिप्ति है श्रीर जिसकी सं० नं० 666 प्लाट नं० 1 (भाग) है। तथा जो बेराडा कासब बेरोडा में स्थित (ग्रीर ग्रीर उससे उपाबद्ध श्रनुसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्मा ग्रिप्ति कारी के कार्यालय बेरोडा में रिजस्ट्रीकरण ग्रिप्तिनयम, 1908 (1908 का 16) के ग्रिप्ति वाजार मत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र को प्रवित्त सम्पत्ति के उपावत वाजार मत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र की प्रवित्त सम्पत्ति के उपावत वाजार मत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र की प्रवित्त सम्पत्ति के उपावत वाजार सत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र की प्रवित्त सम्पत्ति के उपावत वाजार सत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र की प्रवित्त सम्पत्ति के उपावत वाजार सत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र की प्रवित्त सम्पत्ति के उपावत वाजार सत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र की प्रवित्त सम्पत्ति के उपावत वाजार सत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र कराया स्वर्ति के स्वर्ति का प्रवित्त वाजार सत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र सम्पत्ति के उपावत वाजार सत्य से कम के दृष्यमान प्रतिपत्र स्वरंपत्ति के सम्बत्ति की स्वरंपता स्वरंपत्त स्वरंपता स्

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उवित बाजार मूल्य से कम के पृथ्यमान प्रतिफल के लिए भग्तिरित की गई है और भूसे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके धृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे पृथ्यमान प्रतिफल का पन्धन् प्रतिष्ठत से अधिक है और भन्तरक (भन्तरकों) और भन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के निए तम पाया गया प्रतिष्ठत, निम्तिलिखित उद्देश्य में उक्त भन्नर में निष्या में वास्तिक इप से कथित नहीं किया गया है :—

- (क) धन्तरण में तुई जिसी श्राय की वाबन, उक्त ग्रधिनियम के ग्रधीन कर देने के ग्रस्तरक के दायिश्व में कमी करने या उससे अवन में सुविधा के लिए; ग्रीर/या
- (ख) ऐपा किसी आप पा किसो उन या प्रत्य प्रास्तियों की, जिन्हें नारतीय आयकर अधिनियन, 1922 (1922 का 11) या उक्त प्रधिनियन, या धन-कर प्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ धन्तरिती द्वारा प्रकर नहीं किया गया था यो किया जान। चाहिए था, जिलाने में सुविधा के लिए;

भ्रतः भ्रम उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त प्रधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:--

(1) श्रीमती नीतामेन दया भिंद् पटेल । बसानत', भानेहगनज, बेरोडा ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्रीमती जबस्रीवेन नीनीशाचन्द्रा शाह मोसेदापन स्रायु), सनताश्रुसा, बेबे।

(ग्रन्तरिती)

भी यह स्वतः जारो करके प्योंना तथाति के अजन के लिए कार्यवाहिया सरवाहुं।

उन्त अस्पति ६ प्रजेन ६ संबंध में होई मी आक्षप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन की अविधि या तत्मम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से .45 दिन के भीतर उच्चत स्थावर सम्पत्ति में हित- बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधीहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरों।

स्पच्टीकरणः -- इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के प्रध्यार 20-क में परिभाषित हैं नदी अये होता जी उर्धायवाल में दिया गया है।

वनुसुची

खुल्ला जमीन जो बेरोडा कासबा, सबे नं० 666, प्लाट नं० 1 (भाग) श्रीर जो बिकखत नं० 576 पर संपुर्ण वर्णित पर बेरोडा सब रजिट्रदार के कार्यालय में तारीख 20-2-1982 में रजिस्ट्री कि गयी है।

जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज•ा, श्रहमदाबाद

तारीख: 13-1-1981

ी∓हर **∶**

प्ररूप आई. टी. एन. एस.------

स्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के **प्रधी**न सूचना

भारत सरकार

कार्याल्य सहायुक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-II, श्रहमदाबाद

ग्रहमदाबाद, दिनांक 13 ध्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० पि० श्रार० नं० 1207/ एक्सी/23-II/81-82--- प्रत: मुझे जी० मी० गर्ग, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पण्चातु 'उक्त प्रजितिसम्' कहा गया है); की धारा 2 6 9 व्य के प्रधीन सक्षम प्राधिकारो को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मुख्य 25,000/- र• से अधिक है भ्रौर जिसकी सं० नं० ६६६, प्लाट नं० 1 (भाग) है। तथा जो बारोडा कासबा, बेरोडा में हिथत है (ग्रीर इससे उपापद्ध श्रनसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकरेंसी ग्रधि-कारी के कार्यालय, में राजस्ट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन को पूर्वीत सम्पति के उचित को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूख्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए घन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वक्ति सम्पत्ति का उचित बाजार मृहय, उसके दुश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दुश्यमान प्रतिफल का पण्डह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों)और अन्तरिती (अन्तरितियों) के भीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित **उद्देश्य से धन्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कवित नहीं**

किया गया है :---

- (क) ग्रन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रिष्ठ-नियम के ग्रधीन कर देने के भ्रन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; भ्रोर/या
- (ख) ऐसी किसी भ्राय या किसी धन या श्रन्य भ्रास्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त भ्रधिनियम, या भ्रन-कर भ्रधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया आना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग को, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-थ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अधृति ६-- (1) श्रीमती बीसाबेन दयाथाडे पटेल ।, 'वासाना' फानेहग-नजा बेरोडा ।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री हारीकीडानलाल कालीदास शाह मोसेदानाथ पहिकय श्रवनयु, सानमाऋस ।, बंवे ।

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उयत सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की सामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस स्चना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन को भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहीं अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसुची

खुला जिम्न जो बेरोडा कासवा सर्वे नं० 666. प्लाट नं० 1, और जो ब्रिकीखन पर बेरोडा सब रिजसट्रार के कार्यालय में पंत्रुवरी महिने, 1981 में रिजस्ट्री की गयी है।

> जी० सी० गर्ग), सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-II, श्रहमदाबाद

तारीख : 13-10-1981

प्रकृप बार्ड. टी. एन. एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43़) की धारा 2**69-घ (1) के अधीन स्**चना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निर्विक्षण)

,श्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाबाद

श्रीर जिसकी सं नं 51, (टिका नं 5, लिमडा श्रोली; रानदेर में है। तथा जो मुण में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रनूसूची में श्रीर पूर्ण रूप में विजत हैं), रजिस्ट्री-कर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, सुणा में रहिजट्रीकरण श्रिधित्यम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन 8 फरवरी 1981 को पूर्वोंक्त संपरित के उचित बाजार मूल्य से कम के ख्रयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुफे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोंक्त संपरित का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दश्यमान प्रतिफल का क्लेंद्र प्रतिकात से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरित (अन्तरितयों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल क निम्निलिखत उद्धिश्य से उक्त अन्तरण निलित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे अचने में सूनिधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हुं भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन- कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अव, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् ॥-- (1) श्री याकुब हासीम नुल्ला कुलयूकायार :-
ग्रहमदा महद पडेल 1,

मेंमीना बीबी मोहमद कासम पडेल 1,

ग्रबदेल करीम मोहम्मद कासय पटेक 1,

ग्रबदेल रहीम मोहमद कासय पटेल 1,

हासीला कानन मोहमद कासय पटेल 1,

मेरिथम बीबी मोहमद कासय पटेल 1,

रेहमान बोबी मोहमद कासय पटेल 1,

श्रबदुल बेबी मोहमद कासय पटेल 1,

श्रथसाबीबी मोहमद कासय पटेल 1,

श्रथसाबीबी मोहमद कासय पटेल 1,

श्रथसाबीबी मोहमद कासय पटेल 1,

श्रममेंलिल श्रसिना बीबी मोहमद कासय पटेल 1,

नाबोदेगली रानर सुरत।

(भ्रन्तरक)

(2) श्री मोहम्मद ग्रहमद नाना 1, लिमडा भ्रोलिङ। रानदेर सुरत

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां गुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविध या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविध, जो भी अविध बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृवक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (श्र) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्थ किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास सिसित में किए का सकेंगे।

स्पट्टीकरणः -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्वो को, जो उकत अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वहां अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अन्स्ची

मिलकस जो एस० नं० 51 टिका नं० 5 लिमडागोली, राजधुर सुरत में स्थित है ग्रीर जो यथाविधी तारीख 7-2-81 म रिजस्ट्री की गयी हैं।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाबाद

तारी**ख** 30-9-1981 मोहर : प्ररूप आहुर. टी. एन. एस. ----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-घ (1) के अधीन सुचना

भारत सरकार

कार्यालय . सहायक कायक र आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज-II श्रहमदाबाद श्रहमदाबाद, दिनांक 30 सितम्बर 1981

निर्देण सं० पी० श्रार० नं० 1186/एकवी :23-II/81-82---यत: मुझे, जी० सी० गर्ग,

क्रायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रुपए में अधिक है

ग्रौर जिसकी संव नोनद नंव 1929 के 5-केव 2 है तथा जो काडीवाला स्कूल, रिंग रोड, सूरत में स्थित है (ग्रौर इससे उपावड अनुभूची में ग्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रिजहर्ट्रीकर्ज़ा अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन 12 फरवरी 1981

को पूर्वेक्ति सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, एसे दृश्यमान प्रतिफल को पन्स ह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे बन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निसित्त उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक हम से किथत नहीं किया गया है:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/या
- (स) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों की, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया, जाना शाहिए था, छिपाने में सविधा के लिए;

अत: अब उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित अधिनतयों अर्थात् :— (1) श्री मानहरलाल गोदर्न दास काडीवाला । श्रीमती पार्वती बेन मनहरलाल काडीवाला । श्री सतीश कुमार मनहरलाल काडीवाला साग्रापुरा । सानदा श्रेरी ।, सूरत ।

(ग्रन्तरक)

(2) श्री रामनलाल देकाराम श्री हीरालाल शीवलाल रेडामवाला ।, दी निरुपति एवदिमेनद को०श्रो०हो०-सोसयिटी 1, साग्रामपुरा ।, हनुमान शेरी ।, सूरत । (श्रन्तरिती

को यह सूचना जारी करके पूर्वों क्त सम्पृत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वीकर व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकरी।

स्पष्टीकरण :---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का ओ उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परि-भाषित हैं, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

जनसन्त्री

मिलकत जो नोद नं० 1929- के-5 के-2 काडीवाला हाई स्कूल के पासे रिंग रोड, सूरत में स्थित है श्रीर जो लाविधी सारीख 12-2-1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर भ्रायुक्त (निरीक्षण) भर्जनं रेंज-ग्रा, भ्रहमदाबाद

तारीख 30-9-1981 मोहर: प्ररूप आई. टी. एनं. एस.----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की भारा 269-भ (1) के अधीन सूचना

भारत मरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

ग्रर्जन रेंज-II, ग्रहमदाबाद,

म्रहमधाबाद,दिनांक 3 म्रक्तूबर 1981

निर्देश सं० पी० प्रार० नं० 1187/एकजी०/23-II/81-82—श्रतः मुक्के जी० सी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु. से अधिक है

श्रौर जसकी सं० टिका नं० 642/, एस० नं० 37, वार्ड नं० 2 है । तथा जो पोहली सिंद्र, नबसारी में हिथत हैं (श्रौर इसमें उपाबद्धं अनूसूची में भ्रौर पूर्ण रूप से बिणत हैं), रिजस्ट्रीकर्सा अधिकारी के कार्यालय, नवसारी में रिजहट्रीकरण श्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 9-2-1981

को पूर्वोक्त संपित्त के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मूक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपित्त का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरका) और अन्तरिती (अन्तरित्यों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक क्ष्प से किथत नहीं किया गया है:——

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की वाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उसरो अचने में मृतिधा के लिए; और/मा
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हों आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) को प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अस अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण भौ, मौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की उपधारा (1) को अधीन, निम्निचित व्यक्तियों, अर्थात्य-- (1) श्री श्रगोकथाई रायन थाई पटेल । मोटा पुलिया, सीसोट्रा, तालूका नवसारी।

(श्रंतिक)

- (2) छाबल जामा मासजीद जमायम इस क्षीयो :--
- (1) सुलेमान मोहमद मानजीरा।
- (2) सुलेमान डेब्राहीम नावसा।
- (3) डेब्राहीम मोहमद वासा।
- (4) मौलाना सरमुदीन अबतुल कदार 1, गांव डानाल सा नवसारी

(ग्रतरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस स्वान के राजपत्र में प्रकाशन की तारी करें 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों एर स्वना की तामील से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थायर संपरित में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के पास विक्रित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उन्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया ही।

BUT W

मिलकत जो एस० न० 87, टिका नं० 6/2, वार्ड न० 2, पोछी सट्टि, नवसरी में स्थित है श्रीर जो थिवही तारीख 9-2-1981 में रजिस्ट्री की गयी है।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक भ्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) भ्रजन रेंज-II ग्रहमदाबाद

तारीखाः 3-10-1981

प्ररूप बाईं. टी. एन. एस.----

कायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-च(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक जायकर आयुक्त (निरीक्षण)
प्रार्जन रेंज श्रहमदाबाद
श्रहमदाबाद, विनोक 26 सितम्बर 1981

निर्देश मं० एफसें नं० पी० श्रार० नं० 1415 श्रर्जनरेंज 23ब /81बं82---श्रतः मुझे जी० सी० गर्ग, बायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269- ब के अधीन सक्षम शाधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मृत्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

मौर जिसकी सं० 391/1 4 2 थैफी नेणनल ड्राइपे रोड़ है। तथा जो गोड़ल जीला-राजकोट में स्थित है (ग्रौर इससे उपाबढ़ श्रनूसूची में ग्रौर पूर्ण रूप से विणत है), रिजस्ट्रीकर्त्ता प्रधिकारी के कार्यालय, गोडल में रिजस्ट्रीकरण प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के ग्रधीन फरवरी 1981

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के इश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रश्यमान प्रतिफल से, एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उच्त अन्तरण लिखित में बास्विक रूप से कथित नहीं किया गया है:---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य मैं कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हां भारतीय आयंकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपानें में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की अपधारा (1) के अधीन निम्नलिश्वित व्यक्तियों, अधीन निम्नलिश्वित व्यक्तियों, अधीन निम्नलिश्वित

(1) श्री बरुलभभाई नानजीभाई फछाडीया एस० टी॰ बस स्टेन्ड के पीछे गोंडल, जिला राजकोट।

(ग्रन्तरक)

(2) ओलम्पीक बोल बेरीग आ० ली० मेनाजींग डायरेक्टर श्री जे० पी० पटेल श्रनेरीया हाउस, देवर रोड राजकोट

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पत्ति के अर्जन के खिएं कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीं से 45 दिन की अविधि या तत्से बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अविधि जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वों क् व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक्ध किसी अन्य व्यक्ति क्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्यव्हीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, ओ उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, बही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

ख़ती लायक जमीन जिसका सर्वे न० 391/1 धौर 2 हैं। जिसका कुल क्षेत्रफल 2 ध्रकर है तथा जो गोडल सीटी के बाहर, नेशनल हारवे, गोंडल जिला राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वरणन रजिस्ट्रीकर्त्ता बीकीखत नं० 119/फरवरी 1981 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण) श्रर्जन रेंज-II श्रह्मदाबाद

तारीख : 26-9-1981

प्ररूप आहाँ . टी . एन . एस . ------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेंज-ा श्रहमदाबाद श्रहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1981

निर्देश मं० एफ० नं० पी० श्रार० नं० 1414 भ्रर्जन रेंज 23-I /81-82--अतः मक्षे जी० सी० गर्ग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पदचात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विद्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000 / एत. से अधिक हैं भौर जिसकी सं० प्लाट नं० 40 में 45 हिस्सा-II है। तथा जो 40/45 उद्योगनगर, सुरेन्द्रनगर में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रन्सुची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्टीकर्त्ता श्रधिकारी के कार्यालय पढवान में रजिटीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 24-2-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मस्य से कम के दश्यमान प्रतिकाल के लिए अन्तरित की गई है और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वीक्त संपरित का उचित थाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिकाल से, ऐसे दश्यमान प्रतिकाल का पन्धर प्रतिज्ञात से अधिक हैं और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति-फल निम्नलिखित उद्दोष्य से उद्देश अन्तरण लिखित में वास्त-ितक रूप से कथित नहीं किए। गया है :---

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या
- (स) ऐसी किसी आय गा किसी धन गा अन्य आस्तियों को, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में स्विधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण में, में, उक्त अधिनियम की धारा 269-म की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों स्थातः :--

(1) मैं धीपरमार टेडीटाइम्स इन्डस्ट्रीज ट्रामवे रोड सुरेन्द्रनगर

(भ्रन्तरक)

(2) मैं णुभालक्ष्मी इन्डस्ट्रीज 40/45 उद्योगनगर सुरेन्द्रनगर

(भ्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वांक्स सम्पृत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति वृद्यारा
- (का) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकोंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित ही, वहीं अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुस्की

फेक्टरी मंकान जिसका प्लाट नं० 40 से 45 हिस्सा-II है जिसका जमीनका कुल क्षत्रफल 8231.75 वर्ग यार्ड है तथा जो 40/45 (मुभलक्ष्मी इन्डस्ट्रीज) उद्योगनगर सुरेन्द्रनगर में स्थित है तथा जिसका पूरण प्रणन बढवाण रिजस्ट्रीकर्त्ता बिक्रीखत नं० 567/24-2-1981 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक ग्रायकर ग्रायुक्त (निरीक्षण) ग्रर्जन रेंज-I ग्रहमदाबाद

तारीख: 26-9-1981

प्ररूप आई. टी. एन. एस.----

आयकर अभिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ष (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरोक्षण)

श्चर्जन रेंज-ा, श्रहमदाबाद श्रहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पी० म्रार० नं० 1413/म्रर्जन रेंज 23-I/81-82-—यतः, मुझे, जी० सी० गर्ग,

शायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परवास् 'उक्त अधिनियम' कहा गया हैं), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण हैं कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार स्थ्य 25,000/- रु. से अधिक हैं

श्रौर जिसकी सं० प्लाट नं० 40 से 45 हिस्सा-ा है तथा जो 40/45, उद्योगनगर, सुरेन्द्रनगर में स्थित है (श्रौर इससे उपाबद्ध श्रनूसूची में श्रौर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, बढवान में रजिस्ट्रीकरण श्रिधनियम,

1908 (1908 का 16) के भ्राधीन दिनांक 24-2-81 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रहसमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और म्फे यह विश्वास करूने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके रहसमान प्रतिफल से, एसे रहसमान प्रतिफल का पन्सह प्रतिशत अधिक है और अन्तरिक (अन्तरिकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरिण के लिए तम पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्वेष्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्त्विक रूप से किथत नहीं किया गया है :--

- (क) अन्तरण से हुं किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन करं दोने के अन्तरक के वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सृविधा के लिए; और/वा
- (स) एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियां स्त्री, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उकत अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती बुवारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना वाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए:

अशः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अन्सरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग की उपधारा (1) के अधीन निम्नीलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--- (1) मैं दि घरमार टेक्सटाइल इन्डस्ट्रीज, ट्रामवे रोड, सुरेन्द्र नगर

(श्रन्तरक)

(2) धनलक्ष्मी इन्डस्ट्रीज, 40/45, उद्योगनगर, सुरेन्द्रनगर

(भ्रन्तरिती)

को यह सुचना जारी करके पृथांक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप्:---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 विन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पृथक्ति व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-वर्ष किसी अन्य व्यक्ति व्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकारी।

स्पष्टीकरणः--इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम को अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया स्था है।

अमृस्ची

फेक्टरी मकान जिसका प्लाट नं० 40 से 45 हिस्सा- है जिसका जमीन का फुल क्षेत्रफल 3017-22 वर्ग गज है तथा जो 40/45 (धनलक्ष्मी इन्डस्ट्रीज), उद्योगनगर, सुरेन्द्र- नगर में स्थित है तथा जिसका पूरण वर्णन बढ्यान रिजस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं० 570/24-2-81 में दिया गया है।

जी० सी० **गर्ग** सक्षम प्राधिकारी सहायक स्रयकर घ्रायुक्त (निरीक्षण) **प्र**र्जन रेंज-], स्रहमदाबाद

तारीख: 26-9-1981

माहर :

प्ररूप आई.टी.एन.एस.------

आपकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) अर्जन रेंज-ा प्रहमदाबाद

श्रहमदाबाद, दिनांक 26 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पी० श्रार० नं० 1412/श्रर्जना-23-^J/81-82—-पत:, मुझे, जी० सी० गग, श्रायकर अधिनियम 1061 (1061 का 42) *(दिसे का* प्रो

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पत्रभात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वाम करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/रु. से अधिक है

25,000/ रु. स आधक हैं और जिसकी संं सर्वे नं 160 हैं तथा जो महेन्द्रनगर, मोरबी, जिला राजकोट में स्थित हैं (श्रीर इससे उपाबद्ध अनूसूची में ग्रीर पूर्ण रूप से वर्णित हैं), रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के श्रधीन दिनांक फरवरी 1981 को पूर्वेक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल के निए अन्तरित को गई हैं और मुक्ते यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित वाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से, एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक हैं और अन्तरिक (अन्तकों) और अन्तरिती (अन्तिरित्यों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्निलिखत उद्वेष्य से उक्त अन्तरण कि खित म वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया हैं:—

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्य में कमी करने या उससे बचने मे सुविधा के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अस्तियों का, जिन्हों भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना भाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

(1) श्री हंसराज हरखा पटेलॅ, महेन्द्रनगर, मोरबी, जिला राजकोट

(ग्रन्तरक)

(2) श्री श्रक्षणेदय मील्स लिभिटेड की ग्रीर से श्री मधुसूदन डी० वोरा (जी० एम०) वेजीटेबल मार्किट मोरबी जिला राजकोट

(ब्रन्तरिती)

कां यह सूचना जारी करके पूर्वाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्पत्ति के अर्थन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारी स से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स व्यापतियों मा सं किसी व्यक्ति व्वारा:
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीव रण -- इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उकता अधिनयम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, बहा अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

भ्रनुसूची

खुली जमीन जिसका सर्वे नं 160 है जिसका कुल क्षेत्रफल 6 एकड़ 15 गुठा है तथा जो महेन्द्रनगर, मोरवी, जिला राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन मोरवी रिजस्ट्रीकर्सा विक्रीखत नं 5166/फरवरी 1981 में दिया गया है।

जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी सहायक द्वायकर ष्ट्रायुक्त (निरीक्षण) धर्जन रेंज-1 श्रहमदाबाद

सतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-च की ज्ञपधारा (1) के अधीन, निम्नलिकित व्यक्तियों, अधीत्:——
18—316GI/81

तारीख: 26-9-1981

प्ररूप आइं.टी.एन.एस. -----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्रर्जन रेंज-1, श्रहमदाबाद श्रहमदाबाद, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पी० 1414/प्रर्जन-श्चार्० नं० 23-I /81-82--यत:, मुझे, जी० सी० गर्ग, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख को अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मृल्य 25,000/- रत. से अधिक है^{*} ग्रौर जिसकी सं० सावसर प्लाट, गली नं० 4 खुली जमीन है। तथा जो सावसर प्लाट्स, मोरवी में स्थित हैं (ग्रीर इससे उपाबद्ध अनुसूची में भ्रीर पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता ग्रधिकारी के कार्यालय, मोरवी में रजिस्ट्रीकरण ष्प्रधिनियम, 1908 (1908 का 16) के प्रधीन दिनांक 2-2-81 को पूर्वीक्त संपरित के उचित बाजार मुल्य से कम के दश्यमान प्रतिकाल को लिए अन्तर्भरत की गई है और मुक्ते यह विद्वास करन' का कारण है कि यथापूर्वीक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दश्यमान प्रतिफल से एसे दश्यमान प्रतिफल का पन्त्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्सरितियां) के बीच एसे अन्तरण के लिए सब पाया गया प्रति-फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से कथित नहीं किया गया है:--

- (क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाधत, उक्त अधिनियम के अधीन कर दोने के अन्तरक के दायित्व में कभी करने या उससे बचन में सूर्विध के लिए; और/या
- (ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य अपिनयों को, जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

- 1. (1) श्री मगनलाल गिरधरलाल
 - (2) श्री कान्तीलाल चकुभाई दोनों मोरदी के, जिला राजकोट

(भ्रन्तरक)

- 2. (1) श्री दिनकरराय लालजी भाई कोठरानी
 - (2) श्री लालजीभाई देवसीभाई दोनों 10, वसन्त प्लाट, निदेशकुंज, मोरवी (भ्रन्तरिती)

को यह सूर्यना जारी करके पृथांक्त सम्पर्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के गम्बन्ध में कोई भी अन्क्षेप :---

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अविधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में सराप्त होती हो, के भीतर पूर्वोंकत व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख सं 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

रणः -- इसमे प्रयुक्त शब्दों आरि पदों का, जो जकत अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वहीं अर्थहोगा जो उस अध्याय में दिया गया हैं।

अन्स्घी

खुली जमीन, गली नं० 4, माध्यसर प्लाट, जिसका कुल क्षेत्रफल 3117 वर्ग फुट-| 3117 वर्ग फुट है तथा जो सावसर प्लाट, मोरवी में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन मोरवी रिजस्ट्रीकर्ता बिक्रीखत नं 11 और 12/2-2-81 में दिया गया है।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी महायक श्रायकर श्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

अतः अव, उवत अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-भ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :--

तारीख: 24-9-1981

परूप आई. टी. एन. एस.-----

आमकर अभिनेटम, 1991 (19**61 का 4**3) **की** भार. (€0 र (1) ए दर्शन सुनल

भारत स्रकार

कार्णलय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

श्चर्जन रेज-I, श्रहमदाबाद श्रहमदाबाद, दिनांक 24 सितम्बर 1981

निर्देश नं० पीं० ग्रार्० नं० 1410/ग्रर्जन-23-I/81-82——यन: मुझे, जीं० मी० गर्ग,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके परचात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-स के अधीन सदाम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित वाजार मृत्य 25,000/- रा. से अधिक है

- श्रीर जिसकी सं ० भवें सं ० 345, गंडल रोड, स्वामीनारायण है तथा जो गुरुकुल मंदिर, राजकोट में स्थित है (श्रीर इससे उपाबद्ध श्रन्यूची में श्रीर प्णं रूप से विणत है), राजस्ट्रीकर्ता श्रिधकारी के कार्यालय, राजकोट में राजस्ट्रीकरण श्रिधिनयम, 1908 (1908 का 16) के श्रिधीन दिनांक फरवरी 1981 को पूर्वों कर संगत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के स्थमान प्रविफल के लिए अन्तरित की गई है और मूके यह विश्वास करने का कारण ही कि यथापूर्वों कर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके क्यमान प्रतिफल से; एसे स्थमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्मलिखित उद्वंश्य से उन्तर अन्तरण लिखित में वास्तिवक रूप से किथत नहीं किया गया है:--
 - (क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि-नियम के अधीन कर दन के अन्तरक के दायित्य में कभी करने या उसरो बचन में स्विधा के लिये; और/या
 - (स) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकार अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, मा धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती व्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सूविधा के सिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के, अनुसरण मो, मौ, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्निसिखत व्यक्तियों, अर्थात्:---

(1) श्रीमती उर्मीलाबेन मंगलदास पटवारी भवन, जवाहर रोड, राजकोट

(भ्रन्तरक)

(2) श्री नंदलाल रामजीभाई राजा, 'पदम शोभा', सदर, डा॰ मोदी श्रस्पताल के सामने, राजकोट (श्रन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्स सम्पृत्ति के अर्जन् के लिए कार्यवाहियां करता हुं।

उक्त सम्परित को अर्जन को सम्बन्ध में कोई भी आक्षोप :--

- (क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारील से 45 दिन की अविधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अविधि, जो भी अविधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति ध्वारा;
- (ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:--इसमें प्रयूक्त शब्दों और पदों का, जो उन्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हों, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल क्षेत्रफल 360-5-56 वर्ग गज है जिसका सर्वे नं० 345 है तथा जो गोंडल रोड, स्वामी नारायण, गुफ्कुल मंदिर, राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन बिक्रीखत नं० 666/फरवरी 1981 में दिया गया है।

> जी० सी० गर्ग सक्षम प्राधिकारी, सहायक फ्रायकर फ्रायुक्त (निरीक्षण), श्रर्जन रेंज-I, श्रहमदाबाद

तारीख: 24-9-1981

SUPARME COURT OF INDIA

New Delai, the 17th October 1981

No. F. 2/31-5 CA(1)—The Hon'ole the Chief Justice of India has confirmed the following Officers of this Registry with effect from the forenoon of October 16, 1981 and appointed them substantively to the post shown against each:—

Post to which confirmed
Deputy Registrar
Assistant Registrar
Assistant Registrar
Assistant Registrar

R. NARASIMHAN
Registrar (Aumn.)
Supreme Court of maia

(ADMN. BRANCH I)

New Delhi, the 15th October 1981

No. F. 6/81-SCA(1).—The Hon'ble the Chief Justice of India has promoted and appointed Mrs. Krisnna Baia Sood, Stenographer as offig Court Master in the Registry of the Supreme Court of India wef October 15, 1981, until further ordres.

The October 17 1981

No. F. 6/81-SCA(1).—The Hon'ble the Chief Jutsice of India has promoted and appointed Shri T. R. Bakhsni, Assistant as offg Court Master in the Registry of the Supreme Court of India with effect from the forenoon of October 10, 1981 to November 14, 1981.

S. GHOSH Assistant Registrar (Admn.)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 24th September 1981

No. A. 32013/1/81-Admn. I—The President is pleased to appoint the following permanent Section Officers of CSS to officiate as Under Secretary in the Office of Union Public Service Commission on an ad-hoc basis for the period shown against each:

S. Name No.	Period		
S/Shri			
1. Y. R. Gandhi	w.e.f. 26-5-81 to 25-8-81		
2. Vaid Parkash	w.e.f. 26-5-81 to 31-7-81		
3. B. K. Bhattacharya	w.c.f. 16-6-81 to 15-9-81		
4. S. K. Mishra	w.e.f. 29-6-81 to 28-9-81		

H. C. JATAV,

Joint Secy.

ion Public Survine Commission

Union Public Service Commission

New Delhi-11, the 18th September 1981

No. A-19013/2/81-Admn.I.—The President is pleased to appoint Shri R. Natarajan, IA & AS, as Deputy Secretary in the office of Union Public Service Commission with effect from the forenoon of 16th September, 1981 until further orders.

The 30th Septmeber 1981

No. A-56013/2/81-Admn.III.—and President is pleased to permit shirt J. L. Sud a permanent. Assistant and oniciating section Officer of the C.S.S. cause of the Union Public Service. Commission, to retire from Government service, on attaining the age of superamutation, with effect from the afternoon of the 50th September 1981, in terms of Department of Personnel & A. R. O.M. No. 33/12/73-Ests(A), dated the 24th November, 1973.

Y. R. GANDHI Under Secy. Union Public Service Commission

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(בוּבּאַתְרֹMENT OF PERSONNEL AND ADMINISTRA-TIVE REFORMS)

באב האוואסט SHASTRI NATIONAL ACADEMY OF ADMINISTRATION

Mussoone, the 13th October 1981

150. 2,40/73-EST.—In continuation of this office Notifications of even number dated 3rd March and 30th June, 1981, the present to the post of Deputy Librarian in the LBS National Acqueinty of Administration, Mussoofic, for a further process of the National Acqueints with effect from 15th October 1981 or an acquaint selection as made, whichever is carrier.

S. S. R(ZVI Deputy Director (Sentor)

(CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION)

New Delhi, the 21st September 1981

180. A = 2020/71/80-AD.HI.—Consequent upon his promotion of a noc basis to the post of Stenographer Grade B in the Scale of pay of Rs. 650—30—740—35—880—EB—40—20—50—340, Shri M. P. S. Chauhan has taken over charge of the room of Semor P. A. (Grade B' Stenographer) in the C.B.I. when effect from 5th September 1981 (Forenoon).

DWARKA NATH Supdt. of Police (HQ) CBI (HO)

New Delhi, the 16th October 1981

No. J-12, 65-AD.V.—Shri Jalimsingh Umraosingh Thakore, Sr. Public Losecutor, Central Bureau of Investigation, EOW: Bombay on amaning the age of 58 years retired from Government service with effect from 30th September 1981 (A.N.).

No. A-20023/4/78-AD.V.—The services of Shri Raj Pal Vig an office, of Haryana Chandigarh working as Public Prosecutor in CBI at Chandigarh were placed back at the appeal of State Government with effect from the afternoon of 9th September 1981, on repatriation.

No. A-20014/485/80-Ad.I.—Shri S. A. Namde, an officer of the Maharashtra State Police on deputation to CBI as Inspector of Police, has been relieved of his duties in the C.B.I., GOW Bombay on the atternoon of 15th September 1981, on repatriation to the Maharashtra State Police.

No. A-19036/3/81-AD.V.—The Director, Central Bureau on Investigation and Inspector General of Police, Special Police Establishment hereby appoints Shri S. Dorendra Singh, a deputationist Dy. Supdt. of police of Manipur Police, as Dy. Superintendent of Police in the Central Bureau of Investigation from the forenoon of 6th October 1981 until further orders.

Q. L. GROVER Administrative Officer (E) Central Bureau of Investigation

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL

(CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi-19, the 16th September 1981

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer to Sindri, Shri S. K. Banerjee relinquished the charge of the post of Asstt. Comat. CISF Unit, BCCL Jharia with effect from the atternoon of 21st May, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer from Bhitai, Shri Isham Singh assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, HIL, Rasayari, with effect from the lorenoon of 8th July, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer from Madrae, Shri B. P. Prabhakaran assumed the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Unit, Cochin Port Trust, Cochin with effect from the forenoon of 9th July, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer to Cochin, Shri B. P. Prabhakaran relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, SZ Trg Reserve Force, CISF, Madras with effect from the afternoon of 4th July, 1981.

No. E-38013(4)/5/81-PERS.—On his transfer to SHAR Centre, Shri L. V. Joseph relinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, V.S.S.C. Thumba with effect from the forenoon of 1st July, 1981.

No. E-38013(4)/11/81-PERS.—On his transfer from Cochin, Shri R. G. Thampi assumed the charge of Asstt. Comdt. CISF Southern Zone HQrs, Madras with effect from the forenoon of 29th July, 1981.

No. E-38013(4)/11/81-PERS.—On his transfer to Madras, Smi R. O. Thampi relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF, Unit, Cochin Port Trust, Cochin with effect from the afternoon of 21st July 1981.

No. E-38019/29/80-PERS.—On his transfer to Electronics Corporation of India Limited, Hyderabad, Shri A. S. M. Rao telinquished the charge of the post of Assistant Commandant, CISF Unit, India Govt. Mint, Hyderabad with effect from the afternoon of 28th July 1981.

SURENDRA NATH Director General

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL—(II) (UTTAR PRADESH—ALLAHABAD)

No. Welfare/1131.—Shri Bhagwan Singh Chauhan an Accounts Officer of the Office of the Accountant General—(II) U.P., Allahabad expired on 27th August, 1981.

S. J. S. AHLUWALIA Sr. D.A.G. (Admn.)

OFFICE OF THE DIRECTOR OF AUDIT (DEFENCE SERVICES)

New Delhi, the 17th October 1981

No. 3804/A-Admn/130/78-81.—Shri A. C. Saha, a substantive member of the S.A.S. of the Audit Department, Defence Services, on deputation to the Department of Science & Technology, has been allowed "Proforma Promotion" as off Audit Officer in the Department w.e.f. 27th July 1981, until further orders.

I. P. SINGH Joint Director of Audit, Def. Services

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-16, the 12th October 1981

No. 41/G/81--On attaining the age of superannuation the undernoted officers retired from service with effect from the dates shown against each:--

S. No.	Name & Designation	Date of Retirement
S,	/Shri	
0	arayan Chandra De, offg. T. S. O. (Subst. & ermt. SA)	31st August, 1981 (AN)
O	(ari Bhusan Ghosh, offg. S. O. (Subst. & ermt. A. S. O.)	31st August, 1981 (AN)
0	miya Ranjan Basu, offg. S. O. (Subst & ermt. A. S. O.)	31st August, 1981 (AN)

V. K. MEHTA, Assitt. Director General Ordnance Factories

DIRFCTORATE GENERAL OF SUPPLIES AND DISPOSALS

(ADMN. SECTION A-6)

New Delhi-110001, the 16th October 1981

No. A-17011/199/81-A6.—The Director General of Supplies and Disposals has appointed Shri G. D. Dhir, Examiner of Stores (Engg.) in the Calcutta Inspectorate to officiate on ad-noc basis as Assistant Inspecting Officer (Engg) in the same Inspectorate w.c.f. the forenoon of 18th August, 1981 and until further orders.

The 19th October 1981

No. A-6/247(383).—The President is pleased to appoint Shri V. V. Rao, Assistant Inspecting Officer (Engg.) in the Hyderabad sub-office under Madras Inspection Circle to officiate as Inspecting Officer (Engg.) (Grade III of Indian Inspection Service Group 'A') on ad-hoc basis in the office of the Director of Inspection Madras under the same Circle w.e.f. the forenoon of 1st October, 1981 and until further orders

S. L. KAPOOR

Deputy Director (Administration)
For Director General of Supplies and Disposals

ISPAT AUR KHAN MANTRALAYA (KHAN VIBHAG)

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA

Calcuttn-703916, the 15th October 1981

No. 6405B/A-19012(2-CBM)/81/19B.—Shri C. Bhanu Menthy, Senior Technical Assistant (Geophy.), Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Geophysicist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity w.c.f. the forenoon of 6th July 1981 until further orders.

No. 6416B/A-19012(2-GRP)/81-19B.—Shri G. Rama Prabhu, Senior Technical Assistant (Geophy.), Geological Survey of India is appointed on promotion as Assistant Geophysicist in the Geological Survey of India on pay according to rules in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200/- in an officiating capacity w.e.f. the forenoon of 6th July 1981 until further orders.

No. 6427B A-19012(1-CVR)/810-19A.—Shri Ch. Venugopa' Rao is appointed as an Assistant Geologist in the Geologist Survey of Innia on an initial pay of ks. 650/- per month in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—40—1000—EB—40—1200. - in an officiating capacity with effect from the forenoon of 13th August, 1981.

The 16th October 1981

No. 6477B/A-19011(4-HLM)/78-19B.—On his being permanently absorbed in the Mineral Exploration Corporation Limited, Shri H. L. Mehta, Drilling Engineer (Junior) resigned from the service in the Geological Survey of India with effect from 8th August 1979 (AN).

> V. S. KRISHNASWAMY Director General

DIRECTORATE GENERAL: ALL INDIA RADIO

New Delhi,

No. 3/15/61-S-II.—Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri U. K. Shete, Accountant, Central Sales Unit, AIR, Bombay to officiate as Administrative Officer at Doordarshan Kendra, Bombay, with effect from 36th September 1981 (FN) until further orders.

No. 2/2/66-S-II.—Director General, All India Radio is cleared to appoint Shri M. B. Ozarkar, Accountant, All India Radio, Jalgaon, to officiate as Administrative Officer at All India Radio, Pune with effect from 30th September 1981 (FN) until further orders.

The 1st October 1981

No. A-32013/1/80-SV.—The Director General, All India Radio hereby appoints Shri S. P. Singh, Senior Administrative Officer, Upgrah Doordarshan Kendra, New Delhi to officiate in an ad-luce capacity in the post of Inspector of Accounts in the Directorate General, All India Radio, New Delhi from the forenoon of September 29, 1981.

The 13th October 1981

No 10/16/78-SIII.--Consequent upon acceptance of his resignation Shri Anand Kumar, Asstt. Engineer, A.I.R., Bombay has been relieved of his duties in All India Radio, A.I.R., w.e.f. the afternoon of 10th September 1981.

No. 9/6/81-SIII.—Consequent upon giving permission to retire voluntarily, Shri C. L. Sharma, Assistant Engineer, All India Radio, Port Blair has relinquished charge of the post of Assistant Engineer at that office w.e.f. the afternoon of 6th August, 1981.

> H. N. BISWAS Deputy Director of Administration for Director General

PRESS INFORMATION BUREAU

New Delhi-1, the 8th September 1981

No. A-12026 3-81-Estt.—The Principal Information Officer hereby appoints Shri R. N. Dutta, an Assistant of CSS Cadre of the Ministry of Information and Broadcasting and working . in the DG: Doordarshan, as Administrative Officer in Press Information Bureau's office at Calcutta with effect from the forenoon of August 22, 1981 until further orders.

> M. M. SHARMA Asstt. Principal Information Officer for Principal Information Officer

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

New Delhi, the 14th October 1981

No. 17-17.74-Admn.L.—On return from deputation with the Government of Mauritius, Dr. S. R. Mehta, assumed charge of the post of Health Education Officer (Field Study Demonstration Centre), Central Health Education Bureau, Directorate General of Health Services, New Delhi in the forenoon of 5th April, 1980.

Tais Directorate notification No. 17-17, 74-Adma.I, dated the 4-th April, 1980 is treated as cancelled.

The 17th October 1981

F. No. A-19019/61-77-NICD/Admn.I.—The President is pleased to accept the resignation of Dr. B. C. Ramanna, Deputy Assistant Director (Veierinary) at the National Institute of Communicable Diseases, Delhi, with effect from th afternoon of 25th August, 1981,

No. A-19019/34/77(HMD)/Admn.I.—Consequent on his epponiment as Scientist F, in Desence Research and Development Organisation, Ministry of Desence, Dr. D. P. Scn Mazumdar relinquished charge of the post of Associate Pro-fessor of Psychology at Central Institute of Psychiatry, Psychiatry, Ranchi with effect from the afternoon of the 9th September, 1981.

> O. P. BALI Deputy Director Administration (P.J.I.)

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

NARORA ATOMIC POWER PROJECT

Bulandshahr-202 389, the 15th October 1981

No. NAPP/Adm/26(1)/81/S/13109.—Chief Project Engi-cer. Natora Atomic Power Project appoints Shri R. K. Chakraborty an officiating Scientific Officer/Engineer Grade SB in the Heavy Water Project, Tuticorin to officiate as Scientific Officer/Engineer Grade SB in the Narora Atomic Power Project with effect from the forenoon of August 14, 1981 until further orders,

> A. D. BHATIA Administrative Officer for Chief Project Engineer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 15th October 1981

No. DPS/23/4/79-Est/19992,--The Director, Directorate of Purchase & Stores, Department of Atomic Energy appoints
Sha Shashikant Narayan Deshmukh, Permanent
Purchase Assistant to officiate as Assistant Purchase Officer (ad-hoc) in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810—EB—35—880—10—1000—EB—40—1200/— in the same Directorate for the periods mentioned below:-

From

- (i) 13-7-1981(FN)—14-8-1981 (AN).
- (ii) 17-8-1981 (FN)-30-9-1981 (AN).

B. G. KULKARNI Assistant Personnel Officer

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 13th October 1981

No. A.12025/1/79-ES.—On the recommendation of the UPSC, the President is pleased to appoint Sh. K. S. Balasubramanian, as Aircraft Inspector in the Civil Aviation De-partment in an officiating capacity with effect from 15-9-81 (AN) and until further orders.

No. A.32013/1/80-FS.—In continuation of this Deptt. notification No. A.32013/1/80-FS dated 6-4-1981, the notification No. A.32013/1/80-FS dated 0-4-1981, the President is pleased to sanction the continued ad-hoc appointment of S./Sh. I. N. I all & M. L. Nagar in the grade of Assistant Director of Air Safety (Engg)/Senior Air Safety Officer (Engg) in the Civil Aviation Department for a further period upto 31-12-1981 or till the regular appointments to the grade are made, whichever is earlier

J. C. GARG,

Asstt. Director of Administration.

COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMS Madural, the 11th September 1981

NOTICE

C. No. II/39, 21/81-VG In pursuance of sub-rule (1) of rule 5 of the Central Civil Services (Temporary) Rules, 1965, notice is hereby given to Shri R. C. Mathews, Operator, Telecommunication, Cuddalore Custom Division, to the effect that his services will stand terminated with effect from the date of expiry of period of one month from the date of publication hereof.

P. N. VITTAL DASS, Assistant Collector (Hqrs)

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-110022, the 29th September 1981

No. A-19012/976/81-Estt. V—Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following officers to officiate in the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer in in the scale of pay of Rs, 650-30-740-EB-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 for a period of six months or till the posts are dilled on regular basis, whichever earlier with offect from the dates noted against their names:

	Name of officer with designation	Date of assumption of charge as EAD/AE	Where posted
1.	2	3	• 4
·	S/Shri		,
	S. K. Das, Supervisor	11-9-81 (FN)	C. M. D. DI Dte.
2.	Sachitaarind Prasad, Design Assistant	23-7-81 (FN)	Foundation Engg. Design Dte.
3.	N. C. Dey, Supervisor	17-8-81 (FN)	P & D Circle, New Delhi
4.	B. S. Bhandari, Supervisor	11-9-81 (FN)	C. B. W. R. O., New Delhi
5.	G. S. Srikantes- waram, Supervisor	1-4-81 (FN)	Central Flood Forecasting Con- trol Room, Nizama- bad
6.	V. B. Singh, Supervisor	6-10-80 (FN)	W. R. Sub-division. Darbhanga.
7.	J. V. R. Setty, Supervisor	8-5-81 (FN)	Chanda (West) Gauging Sub-Dn., Chanda
	B. K. Sinha, Supervisor	17-7-81 (FN)	Sone River Commission, Patna
9.	A. K. Koley, Supervisor	22-7-81 (L'N)	Sone River Commission, Patna
10.	M. Basak, Supervisor	31-8-81 (FN)	G. F. C. C., Patna
_	A. K. Roy, Supervisor	22-8-81 (AN)	R. D. (JRC) fnv. Dn., Shillong

The 15th October 1981

No. A-19012/918/81-Estt.V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group B), Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following Supervisors on promotion to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer on a regular basis in an officiating capacity, in the pay scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 with effect from the dates shown against each:—

- Shri V. Vivekananda,
 EAD.
 G. F. C. C., Patna.—26-8-81 (FN).
- 2. Shri R. C. Sharma, FAD, E. R. D. D.-I Dtc.—19-6-81 (FN).

2. The above officers will be on probation in the post of Extra Assistant Director/Assistant Tragineer for a period of two years with effect from the aforesaid date.

A. BHATTACHARYA
Under Secy.
Central Water Commission.

CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY

New Delhi-110 022, the 23rd September 1981

No. 22/1/81-Admn.I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri Hardayal Singh-I, Supervisor, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) service in the Central Electricity Authority in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 14th September, 1981, until further orders.

The 14th October 1981

No. 22/1 81-Adm.I(B).—The Chairman, Central Electricity Authority, hereby appoints Shri V. D. Shirbad, Supervisor, to the grade of Extra Assistant Director/Assistant Engineer of the Central Power Engineering (Group B) Service in the Central Electricity Authority in an officiating capacity with effect from the forenoon of the 24th September, 1981, until turther orders.

S. BISWAS Under Secy.

MINISTRY OF LAW, IUSTICE & COMPANY AFFAIRS (DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS)

COMPANY LAW BOARD

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Jodhpur Commercial Bank Limited, Jodhpur

Jaipur, the 12th October 1981

No. STAT/242.—Notice is hereby given pursuant to subsection (5) (1 Section 560 of the Companies Act, 1956 that the name of M/s. Jodhpur Commercial Bank Limited, Jodhpur has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

S. P. DIXIT Registrar of Companies Rajasthan, Jaipur

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Arrow Pharma Laboratories Private Limited

Hyderabad, the 16th October 1981

No. 855/TA.J/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Arrow Pharma Laboratories Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Ramseas Teas (India) Limited

Hyderabad, the 16th October 1981

No. 1089/TA.1/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Ramsees Teas (India) Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956 and of M/s. Swapna Plastics Private Limited

Hyderabad, the 16th October 1981

No. 1430 TA.I/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of Section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s Swapna Plastics Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

V. S. RAJU, Registrar of Companies, Andhra Pradesh, Hyderabad

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE-II,
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-I/81-82/7381.—Whereas, I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Main Road, situated at Chandrawal Road, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay the under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1927);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Shri Sushil Mohan Behal,
 B. L. 50, Jail Road, Hari Nagar,
 New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Vinod Kumar Arora, 1544, Dina Nath Bld Chandrawal Road, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Main Road, Chandrawal Road, Delhi

SMT VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
H-Block, Vikas Bhavan.
I. P. Estate, New Delbi

Date: 14-10-1981

Seal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II,

'H' BLOCK VIKAS BHAVAN, I P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4215.—Whereas, I, VIMAL VASISHT,

Competent Authority under Section 269B

of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agricultural land,

situated at 8 Bighas 17 Biswas, Vill. Dichan Kalan, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—
19—316GL/81

(1) Shri Suraj Bhan Sharma & Chander Bhan Sharma, s/o Shri Ram Prashad, r/o Village Dichan Kalan, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kirpal Singh HUF, s/o Partap Singh Chawla, r/o C-4, Rajouri Garden. Delhi.

(Transferee)

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land 8 Bighas 17 Biswas, Village Dichan, Kalan, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income
Acquisition Range-II,
H-Block, Vikas Bhavan.
J. P. Estate, New Delhl

Date: 14-10-1981

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONFR OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGF-II, H BLOCK, VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATE, NEW DEI HI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-II/81-82/2-81/4207,—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs, 25,000/- and bearing No.

Agricultural land

situated at 24 Bighas 8 Biswas, Village Qadipur, Delhi (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Rajinder Singh s/o Sh, Narian Singh r/o Village Qadipur, Delhi State, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Subhash Khanna & Shri Chander Khanna, S/o Sh. Kedar Nath Khanna, r/o 22-B/1, Original Road, Karol Bagh, New Delhi

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. land 24 Bighas 8 Biswas. Village Qadipur, Delhi State. Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
H-Block, Vikas Bhavan,
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Kali Ram, S/o Shri Sher Singh, r/o 239, Holambi Kalan, Ďelhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, II' BLOCK VIKAS BHAVAN. I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 7th August 1981

IAC/Acq.-ii/SR-II/2-81/4192,---Whoreas, I. No. Ref. VIMAL VASISHT.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Agri. land.

situated at Village Holambi Kalan, Delhi State, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the Issue of this notice under subsection (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

Obections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

Sh. Asha Ram S/o Sh. Bhola Ram,

Village Nakpur, Ghaziabad, presently r/o Holambi Kalan,

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publiction of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The and expressions used terms herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

. THE SCHEDULE

4 Bighas 16 Biswas of Kh. No. 59/15, 4 Bighas 16 Biswas of Kh. No. 59/16 and 5 Bighas 14 Biswas of Kh. No. 59/25 in the Village Holambi Kalan, Delhi State, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, I. P. Estate, New Delhi

Date: 7-8-1981

12508

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 'H' BLOCK VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. 1AC/Acq.JI/SR-I/81-82/2-81/7387.---Whereas, I, VIMAL VASISH1,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herein referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

and bearing No. 1049, Ward No. 3, situated at Gandhi Gali, Fatehpuri, Delhi (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Delhi on February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Kanwar Kishore S/o Sh. Nawal Kishore, r/o 1063, Gandhi Gali, Fatehpuri, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Ram Kishan Jain, S/o Shri Sher Singh Jain, r/o 1049, Gandhi Gali, Fatehpuri, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person, interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

No 1049, Ward No. 3, Gandhi Gali, Fatehpuri, Delhi,

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II.
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,
I. P. †STATE, NEW DELIH

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II SR-I 81-82 2-81 7431 —Whereas, I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shop No. 1,

situated at Village Bassai Darapur, Abadi Punjabi Bagh, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the cancealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Shri Kedar Nath,
 S/o Late Shri Jia Lal,
 r/o 20, Fast Avenue, Main Market, 2nd Floor,
 Punjabi Babh, New Delhi,
 (Transferor)

(2) Shri Shiv Narain Gupta, S/o Shri Satya Pal Gupta, r/o 1/15, Jai Dev Park, Rohtak Road, New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the atoresaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used berein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 1, Village Bassai Darapur, Abadi Pumabi Bagh, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 169D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
'H' BLOCK VIKAS BHAVAN,
I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acg. 11/SR-I/81-82/2-81/7471.—Whereas I. VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 78, situated at Rajouri Garden, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) tacilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforcsaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Bhupinder Singh, Tarlochan Singh, Sukhdev Singh, Sons of S. Thai Singh, Smt, Jasmer Kaur & Amariit Kaur, d/o S. Tehal Singh r/o 3162, Sect. 28-D, Chandigarh.

(Transferor)

(2) Shri Bodh Raj Gupta, S/o L. Shanker Dass, r/o F/78, Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: — The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 78, Rajouri Garden, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II,
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX. ACQUISITION RANGE-II. NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I '81-82/2-81/7451.--Whereas VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Plot No. 56, situated at Bali Nagar, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D on the said Act, to the following persons, namely :--

(1) Shri Harnam Shah Bhatia, s/o Shri Balak Ram. /o H. No. 35, Block 'G', Siriganga Nagar, Rajasthan.

('Fransferor)

(2) L. Smt. Manjit Kaur, w'o S. Charanjit Singh and 2. Shri Raj Pal Singh, s/o S. Balwant Singh, 1/0 H-28, Bali Nagar. New Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writting to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE Plot No. 56, Bali Nagar, New Delhi.

> SMT. VIMAL VASISHT Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-Π. New Delhi.

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(1) Smt. Krishna Wanti w/o Laxmi Dass, r/o 2282, Gali Hinga Begh. Phatak Habas Khan, Delhi.

(2) Inhabitant Food Corporation, Ort. No. 15, Manisha Building, Bombay.

. (Transferee)

(Transferor)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II. 'H' BLOCK, VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I 81-82/2-81/7462.--Whereas I, VIMAI VASISHT.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding,

Rs. 25,000/- and bearing

Prop. No. 1/11,

situated at Gali Readyan, Ganda Nala, Ward No. I, K. Gate, Delbi

through fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1968) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent coasideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. 1/11 Gali Beadyan, Ganda Nala, Ward No. 1, Kashmeri Gate, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II.
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981

FORM ITNS ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

()FFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II,

'H' BLOCK, VIKAS BHAVAN, I.P. FSTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR. I/81-82/2-81/7448.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Shop No. 11, Block No. 23,

situated at East Patel Nagar Market, New Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at New Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely;—20—316GI/81

Smt. Kumari Shanta, w/o
 Sh. Des Raj Bajaj,
 r/o Co. S.R. Bajaj, H-48, Kirti Nagar,
 New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Rum Nath Bajaj, S/o Late Shri Parma Nand Bajaj, r/o 23/11 East Patel Nagar, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gozette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovenble property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 11 Block No. 23, East Patel Nagar Market, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

 Shri Subhash Chand, Mahesh Chand, Kamlesh Kumar, Denesh Kumar, ss/o Shri Siri Chand. r/o 1371, Delhi.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) Smt. Parmeshwari Devl, w/o Ganpat Rai and others 1295, Maliwara, Delhi.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, 'H' BLOCK VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATF, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-1/81-82/2-81/7450.—Whereas I, VIMAL VASISHT.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act')

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Prop. No. 1205, situated at Maliwara, Ward No. 5, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1903) in the Office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gezette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. 1295 Maliwara Ward No. 5, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-II, 'H' BLOCK VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. lAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7384.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

and bearing No.

Shop No. I, situated at Malkaganj, Delhi
(and more fully described in the schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16
of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. Jai Devi, w/o Ram Chand,
 r/o 1169. Chah Raht, Delhi and others.

(Transferor)

(2) Shri Rajinder Singh S/o Rattan Singh, r/o No. C-4/176, Lawrance Road, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other persons interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazatta.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE Shop No. 1 Main Road Malkaganj, Delhi.

SMT. VIMAL VASISH
Competent Authorit
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta
Acquisition Range-1
I. P. Estate, New Deli

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

 Shri Kishori Lal, S/o Hemraj, r/o 226, Kucha Sanjogiram, Naya Bans, Delhi,

(Transferor)

(2) Smt. Sharbati Devi, w/o Parmeshwari Dass, 108, Naya Bans, Delhi.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 1st October 1981

Ref. No. IAC/Acq. 1I/SR-1/81-82/2-81/7420.--Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

310 House, situated at Naya Bans, Ward and Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of sch apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

H. No. 310, Kucha Sanjogi Ram, Naya Bans, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
I. P. Estate, New Delhi

Date : 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE:II, 'H' BLOCK VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATF, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Pcf. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7357.—Whereas I, VIMAL VASISHT, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

65/22, situated at New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Shii Jiwan I,al Khanna, S/o
 Shri Ganpat Rai Khanna, r/o
 1-C/19, New Rohtak Road, New Delhi.
 Sh. Kharaiti Ram Khanna,

2. Sh. Kharaiti Ram Khauna, S/o Sh. Ganpat Rai Khanna, R/o N-160,

Greater Kailash-I.

3. Shri J. N. Khanna,
S/o Ganpat Rai Khanna,
r/o N-198, G.K.-I, New Delhi.

(Transferor)

(2) S/Shri Parduman Singh Jain, Mohiner Singh Jain, Ss/o Shri Rabu Lal Jain, r/o 4799, Deputy Ganj, Delhi.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

65/22, New Rohtak Road, Karol Bagh, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
J. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX

> ACQUISITION RANGE-II, 'H' BLOCK VIKAS BHAVAN I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. 11/SR-1/81-82/2-81/7422.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Shop Nos. 329 and 330, situated at Dariba Kalan, Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Shakti Kumar Rajput s/o L. Sh. Dhauna Singh, r/o 1560, Kucha Seth, Dariba Kalan, Delhi.

(Transferor)

(2) M/s Ganda Ram & Sons, through Ganda Ram, s/o Jagat Ram, r/o 28, Siri Fort Road, Masid Modh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SHEDULE

Prop No. 171. Shop No. 329 & 330, Dariba Kalan, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II,
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISTTION RANGE-II, 'H' BLOCK VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATE, NEW DELHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/81-82/2-81/7326.—Whereas VIMAL VASISHT.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shops 5105 & 5106, situated at Mandi Rui, Sadar Bazar, Delhi

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 1908) in the office of the Registering Officer at

Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of each apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initial; proceedings for the acquisition of the stormaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :--

(1) Shri Ram Narain Gupta s/o Ram Nath Gupta. 330 Gali Prakash, Bazar Teliwara, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Satya Prakash s/o L. Hargu Lal, r/o 4232, Gali Barna, Sadar Bazar, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the sald immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shops No. 5105 and 5106, Ward No. 13, Mandi Rui, Sadar Bazar, Delhi.

> SMT. VIMAL VASISHT Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-IL. I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM-MISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE-II, 'H' BLOCK VIKAS BHAVAN, I. P. ESTATE, NEW DFLHI

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. II/SR-I/2-81/7440.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Prop No. 2691-A. situated at Ward No. 11, Darya Ganj, Delhi (and more fully, described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering officer at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely:—

 Smt. Sarla Devi, w/o Sheetal Parkash Taneja, r/o A-47, Preet Vihar, Delhi.

(Transferor)

(2) Smř. Saroj Gupta w/o Sh. Ram Kishan Gupta, r/o 1950 Gali Neela Wali. Sita Ram Bazar, Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immzovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop No. 2691-A, Ward No. 11. Darya Ganj, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Acquisition Range-II.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
I. P. Estate, New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4212.—Whereas I. VIMAL VASISHT. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'). have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S-12 situated at Rajouri Garden, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-

ing persons, namely :---21-316GI/81

(1) Shri Saudagar Mal s/o Shri Gurditta Mal R/o H. No. 11, Jiwani Block, Ganga Ram Vatika, Delhi. (Transferor)

(2) Shri Vishwa Nath s/o Faqir Chand R/o A-2/41, Rajouri Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Prop. No. S-12 Rajouri Garden, New Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4240.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Land measuring 7 bighas situated at 11 biswas of VW Dichan Kalan, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the caid Act, to the following persons, namely:—

 Shri Singh Ram, Jai Pal Singh, Ram Pal Singh, and Suresh Singh S/o Shri Shankar all R/o V.P.O. Shahpur Jat, Delhi.

(Transferor)

(2) S. Nand Singh Chawla karta HUF S/o Shri Pratap Singh Chawla R/o C-4, Rajouri Garden, Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land Measuring 7 bighas 11 biswas of V.W. Dichan Kalan, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4225.—Whereas I. VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Plot No. 27, situated at Krishna Park, Vill. Possangipur, Delhi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- · (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Welath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, threfore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :-

(1) Shri S. Ajit Singh Anand S/o S. Beant Singh Anand R/o 3027, Gali No. 2, Chuna Mandi, Pahar Ganj, Delhi.

(2) Shri Ramesh Chander Agnihotri S/o Shri Baldev Ram Agnihotri, and Smt. Vipla Agnihotri W/o Shri R. C. Agnihotri, D-II/20, Janakpurl, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 27, Krishna Park area of Vill. Possangipur. Delhi.

> SMT. VIMAL VASISHT Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

FORM IINS

10.00

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi. the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4264.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 44 situated at Vill. Tatarpur Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- Shri Ram Sahai Ahlowalia s/o L. Atma Ram R/o A-2/194, Janakpuri, New Delhi.
 - (Transferor)

(Transferee)

(2) Shri Charan Dass Chhabra s/o L. Khem Chand Chhabra R/o J-13/44-B, Rajouri Garden, New Delhi,

Objections, if any, to the acquisition of the said property

may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 44-B, Block J-13, Vill. Tatarpur, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Kasim s/o Iddu R/o Vill. Dindarpur, Delhi. (Transferor) (2) Shri Sat Pal Malhotra s/o Late Ram Chand

(2) Shri Sat Pal Malhotra s/o Late Ram Chand Malhotra r/o BF-25, Tagore Garden, New Delhi. (Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4251.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section

269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Agri. Land situated at Vill. Dindarpur, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believed that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apprent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agri. Land. Vill. Dindarpur, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

Seel :

FORM NO. I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 13th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1207 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding

Rs. 25,000/- and bearing

No. Survey No. 666, Plot No. 1 (Part), situated at Baroda

Kasba, Baroda,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Baroda in February 1981,

tor an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said aforesaid property by the issue of this notice under sub-aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (!) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- (1) Shri Nitaben Dahyabhai Patel; 'Vasanth', Fatehganj, Baroda.

 (Transferor)
- (2) Shri Harkishanlal Kalidas Shah, 'Mosedayan West Avneue', Santa Cruz, Bombay. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Baroda Kasba Survey No. 666, Plot No. 1, and as fully described in the sale deed registered in the Office of Sub-Registrar, Baroda in the month of February, 1981.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date: 13-10-1981

FORM LT.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4294.—Whereas I, VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority

under Section 269-D of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. WZ-9 situated at Plot No. 10, Mukh Ram Park Residential Colony Vill. Chaukhandi, Delhi

(and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Tilak Raj S/o Shri Sardari Lal R/o WZ-9, Mukh Ram Park, New Delhi-18.
 - (Transferor)
- (2) Shri Ranjeet Kumar Kohli s/o Shri Om Parkash Kohli R/o WZ-105, Mukh Ram Park P.O. Tilak Nagar, New Delhi. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. WZ-9, Plot No. 10, Mukh Ram Park Residential Colony, Vill. Chaukhandi, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

Seal

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-II/81-82/2-81/4250.—Whereas I VIMAL VASISHT,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,/000- and bearing

No. Agri Land situated at Vill. Dindapur, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

New Delhi on February 1981 for an apparent consideration which is less than

the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer. and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the fellowing persons, namely:—

 Shri Kasim S/o Iddu R/o Vill. Dindarpur, Delhi State Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Parshotam Lal Malhotra S/o Late Shri Ram Chand Malhotra R/o BF-25, Tagore Garden, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agriculture Land, Vill. Dindarpur, Delhi, State Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

Part III—Sec. 1]

FORM TINS

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Lucknow, the 15th October 1981

G.I.R. No. D-40/Acq.—Whereas I, A. S. BISFN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 1 and 2 situated at I.T. College Crossing, Lucknow, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Lucknow on 7-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid excited the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the patties has not been truly stated in the said insrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—
22—316G1/81

 Pragatisheel Sahkari Griha Nirman Samiti Ltd., Nirala Nagar, Lucknow through its Secretary Shri S. P. Misra.

(Transferor)

(2) Smt. Dharam Rajee Devi.

(Transferee)

(3) Smt. Dharam Rajee Devi.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot Nos. 1 and 2 measuring 2060 and 3960 sq. ft. respectively out of Nazul plot No. 12, Khasra No. 992, situate at I.T. College crossing, Lucknow, forming total area of 6020 sq. ft. and all that description of the property which is mentioned in the sale deed and form 37G No. 874 which have duly been registered at the office of the Sub-Registrar,

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date: 15-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1), OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX, ACOUISITION RANGE-II

Madras-600 006, the 6th October 1981

Ref. No. 11289.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

No. Plain View, Coonoor situated at Coonoor (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at •

Coonoor (Doc. 287/81) in February 1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri S. H. Syed Yusuff, 18, 19, Bava Rowther Road, Madras-18.
 - (Transferor)
- (2) Shri B. M. Gill, Plainview, Tiger Hill, Coonoor Nilgiris.

 (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Plain view, Tiger Hill, Coonoor, Nilgiris. (Doc. 287/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-600 006

Date: 6-10-1981

Şeal;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

Madras-6, the 8th October 1981

Ref. No. 3919.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 236, Anna Salai, situated at Pondicherry, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Pondicherry (Doc. 358/81) in February 1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said insrtument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act. 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Palani R. Sivaraman R. Jeevanandan, 236, Anna Salai Pondy-1.

(Transferor)

(2) K. Sundararaju, 7, Thirumudi Nagar, Pondy-1. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of the notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 236, Anna Salai Pondicherry.

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Madras-6

Date: 8-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II

Madras-600 006, the 8th October 1981

Ref. No. 16143.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 29, Gill Nagar I St., situated at Puliyur, Kodambakkam, Madras,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at

Kodambakkam (Doc. 930/81) in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as afore-aid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought of be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) V. Balasubramanian, 15, Sarojini St., Madras-17.
 (Transferor)
- (2) Ammini Babukuttan, 6/7, Kuppuswamy Road Srinivasa Nagar, Madras-31. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 29, Gill Nagar I St., Puliyur, Kodambakkam, Madras. (Doc. 930/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras-6

Date: 8-10-81

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006 Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 11336.-Whereas, J. RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 11/45, Raja St., situated at Coimbatore, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 697/81) in February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) P. Thirumalalswamy, 25/33, Pattu Noolkarar Lane, Coimbatore.

(Transferor)

(2) C. A. Kannayyan and K. Raja, 516, Trichy Road, Coimbatore.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 11/45, Raja St., Ramnagar, Coimbatore (Doc. 697/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Madras-600 006

Date: 8-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 9268.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. A-3, I Cross St., situated at Thillainagar, Trichy (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Trichy (Doc. 372/82) in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid, exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties, has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957); (1) A. K. Natarajan
A3, 1 Cross St., West Extension
Thillalnagar, Trichy.

(Transferor)

(2) Subramaniam Chellammal A3, Rukmani Illam, I Cross St., Thillainagar, Trichy.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days, from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at A3, Rukmani Illam, I Cross St., Thillainagar, Trichy (Doc. 372/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Madras-600 006

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 8-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 11356.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 25/50, 49, Thomas St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1504/81) in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Narayani Ammal, S. Dhamayanthi, M. S. Balakrishnan Decorina, Kalai Road, Calicut-2.

(Transferor)

(2) S. Muni lal, S. Ghandhilal 26/18, Uppukinar Lane, Coimbatore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Land and building at 25/50, Thomas St., Coimbatore (Doc. 1504/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II,
Madras-600 006

Date: 8-10-1981

FORM I.T.N.S .-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 16161.—Whereas, I. RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 33, Rajabather St., situated at Madras-17 (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at T. Nagar, (Doc. 543/81) in February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

S. N. Sundaraj
 C. Rajagopal,
 Rajabather St., Madras-17.

(Transferor)

P. Vijayalakshmi
 Rajabather St., Madras-17.

(Transferee

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 33, Rajabather St., Madras-17 (Doc. 543/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range-II.
Madras-600 006

Date: 8-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 9320.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 5, Lawsons Road, Venkata Park, situated at Trichy (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Trichy (Doc. 734/81) on February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—
23—316GI/81

 Sitamma Desikachary, Savithra Ammal
 Lawsons Road, Cantonment, Trichy.

(Transferor)

(2) Savithri Ammal W/o Gopalakrishnan C-101, 7th Cross, Eastern Fxtension, Thillainagar, Trichy.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immerable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 5, Lawsons Road, Venkata Park, Trichy. (Doc. 734/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Date: 8-10-1981

FORM TINE

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 9257.—Whereas, I, RADHA BALAKRISHNAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. TS. No. 1000, situated at Pudupalayam, 4, Yadhava St., Cuddalore

(and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Cuddalore (Doc. 190/81 (Item No. 17, 18) on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice uniter subsection (1) of Section 269D of the said Act. to the following persons, namely:—

(1) Krisha winty Mudaliar No. 11, Clive St., Cuddalore.

(Transferor)

 (2) Baskaran Revathi Ammal
 53, Seetharam Nagar,
 Pudualayam, Cuddalore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforestif persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used betefn as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at 4, Yadhava St., Cuddalore. (Doc. 190/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Impecting Assit. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II
Madras-600 006.

Date: 8-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 6th October 1981

Ref. No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Incompetent Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Big Bazaar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1220/81) in February, 1981

in February, 1981
for an apparent consideration which is less than the
fair market value of the aforesaid property and I have
reason to believe that the fair market value of the
property as aforesaid exceeds the apparent consideration
therefor by more than fifteen per cent of such apparent
consideration and that the consideration for such transfer
as agreed to between the parties has not been truly
thated in the said instrument of transfer with the object
of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

No. Big Bazaar St., situated at Coimbatore Coimbatore (Doc. 1220/81) on February 1981 (1) R. Balavenkatarama Chettiar

120, K. G. St., Coimbatore.

(Transferor)

 N. Muthuswamy Gounder 10, Teppakulam St., Erode.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Big Bazaar St., Coimbatore. (Doc. 1220/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 6-10-1981

FORM I.T.N.S.-

 R. Balavenkatarama Chettiar 120, Karuppa Gounder St., Coimbatore.

(Transferor)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (2) S. Vijayalakshmi W/o Chellakumar, Karuppampalayam Kulathupalayam, Erode Tk.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

Objections, if any, to the acquisition of the said property. may be made in writing to the undersigned:—

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras, the 8th October 1981

Ref. No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269 B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Big Bazaar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1221/81) on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act; shall have the same meaning as given in that Chapter.

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Land and building at Big Bazaar St., Coimbatore. (Doc. 1221/81).

THE SCHEDULE

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 006.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. namely:—

Date: 8-10-1981

FORM I.T.N.S .-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS

Madras-600 006, the 8th October 1981

Re. No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Big Bazar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 1222/81) on February 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) P. Balavenkatarama Chettiar 120, Karuppa Gounder St., Coimbatore.

(Transferor)

 Sampurnam Ammal W/o Palaniappa Gounder
 Kothukara Nalla Gounder St., Erode.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Land and building at Big Bazaar St., Colmbatore. (Doc. 1222/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I,
Madras-600 006.

Date: 8-10-1981

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th October 1981

Ref No. 11341.—Whereas, I RADHA BALAKRISHNAN being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No. Big Bazaar St., situated at Coimbatore (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Coimbatore (Doc. 2371/81) on April 1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Balavenkatarama Chettiar 120, Karuppa Gounder St., Coimbatore.

(Transferor)

(2) Sampoornam Ammal 12, Kothukara Nalla Gr. St., Fort Erode,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building at Big Bazaar St., Coimbatore. (Doc. 2371/81).

RADHA BALAKRISHNAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II,
Madras-600 606.

Date: 8-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME. TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 8th October 1981

Ref. No. 31/February/81.—Whereas, I R. RAVICHAN-DRAN being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing
No. T.S. No. 22/2, Ward-E, situated at Block No. 8, Pallapatti
village, Salem Town

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. II, Salem on 25-2-1981 (Document No. 861/81)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) Shri R. Kuppusamy Chettiar, S/o Shri V. M. Ramasamy Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Arisipalayam, Salem Town.

(Transferor)

(2) Shri V. Manickam. Slo Shri Venkadasamy Naidu, No. 21, Govinda Chetty Street, Salem.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at T. S. R. No. 22/2, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem Town-Document No. 861/

> R. RAVICHANDRAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Madras-600 006.

Date: 3-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 32/February/81.-Whereas, J R. RAVICHAN-DRAN

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. T.S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, situated at Pallapatti

village, Salem

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at J.S.R. No. II, Salem on 25-2-1981, (Document No. 862/81) for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

- (1) (1) Shri R. Kuppusamy Chettiar, (2) Shri K. Mahendran, (3) Minor Sakthivel, (4) Minor Suresh, (5) Minor Senthilkumar and
- - (6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppusamy Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.

(Transferor)

(2) Smt. Gowri Ammal, No. 21, Govinda Chetty Street, Arisipalayam, Salem.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette. .

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at T.S. No. 29, Ward-E, Block 8. Pallapatti village, Salem—Document No. 862/81).

> R. RAVICHANDRAN Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range-I. Madras-600 006.

Date: 3-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I,

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 33/February/81.—Whereas, I,

R. RAVICHANDRAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to

believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

No. T. S. No. 29, Ward-E. Block-8, situated at Pallapatti Village, Salem Town

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

J. S. R. II, Salem (Document No. 863/81) on 25-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesald property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) Macilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1; of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons. namely:—24—316GI/81

(1) Shri R. Kuppusamy Chettiar,
 (2) Shri K. Mahendran,

(3) Minor Sakthiwel

(6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppusamy Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.

(Transferor)

 Shri M. Ravi, No. 21, Govindasamy Street, Salem.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned --

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Actshall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and Building at T. S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem—Document No. 863/81)

R. RAVICHANDRAN,
Competent Authrolty
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I,
Madras-600 006.

Date: 3-10-1981.

Seal;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-1, MADRAS MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 70/February/81.—Whereas, I, R. RAVICHANDRAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

T. S. No. 29 Ward-E & Block No. 8, situated at Pallapatti village, Salem

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

J. S. R. II, Salem on 25-2-1981 (Document No. 979/81)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the instrument of transfer with the object of :--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :--

- Shri R. Kuppusamy Chettiar,
 Shri K. Mahendran,
- (3) Minor Sakthivel
- (4) Minor Suresh (5) Minor Senthilkumar and
- (6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppusamy Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.

(Transferor)

(2) Shri M. Ramesh, No. 21, Govindasamy Street, Salem.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and Building at T. S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem-Document No. 979/81)

> R. RAVICHANDRAN, Competent Authority. Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I. Madras-600 006.

Date: 3-10-1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, MADRAS-600 006

Madras-600 006, the 3rd October 1981

Ref. No. 71/February/81.-Whereas, I, R. RAVICHANDRAN,

being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

T. S. No. 29, Ward-E &,

Block No. 8, situated at Pallapatti village, Salem

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

J. S. R. II, Salem on 25-2-1981

(Document No. 980/81)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the afgresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the obnsideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly, stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax un ler the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Shri R. Kuppusamy Chettiar, Shri K. Mahendran,

(2)

(3) Minor Sakthivel (4) Minor Suresh

(5) Minor Senthilkumar and

(6) Smt. Paruvathammal, W/o Shri R. Kuppusamy Chettiar, No. 19, Syed Jaffar Street, Salem.

(Transferor)

(2) Shri M. Raja No. 21, Govindasamy Street, Salem.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

(Land and building at T. S. No. 29, Ward-E, Block No. 8, Pallapatti village, Salem-Document No. 980/81.)

> R. RAVICHANDRAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I. Madras-600 006.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely : -

Date: 3-10-1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq./1081.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Plot No. 56 situated at Kota

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shrimati C. Manju W/o Shri C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari, Niwasi 30-31 New Grain Mandi, Kota.

(Transferor)

(2) Shri H. M. Rahamat Ali S/o Ibrahim Ji Bohra, Niwasi Sabzi Bazar, Jhalarapatan City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property at Plot No. 56, New Grain Mandi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S. R. Kota vide his registration No. 464 dated 26-2-81.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
Jaipur.

Date: 14-10-81.

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Taipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq./1082.—Whereas, I. M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House situated at Jaipur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jaipur on 4-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (b) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Weath-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Dr. Udhister Deo Sharma S/o Surya Narain Sharma, Niwasi Sokinyo Ka Rasta, Chokari Topkhana Desh, Kishanpole Bazar, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shrimati Ishwari Bai W/o Shri Khiyal Das, Niwasi Kanwar Nagar, Jaipur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publicauon of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property Deshehara Kothi Village Vijay Mahal Jaipur measuring 571 sq. mtr. & more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide his registration No. 313 dated 4-2-81.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur.

Date: 14-10-81.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1080.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

Plot No. 56 situated at Kota

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as

aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fitteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

 Shrimati C. Manju W/o Shri C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari Niwasi 30-31, New Grain Mandi, Kota.

(Transferor)

(2) Shri Abbas Ali S/o Shri Rahamat Ali, Niwasi Jhalarapatan,

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property at Plot No. 56 New Grain Mandi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S. R. Kota vide his registration No. 467 dated 26-2-81,

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur.

Date: 14-10-81.

Seal -

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1079.—Whereas, I. M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 56 situated at Kota

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other easets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to following persons namely:—

 Shrimati C. Manju W/o C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari, Niwasi 30-31, New Grain Mandi, Kota.

(Transferor)

(2) Shri Nijamuddin S/o Rahamat Ali Khan Niwasi Jhalarapatan.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this Notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property at Plot No. 56 New Grain Mandi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S. R., Kota vide his No. 466 dated 26-2-\$1.

M. I.. CHAUHAN, Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Jaipur.

Date: 14-10-81,

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-

SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq./1085.—Whereas, 1, M. L. CHAUHAN,

being the competent authority under section 269B of the Income Tax, Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 45 situated at Jaipur

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jaipur on 2-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the tansferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfeed for the 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Shrimati Nain Kunwar W/o Late Shri Thakur Narain Singh Ji of Sakun, Niwasi 45 Gopal Bari, Jaipur. (Transferor)
- (2) Shri Govind Singh Major & Man Singh, Karan Singh & Hanumant Singh Minor sons of Shri Madan Singh guardian (self) Niwasi 45, Gopal Bari, Jaipur. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Plot No. 45 at Jaipur Nugar, Chokadi Aawali Shahar, Gopal Bari & more fully described in the sale deed registered by S. R., faipur vide his registration No. 289 dated 2-2-81.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Jaipur.

Date: 14-10-81.

FORM I.T.N.S. ----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

Jaipur, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1078.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN,

being the Compotent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

Plot No. 56 situated at Kota

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kota on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the faoresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transferand/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

25-316GI/81

 Shrimati C. Manju W/o Shri C. P. Kothari & Smt. D. Manjula W/o Shri D. P. Kothari Niwasi 30-31, New Grain Mandi, Kota.

(Transferor)

(2) Shrimati Amina Bai W/o Shri Rahamat Ali Ji Bohra, Niwasi Jhalarapatan City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of property situated at Plot No. 56, New Grain Mandi, Kota & more fully described in the sale deed registered by S. R. Kota vide his registration No. 465 dated 26-2-81.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
Jaipur.

Date: 14-10-81

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

Kumari Niti Kapoor D/o Raghuvir Kapoor, 86, Gopal Bari, Jaipur.

(Transferor)

(2) Shri Bhajan Lal Meena S/o Shri Ram Pal Meena. A-7, Bajaj Nagar, Jaipur

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

Jaipur, the 16th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1089,—Whereas, I, M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B, of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market

value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot No. 7 situated at Jajpur

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jaipur on 4-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the partles has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely:—

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 7, at Mahavir Udhyan Path, Bajaj Nagar, Jaipur & more fully described in the sale deed registered by S. R. Jaipur vide his No. 314 dated 4-2-81.

M. L. CHAUHAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range.
Jainut.

Date: 16-10-81

Scal ·

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETIAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE.

raipm, the 16th October 1981

Ref. No. IAC/Acq/1086.--Whereas, I. M. L. CHAUHAN,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 348 situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 2-2-1981

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Mishri Lal S/o Shri Joga Ram Ji Sirvee R/o Bhavi Teh. Bilara Distt. Jodhpur.

(Transferor

(2) Shri Ravindra Pal Singh S/o Shri Ujagar Singh Rajput Bhati R/o Jodhpur, Fertilizer Corporation of India, Paota, Jodhpur.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respetive persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 348, laxmi Nagar, Paota Area, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S. R. Jodhpur vide his registration No. 681/181 dated 2-2-81.

M. L. CHAUHAN.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jaipur.

Date: 16-10 81

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 16th October 1981

No. IAC/Acq./1088.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 16 situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jodhpur on 27-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) tachitating the reduction or evasion of the hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-lax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Lal Singh Ujjawal S/o Het Dan Ji Ujjwal R/o Paota B-Road, Jodhpur.

(Transferor

(2) Shrimati Bhenro Bai W/o Shiv Narain Ji & Shyam Sunder S/o Shri Shiv Narain Ji, Jodhpur.

(Transferce)

Objections, if any, toto the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 16 situated at 1st Polo Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 428 dated 27-2-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Jaipur

Date: 16-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JAIPUR

Jalpur, the 16th October 1981

Rcf. No. 1AC/Acq./1087.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immov-

able property having a fair market value exceeding $R_{\rm S}$. 25,000/- and bearing

No. House situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Jodhpur on 10-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aloresaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) faciliting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, is respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Madho Singh S/o Bahadur Singh R/o Rasala Road, Jodhpur.

(Transferor)

(2) Shri Chand Mal Soo Jabar Chand Ji Bhandari, R/o Osiya Distt. Jodhpur.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of house property situated at Paota, Rasala Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 231 dated 10-2-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Jaipur

Date: 16-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACOUISITION RANGE, JAIPUR

Jaipur, the 16th October 1981

Ref. No. IAC/Acq. 1099.—Whereas, I, M. L. CHAUHAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. House situated at Jodhpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jodhpur on 10-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shii Madho Singh S/o Bahadur Singh R/o Rasala Road, Jodhpur.

(Transferor)

 Shrimati Kalpna Bhandari W. o Prakash Bhandari, R/o Jodhpur. (Transferee)

Objections, il any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Cround floor of House' property situated at Paota Area, Rasala Road, Jodhpur & more fully described in the sale deed registered by S.R., Jodhpur vide his registration No. 232 dated 10-2-81.

M. L. CHAUHAN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Runge, Jaipur

Date: 16-10-1981

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR Amritsar, the 25th September 1981

Ref. No. ASR $\frac{81-82}{238}$ -Whereas, I. ANAND SINGH IRS.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. one plot in Guru Nanakwarn situated at Amritsar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at SR Amritsar on Feb. 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lift:en per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and /or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Sat Pal Sharma s/o Ganda Ram Sharma r/o H. No. 4763 Guru Nankwara Amritsar.

(Transferor)

(2) Shri S. Guimukh Singh s/o Gurmej Singh r/o village Ghasitpura Tehsil Tara Taran, Distt. Amritsar.

(Transferce)

(3) As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazelte.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land measuring 340 sq. yds. (kh. No. J04 mm) situated in Guru Nanakwara Amritsar Urban as mentioned in the sale deed No. 3543/I dated 25-2-81 of the registering authority Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Amritsar

Date: 25 9-81.

Seal.

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,
3. CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR
Amritsar, the 5th October 1981

Ref. No. ASR/81-82/239.--Whereas, I, ANAND SINGH

IRS.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25000/and bearing No.

One plot of land in Ranni Ka Bagh situated at Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the registering officer

at S R Amritsar on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shmt, Rattan Bhandari d/o Padam Chand Bhandari i o Rani Ka Bagh, Amritsar.

(Transferor)

(2) Shmt. Indra Khosla w/o Sh. Roshan Lal r/o Katra (**Dudo, Amritsar. (Transferec)

(3). As at sr. No. 2 overleaf and tenant(s) if any,
(Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATIONS—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot of land measuring 250.29 sq. yds. (Khasra No. 691, 692) situated in Rani Ka Bagh, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 3393/1 dated 9-2-81 of the registering Authority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
Amritsar

Date: 5 10-81.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

 CHANDER PURI, TAYLOR ROAD, AMRITSAR Amritsar, the 5th October 1981

Ref. No. ASR/81-82/240.—Whereas, I, ANAND SINGH I.R.S. being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

208-East Mohan Nagar situated at Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar on 24-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of;—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons. namely:—
26—316GI/81

(1) The Chairman, Amritsar Improvement Trust, Amritsar.

(Transferor)

- (2) M/s. Virdi Industries (Shuttles) Pvt. Limited, 208 East Mohan Nagar, Amritsar. (Transferee)
- (3) As at S. No. 2 overleaf and tenant(s) if any (Person in occupation of the property)

(4) Any other.

(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of land measuring 604.8 Sq. Mts. situated in East Mohan Nagar, Amritsar as mentioned in the sale deed No. 3531 dated 24-2-1981 of the Registering Auththority, Amritsar.

ANAND SINGH, I.R.S.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range,
3-Chanderpuri, Taylor Road,
Amritsar

Date: 5-10-81.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFIGE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of Plot No. 188, situated at Gol Ganj, Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-81

for an apparent consideration which is less than the fear market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Smt. Rabab Banoo Wd/o Gulam Abbas Daudi Bohra, R/o 288, Orapura Bakha, Ujjain.
 - Hakimuddin S/o Gulam Abbas Daudi Bohra, R/o Siya Ganj, Indore.

(Transferor)

(2) Smt. Gayatri Bai R/o Gol Ganj, Near Bank of India, Main Road, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA, of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Plot No. 188, Nazul Block No. 18, situated on Main Road, Gol Ganj, Chhindwara. Area-736.67 Sq. ft,

VIJAY MATHUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building.
T. T Nagar, Bhopal

Date : 24-9-81 Sept :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. 1AC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of Plot No. 188 situated at Gol Ganj. Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Smt. Bilkish Banoo
 D/o Gulam Abbas Daudi Bohra,
 W/o Shabber Hussain Tambawala,
 14/1 Maharani Road,
 Indore.

('Transferor)

(2) Smt. Sumitra Bai W/o Shankerlal Tamrakar, R/o Gol Ganj, Near Bank of India, Main Road, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the aid Act. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Plot No. 188, Nazul Block No. 18, situated on main Road, Gol Ganj, Chhindwara. Area—734.69 Sq. ft.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 24-9-81

Scal :

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No .188 (Part) situated at Gol Ganj, Chhindwara (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

tor an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

 Smt. Nasib Banoo D/o Gulam Abbas Dandi Bohra, W/o Inayat Hussain Surasara Wala, R/o Rahmani Colony, Mambra, Maharashtra.

(Transferor)

(2) Smt. Mathuramati W/o Kundanlal Tambrakar R/o Gol Ganj, Near Bank of India, Main Road, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of Plot No. 188, Nazul Block No. 18, situated on Main Road, Gol Ganj, Chhindwara. Area—732.41 Sq. ft.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 24-9-81

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the competent authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Part of triple storeyed house No. 20/447

situated at Gol Ganj, Chhindwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (h) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Dr. Fakruddin S/o Gulam Abbas Daudi Bohra, R/o Sayeen Hospital, Bombay & others. (Transferor)
- (2) Shri Kundanlal S/o Budhulal Tamrakar, R/o Gol Ganj, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of triple storeyed house bearing No. 20/447, situated on Main Road, in Gol Ganj, Chhindwara. Area 569.36 Sq. ft

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 24-9-81

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. JAC/ACQ/BPL.—Whereas, 1, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-

and bearing No.

part of triple storeyed house No.

situated at Gol Ganj, Chhindwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not beent truely stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Inome-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Hakimuddin S/o Gulam Abbas Daudi Bohra, R/o Siya Ganj, Indore & Others.
 Smt. Rabab Banoo Wd/o Gulam Abbas, R/o 288, Orapura, Bakhal, Ujjain.

(Transferor)

(2) Shri Harilal S/o Budhulal Tamrokar, R/o Gol Ganj, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned —

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of triple storeyed house, situated on Main Road, in Gol Ganj, Chhindwara. Area 569.87 Sq. ft.

VIJAY MATHUR
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 24-9-81

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Part of triple storeyed house No. 20/447 situated at Gol Ganj, Chhindwara

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

Chhindwara on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Hability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Sajjad Hussain

S/o Gulam Abbas Daudi Bohra, R/o 288, Orapura Bakhal, Ujjain & Others.

(Transferor)

(2) Shri Shankerlal S/o Budherlal Tamrakar, R/o Gol Ganj, Chhindwara.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovaable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Part of triple storeyed house bearing No. 20/447, situated on Main Road, in Gol Ganj, Chhindwara.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 24-9-81

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

> ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No IAC/ACQ/BPL.-Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Half portion of house on plot No. 193 Λ , situated at Behind Sharda Talkles, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction of evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I nereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh, R/o Motipara, Durg. Behind Sharda Talkies.

(Transferor)

(2) Shri Mishrilal Kankaniya S/o Gherarchand Kankriya, R/o Sadar Bazar, Durg.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg— Plot No. 193-A.

> VIJAY MATHUR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, 4th Floor, Gangotri Building, T. T. Nagar, Bhopal

Date: 22-9-81

(2) Smt. Champadevi

W/o Mishrilal Kankriya, R/o Sadar Bazar, Durg.

FORM ITNS-

(1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh, R/o Motipara, Durg.

(Transferor)

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE. BHOPAL, M.P.

Bhopal ,the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Half portion of house on plot No. 193A, sltuated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair mbarket value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

27-316GI/81

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter,

THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building, situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg.

VIJAY MATHUR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, 4th Floor, Gangotri Building, T. T. Nagar, Bhopal

Date: 24-9-81

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act. 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesald exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferse for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh, R/o Motipara, Durg. (Transferor)
- (2) Shri Mohanlul S/o Mishrilal Kankriya, R/o Sadar Bazar, Durg.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg—Plot No. 193-A.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 22-9-1981

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal ,the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIIAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh, R/o Motipara, Durg. Behind Sharda Talkies.

(Transferor)

(2) Shri Ashkaram S/o Mishrilal Kankriya, R/o Sadar Bazar, Durg.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated at behind Sharda Talkies, Motipara, Durg-Plot No. 193-A.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotrl Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 22-9-1981

Soal:

 Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh, R/o Motipara, Durg. Behind Sharda Talkies.

(Transferor)

(2) Shri Prakashchand S/o Mishrilal Kankriya, R/o Sadar Bazar, Durg.

(Transferce)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal ,the 22nd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred .: as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the

property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg—Plot No. 13-A.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 22-9-1981

Scal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

B'opal, the 22nd September 1981

Ref. No. 1AC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing.

Half portion of house on plot No. 193A, situated at Behind Sharda Talkies, Motipara, Durg (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Durg on 25-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Shri Rameshchandra S/o Devendra Ghosh, R/o Motipara, Durg.

 (Transferor)
 - Shri Suraimal S/o Mishrilal Kankriya

(2) Shri Surajmal S/o Mishrilal Kankriya, R/o Sadar Bazar, Durg. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Half portion of the ground floor of the triple storeyed building situated behind Sharda Talkies, in Motipara, Durg—Plot No. 13-A.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 22-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 3rd October 1981

Ref. No. 1AC/ACQ/BPL.—Whereas, I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Mucl. H. No. 173 situated at Jaiprakash Ward, Katni (and morefully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Katni on 11-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby, initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- Premchand
 Harilal S/o Basamal Lalwani, R/o 91, Podar Road, Bombay.
 Nirmalkumar S/o Basamal Lalwani, 91, Podar Road, Navrang, Bombay No. 26.
 Smt. Nanki Bai Wd/o Chandra Bhan Lalwani, Bavli, Vijaykumar, Kanhaiyalal, Mohanlal, VirendraKumar, R/o Jiwan Jyoti Co-op. Society, Kabdi Road, Nagpur.

 (Transferor)
- Shri Lophumal S/o Ishwardas,
 Mohanlal S/o Lokmel Sindhi,
 R/o Kymore, Mudwara, Jabalpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 173, situated at Jaiprakash Ward, Katni.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 3-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME:TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas J, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Land Kh. No. 672, 673, 674, 674/1/2, situated at Village: Mhowgaon, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Indore on 19-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therfor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay not under the said Act. in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Babulal S/o Ramchandra Agarwal, R/o 699, Dana Gali, Mhow.

(Transferor)

(2) Sh. Kamal Kumar Surajmal Badjatiya (HUP), Karta Kamal Kumar Sarajmal Badjatiya, 14, Dimond Colony, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter

THE SCHEDULE

Land at Village Mhow gaon, Kh. No. 672, 673, 674 & 674/1/2.

VIJAY MATHUR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 4th Floor, Gangotri Building, T. T. Nagar, Bhopal.

Date: 23-9-1981

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 21st September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the Immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Open land and 2 garrage situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ratiam on 17-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Smt. Sushila Bai W/o Shri Amrithlal, Overseer, Petlawat, Jhabua (2) Champalal S/o Nanalal Jain, R/o Jhaknawat.

(Transferor)

(2) (1) Johar Ali (2) Mazar Ali

(3) Mustafa,

(4) Yusuf Ali C/o Hakmuddin S/o Aobas Bhai, Bohaia and Nazmuddin S/o Abbas Bhai, Chandni Chowk, Ratlam,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- *(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land and 2 garrage situated at Mhow-Neemuch Road, Ratlam—area 6253.44 Sq. ft.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
4th, Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal.

Date: 21-9-81

Séal:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.--Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under
Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Land of 6.88 Acres situated at Shahpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Shahpur on 10-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

28—316GI/81

 Shri Gulab Rao S/o Waman Rao (2) Smt. Manorma Bai W/o Waman Rao Desh Mukh, R/o Shahpur, Burhanpur.

(Transferor)

(2) Shri Hari Bhau S/o Sonji, Nimbhorkar, R/o Shahpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires dater;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Shahpur measuring 6.88 Acres with well-Motor Pump & Trees with crop of Banana.

VIJAY MATHUR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, 4th, Floor, Gangotri Building. T. T. Nagar, Bhopal.

Date: 19-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 8 30 Acres situated at Village; Phophnar, Burhanpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Burhanpur on 17-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transfer for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesald property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Madho S/o Ganpat Choudhary, R/o Badsinghji, Burhanpur.

(Transferor)

(2) (1) Shri Waman S/o Dingru

(2) Shri Narain S/o Waman, Choudhary, R/o Badsinghgi, Buthanpur.

(Transfereé)

Objections, if any, to the acquiistion of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 8.30 Acres with well—Elec. Motor & Pump at village Phophnar, Burhaupur.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal.

Date: 19-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land measuring 23.89 Acres situated at Village; Sangram-pur, Burhanpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Burhanpur on 26-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subjection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) (1) Smt. Dwarika Bai W/o Prabhakar
 - (2) Ramesh
 - (3) Arun, Both S/o Prabhakar, R/o Sangrampur, Burhanpur.

(Transferor)

- (2) (1) Siaram Garwad
 - (2) Tuka Ram Garwad, Mahajan, R/o Phophnar, Teh: Burhanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land at Village Sangrampur Teh: Burhanpur—measuring 23.89 Acres with Trees.

VIJAY MATHUR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th, Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal.

Date: 19-9-1981

Scal

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961(43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Land of 20.25 Acres, situated at Village: Badsingi, Burhanpur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

Burhanpur on 13-2-1981

for an apparent consideration which is lessthan the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; _and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

 Shri Shanker S/o Kishan Mahajan Turak, Gureda Tehsil: Burhanpur,

(Transferor)

(2) (1) Shri Sonji S/o Dongru Choudhary

(2) Shree Ram S/o Sonji

(3) Badi Ram S/o Sonji,(4) Smt. Gecta Bai W/o Somji,

R/o Badsingi Tch: Burhanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land-20.25 Acres with well and trees at Village; Badsingi, Burhanpur.

> MATHUR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, 4th Floor, Gangotri Building, T. T. Nagar, Bhopal.

Date: 19-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 19th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATIRUB being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. Land measuring 2.25 Acres situated at Village: Amagirid Burhanpur,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer

Burhanpur on 20-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

(1) (1) Shri Ramchand S/o Nilman

(2) Ganpat S/o Nilam (3) Shanker S/o As abové, R/o Alamganj, Burhanpur.

(Transferor)

(2) Shree Ansar Housing Society, Burhanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :--

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: - The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

l and measuring 0.75+0.75+0.75=2.25, Acre at Amagirid of Burhanpur.

> VIJAY MATHUR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range. 4th Floor, Gangotri Building, T. T. Nagar, Bhopal.

Date: 19-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (63 OF 1961)

(1) Smt. Kalawati w/o Shri Devendrakumar, 11, Prakash Nagar, Indore.

(2) Shri Fakirchand Bhojraj Agarwal, ...63, R.N.T. Marg, Indore

(Transferee)

(Transferor)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 24th September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

House No. 110, situated at Prakash Nagar, Indore (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on 23-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said preperty may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House No. 110, situated at Prakash Nagar, Indore.

VIJAY KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 24-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 23rd September 1981

Ref. No. IAC/ACQ/BPL.-Whereas I, VJJAY MATHUR. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. Land of 3.218 Hector,

situated at Village Mhowgaon, Indore

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration

Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Indore on 20-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (I) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Babulal, s/o Ramchandra Agarwal. r/o 699, Dana Gali, Mhow.

(Transferor) (2) Shri Kamal Kumar Surajmal Badjatiya (HUF) Karta Kamal Kumar Sarajmal Badjatiya, 14, Dimond Colony, Indore.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mhowgaon, 3.218 Hector with two Land at Village well and trees etc.

> VIJAY KUMAR Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, 4th Floor, Gangotri Building, • T. T. Nagar, Bhopal

Date: 23-9-1981

FORM I.T.N.S .--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M.P.

Bhopal, the 21st September 1981

Ref. No. JAC/ACQ/BPL.—Whereas I, VIJAY MATHUR, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

Land measuring 2.150 Hector,

situated at Ratlam,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Ratlam on 25-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Sertion 269D of the said Act, to the following persons namely:—

- Shri Sajjad Hussain s/o Saraf Ali Bohra,
 Yogendra Kumar, s/o Motilal Porwal, Ramgarh, Ratlam,
 - Mukesh Kumar Ashok Kumar, New Bank Colony, Ratlam.

(Transferor)

(2) Model Steel & Alloys Ltd., Ratlam.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a), by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 2.150 Hectors, situated at Ratlam.

VIJAY KUMAR
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range,
4th Floor, Gangotri Building,
T. T. Nagar, Bhopal

Date: 21-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. SPT/1/81-82,—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act,'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 % and bearing No.

Land measuring 21 K 9 M with building situated at Jetheli (Sonepat)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Sonepat in April, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen percent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :-29-316GI/81

(1) M/S Rai Engineering Company, Rai, through Sh. Dalip Singh, s/o Shri Harphool Singh, Rai.

(Transferor)

(2) M/S Sungro Seeds Pvt. Ltd., C-33, New Subzi Mandi, Azadpur, Delhi-110033.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land with building situated in Village Jatheri District Sonepat and as more mentioned in the sale deed registered at No. 7 dated 1-4-1981 with the Sub-Registrar, Sonepat.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE,

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. AMB/145/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA. being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Single storey building with land area 4.07 acre situated at Ambala Cantt. (and more fully described in the Schedule annexed hereto),

has been transferred under the Registration Act. 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than, fifty per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Shanno Devi Sharma, w/o Shri Padma Ram, r/o Sujangarh, Distt. Churu (Rajasthan), (Transferor)
- Shri Rishab Mittal, s/o
 Shri Deepak Mittal
 Shri Abhishek Mittal, s/o
 Shri Deepak Mittal,
 r/o House No. 234, B.C. Bazar,
 Ambalu Cantt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein asare defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being single storey building with land measuring 4.07 acre, situated in Ambala Cantt. and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5185 dated 24-2-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA

Competent Authority

Inspecting Assistant Commissioner of Income; Tax

Acquisition Range, Rohtak.

Date: 12-10-1981

Seal ;

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT

COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
D. L. F. COLONY,
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DBW/19/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Shop No. 24, New Anaj Mandi,

situated at Dabwali

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Dabwali in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) 1. Smt. Sita Devi w/o Shri Hardass Rai,

2. Shri Vijay Kumar s/o Shri Hardas Rai,
3. Shri Satish Kumar s/o Shri Hardas Rai,
r/o Mandi Dabwall,

(Transferor)

Shri Payre Lal s/o Shri Kanra Ram,
 Shri Raj Kumar s/o Shri Uttam Chand,
 Shop No. 24, New Anal Mandi,
 Dabwali.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned...

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning, as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Shop No. 24, New Anaj Mandi, Dabwal and as more mentioned in the sale deed registered a No. 3146 dated 24-2-1981 with the Sub Registrar, Dabwali.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-ta:
Acquisition Range, Rohtal

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. BGR/410/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that

the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Industrial plot No. 14 Sector 6, Factory building and land measuring 12,182 sq. yards situated at Faridabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in March 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the patries has not been truly stated in the said instrument of transfer with hte object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) M/s Mimec India Private Limited, 5/2, Russel Street, Calcutta.

(2) M/s Khaitan Electricals Limited, 46-C, Jawaharlal Nehru Road, Calcutta. (Transferor)

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesnid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: --The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being double storey office building and factory sheds alongwith land measuring 12.183 sq. yards, situated in Sector No. 6, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 13256 dated 31-3-1981 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1981

(1) Shri Mohan Lal s/o Fakira, r/o Village Palla, Teh. Ballabgarh.

(Transferor)

(2) M/s Greater Delhi Planners (P) Ltd., Flat No. 3, Shanker Market, Connaught Circus, New Delhi.

(Transferee)

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,
ACQUISITION RANGE,
D. L. F. COLONY,
ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DLI/54/80-81.—Whereas I; G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing land measuring 2 kanal 18 marla situated at Village Palla

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Delhi in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferce for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, er the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the slad property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

ENPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the mid Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 2 kanal 18 marla situated at Village Palla and as more mentioned in the sale deed registered 78 dated 13-2-1981 with the Sub Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. RTK/53/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

Property No. 595, 596, situated in Ward No. 17, Railway

Road, Rohtak

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rohtak in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealthtax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:-

- (1) Shri Anil Kumar Jain, Advocate, /o Shri Rameshwar Dayal Jain, Advocate, House No. 600/3, DLF Colony, Rohtak.
- (Transferor) (2) Shri Pritam Chand Narang, s/o Shri Atma Ram s/o Shri Nanak Chand, r/o House No. 141/3, Mohalla Muglama, Rohtak.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the baid immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being No. 595, 596 Ward No. 17 Railway Road, Rohtak and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4819 dated 6-2-1981 with the Sub Registrar, Rohtak.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Rauge, Rohtak

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTΛK

Rohtnk, the 12th October 1981

Ref. No. KNL/185/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Land measuring 130.14 Marin,

situated at Village Barsat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Karnal in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have leason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Smt. Chanderwati wd/o Shri Krishan Dass alias Kishan Chand, r/o Q. No. 45-46, Block No. 4, Vijay Nagar, New Delhi, through Shri Shankar Dass Kataria.

(Transferor)

(2) Varinder Nath s/o Shaker Dass, r/o House No. 36-57, Gol Market, Panipat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 130 K 14 M situated in Barsat Teh. Karnal and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5171 dated 13-2-1981 with the Sub-Registrar, Karnal.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1984

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. JDR/90/80-81.—Whereas 1, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Property situated in Tch. Jagadhari,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Jagadhari in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269-C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Nihalo wd/o Shri Bishna Ram, s/o Shri Kalu Ram, Jagadhari.

(Transferor)

(2) Shri Harpal Singh, s/o Shri Aphlatoon Singh, r/o Village & P.O. Sahjadpur, Teh. Jagadhari.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property situated in Teh. Jagadhari and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5743 dated 3-2-1981 with the Sub Registrar, Jagadhari.

G. S. GOPALA

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1981

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DL1/56/80-81,--Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said' Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Land measuring 33 kanals 7 marlas,

situated at Village Alampur

(and, more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Delhi on 9-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said. Act in respect of any income arising from the transfer; . and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferoe for the purposes of the Incan Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely:-30-316GI/81

(1) Shri Amar Nath s/o Shri Radha Ram, r/o 1! 28, Punjabi Bagh, New Delhi through his General Attorney, Shri Munshi Ram.

(Transferor)

(2) Shri Anil Nanda s o Shri H. P. Nanda, r/o 12 Jor Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned ---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 33 kanals 7 marlas in revenue estate of Village Alampur, Tehsil Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered with the Sub-Registrar, Delhi.

> G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Robtak

Date: 12-10-1981

FORM NO. I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DLI/57/80-81.--Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under the Section 269B of the Income-tax. Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

Land measuring 30 Kanals 18 marlas,

situated at Village Alampur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealthtax Act, 1957 (27 of 1957)

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

- (1) Mr. Bishamber Lal, s/o Shri Radha Ram, r/o 11/28, Punjabi Bagh, New Delhi through his General Attorney, Munshi Ram. (Transferor)
- (2) Mr. Anil Nanda s/o Sh. H. P. Nanda, r/o 12 Jor Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 30 Kanal 18 marlas, situated in the Revenue state of Village Alampur, Teh. Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered at No. 46 dated 9-2-1981 with the Sub Registrar,

G. S. GOPALA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Ref. No. DLI/58/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Land measuring 26 kanals 3 marlas,

situated at Village Alampur

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi on February, 1981

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Shri Munshi Ram, s/o
 Radha Ram, r/o
 2/6B, Jangpura-A,
 New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Anil Nanda s/o Sh. H. P. Nanda, r/o Jor Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 26 kanals 3 marlas, situated in the Revenue Estate of Village Alampur, Teh. Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered at No. 35 dated 6-12-1981 with the Sub Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Rohtak, the 12th October 1981

Ref. No. DLI/45/81-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

land measuring 26 kanals 3 marias situated at Village Alampur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Delhi, on May, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:--

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Munshi Ram, 5/0 Sh. Radha Ram, r/o 2/6B, Jangpura, New Delhi.

(Transferor)

(2) Mr. Anil Nanda s/o Sh. H. P. Nanda, r/o Jor Bagh, New Delhi.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons. whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 26 kanals 3 marlas, situated in the Revenue Estate of Village Alampur, Teh. Ballabgarh and as more mentioned in the sale deed registered at No. 474 dated 8-5-1981 with the Sub Registrar, Delhi.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Robbak

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. GRG/136/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Avt, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Property Factory building at plot No. 72, Industrial area Mahrauli Road, situated at Gurgaon

(and more fully described in the Schedule annexed here(0), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurgaon in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income of any moneys or other essets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the foresaid property by the base of this notice under sub-section 1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Ravinder Kumar Goel, 8/0 Shri Bishan Sarop Goel, c/o Patwari ji ki Dukan, Karol Bagh, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/S Demm Auto Engineering Works, Plot No. 72, Industrial Area, Mahrauli Road, Gurgaon.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being factory building at Plot No. 72, Industrial area, Mahrauli Road, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5145, dated 24-2-1981, with the Sub Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 12-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

> ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY,

ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Rcf. No. GRG/146/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property being H. No. 79-L, New Colony,

situated at Gurgaon

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurgaon in March 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Gopal Behari Lal, 8/0 Shri Rang Behari Lal, c/o Shri Ghansham Dass, H. No. 79-L, New Colony, Gurgaon.

(Transferor)

(2) Smt. Ram Kali Devi, w/o Shri Ghandham Dass, H. No. 79-L, New Colony, Gurgaon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 79-L, New Colony, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5374 dated 16-3-1981 with the Sub Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

FORM ITNS ---

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTΛΚ

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/148/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Shops No. 4551, 4552, 4553 & 4554,

situated at Ambala Cantt.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering

Ambala in March, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act. 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Rajeshwar Parshad, s/o Hari Kishan Dass, r/o Bazaza Bazar, Ambala Contt.

(Transferor)

(2) Smt. Taran Kaur, w/o Shri Jagdish Singh, c/o Jagdish Di Hatti, Kesara Bazar, Ambala Cantt.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being shops No. 4551, 4552, 4553 and 4554, situated at Ambala Cantt. and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5527 dated 13-3-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/141/80-81.—Whereas 1, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property being double storey building with shops, situated at Ambala City

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Dr. Sewak Parshad s/o Sita Ram.
 - Shushil Chand Gupta, both ss/o Sewak Parshad,
 Satinder Vir Gupta,
 - d. Dev Amrit Gupta s/o Dr. Se Parshad, all r/o 15 LF Tansain Marg, New Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Jagmandir Dass Jain, s/o Shri Chetan Lal Jain, r/o 678 Radha Krishan Bazar, Ambala City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being double storey building with two shops situated in Ambala City and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4930 dated 10-2-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, D. L. F. COLONY, ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/147/80-81.—Whereas I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Property No. 334, situated at Model Town, Ambala City and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ambala in February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the afiresaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

- (a) faciliting the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforcsaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons. namely:—
31—316GI/81

 Smt. Vidya Wanti, w/o Shri Lok Nath Sharma, r/o Hissar Road, Ambala City.

Rattan Singh, s/o

S. Rattan Singh, s/o
 Basant Singh,
 334, Model Town,
 Ambala City.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 334, situated in Model Town, Ambala City and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5130 dated 23-2-1981 with the Sub Registrar, Ambala.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

(1) Smt. Vidya Wati W/o Shri Lok Nath Sharma, R/o Ambala City.

(Transferor)

(2) Smt. Chand Rani . W/o Rattan Singh, House No. 334, Model Town, Ambala City.

(Transferee)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK, D.L.F. COLONY

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. AMB/18/81-82.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing

House No. 334, situated at Model Town, Ambala (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ambala in June 2, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 334, Model Town, Ambala City and as more mentioned in the sale deed registered at No. 1415 dated 15-6-1981 with the Sub Registrar, Ambala,

> G. S. GOPALA Authority Competent Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

Scal:

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said

persons, namely :--

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. BGR/270/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Residential house No. 5P/37-C, Township

situated at Faridabad

(and more fully described in the Schedule

annexed hereto), has been transferred under the Registeration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property at aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and the consideration for such transfer as agreed to between the transfer with the object of:---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the isue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the fellowing persons, namely:—

 Smt. Margreat Dass W/o Shri A. L. Dass and Heman Dass S/o Shri Honak U., R/o 5-H-55, New Town, Faridat ad.

(Transferor)

 Shri Om Parkash Bhatia S/o Shri Chuni Lal.
 Smt. Raj Kumar W/o Shri Om Parkash Bhatia R/o H. No. 5P/37-C, Township, Faridabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being residential house No. 5P/37-C, Township Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 10889 with the Sub Registrar, Faribadad.

G, S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. PNP/104/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

2/3rd share of house No. 482-L Model Town,

situated at Panipat

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), habeen transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Office at Panipat in 20-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferre for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the Act, to the following persons, namely 6—

Smt. Ashu Makhija
 W/o Shri Bhim Sain,
 R/o 5-C/94, New Rohtak Road,
 New Delhi.

(Transferor)

 1. Shri Subhash Chander S/o Shri Ram Lal
 2. Smt. Shanta Kumari W/o Subhash Chander R/o J-5/121, Lajpat Nagar, Delhi.
 3. Smt. Santosh Bhatia W/o Shri Prem Kumar R/o 48, Model Town, Panipat.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property 2/3rd share of house No. 482-L, Model Town, Panipat and as mentioned in the sale deed registered at No. 5139 dated 20-2-1981 with the Sub Registrar, Panipat,

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE,
D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 21st October 1981

Ref. No. GRG/145/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

House No. 258, Sector-4, situated at Gurgaon (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurgaon in March, 1981

- for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—
 - (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
 - (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 S/Shri Suresh Kumar, Vinod Kumar, Vijay Kumar, Shiv Kumar, Sunil Kumar Sons of Shri Jagdish Parshad Gupta, WZ-172, Palam Colony, Delhi.

(Transferor)

(2) 1. S/Shri Suresh Chand, Harish Gupta Ss/o Shri Balraj Gupta,
2. Shri Pawan Kumar
S/o Shri Naresh Chand,
3. Shri Sushil Kumar
S/o Shri Ram Rattan,
R/o 258/4 Urban Estate, Gurgaon.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being house No. 258 Sector-4, Urban Estate, Gurgaon and as more mentioned in the sale deed registered at No. 5290 dated 10-3-1981 with the Sub Registrar, Gurgaon.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date: 21-10-1981

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, D.L.F. COLONY ROHTAK

Rohtak, the 20th October 1981

Ref. No. BRR/4/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

and bearing No.
Shop No. 132 Ward No. 18, situated at Jind
(and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Barara in February 1981

for an apparent consideration which is

less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer wit, the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or;
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Shri Bansi Lal s/o Shri Dewan Chand Punjabi Bazar, Jind

(Transferor)

(2) Shri Krishan Lal S/o Shri Mehar Chand Shop No. 132 Ward No. 18, Kessiayan Mohalla, Jind.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being shops No. 132 Ward No. 18, Punjab Bazzar Kassiayana Mohalla, Jind and as more mentioned in the sale deed registered at No. 4194 dated 17-2-1981.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date: 20-10-1981

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, ROHTAK, D.L.F. COLONY

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. BGR/284/80-81.—Whereas, I, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

Plot No. 38, Block-1, situated at Industrial Area, Faridabad (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ballabgarh in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the Itability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persone, namely:—

(1) Shri Gulshan Rai Khurana S/o G. L. Khurana, and Shri Ramesh Suri S/o Shri L. C. Suri, New Delhi.

(Transferor)

(2) M/s. Gupta Construction Company, Nehru Place, New Dolhi,

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being Plot No. 38 Block-I measuring 650 sq. yds. situated in Industrial Estate No. 1, Mewla Maharajpur, Faridabad and as more mentioned in the sale deed registered at No. 11450 dated 20-2-1981 with the Sub Registrar, Ballabgarh.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

Sca 1:

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

 Shri Khushi Ram—Narain Dass Ss/o Shri Tula Ram, R/o Jorasi (Tauru).

(Transferor)

FORM ITNS----

(2) Kumari Anisha Rajgaria D/o Shri Gopal Rajgaria, R/o 9-Maharani Bagh, New Delhi.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX

ACQUISITION RANGE, ROHTAK, D.L.F. OOLONY

Rohtak, the 19th October 1981

Ref. No. TRu/3/80-81.—Whereas, 1, G. S. GOPALA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and hearing No.

Land measuring 61 kanals 11 marla situated at Tauru (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Tauru in February 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the afire-said property and I have reason to believe that the fair market value of the aforesaid property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, of the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property being land measuring 61 kanals 11 marla situated in Khori Kalan and as more mentioned in the sale deed registered at No. 689 dated 11-2-1981 with the Sub Registrar, Tauru.

G. S. GOPALA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Rohtak

Date: 19-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMP-TAX, ACT, 1961 (43 OF 1961)

Md. Ahmed & ors, Chandney Chowlk Street, Calcutta.

(Transferor)

(2) Smt. Nirmala Devi Jain & ors. 35/1, Jawharlal Nehru Road, Calcutta.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA

Calcutta, the 22nd September 1981

Ref. No. TR-573/80-81 Sl. No. 589/Acq.R-I.—Whereas, 1, J. V. S. JUNEJA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

No. 4 situated at Chandney Chowlk, Street. Calcutta (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 18-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—32-316GI/81

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, and shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 11 K 9 Ch 12 Sq. ft. at 4, Chandney Chowlk Street, Calcutta registered by Deed No. I-1161 dated 18-2-1981 registered before the Registrar of Assurances, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA

Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Rnge-I
54, Rafi Ahmed Kidwai Road, Calcutta-700016

Date: 22-9-1981

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOMETAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, CALCUTTA Calcutta, the 25th September 1981

Ref. No. TR-572-80-81/Sl. No. 590 IAC, Acq. R-I/Cal.—Whereas, I, I. V. S. JUNEJA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-Tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

No. 1, situated at Karim Box Lane, Calcutta

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Calcutta on 25-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly state in the said instrument of transfer with object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and for
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Sri Sourindra Nath Datta 114, Regent Park, Calcutta--40.
- (2) Khalil Ahmed & ors.

(Transferor)

(Transferce)
(3) (1) Md. Zakaria (2) Mr. Osman (3) Md. Zuber
Ahmed (4) Md. Sayeed (5) Rahmatullah (6)
Wahad Bux (7) Md. Karim (8) Md. Answer (9)
Mr. Neichales.

(Persons in occupation)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later:
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A portion of premise No. 1, Karim Box Lane, Calcutta, P.S. Taltala, land measuring 4 cottahs 9 chittacks 21 sq. ft. with common passage and one storied building which is registered on 25-2-1981 vide Deed No. I-1377 in the office of Registrar of Assurances, Calcutta.

I. V. S. JUNEJA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Rnge-]
54, Rafi Ahmed Kidwał Road, Calcutta-700016

Date: 25-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT 1961 (43 OF 1961)

(1) Shri Vasant Krishnarao Goregaonkar.

(Transferor)

(2) Shri Vishnu Baburao Desai.

(Transferee)

(3) Shu Vishnu Baburao Desai.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-III, BOMBAY Bombay, the 14th October 1981

Ref. No. AR-III/1963-5/81-82.---Whereas, 1, SUDHAKAR VARMA

being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000|- and bearing No.

C.T.S. No. 60 (1 to 4), S. No. 12, Hissa No. 2 (pt), C.T.S. No. 61 (1 to 3) S. No. 13 (pt) admeasuring 398.94

sq. yds. situated at Goregaonkar Wadi, near Goregaonkar Villa, S. V. Road Andheri (West)

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 21-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S-2736/80 registered with the Sub-Registrar, Bombay, on 21-2-1981.

SUDHAKAR VARMA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III, Bombay

Date: 14-10-1981

Seal:

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGL-I, BOMBAY Bonibay, the 14th October 1981

Ref. No. AR-I/4532-1/80-81.—Whereas, I, SUDHAKAR VARMA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. New S. No. 2A/7014 (Pt) & C.S. No. 1/665 (pt) of Malabar & Cumballa Hills Division situated at Altamount Road Bombay

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 6-2-1981 (Doc. No. 1441/66 Bom)

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforcsaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:---

(1) Shri D. M. Solanki.

(Transferor)

(2) The Altview Co-op. Housing Society Ltd. (Transferee)

(3) 1. Smt. S. B. Dhole Smt. I. B. Vakıl
 Shri D. P. Gandhi

Smt. K. B. Parikh 5. Smt. S. N. Ambani

Smt. C. N. Patel Shri G. P. Gandhi Shri Y. G. Benkur Shri M. L. Daga

10. Shri J. D. Solanki

11. Shri Doongarsi Moorji 12. Shri Visanji Murji

13. Shii Premji Shivji.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :---

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. 1441/66 (Bom.) registered with the Sub-registrar, Bombay, on 6-2-1981.

> SUDHAKAR VARMA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-I, Bombay

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, BOMBAY

Bombay, the 14th October 1981

Ref. No. AR-I/4542-11/81-82.—Whereas, I SUDHAKAR VARMA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. C.S. No. 556 of Malabar & Cumballa Hill Divn August Kranti Marg.

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registering Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Bombay on 26-2-1981 Document No. BOM/652/80

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (t) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (1) of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act. I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

- (1) 1. Shri Chhotabhai Shankerbhai Patel,
 - Shri Manibhai Shankerbhai Patel
 Shri Amratlal Rambhai Patel and

 - 4. Smt. Bhavnabien Dhirubhai Patel.

(Transferor)

(2) August Kranti Premises CHSL.

(Transferee)

(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in the Registered Deed No. Bom/ 652/80 and registered with the Sub-Registrar, Bombay, on 26-2-1981.

> SUDHAKAR VARMA Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax. Acquisition Range-I, Bombay

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II, BOMBAY

Bombay, the 15th October 1981

Ref. No. AR-II/3147-5/Feb. 81.—Whereas, I SANTOSH DATTA

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Plot No. 383, S.S. No. VII, C.T.S, No. E/293 situated at Khar-Danda

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Bombay on 21-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 S/Shri 1, Beharill Daulatram Chhabria 2, Kishanlal Daulatram Chhabria and 3, Arjunlal Daulatra, Chhabria

(Transferor)

(2) Khar Dwarka Co-op. Hsg. Soc. Ltd.

(Transferee)

(3) 1. Shri Dwwarkadas B. Vachha 2. Shri Mulchand G. Chhabria.

(Person in occupation of the property)

Objection, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:---

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Schedule as mentioned in Registered Deed No. S-441/78 with the Sub-Registrar, Bombay, on 21-2-1981.

SANTOSH DATTA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Bombay

Date: 15-10-1981

FORM I.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 5th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1419 Acq. 23-1/81-82.--Whereas, 1, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'sald Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

S. No. 349 palki situated at Wadhawan Road, Surendranagar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Wadhawan on 27-3-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely:—.

(1) Shri Surendranagar Education Society, Surendranagar.

(Transferor)

(2) M/s. Mahavir Construction Co. Through: Partner Shri Parmar Indrasinhji Dhirubha. In Bazar, Surendranagar.

(Transferec)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land admeasuring 25.5—bearing S. No. 349 palki situated at New S. T. Bus Stand, Wadhawan Road, Surendranagar duly registered by Registering Officer, Wadhawan vide sale-deed No. 225/27-3-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date: 5th October, 1981.

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedahad-380 009, the 7th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1420 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

S. No. 189-A-2-2 No. 2 paiki TPS. 14 situated at F.P. No. 232, S.P. No. 2, situated at Dariapur-Kazipur, Tal. City (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 2-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Trustees of Late Sir Rustom Jahangirjee Vakil; S/Shri Phiroz Faramraj Kekabad, Ellisbridge, Nr. Law Garden, "Bharat Nivas", Ahmedabad, Shri Nariman Jahangirjee Kama & others; "Gulmarg", Shahibaug, Ahmedabad.

(Transferor)(s)

- 1. Shri Bhikhabhai K. Patel; Punit Park, Shahibaug, Govt. Godown Road, Ahmedabad.
 - Kantibhal Khodidas Patel; Khodidas-ni-Chawl, Asavva, Ahmedabad. (Transferor)(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Darlapur-Kazipur Tal. City, S. No. 189-A-2-2 Part No. 2, paiki TRS. 14, F.P. No. 232 S.P. No. 2 paiki 8829 sq. yds. as fully described in sale-deed duly registered with registering authority, Ahmedabad vide Regn. No. 497 dated 2-2-81.

G. C. GARG:
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date: 7th October, 1981.

FORM ITNS-----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDARAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1421 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Plot No. 20, Sector 9 situated at Gandhidham (and more fully described, in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anjar on 4-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys; or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269D of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

33-316GI/81

- Shri Karsandas Dayalji Kothari; Bhid Bazar, Bhuj.
- (Transferor)
- (2) Shri Kumar Gopalji Shah; Shri Bhanu Kant Lalji Thacker; Prince Hotel, Bhuj.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said. Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. 20, Sector 9, situated at Gandhidham as fully described in sale-deed registered with Registering Authority, Anjar, vide Regn. No. 205, dated 4-2-1981.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 12th October, 1981.

FORM 1.T.N.S.—

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1422 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

TPS 19, F.P. No. 203, Paiki S.P. No. 4, Sq. yd. 959 situated at Shaikhpur-Khanpur, Tal. City, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 2-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

 Shri Raojibhai Shankerbhai Patel; Khadia, Lakhia-ni-Pole, Ahmedabad.

(Transferor)(s)

(2) On behalf of Jagdish Apartment Owners' Association—President-Shri Ashokbhai Chimanlal Shah; 7, Harikrishna Society, Vasana Baraj Road, Vasana, Ahmedabad-7.

(Transferec)(s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land situated at Shaikhpur-Khanpur Taluka City, T.P.S. 19, F.P. 203 paiki S.P. No. 4, admeasuring 959 sq. yds. as fully described in sale-deed registered with the Registering Authority, vide Regn. No. 15874 dated 2-3-1981.

G. C. GARG.
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 12th October, 1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1423 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25000/- and bearing

S. No. 201, 202 situated at Sahijpur-Gopalpur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Ahmedabad on 3-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby inhthate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Shri Nanalal Motilal Patel;
 Kartikunj, Coop. Housing Society,
 Dana-Limbada, Ahmedabad.

(Transferor) (s)

(2) Shri Iqbal Abdulrehman Surati; Jamalpur, Mota-Bamba, Ahmedabad

(Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land situated at Sahijpur-Gopalpur, S. No. 201, & 202, admeasuring A-2-04 and A. 11-2 0-12 as fully described in sale-deed registered with registering Authority at Ahmedabad registered vide No. 851 dated 3-2-1981.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 12th October, 1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1424 Acq. 23-I/81-82,---Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961), hereinafter reterred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

F.P. No. 100 paiki S.P. No. 26 of TPS. No. 4 situated at Rajpur-Hirpur, Tal. City, Ahmedabad

(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 3-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transfer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Samarath wife of Ambalal Mulchand Patel; 2733, Lamba Padani Pole, Raipur, Ahmedabad-1. (Transferor) (s)
- (2) Tirupati Apartments Owners Association; Chairman: Shri Prashant Chandrakant Shah; 9-Shivbaug Colony, Bhairavnath Road, Ahmedabad-8. Secretary: Nayanaben Rameshbhai Patel; 11-A, Vadnagar Patidar Society, Ahmedabad-8. (Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Rajpur-Hirpur Tal. City, Maninagar, T.P.S. 4, F.P. No. 100 paiki S.P. No. 26, adm. 603 sq. yds. as fully described in sale-deed duly registered with registering Authority, Ahmedabad vide Regn. No. 830 dated 3-2-81.

G. C. GARG.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 12th October, 1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 QF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009
Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1425 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I G. C. GARG.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

S. No. 26 paiki, S. P. No. 11 paiki Prop. of Eastern side F.P. No. 59 paiki Prop. of Eastern side situated at Vadai, Tal. City, Ahmedabad

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Iudian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- Leelavati Shantilal Shah; Zaveri Park, Nr. Derasar, Naranpura, Ahmedabad.
 - (Transferor) (s)
- Mahavir Ghee Bhandar;
 Out-side Delhi Darwaja,
 Advani Market, Ahmedabad.

(Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned.

- (a) by any of the aforesald persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building constructed area 250 sq. yds. situated at Vadaj Tal. City, Ahmedabad S. No. 26 paiki S.P. No. 11 paiki property of Eastern side and F.P. No. 59 paiki property Eastern side—as fully described in sale-deed duly registered with the registering authority, Ahmedabad vide sale-deed registration No. 1532 dated 5-2-1981.

G. C. GARG.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 12th October, 1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 of 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1426 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)

(hereinafter referred to as the 'said Act'),

have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 6/1, 7/1, 14 paiki Plot No. 1-A-2 situated at Hathi Colony, Jamnagar

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jamnagar on 9-2-1981

for an apparent consideration

which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property, as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- Shri Bhanushali Hiralal Gokuldas;
 Digvijya Plot, Jamnagar.
- (Transferor) (s) (2) 1. Smt. Divaliben Dineshchandra Joshi;
 - Shri Arunkumar Dineshchandra Joshi; Jamnagar.

(Transferee) (s)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Jamnagar Rev. Sur. No. 6/1, 7/1, 14 paiki Plot No. 1-A-2 as fully described in sale-deed duly registered with the Registering Authority, Jamnagar vide sale-deed regn. No. 445 dated 9-2-81.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 12th October, 1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I, 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 12th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1427 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason of believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 44, situated at Mithipur Tal. Coty,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ahmedabad on 5-2-1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269°C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforeseid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Champaklal Chhabilrai Inamdar;
 P.A. Holder Shri Jitendrakumar Gordhandas Patel & others, Ahmedabad.

(Transferor)

(2) Partners of Vishnu Automobiles;

1. Shri Hemendrakumar Gordhandas Patel;

 Shri Jitendrakumar Gordhandas Patel;
 'Iitendra Nivas', Opp. Old Maninagar Police Chowky, Ahmedabad.

(Transferce)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated at Mithipur Tal. City, S. No. 44 paiki admeasuring 3800 sq. yds. as fully described in saledced registered with registering authority at Ahmedabad duly registered vide Regn. No. 1540 dated 5-2-81.

G. C. GARG,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 12th October, 1981.

FORM LT.N.S.---

**OTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOMETAX

GOVERNMENT OF INDIA

ACQUISITION RANGE-II, 2ND FLOOR HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 13th October 1981

Ref. No. P. R. No. 1205 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

R.S. No. 589 and 590 (Part) situated at Plot No. 3, Kasturbanagar Coop. Hsg. Society, Sayaji Ganj, Baroda

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Baroda on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than lifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the ilability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269G of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Ritaben Varajlal Talati; Kasturbanagar, Sayajigani, Baroda.

(Transferor)

(2) 1. Govindlal Kanaiyalal Swami;2. Ramanlal Somnath Panchal;Nava Bazar, Baroda.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing R.S. No. 589 & 590 (Part), Plot No. 3, Kasturbanagar Coop. Housing Society, Sayaji-Ganj, Baroda and as fully described in sale-deed bearing Regn. No. 4832 registered in the office of Sub-Registrar, Baroda in the month of February, 1981.

G. C. GARG.
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad.

Date: 13th October, 1981.

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT, COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 13th October 1981

Ref. No. P.R. No. 1206 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Survey No. 666 Plot No. 1 (Part) situated at Baroda Kasba, Baroda,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto). has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at

Baroda on 20-2-1981 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :-

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :--

34-316GI/81

(1) Shri Nitaben Dahyabhai Patel; 'Vasanth', Fatehganj,

(Transferor)

(2) Shri Jayashriben Nitishchandra Shah; 'Mosedayan View', Santa Cruz, Bombay.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the official Gazettee.

EXPLANATION: -The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the sald Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Baroda Kasba, Survey No. 666, Plot No. 1 (Part) and as fully described in sale-deed bearing Registration No. 576 and registered in the office of the Sub-Registrar, Baroda on 20-2-1981.

> G. C. GARG Competent Authority Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range-II. Ahmedabad

Date: 13-10 1981

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-II

New Delhi, the 14th October 1981

Ref. No. IAC/Acq.II/SR-I/81-82/2-81/7417.—Whereas I, VIMAL VASISHT.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Shop No. 42 situated at Old Rohtak Road, Delhi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer

at New Delhi on February, 1981

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely;—

(1) Shri Karam Chand s/o Makhan Lal R/o 42 Old Rohtak Road, Delhi.

(Transferor)

(2) Shri Dewan Chand s/o Roshan Lal R/o 98, Janta, Qr. Janakpuri, New, Delhi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 42 Old Rohtak Road, Delhi.

SMT. VIMAL VASISHT
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Madras
Acquisition Range-II, Delhi/New Delhi

Date: 14-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1185 Acq. 23-11/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

S. No. 51, Tika No. 5, Limda Oli, Rander situated at Surat, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Surat on 7-2-1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) 1. Shri Yakub Hasim Mulla-P. A. Holder of:
 - 2. Ahmad Mohamad Patel;
 - Meminabibi Mohamad Kasam Patel;
 Abdul Karim Mohmad Kasam Patel;
 - 5. Abdul Rahim Mohmad Kasam Patel;
 - 6. Hasiakhatan Mohmad Kasam Patel;
 - 7. Mariambibi Mohmad Kasam Patel; 8. Rehmanbibi Mohmad Kasam Patel;
 - 9. Abdul Rehman Mohmad Kasam Patel;
 - 10. Ayasabibi Mohmad Kasam Patel;
 - 11. Ismail Mohmad Kasam Patel;
 - Asinabibi Mohmad Kasam Patel;
 Jasod Gali, Rander, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Mohmad Ahmad Nana; Limda Oli, Rander, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at S. No. 51, Tika No. 5, Limda Oli, Rander, Surat duly registered on 7-2-1981.

G. C. GARG
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date: 30-10-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME TAX.

ACQUISITION RANGE-II 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 30th September 1981 Ref. No. P. R. No. 1186 Acq. 23-II/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'soid Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing

Nondh No. 1929-K-5-K-2 situated at Kadiwala High School, Ring Road, Surat,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat on 12-2-1981.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons. namely:—

(1) Shri Manharlal Gordhandas Kadiwala; Smt. Parvatiben Manharlal Kadiwala; Shri Satish Kumar Manharlal Kadiwala; Sagrampura, Zanda Sheri, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Ramanlal Ichharam; Shri Hiralal Shivlal Reshamwala; The Tirupati Apartment Coop. Housing Society, Sagrampura, Hanuman Sheri, Surat. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the sald property may be made in writing to the undersigned-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at Nondh No. 1929-K-5-K-2 situated at Near Kadiwala High School, Ring Road, Surat duly registered on 12-2-1981.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date: 30-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS-SIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 31d October 1981

Ref. No. P. R. No. 1187 Acq. 23-II/81-82.--Whereas, 1,

G. C. GARG.

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing Tika No. 6/2, S. No. 87, Wd. No. 2 situated at Pochi Street, Navsari,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at

Navsari on 9-2-1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideraton therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :---

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :---

(1) Shri Ashokbhai Ramanbhai Patel; Mota Falla, Sisodra, Taluka; Navsari.

(Transferor)

- (2) Dabhal Jama Masjid Jamayat Trustees;
 - 1. Shri Suleman Mohmad Mangera;
 - Shei Suleman Ibrahim Navsa;
 Shri Ibrahim Mohmad Waza;
 - 4. Shri Maulana Sarfuddin Abdul Kadar; Village Dabhal—Taluka Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :-

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of htis notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: -- The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property at S. No. 87, Tika No. 6/2, Wd. No. 2, Pochi Street, Navsari duly registered on 9-2-1981.

> G. C. GARG Competent Authority. Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date: 3-10-1981

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1415 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. 391/1 & 2 Paiki situated at National Highway Road, Gondal, Dist. Rajkot,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gondal in February 1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability
 of the transferor to pay tax under the said Act, in
 respect of any income arising from the transfer;
 and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely:—

 Shri Vallabhbhai Nanjibhai Kavchhadiya; Behind S. T. Bus Stand, Gondal, Dist. Rajkot.

(Transferor)

(2) Olympic Ball, Bearing Pvt. Ltd., Managing Director, Shri J. V. Pate Kaneria House, Dhebar Road, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing, to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land bearing S. No. 391/1 & 2 adm. 2 Acres situated outside Gondal City National Highway, Gondal, Dist. Raikot, duly registered by Registering Officer, Gondal, vide sale-deed No. 119/February, 1981 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad.

Date: 26-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) (1) M/s. The Parmar Textiles Industries; Tramway Road, Surendranagar.

(Transferor)

(2) M/s. Shublaxmi Industries; 40/45, Udhyognagar, Surendranagar.

(Transferce)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER
OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSF, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981 Ref. No. P.R. No. 1414 Acq.23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-Plot No. 40 to 45-Part-II, situated at 40/45, Udhyognagar, Surendranagar,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Wadhawan on 24-2-1981,

wanniwan on 24-2-1981, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory Building bearing Plot No. 40 to 45 Part-II, standing on land adm. 8231.75 sq. yds. situated at 40/45, (Subhlaxmi Industries), Udhyognagar, Surendranagar duly registered by Sub-Registrar, Wadhawan vide sale-deed No.-567/24-2-1981 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquistion Range-I, Ahmedabad.

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

Date: 26-9-1981

12632

FORM ITNS-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACTUISITION RANGE-I

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1413 Acq. 23-I/81-82.—Whereas, I G. C. GARG, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot No. 40 to 45-Part-I, 40/45, Udhyognagar, Surendranagar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Wadhawan on 24-2-1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the sald Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) M/s. The Parmar Textile Industries; Tramway Road, Surendranagar.

 (Transferor)
- (2) Dhanlaxmi Industries; 40/45, Udhyognagar, Surendranagar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Factory building bearing Plot No. 40 to 45, Part-I, standing on land 3017.22 sq. yds., situated at 40/45 (Dhanlaxmi Industries), Udhyognagar, Surendranagar, duly registered by Sub-Registrar, Wadhwana, vide sale-deed No. 570/24-2-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabac

Date: 26-9-1981

FORM I.T.N.S.----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) Shri Hansraj Harkha Patel; Mahendranagar, Morvi, Dist. Rajkot.

(Transferor)

(2) Arunodaya Mills Ltd., Through Shri Madhusudan D. Vora, G.M., Vegetable Market, Morvi, Dist. Rajkot.

(Transferee)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACJUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 26th September 1981

Ref. No. P.R. No. 1412 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing No.

S. No. 160 situated at Mahendranagar, Morbi, Dist. Rajkot, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1998) in the office of the Registering Officer 5.

Minibi In Tebruary 1981,

for an apparent consideration which is less than the fair number value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifte a per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 29C of the said

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION ...-The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land bearing S. No. 160, adm. 6 Acre—15 Gunthas situated at Mähendranagar, Morvi, Dist. Rajkot, duly registered by Sub-Registrar, Morvi, vide sale-deed No. 5166/February 1981 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the follow-

ing persons, namely:

Date: 26-9-1981

FORM ITNS----

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACJUISITION RANGE-I 2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASIIRAM ROAD AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 009, the 24th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1411 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, I, G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe

that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. Savsar Plot, Street No. 4, Open land situated at Savsar Plots, Morvi,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Morvi on 2-2-1981,

for an apparent consideration which

is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent considerations therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- Shri Maganlal Girdharlal and Shri Kantilal Chakubhal; both of Morvi, Dist. Rajkot.
- (Transferor)
 (2) Shri Dinkarrai Laljibhai Kotharani and Shri Laljibhai Devshibhai; both at 10, Vasant Plot, Dinesh Kunj, Morvi.

(Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION: —The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plots of land in the by lane of Street No. 4, Savsar Plots, admeasuring 3117 sq. ft. and 3117 sq. ft. situated at Savsar Plots, Morvi, duly registered by Registering Officer, Morvi, vide sale-deeds Nos. 11 & 12/2-2-81 i.e. property as fully described therein.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-1, Ahmedabad

Date: 24-9-1981

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACJUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE, ASHRAM ROAD
AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380 000, the 24th September 1981

Ref. No. P. R. No. 1410 Acq. 23-1/81-82.—Whereas, J. G. C. GARG,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to us the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/-and bearing No.

S. No. 345 situated at Gondal Road, Near Swaminarayan Gurukul Temple, Rajkot,

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer

at Rajkot on February 1981,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

- (1) Smt. Urmilaben Mangaldas Patwari; 'Patwari Bhuwan', Jawahar Road, Rajkot. (Transferor)
- (2) Shri Nandlal Ramjibhai Raja; 'Padma Shobha', Sadar, Opp. Dr. Modi's Hospital, Rajkot. (Transferce)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning, as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A plot of open land bearing S. No. 345, admeasuring 360.5-56 sq. yds. situated at Gondal Road, Near Swaminarayan Gurukul Temple, Rajkot, duly registered by registering Officer, Rajkot, vide sale-deed No. 666/February 1981.

G. C. GARG
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date: 24-9-1981

FORM I.T.N.S.-

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR, PATNA-800 001

Patna-800 001, the 14th October 1981

Ref. No. III-518/Acq/81-82.—Whereas I, H. NARAIN, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/and bearing

part of Plot No 98 of the Patliputra Co-operative House Construction Society Limited, Patna-13

situated at Patliputra Colony, P.S Patliputra, District, Patna (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been trasferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer

at Patna on 21-2-81

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

- (a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or
- (b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax. Act, 1957 (27 of 1957);

Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the asforesaid property by the issue of the notice under subsection (1) of Section 269D of the said Act, ...) the following persons, namely:—

 Shri K. K. Saran s/o Late Babu Ram Nandan Sahay, r/o 98 Patliputra Colony, P.S. Patliputra, District Patna-13.

(Transferer)

(2) Shri Prof. (Dr.) Uma Kant Mishra, S/o Shri Girija Prasad Mishra of 29, Patliputra Colony, Patna, and originally resident of Village Mishrapur, PO. Kumaitha, P.S. Sultangani, District Bhagalpur.

(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

- (a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;
- (b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 6.6 Kathas more or less equivalent to 9,000 square feet situated in the Patliputra Colony. P.S. Patliputra Dist. Patna morefully described in deed No. 1259 dated 21-2-81 registered with D.S.R., Patna.

H. NARAIN
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna.

Date: 14-10-1981